[2021] 14 S.C.R.321

इबिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

शिक्षा समाधानों के ऋणदाताओं की समिति लिमिटेड और ए. एन. आर.

(2020 की सिविल अपील संख्या 3224)

13 सितंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 5 (26) , 7 , 9 , 10 ,

12 , 23 , 25 , 30 , 31 , 60 (5) , 61 & 74 (3) – - राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 - r. 11-दिवाला और दिवालियापन बोर्ड

भारत (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)

विनियम, 2016-शासन। 36ए, 36 बी और 39-क्या सफल समाधान आवेदकों द्वारा निकासी या संशोधन आईबीसी के तहत अनुमत हैं-आयोजित: यह ढांचा, जैसा कि यह खड़ा है, केवल आई. बी. सी. की धारा 12ए और सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 30ए में विस्तृत प्रक्रिया का पालन करके और उन प्रावधानों में मान्यता प्राप्त स्थितियों में सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया से निकासी को सक्षम बनाता है।

-

समाधान योजना की निकासी या संशोधनों को सक्षम करना

सफल समाधान आवेदक का आदेश, एक बार प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं और समयसीमा के उचित अनुपालन के बाद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने के बाद, बातचीत का एक और स्तर बनाएगा जो कानून द्वारा पूरी तरह से अनियमित होगा-क्योंकि सी. आई. आर. पी. की 330 दिनों की बाहरी सीमा यू/एस. 12 (3) न्यायिक कार्यवाही सहित आई. बी. सी. का विस्तार केवल अपवादात्मक मामलों में ही किया जा सकता है।

परिस्थितियों में, आगे की बातचीत या वापसी के लिए इस खुली प्रक्रिया का निगम पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

ऋणदाता, उसके लेनदार और अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे समय बीतने के साथ परिसमापन मूल्य कम होता जाता है-प्रस्तुत करने के बाद संशोधन के लिए एक असफल बातचीत, या सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन के

बाद निकासी और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करना, चाहे कोई भी हो। समाधान योजना द्वारा परिकल्पित शर्तों की सामग्री, जब वैधानिक समय-सीमा द्वारा अनियंत्रित समय बीतने के बाद हो सकता है, जैसा कि वर्तमान अपीलों में मामला है-इस तरह की कार्रवाई की अनुमति देने से या तो कॉर्पोरेट ऋणदाता की निम्न-श्रेणीकृत समाधान राशि और/या मूल्यह्रास वाली संपत्तियों के साथ विलम्बित परिसमापन होगा जो आई. बी. सी. के मुख्य उद्देश्य को विफल कर देता है-यदि विधानमंडल समय बीतने के बाद ऐसा कर सकता है।

इसका ज्ञान, निकासी की अवधारणा को पहचानना था या

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने के बाद समाधान योजना में संशोधन, इसे विशेष रूप से आई. बी. सी. और/या विनियमों के तहत एक प्रावधान के लिए प्रदान करना चाहिए-ये विधायी नीति के लिए मामले हैं-वर्तमान ढांचे में, भले ही कोई अस्वीकार्य हो।

इक्विटी की समझ अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से आयात की जाती है या समाधान योजना की शर्तों की व्याख्या इस तरह से की जाती है जो अपीलार्थियों की वांछित कार्रवाई को सक्षम बनाती है, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि सीओसी की वापसी-अनुमोदित है या नहीं।

प्रक्रिया के बाद के चरण में समाधान योजना के परिणामस्वरूप न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अनिवार्य परिसमापन का निर्देश देगा

निगमित ऋणदाता-विशेष रूप से, यह निर्देश आई. बी. सी. की धारा 33 (1) (बी) में अन्यथा प्रदान किया गया है जब एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 के तहत एक समाधान योजना को अस्वीकार कर देता है-इसमें

संदर्भ में, भारत में मौजूदा दिवालिया ढांचा सी. ओ. सी. के आगे के संशोधनों या निकासी को प्रभावित करने के लिए कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करता है।

अनुमोदित समाधान योजनाएं, सफल समाधान आवेदक के कहने पर, एक बार योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण-एक समाधान आवेदक को प्रस्तुत करने के बाद, सूचना के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋणदाता की वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के बाद

उपयोगिताओं और आई. एम. को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि उन्होंने निगमित ऋणदाता के व्यवसाय में जोखिमों का विश्लेषण किया है और एक सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है-एक प्रस्तुत

समाधान योजना आई. बी. सी. और सी. आई. आर. पी. विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में सी. ओ. सी. और सफल समाधान आवेदक के बीच बाध्यकारी और अपरिवर्तनीय है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-न्यायिक आधार पर निम्नलिखित के लिए लागू: प्रथम वापसी आवेदन में समाधान योजना को वापस लेने की प्रार्थना सारवान नहीं थी और वह जिसे न्यायालय देने के लिए बाध्य था, क्योंकि यह पुनर्मूल्यांकन पर आकस्मिक था, जो अपने आप में प्रार्थनाओं में मांगी गई जानकारी प्राप्त करने पर आकस्मिक था (i) और (ii)-क्योंकि बाद के दो आकस्मिकताएँ कभी उत्पन्न नहीं हुईं, एन. सी. एल. टी. ने स्वतंत्र रूप से वापस लेने की प्रार्थना पर अपना दिमाग नहीं लगाया-जब उसने दूसरा वापस लेने का आवेदन दायर किया, तो इसे तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया, न कि इसके गुण-दोष के आधार पर-जब एक संशोधित तीसरा वापस लेने का आवेदन दायर किया गया, तो एन. सी. एल. टी. ने इसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया और इसे अनुमति दी।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

समाधान आवेदक 'ई' के लिए राहत वास्तविक अर्थों में उपलब्ध नहीं थी इसलिए, इस मुद्दे पर एन. सी. एल. ए. टी. के निष्कर्ष को उलट दिया गया है और यह माना गया है कि समाधान आवेदक 'ई' थर्ड विदड्रॉल एप्लीकेशन को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. गाइड और बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट होता है कि

आर. एफ. आर. पी. और व्यापक दिवाला ढांचे द्वारा बाध्य होने के लिए सहमति। कानून और विनियमों के ढांचे का विश्लेषण गतिशील और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कानून की व्यापक प्रकृति। प्रक्रिया की प्रक्रियात्मक रूपरेखा और पवित्रता को बनाए रखना इसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण और यहाँ तक कि इस न्यायालय का व्याख्यात्मक कार्य, उस उद्देश्य के प्रति संज्ञानात्मक और संबद्ध होना चाहिए। UNCITRAL गाइड ने इसे प्रतिध्वनित किया है

दिवाला कानून के प्रक्रियात्मक डिजाइन के बीच परस्पर क्रिया को ध्यान में रखते हुए स्थिति।

न्यायनिर्णयक अभ्यासक लेल कोनो दावा

आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत प्राधिकरण की अवशिष्ट शक्तियां, एन. सी. एल. टी. नियम 2016 के नियम 11 के तहत एन. सी. एल. टी. की अंतर्निहित शक्तियों या यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों की भी दिवाला ढांचे और इसके अंतर्निहित उद्देश्य के व्यापक अनुपालन के लिए बारीकी से जांच की जानी चाहिए। न्यायनिर्णयन तंत्र जो विशेष रूप से बनाए गए हैं

कानून द्वारा, प्रक्रिया में एक संकीर्ण रूप से परिभाषित भूमिका है और [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राहत देने में सावधानी बरतनी चाहिए जो आई. बी. सी. के लिए केंद्रीय समयबद्धता और पूर्वानुमेयता के विपरीत हो सकती है। एक प्रक्रियात्मक या मूल उपचार का कोई भी न्यायिक निर्माण जिसकी परिकल्पना क़ानून द्वारा नहीं की गई है, न केवल शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा, बल्कि आई. बी. सी. ढांचे द्वारा तैयार किए गए नाजुक समन्वय को बदलने का जोखिम भी उठाएगा और सी. आई. आर. पी. के परिणाम, देश की अर्थव्यवस्था और श्रमिकों और अन्य संबद्ध पक्षों के जीवन पर गंभीर प्रभाव डालेगा, जो किसी प्रस्ताव के प्रभाव से वैधानिक रूप से बाध्य हैं या

निगमित देनदार का परिसमापन। [पारस 97-98] [422-D-H; 423 C-E] 2. आई. बी. सी. भाग II के अध्याय II में पूरे सी. आई. आर. पी. के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को धारा 12 द्वारा निर्दिष्ट सी. आई. आर. पी. की समयसीमा, धारा 29 में समाधान योजना का प्रस्ताव करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करने के लिए आर. पी. के कर्तव्यों और धारा 29ए में समाधान आवेदक कौन हो सकता है, इस पर प्रतिबंधों को शामिल करने के लिए सख्ती से विनियमित किया जाता है।

एक बार जब कोई समाधान आवेदक एक समाधान योजना प्रस्तुत करता है

धारा 30 की उप-धारा (1) के तहत, आर. पी. को यह आकलन करना चाहिए कि क्या यह उप-धारा (2) की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है। स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, उप-धारा (3) के तहत आर. पी. को सी. ओ. सी. को उन समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करना चाहिए जो उप-धारा (2) के तहत मानदंडों को पूरा करती हैं। इसके बाद सी. ओ. सी. इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि उप-धारा (4) के तहत आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, साठ-छह प्रतिशत के बहुमत के साथ समाधान योजना के अनुमोदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा, जिसमें समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का परीक्षण भी शामिल है। एक प्रस्ताव आवेदक उप-धारा (5) के तहत सी. ओ. सी. की इस बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे तब तक मतदान करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वह एक वित्तीय लेनदार भी न हो। उप-धारा (4) के तहत सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को आर. पी. द्वारा उप-धारा (6) के तहत अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता है।

आई. बी. सी. के अलावा, प्रक्रिया को भी विनियमित किया जाता है

आई. बी. सी. के तहत बनाए गए सी. आई. आर. पी. नियम। विनियम 37 उन समाधानों का एक चित्रण प्रदान करता है जिन्हें एक में प्रस्तावित किया जा सकता है

समाधान योजना। विनियम 38 समाधान योजना की अनिवार्य सामग्री प्रदान करता है, जो आई. बी. सी. की धारा 30 (2) में उल्लिखित पूर्व शर्तों के समान हैं।

विनियमन 39 ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है

सी. ओ. सी., और उप-विनियमन (3) के तहत, सी. ओ. सी. को विनियमन 5 (हेक्टेयर) के तहत "मूल्यांकन मैट्रिक्स" के आधार पर प्रत्येक समाधान योजना का मूल्यांकन करना होता है।

संक्षेप में प्रक्रिया का अवलोकन करने के बाद, अब हम समझते हैं कि मोटे तौर पर तीन चरण हैं: (i) पहला चरण सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन से पहले और समाप्त होता है; (ii) दूसरा चरण सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि से पहले की अंतरिम अवधि है; और (iii) तीसरा चरण न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के बाद होता है। पहले चरण में, पक्षों के बीच संबंध स्पष्ट रूप से आई. बी. सी. के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं-जैसे कि एक संभावित समाधान आवेदक का ई. ओ. आई. जमा करने पर आई. एम. और आर. एफ. आर. पी. की मांग करने का अधिकार, जिसे आर. पी. द्वारा खारिज कर दिया गया हो सकता है (जैसा कि के. की अपील में हुआ था)। तीसरे चरण में, यही बात सही है क्योंकि धारा 31 (1) समाधान योजना को सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी बनाती है और इसके उल्लंघन पर आई. बी. सी. की धारा 74 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। हालाँकि, हम अभी जो आकलन कर रहे हैं वह उन दोनों के बीच का अंतरिम दूसरा चरण है। उसमें पक्षों के संबंधों को समझने के लिए, निर्णय प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने के बाद समाधान योजना की सटीक "प्रकृति" को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है।

और इससे पहले धारा 31 (1) के तहत अनुमोदित किया गया है। [पारस 101 103] [424-डी; 427-सी-एच; 428-ए-सी] 3. समाधान योजना की प्रकृति का निर्धारण हमें कानूनी बल के स्रोत को स्थापित करने में मदद करेगा

समाधान योजना-चाहे वह क़ानून हो, यानी आई. बी. सी. या अनुबंध का कानून। दिवाला प्रक्रिया, जैसा कि आई. बी. सी. द्वारा शासित है, न केवल एक सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को अंतिम रूप देने और अनुमोदन के बाद प्रक्रिया में सभी प्रतिभागियों के आचरण की संरचना करती है, बल्कि संभावित समाधान आवेदकों को आमंत्रित करने के पहले चरणों से उपजे आचरण की भी संरचना करती है। आर. पी. के साथ

सी. ओ. सी. 62 की मंजूरी, आर. एफ. आर. पी. के माध्यम से संभावित समाधान आवेदकों को आमंत्रित करती है। एक बार संभावित समाधान आवेदकों से बिना शर्त ईओआई प्राप्त हो जाने के बाद जो अन्यथा हैं धारा 29ए के तहत पात्र, आरपी धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार एक आई. एम. तैयार करता है जो सभी प्रासंगिक जानकारी [2021] 14 एस. सी. आर. प्रस्तुत करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक समाधान योजना का प्रस्ताव करने से पहले संभावित समाधान आवेदकों को एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता। आई. बी. सी. और इसके विनियमों के परिणामस्वरूप, संभावित समाधान आवेदक, जो धारा 29ए के तहत अयोग्य नहीं हैं, अपनी समाधान योजनाओं के मसौदे का प्रस्ताव करते हैं। आर. पी. अनुभाग की रूपरेखा के विरुद्ध समाधान योजना की जांच करता है।

30 (2) और केवल योग्य योजनाओं को सी. ओ. सी. 63 को प्रस्तुत करता है। आई. बी. बी. आई. (सी. आई. आर. पी.) (चौथा संशोधन) विनियम 2020 से पहले, जिसमें अब सी. ओ. सी. को प्रत्येक योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर अपने विचार-विमर्श को दर्ज करने के बाद सभी योजनाओं पर एक साथ मतदान करने की आवश्यकता होती है, विनियम 39 (3) ने पहले सी. ओ. सी. को "ऐसे संशोधनों के साथ एक समाधान योजना को मंजूरी देने में सक्षम बनाया जो वह उचित समझता है।" इसका मतलब था कि संभावित समाधान आवेदक और सी. ओ. सी. एक पारस्परिक रूप से सहमत समाधान योजना पर पहुंचने के लिए एक सख्त समय-सीमा के भीतर कई दौर की बातचीत में शामिल होंगे, जो तब सी. ओ. सी. द्वारा मतदान के अधीन थी। मतदान के बाद, आर. पी. पी. बी. जी. की प्राप्ति और प्रपत्र एच. के रूप में एक अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को योजना प्रस्तुत करेगा। ऊपर वर्णित प्रत्येक चरण सभी पक्षों पर कई अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप है जो विशेष रूप से कानून द्वारा बनाए गए हैं। [पैरा 105] [428-एच; 429-ए-ई]

4. यदि यह अदालत मानती है कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजनाएं वास्तव में अनुबंध हैं, तो उनके प्रावधानों को अभी भी करना होगा

आई. बी. सी. के वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप। हालांकि, इस तरह की व्याख्या का मतलब यह होगा कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजनाएं आई. बी. सी. और अनुबंध अधिनियम के चौराहे पर हैं। इसका मतलब यह होगा कि अनुबंध कानून के कुछ सिद्धांत, उदाहरण के लिए निर्वहन, दंड, उपचार और नुकसान से संबंधित सिद्धांत सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर लागू होंगे। योजनाएं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अदालतों द्वारा पुष्टि की गई योजनाओं को अनुबंधों के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनका उल्लंघन भी हो सकता है।

संविदात्मक उपचारों को जन्म दें। अरकंसास में एक दिवालियापन अदालत ने हॉफ़िंगर इंडस, इंक 65 में कहा है कि "एक पुष्ट योजना लागू करने योग्य और दोनों के बीच नुकसान के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए।

संविदात्मक रूप से बाध्य पक्ष "। वास्तव में, हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि समाधान योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए

विशिष्ट निष्पादन का संविदात्मक उपचार। इसके अलावा, ए. यह निर्धारित करना कि समाधान योजनाएं ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. की अवधि में अनुबंध हैं।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी के बीच हमें यह विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी कि क्या अनुबंध गठन के सभी तत्व संतुष्ट हुए हैं, जिसमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना की स्वीकृति अनुबंध अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है या क्या उनसे अनुमोदन लेने की शर्त पूरी होती है।

प्राधिकरण, विशुद्ध अनुबंध हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, समाधान आवेदकों के लिए पात्रता, आई. एम. की सामग्री और संभावित समाधान आवेदकों के लिए आर. पी. के कर्तव्यों और समय-सीमा और मतदान पर वैधानिक प्रक्रियाओं जैसे विनिर्देशों द्वारा, दिवालिया प्रक्रिया को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को योजना प्रस्तुत करना। सी. ओ. सी., जिसके बारे में अपीलकर्ताओं का आरोप है कि वह एक स्वतंत्र संविदाकारी पक्ष की प्रकृति का है, कानून के बाध्यकारी सिद्धांतों द्वारा शासित होता है -

वैधानिक योजना की सामग्री और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिसे वह धारा 30 (4) के तहत मंजूरी देता है और यहां तक कि इसकी अपनी संरचना को भी।

धारा 30 (4) में प्रावधान है कि सी. ओ. सी. के सभी सदस्यों की सहमति, हालांकि एक सर्वसम्मत वोट की आवश्यकता नहीं है और 60

संकल्प योजना के अनुमोदन के लिए छह प्रतिशत मत पर्याप्त है। सी. ओ. सी. का गठन विशिष्ट परिदृश्यों पर आधारित है।

ऋण की प्रकृति और मात्रा जैसे कारकों के आधार पर अलग-अलग संरचनाओं के लिए कानून और खातों में परिकल्पना की गई है। उदाहरण के लिए, यदि इसमें अकेले परिचालन लेनदार शामिल हैं, तो परिचालन और वित्तीय के बीच बकाया ऋण का प्रतिशत लेनदार और ऐसे अन्य चर सी. ओ. सी. के सदस्यों के बीच मतदान की सीमा को प्रभावित करते हैं। समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए सी. ओ. सी. के छियासठ प्रतिशत मत की आवश्यकता होती है। असहमत लेनदार

माना जाता है कि उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है और वे सी. ओ. सी. के बहुमत के निर्णय से बाध्य हैं। असहमत लेनदार [2021] 14 एस. सी. आर. हैं।

वैधानिक प्रावधान के परिणामस्वरूप बाध्य हैं और इसलिए नहीं कि उन्होंने वास्तव में ऐसी व्यवस्था के लिए पक्षकार बनने की सहमति दी है।

समाधान योजना को नियंत्रित करने वाले अन्य तत्व इंगित करते हैं कि शुरुआत से लेकर सी. ओ. सी. द्वारा इसकी स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया आई. बी. सी. के ढांचे के भीतर होती है। इसके अलावा, आई. बी. सी. अनुपालन न करने के लिए दंड प्रदान करता है

धारा 31 के तहत अनुमोदन के बाद समाधान योजना और समाधान योजना को लागू करने में विफल रहने के लिए पी. बी. जी. को जब्त करना या

इसके कार्यान्वयन की विफलता में योगदान देना। समाधान योजना की शर्तों का उल्लंघन नुकसान के दावे को जन्म नहीं देता है, बल्कि यह अभियोजन और अधिरोपण की ओर ले जाता है

आई. बी. सी. की धारा 74 के तहत दंड। इसके विपरीत, सी. ओ. सी. द्वारा धारा 12ए के तहत सी. आई. आर. पी. को वापस लेने के साथ-साथ

सी. आई. आर. पी. लागतों के भुगतान की आवश्यकता, लेकिन समाधान आवेदक को कोई नुकसान वैधानिक रूप से देय नहीं है, चाहे निकासी का चरण कुछ भी हो।

आवश्यक बहुमत के साथ भी सी. ओ. सी. को समाधान योजना को मंजूरी देते समय इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए।

प्रस्तावित योजना और वितरण का तरीका, जो आई. बी. सी. की धारा 53 की उप-धारा (1) में निर्धारित लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकता है। सी. ओ. सी. आई. बी. सी. की धारा 29ए के तहत प्रतिबंधित आवेदक द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना को मंजूरी नहीं दे सकता है। सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 37 और 38 समाधान योजना की सामग्री को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा, एक समाधान योजना, यदि आई. बी. सी. के जनादेश के अनुपालन में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार नहीं की जा सकती है और सभी हितधारकों पर इसकी मंजूरी के लिए बाध्यकारी हो जाती है-जिसमें केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण जिनके लिए वैधानिक बकाया है, परिचालन लेनदार जो सी. ओ. सी. का हिस्सा नहीं थे और कॉर्पोरेट देनदार का कार्यबल जो अब एक नए प्रबंधन द्वारा शासित होगा। समाधान योजना की ऐसी विशेषताएँ, जहाँ एक क़ानून व्यापक रूप से अनुमोदन के रूप, तरीके, तरीके और प्रभाव को नियंत्रित करता है, इसे एक पारंपरिक अनुबंध से अलग करता है, विशेष रूप से उन लोगों को बांधने की क्षमता में जिन्होंने इसके लिए सहमति नहीं दी है। विशुद्ध संविदात्मक क्षेत्र में, एक समझौता उन पक्षों को बाध्य करता है जो अनुबंध के लिए गोपनीय हैं। में

आई. बी. सी. द्वारा शासित समाधान योजना के संदर्भ में, गोपनीयता का तत्व एक बार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।

धारा 31 (1) के तहत समाधान योजना की पुष्टि करता है और इसे EBIX सिंगापुर PVT घोषित करता है।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

टिप्पणीकार ने नोट किया है कि दिवालियापन कानून का उद्देश्य वास्तव में वित्तीय संकट के साथ एक विशिष्ट 'अनुबंध विफलता' को हल करना है। इस तरह की अनुबंध विफलता उत्पन्न होती है क्योंकि "वित्तीय संकट में रणनीतिक रूप से बहुत अधिक पक्ष शामिल होते हैं। प्रत्येक परिदृश्य के नियमों के एक समूह को परिभाषित करने के लिए सौदेबाजी प्रोत्साहन और फर्म और उसके लेनदारों के लिए बहुत अधिक आकस्मिकताएँ। इस प्रकार, दिवाला कानून यह मानता है कि पक्ष इस तरह का लाभ उठा सकते हैं।

डिफ़ॉल्ट अधिकतम तिथि से पहले न्यायनिर्णायक "। हमने इस निर्णय की धारा I और J में आई. बी. सी. की वैधानिक योजना पर आगे चर्चा की है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि एक समाधान योजना सी. ओ. सी. और सफल समाधान आवेदक के बीच बाध्यकारी है। इस प्रकार, संकल्प योजना की उन लोगों को बांधने की क्षमता, जिन्होंने इसके लिए सहमति नहीं दी है, एक वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से, इंगित करती है कि यह एक विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। अनुबंध।

बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, जिसने आई. बी. सी. का पहला मसौदा प्रस्तुत किया और इसमें सुधार के पीछे के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया।

दिवाला व्यवस्था, सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना [2021] 14 एस. सी. आर. को संदर्भित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक उदाहरण में 'बाध्यकारी अनुबंध' के रूप में और अन्य उदाहरणों में इसे 'बाध्यकारी समझौते' के रूप में संदर्भित करता है। रिपोर्ट में एक सीओसी का भी उल्लेख किया गया है

'वित्तीय व्यवस्था', 'पुनरुद्धार योजना' या 'समाधान' के रूप में स्वीकृत समाधान योजना। 'समझौता', 'अनुबंध', 'वित्तीय व्यवस्था', 'पुनरुद्धार योजना' और 'समाधान' शब्दों की विनिमेयता इंगित करती है कि बीएलआरसी का कोई स्पष्ट इरादा नहीं है समाधान योजना की प्रकृति को एक अनुबंध के रूप में चिह्नित करना। समाधान योजना के बाध्यकारी प्रभाव का परिणाम है -

एक मतदान तंत्र के माध्यम से सी. ओ. सी. द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद सी. ओ. सी. या संकल्प आवेदक को अपनी शर्तों से पीछे हटने से रोकना। समाधान योजना की बाध्यकारी प्रकृति और सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित होने के बाद बातचीत की अंतिमता को इंगित करने के लिए बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट (जो एक पूर्व-विधायी पाठ था जिसमें विधानमंडल द्वारा बाद में संशोधन किए गए थे) में एक अवसर पर 'बाध्यकारी अनुबंध' का क्षणिक उल्लेख दस्तावेज़ की कानूनी प्रकृति को स्थापित नहीं करता है, विशेष रूप से जब यह नहीं है।

सी. आई. आर. पी. के कुछ चरण अनुबंध के गठन में शामिल चरणों से मिलते-जुलते हैं। एक अनुबंध के गठन में शामिल प्रक्रिया की प्रतिध्वनि पूर्ववर्ती चरणों में प्रतिध्वनित होती है समाधान योजना का अनुमोदन जैसे कि: (i) आर. एफ. आर. पी. जारी करने को प्रस्ताव के निमंत्रण के बराबर माना जा सकता है; (ii) समाधान योजना को प्रस्ताव या प्रस्ताव के रूप में माना जा सकता है; और (iii) सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन प्रस्ताव की स्वीकृति के समान हो सकता है। समाधान योजना की शर्तों में इनके बीच एक वाणिज्यिक सौदा होता है -

सीओसी और समाधान आवेदक। बाध्यकारी प्रभाव के साथ कानूनी संबंध बनाने का भी इरादा है। हालाँकि, यह आई. बी. सी. की संरचना है जो सी. ओ. सी. को कानूनी बल प्रदान करती है-अनुमोदित समाधान योजना। समाधान योजना की वैधता बाध्य लोगों के समझौते या सहमति पर आधारित नहीं है (हालांकि एक प्रक्रियात्मक कदम के रूप में आई. बी. सी. को लेनदारों के साठ-छह प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है), लेकिन आई. बी. सी. के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन पर। [पारस 112-114] [433-D-G; 434-A-F]

6. उपरोक्त टिप्पणियां विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किए गए पी. पी. ए. के संदर्भ में थीं। अधिनियम की धारा 43-ए (1) में निर्धारित किया गया है कि उत्पादन कंपनी

विद्युत बोर्ड के साथ अनुबंध कर सकते हैं।

इस प्रकार, ईबीआईएक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

निर्णय पूर्व-एक स्थायी अनुबंध के अस्तित्व को मानता है। मामले में विवाद यह था कि क्या पीपीए हो सकता है

एक वैधानिक अनुबंध के रूप में चिह्नित। यह कहने के लिए कि समाधान योजना एक वैधानिक अनुबंध है, हमें पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आई. बी. सी. सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को एक अनुबंध के रूप में परिकल्पना करता है। विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 43-ए (1) के विपरीत आई. बी. सी. के तहत समाधान योजना को अनुबंध के रूप में संदर्भित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अनुबंध किया जा सकता है। संबंधित पक्षों के बीच। समाधान योजना का कानूनी बल आई. बी. सी. के तहत प्रदान किए गए ढांचे के कारण

उत्पन्न होता है। आई. बी. सी. के तंत्र प्रक्रिया में सभी प्रतिभागियों के संचालन पर पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और सी. ओ. सी.-अनुमोदित समाधान योजना के बाध्यकारी प्रभाव का प्रमाण सी. आई. आर. पी. विनियमों के अनुपालन में सफल समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत पी. बी. जी. के निष्पादन से मिलता है। यह पी. बी. जी. तब वापस किया जा सकता है जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 के तहत समाधान योजना को मंजूरी दे देता है और इसे सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी बनाता है। इसलिए, आई. बी. सी. और इसके विनियम पर्याप्त हैं।

अनुबंध और इस तरह की समाधान योजना की प्रकृति के बारे में बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट में स्पष्टता की कमी, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने से रोकती है कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजनाएं अनुबंध अधिनियम और सामान्य कानून सिद्धांतों द्वारा शासित होंगी। अनुबंधों को नियंत्रित करना, विशिष्ट प्रतिबंधों को छोड़कर [2021] 14 एस. सी. आर.

और आई. बी. सी. के तहत कल्पनाओं पर विचार करना। सी. आई. आर. पी. विनियमों का विनियम 39 (3), जैसा कि यह आई. बी. बी. आई. (सी. आई. आर. पी.) के समक्ष था (चौथा)

संशोधन) विनियम 2020 और हमारे समक्ष तीन अपीलार्थियों पर लागू होने से एक ऐसी रूपरेखा तैयार हुई जिसमें समाधान योजना का मसौदा तैयार करने के लिए कई दौर की बातचीत शामिल होगी और

समाधान आवेदक और सी. ओ. सी. के बीच संशोधन, इससे पहले कि बाद वाले द्वारा अनुमोदित किया जाए और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाए। हालांकि, वाणिज्यिक बातचीत के लिए यह सांविधिक रूप से सक्षम जगह विनियमन के अन्य तत्वों पर हावी होने के लिए पर्याप्त नहीं है जो इस दृष्टिकोण से अलग है कि सी. ओ. सी.-अनुमोदित है। समाधान योजनाएं अनुबंध हैं। सी. ओ. सी.-धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी से पहले अनुमोदित समाधान योजनाएं आई. बी. सी. के तंत्र का एक कार्य और उत्पाद हैं। उनकी वैधता, प्रकृति, कानूनी बल और सामग्री आई. बी. सी. के तहत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा विनियमित होती है, न कि अनुबंध अधिनियम द्वारा। सी. ओ. सी. द्वारा मतदान भी तभी होता है जब आर. पी. ने समाधान योजना की सामग्री को सत्यापित किया है और पुष्टि की है कि यह आई. बी. सी. और उसके नियमों की शर्तों को पूरा करता है। संशोधित विनियम 39 (3) समाधान योजनाओं पर मतदान पर सी. ओ. सी. के संचालन को और विनियमित करता है और

एक साथ मतदान की आवश्यकता। 27 अगस्त 2021 को जारी आईबीबीआई के चर्चा पत्र में इस विषय पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। समाधान के लिए किए जा सकने वाले संशोधनों पर प्रक्रिया को विनियमित करना

सी. ओ. सी. को प्रस्तुत योजनाएं। ये घटनाक्रम इस निष्कर्ष को पुष्ट करते हैं कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को प्रस्तुत करने से पहले का तंत्र आई. बी. सी. द्वारा निरंतर प्रक्रियात्मक जांच के अधीन है और इसे दोनों पक्षों के बीच एक सरल संविदात्मक बातचीत के रूप में नहीं माना जा सकता है। आई. बी. सी. की प्रकृति के कारण सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजनाओं पर निराशा या आकस्मिकता के कारण वापसी या संशोधन का एक सामान्य कानूनी उपचार कैसे लागू नहीं होता है, इसका विवरण नीचे धारा जे में दिया गया है। इसी तरह, उपचारों की पूरी मेजबानी जैसे कि परिसमापन और

जब तक आई. बी. सी. द्वारा विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक बिना तरलता वाले नुकसान, पुनर्स्थापन, नवीनता और हताशा सफल लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। समाधान आवेदक जिसकी योजना को सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया है और वह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है। फरवरी 2020 की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट में कहा गया है

ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. द्वारा अर्जित लाभ या हानि के विभाजन के लिए समाधान योजनाओं को अनिवार्य करने के लिए सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया की सिफारिश की।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

आई. बी. सी. की दिवाला व्यवस्था। किसी विवाद की स्थिति में समाधान योजना की शर्तों की भाषा को समझने के लिए संविदात्मक व्याख्या के तत्वों पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन आई. बी. सी. के तंत्र को पूरी तरह से फिर से बनाने और विकृत करने के लिए नहीं। यह लक्ष्मी पट सुराना बनाम में न्यायालय। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने माना है कि आई. बी. सी. एक स्व-निहित संहिता है। इस प्रकार, आई. बी. सी. व्यवस्था में किसी भी अन्य कानून या अनुबंध अधिनियम जैसे क़ानून के सिद्धांतों का आयात करने से आई. बी. सी. के काम-काज में अनावश्यक जटिलता पैदा होगी और आई. बी. सी. के लिए विदेशी विचारों पर लंबे समय तक मुकदमेबाजी हो सकती है। एक उदाहरण देने के लिए, सी. ओ. सी. आर. एफ. आर. पी. और समाधान योजना के संदर्भ में कुछ परिस्थितियों में सफल समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत पी. बी. जी. को जब्त कर सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि समाधान आवेदक संकल्प को लागू करने में विफल रहा है या उसने इसकी विफलता में योगदान दिया है। सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 36 बी (4 ए) में लेनदारों द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद इस तरह की प्रदर्शन प्रतिभूति प्रदान करने का प्रावधान है। विनियमों में यह प्रावधान नहीं है कि प्रदर्शन सुरक्षा को [2021] 14 एस. सी. आर. के रूप में नुकसान का उचित अनुमान होना चाहिए।

अनुबंध कानून के तहत दंड खंडों की अपेक्षा की जाती है, बल्कि

व्याख्या प्रदान करती है कि प्रदर्शन सुरक्षा होनी चाहिए

समिति, समाधान योजना की प्रकृति और निगमित देनदार के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा, यदि सी. ओ. सी. निगमित देनदार के साथ समझौता करता है और धारा 12ए के तहत सी. आई. आर. पी. से निकासी, विनियमन 30ए केवल दिवालिया लागत के भुगतान के लिए प्रदान करता है और नहीं

समाधान आवेदक को निवेश के लिए मुआवजा या नुकसान

प्रक्रिया में समय और धन। पक्षकार समाधान योजना के कार्यान्वयन से बचने के लिए हताशा या मजबूर करने के सिद्धांतों का सहारा ले सकते हैं जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी हो सकती है। यह एमटेक ऑटो (ऊपर) में अदालत ने एक सफल समाधान आवेदक द्वारा इसी तरह के प्रयास पर अंकुश लगाया था, जिसने अपनी समाधान योजना में एक बल आकस्मिक खंड पर भरोसा किया था ताकि एक निर्देश प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जा सके

सी. ओ. सी. अपनी समाधान योजना में संशोधन के लिए बातचीत करेगी। अदालत ने कहा कि सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद पक्षों के बीच बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार, संविदात्मक सिद्धांत और सामान्य कानूनी उपचार, जो आई. बी. सी. के शब्दों या इरादे में कोई अंतर नहीं पाते हैं, सी. ओ. सी. की स्वीकृति और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के बीच की अवधि में आयात नहीं किए जा सकते हैं। संविदात्मक निर्माण और व्याख्या के सिद्धांत इस प्रकार काम कर सकते हैं -

समाधान योजना की शर्तों पर अस्पष्टता की स्थिति में व्याख्यात्मक सहायता। हालांकि, अनुबंध अधिनियम के लिए विशिष्ट उपायों को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ओवर-राइडिंग सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है। आई. बी. सी. [पारस 124-125] [440-D-G; 441-A-E; 442-A-G; 443 A-E]

8. सी. आई. आर. पी. को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा चाहता है -

दिवाला को कुशल, व्यापक और समय पर हल करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना। आई. बी. सी. किसी भी देरी, प्रक्रिया में अनिश्चितता और विवादों को कम करने के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता के सी. आई. आर. पी. को शुरू करने के लिए एक विस्तृत रैखिक प्रक्रिया प्रदान करता है। सी. आई. आर. पी. में महत्वपूर्ण अभिनेताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को आई. बी. सी. और इसके नियमों के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आईसीआईसीआई बैंक, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि "संहिता के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक भारत में दिवाला कानून को एक एकीकृत छत्र के तहत लाना है, जिसका उद्देश्य दिवाला प्रक्रिया में तेजी लाना है।"

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

हाल ही में, गुजरात में ऊर्जा (ऊपर) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि "दिवालियापन को पूरा करने में देरी"

कार्यवाही ऋणी की परिसंपत्तियों के मूल्य को कम कर देगी और एक सफल पुनर्गठन या परिसमापन की संभावनाओं को बाधित करेगी। दिवाला व्यवस्था की सफलता के लिए, यह आवश्यक है कि दिवाला कार्यवाही को समय पर, प्रभावी और कुशल तरीके से निपटाया जाए। आई. बी. सी. के तहत समय-सीमा का निर्धारण और एक विस्तृत प्रक्रिया सी. आई. आर. पी. को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करती है और दिवाला समाधान प्रक्रिया में पारदर्शिता, निश्चितता और पूर्वानुमेयता का परिचय देती है। UNCITRAL गाइड भी बताती है

कि किसी क्षेत्राधिकार का दिवाला कानून पारदर्शी और पूर्वानुमेय होना चाहिए। [पैरा 143] [458-जी-एच; 459-ए-सी]

9. न्यायिक संयम का प्रयोग न केवल आर्थिक नीति से संबंधित कानून की संवैधानिकता पर निर्णय लेते समय किया जाना चाहिए, बल्कि आर्थिक कानूनों की व्याख्या के मामलों में भी किया जाना चाहिए, जहां न्यायालय की व्याख्यात्मक चालों का कानून बनाने की शक्ति का उल्लंघन करने और विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के नाजुक संतुलन को बाधित करने का प्रभाव पड़ता है। विवेकपूर्ण मामलों में न्यायिक संयम का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय के पास न तो आवश्यक विशेषज्ञता है और न ही आर्थिक नीति की दिशा तय करने के लिए हितधारकों या विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने की शक्ति है। एक अदालत एक सफल समाधान आवेदक द्वारा वापस लेने या संशोधन की शक्ति के प्रयोग के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करने में अक्षम हो सकती है।

आई. बी. सी. जो पवित्र हैं। इस प्रकार, मूल रूप से शासित कानून में हस्तक्षेप करते समय न्यायिक संयम का प्रयोग किया जाना चाहिए। आई. बी. सी. जैसी प्रक्रिया के माध्यम से परिणाम। इस मामले में, यदि समाधान आवेदकों को बाद की बातचीत के बाद संशोधन करने या एक प्रस्तुत करने के बाद वापस लेने की अनुमति है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए समाधान योजना कानून के रूप में, यह उन सभी संभावित समाधान आवेदकों के वाणिज्यिक ज्ञान और सौदेबाजी की रणनीतियों को निर्धारित करेगी जो प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं और सफल समाधान चाहते हैं।

ऐसे आवेदक जो अपने स्वयं के मामले के लिए विशिष्ट असंख्य कारकों के कारण एक बेहतर सौदे पर बातचीत करना चाहते हैं। इस कार्रवाई की व्यापक वैधता अकेले विधायिका द्वारा तय की जा सकती है, क्योंकि किसी भी अन्य कार्रवाई के परिणामस्वरूप [2021] 14 एस. सी. आर. की हड़बड़ी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. बी. सी. और सी. आई. आर. पी. के तहत निर्धारित वैधानिक ढांचा विनियम एक चरण-दर-चरण प्रक्रिया प्रदान करते हैं जिसका पालन सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से लेकर अनुमोदन तक किया जाना है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। विनियमन 40ए सी. आई. आर. पी. के लिए एक मॉडल समयरेखा का वर्णन करता है जो हर उस घटना के लिए जिम्मेदार है जो

सी. आई. आर. पी. के प्रारंभ और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के बीच उत्पन्न हो सकता है, जिसमें धारा 12ए के तहत सी. आई. आर. पी. को वापस लेने के लिए दबाव डालने के विभिन्न चरण शामिल हैं। यहां तक कि आर. एफ. आर. पी. में संशोधन की भी परिकल्पना की गई है सी. आई. आर. पी. नियम और एक समयसीमा के अधीन है। एक सफल समाधान आवेदक के लिए क़ानून के तहत निर्धारित किसी भी निकास मार्ग की अनुपस्थिति आई. बी. सी. के प्रतिबंध का संकेत है

उसके कहने पर वापस लेने का कोई भी प्रयास। केसस ओमिसस का नियम व्याख्या का एक स्थापित नियम है, जो प्रदान करता है कि किसी क़ानून में चूक न्यायिक निर्माण द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है।

इस ग्रंथ में आगे चर्चा की गई है कि इस नियम से हटने की अनुमति केवल उन मामलों में दी गई है जहां शब्दों को दुर्घटनावश हटा दिया गया है या चूक का किसी भी हिस्से को बनाने का प्रभाव पड़ता है।

कानून अर्थहीन है। इसके अलावा, कानून में केवल ऐसे शब्दों की आपूर्ति की जा सकती है जो निश्चित रूप से

संसद ने इस चूक को अपने संज्ञान में लाया था।

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, कई समाधान योजनाएं निर्णय लेने से पहले लंबित रहीं

लॉकडाउन और सुनवाई को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण बाधाओं के कारण अधिकारी। 5 जून 2020 को तेजी से एक अध्यादेश जारी किया गया था, जिसमें 25 मार्च 2020 से छह महीने (एक वर्ष तक बढ़ाने योग्य) के लिए आई. बी. सी. की धारा 7,9 और 10 के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत का अस्थायी निलंबन लगाया गया था।

इसके बाद 23 सितंबर 2020 को आई. बी. सी. (दूसरा संशोधन) अधिनियम 2020 के माध्यम से एक संशोधन किया गया, जिसमें निलंबित अवधि के दौरान उत्पन्न चूक के उद्देश्य से एक नक्काशी का

प्रावधान किया गया था। लॉकडाउन के कारण होने वाली देरी को भी आई. बी. बी. आई. (दिवाला समाधान प्रक्रिया) द्वारा कम किया गया।

निगमित व्यक्ति) (तीसरा संशोधन) विनियम 2020, जो ईबीआईएक्स सिंगापुर पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

20 अप्रैल 2020 को 29 मार्च 2020 से प्रभावी विनियमन 40 डिग्री सेल्सियस डाला गया और इन उद्देश्यों के लिए इस तरह की देरी को बाहर रखा गया:

अन्यथा सख्त समय-सीमा का पालन। हाल ही में, आई. बी. सी. (संशोधन) अध्यादेश 2021 को 04 अप्रैल 2021 से लागू किया गया था, जिसमें एमएसएमई के व्यवसायों को संरक्षित करने और एक त्वरित दिवाला प्रक्रिया के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे। सफल समाधान आवेदकों की ओर से एक कोलाहल मचा हुआ है जो अब अपनी प्रस्तुत समाधान योजनाओं की शर्तों का पालन नहीं करना चाहते हैं जो देश में हर व्यवसाय को प्रभावित करने वाली आर्थिक मंदी के कारण धारा 31 के तहत अनुमोदन के लिए लंबित हैं। हालाँकि, पिछले अठारह महीनों में निकासी या पुनः बातचीत को सक्षम करने के लिए कोई विधायी राहत प्रदान नहीं की गई है। आई. बी. सी. के तहत किसी भी प्रावधान के अभाव में

जब तक निर्णयकर्ता द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक वापसी या संशोधन प्राधिकरण या कि यह सी. ओ. सी. और सफल समाधान आवेदक के बीच बाध्यकारी नहीं है। सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 39 (4) में आदेश दिया गया है कि आर. पी. को [2021] 14 एस. सी. आर. की रसीद के साथ धारा 12 के तहत सी. आई. आर. पी. की वैधानिक अवधि समाप्त होने से कम से कम पंद्रह दिन पहले योजना प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पी. बी. जी. और फॉर्म एच. के रूप में एक अनुपालन प्रमाण पत्र। यह ध्यान रखना उचित है कि धारा 12 की उप-धारा (3) यह आदेश देती है कि कानूनी कार्यवाही सहित सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया को इसके अंतर्गत समाप्त किया जाना चाहिए। 330 दिन होते हैं। इस तीन सौ तीस दिन की अवधि को केवल असाधारण परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है, यदि प्रक्रिया समाप्त होने के करीब है और आई. बी. सी. के उद्देश्य को पूरा करती है, जैसा कि एस्सार स्टील (ऊपर) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया है। इसलिए, सभी सांविधिक रूप से परिकल्पित देरी के लिए लेखांकन के बाद, जिसे आर. पी. को अपने फॉर्म एच में और अन्यथा विनियमन 40 बी के माध्यम से

समझाना पड़ता है, प्रक्रिया में समाधान योजना प्रस्तुत करने और इसके अनुमोदन या अस्वीकृति के बीच पंद्रह दिन की अवधि की परिकल्पना की गई है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कानून निर्णय प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले एक निश्चित स्तर की अंतिमता की परिकल्पना करता है। यहां तक कि सी. ओ. सी. को भी निर्णय प्राधिकरण को समाधान योजना प्रस्तुत करने के बाद कई समाधान योजनाओं को मंजूरी देने या ई. ओ. आई. का अनुरोध करने की अनुमति नहीं है, जो संभवतः विचार में होगा यदि समाधान आवेदक को इससे हटने की अनुमति दी गई थी, या

योजना बनाएँ। विशेष रूप से, नियम समाधान आवेदक के मामले में प्रदर्शन सुरक्षा को जब्त करने का भी निर्देश देते हैं। " कार्यान्वयन की विफलता में योगदान देता है, जिसमें संभावित रूप से योजना को वापस लेने का कोई भी प्रयास शामिल हो सकता है।

बी. एल. आर. सी. की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सी. आई. आर. पी. में बातचीत समयबद्ध होनी चाहिए और यह परिकल्पना की गई है कि

जिन तरीकों से सी. आई. आर. पी. समाप्त होता है, वह यह है कि आर. पी. सी. ओ. सी. से एक बाध्यकारी समझौता प्राप्त करने में सक्षम है। इस तरह का बंधन

समझौता न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता है, जो

सी. आई. आर. पी. को बंद करने का आदेश। यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को बाध्यकारी समझौता नहीं मिलता है, तो वह निगमित ऋणदाता को परिसमापन में भेज सकता है। [पारस 150-151] [468-F-H; 469-A-G] 11. विनियम 38 (3) आदेश देता है कि एक समाधान योजना विशिष्ट समय सीमा के साथ व्यवहार्य, व्यवहार्य और कार्यान्वित करने योग्य हो। ए.

समाधान योजना जिसका कार्यान्वयन ईबीआईएक्स सिंगापुर पी. वी. टी. से वापस लिया जा सकता है।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

सफल समाधान आवेदक का आदेश स्वाभाविक रूप से है व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि संशोधनों/वापसी पर खुले खंडों का मतलब होगा कि योजना एक अनिर्धारित चरण में विफल हो सकती है, अनिश्चित हो सकती है, जिसमें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के बाद भी शामिल है। एक ओर यह अभिधारणा करना असंगत है कि समाधान योजना की शर्तों के बावजूद, धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के बाद किसी भी वापसी या संशोधन की अनुमति नहीं है; और दूसरी ओर, यह तर्क देना कि वापसी या संशोधन से संबंधित समाधान योजना की शर्तों का सम्मान किया जाना चाहिए, सी. ओ. सी. की मंजूरी के बावजूद, लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन से पहले। पूर्व स्थिति इस प्रकार है

आई. बी. सी. के इरादे, उद्देश्य और उद्देश्य से और धारा 31 से, और बाद वाले को आई. बी. सी. की संरचना और उद्देश्य द्वारा अस्वीकृत किया जाता है। आई. बी. सी. ने किसी संकल्प के संबंध में संकल्प योजना के बाध्यकारी चरित्र में द्विभाजन की परिकल्पना नहीं की है।

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन के चरण और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अनुमोदन के बीच आवेदक। एक समाधान आवेदक पर एक समाधान योजना की बाध्यकारी प्रकृति, जो योजना का प्रस्तावक है जिसे सी. ओ. सी. द्वारा स्वीकार किया गया है, समाधान आवेदक के विवेक पर अनिश्चित नहीं रह सकता है। समाधान आवेदक और सी. ओ. सी. के बीच बातचीत सी. ओ. सी. की मंजूरी के बाद समाप्त हो जाती है। एकमात्र सशर्तता जो बनी हुई है वह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी है, जिसके पास आई. बी. सी. की धारा 30 (2) के संदर्भ में समाधान योजना की कानूनी वैधता की पुष्टि या इनकार करने का सीमित अधिकार क्षेत्र है। यदि धारा 30 (2) की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना की पुष्टि करेगा।

आईबीसी की धारा 31 (1) के तहत सीओसी। यदि अपीलार्थियों का दावा सफल होना था, तो एक खंड जो समाधान आवेदक को कारणों से वापस लेने/संशोधन की मांग करने में सक्षम बनाता है

जैसे कि 'सामग्री प्रतिकूल घटना' को एक समाधान आवेदक द्वारा तब भी स्थापित किया जा सकता है जब उस पर धारा 74 (3) के तहत मुकदमा चलाया जा रहा हो। हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि फॉर्म एच, जो एक अनुपालन प्रमाण पत्र है जिसे आर. पी. द्वारा समाधान योजना के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना है, उल्लेख करता है। कि आर. पी. इस बारे में विवरण दर्ज कर सकता है कि क्या समाधान योजना खंड 12 के तहत किसी भी शर्त के अधीन है। इस प्रकार,

तर्क यह है कि यह समाधान आवेदक को समाधान योजना में कुछ आकस्मिकताओं को निर्धारित करने की अनुमति देता है जिसके तहत [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह योजना को वापस ले सकता है, उदाहरण के लिए यदि कोई 'सामग्री प्रतिकूल घटना' की घटना होती है। एक प्रपत्र क़ानून के अधीन है। फॉर्म एच में विचार की गई शर्तें वे हो सकती हैं जो आई. बी. सी. की जड़ पर प्रहार नहीं करती हैं। इनमें सी. ओ. सी. के साथ वाणिज्यिक स्थितियां और व्यावसायिक व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं। हालांकि, समाधान योजना को वापस लेने या फिर से बातचीत करने की शर्तें 'व्यवहार्यता' और 'कार्यान्वयन क्षमता' की कसौटी को पार नहीं कर सकती हैं क्योंकि वे समाधान प्रक्रिया को अनिश्चित और अनिश्चित बना देंगे। अप्रत्याशित। के. शशिधर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने समाधान योजना का मूल्यांकन करने के लिए धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर चर्चा करते हुए कहा है,

आम तौर पर, निगमित देनदार के सफल पुनरुद्धार का आश्वासन देना और अंतहीन अटकलों को नकारना "। आई. बी. सी. की धारा 30 (2) (डी) और सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 में यह भी प्रावधान है कि

समाधान योजना लागू करने योग्य होनी चाहिए। सफल समाधान आवेदक द्वारा निकासी या यहां तक कि संशोधन की अनुमति देने वाली विशिष्ट वैधानिक भाषा के अभाव में, समाधान योजना की शर्तों के आधार पर ऐसे विकल्प के अस्तित्व का संकेत देना मुश्किल होगा, भले ही वे फॉर्म एच में खंड 12 का हिस्सा न हों, जैसा कि इस वर्तमान अपील में विवादित तीनों समाधान योजनाओं के मामले में है। [पारस 153-154] [471-B-H; 472-A-F]

12. विनियमन 40ए में सी. आई. आर. पी. के लिए एक मॉडल-समय सीमा की परिकल्पना की गई है। इस समय सीमा से किसी भी विचलन को विशेष रूप से होने की आवश्यकता है प्रपत्र एच. विनियमन 40बी के खंड 10 में आर. पी. द्वारा समझाया गया है कि सी. आई. आर. पी. के विभिन्न चरणों में आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने के लिए आर. पी. पर एक समय-सीमा लगाई गई है, जिसमें किसी भी स्तर पर देरी के कारण विस्तार की मांग करने वाले प्रपत्र भी शामिल हैं। इन फॉर्मों को भरने में विफलता

निर्धारित समय सीमा के भीतर आईबीबीआई द्वारा आरपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, जैसा कि फैसले की धारा I में चर्चा की गई है, सी. आई. आर. पी. के तहत विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए विभिन्न अनिवार्य समयसीमाएं लागू की गई हैं। यदि विधायिका द्वारा निकासी या बाद की बातचीत की अनुमति देने का इरादा है

सफल समाधान आवेदक, इसने इस तरह के विकल्प के प्रयोग के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की होगी। न्यायिक ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. द्वारा सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना प्रस्तुत करने के बाद वापस लेने या संशोधन की शक्ति की मान्यता।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

जिन शर्तों और सुरक्षा उपायों में इसकी अनुमति दी जा सकती है और इसके प्रयोग के लिए अपनाई जाने वाली वैधानिक प्रक्रिया। कानून की स्पष्ट शर्तों के आधार पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास वापसी की अनुमति देने का अधिकार नहीं है या

एक सफल समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना का संशोधन या संकल्प में ऐसे किसी भी खंड को प्रभावी बनाने के लिए

योजना बनाएँ। पूर्ववर्ती एस. आई. सी. ए. की धारा 18 (3) (बी) के विपरीत, जिसने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को

इसके अलावा, ऐसी कोई शक्ति धारा 60 के संदर्भ में अपने अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास निहित नहीं की जा सकती है। (5) (सी)। गुजरात ऊर्जा

(ऊपर) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक निर्णय में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, "एन. सी. एल. टी. का अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र (धारा 60 (5) (सी) के तहत) हालांकि व्यापक है, फिर भी आई. बी. सी. के पाठ द्वारा परिभाषित किया गया है। विशेष रूप से, एन. सी. एल. टी. वह नहीं कर सकता जो

आई. बी. सी. ने जानबूझकर इसे करने की शक्ति प्रदान नहीं की। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि "इस न्यायालय को एन. सी. एल. टी. के अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र की व्याख्या को अपनाना चाहिए जो आई. बी. सी. के व्यापक लक्षयों के अनुरूप है"। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को समाधान योजनाओं को वापस लेने की अनुमति देने का प्रभाव जो [2021] 14 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसे प्रस्तुत किया गया, इसे एक ऐसी शक्ति प्रदान करना होगा जो नहीं है आई. बी. सी. द्वारा परिकल्पित और क़ानून के उद्देश्यों को विफल करता है, जो कॉर्पोरेट ऋणदाताओं का समय पर और पूर्वानुमेय दिवालिया समाधान चाहता है।

2019 में धारा 12 में संशोधन के बाद जो अनिवार्य है

सी. आई. आर. पी. के समापन के लिए 330 दिनों की बाहरी सीमा (जिसका एस्सार में आयोजित असाधारण परिस्थितियों में ही उल्लंघन किया जा सकता है)

स्टील (ऊपर), यह आई. बी. सी. के उद्देश्य के विपरीत होगा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को धारा 60 (5) (सी) के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाए ताकि संभावित रूप से इन समयसीमा को बढ़ाया जा सके ताकि सी. ओ. सी. को या तो एक नया आर. एफ. आर. पी. जारी करने में सक्षम बनाया जा सके यदि समाधान योजना है

समाधान आवेदक, उसे बहुत कम मूल्य पर एक वाणिज्यिक सौदे के लिए खुद को त्यागना होगा। यदि संसद सफल समाधान आवेदकों द्वारा मांगी गई ऐसी निकासी/संशोधनों को आर्थिक नीति के लिए फायदेमंद होने के रूप में अनुमति देने का इरादा रखती है, जिसे उसने आई. बी. सी. को लागू करते समय आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो उसने समय-सीमा निर्धारित करने या तत्काल परिसमापन का निर्देश देने के लिए समय-सीमा निर्धारित की होगी यदि निकासी एक निश्चित अवधि के बाद होती है। अवधि। उदाहरण के लिए, विनियमन 36 बी (5) के तहत आर. एफ. आर. पी. या मूल्यांकन मैट्रिक्स में किसी भी संशोधन को आर. एफ. आर. पी. का एक नया मुद्दा माना जाता है और समाधान योजना प्रस्तुत करने की समय सीमा नए सिरे से शुरू होती है। संसद ने प्रावधान करने के लिए कानून नहीं बनाया है

अपीलार्थियों द्वारा तर्क दी गई संभाव्यता। [पारस 156-159] [475-D-H; 476-A-H; 477-A-D]

13. आगे बढ़ने से पहले, तुलना करना महत्वपूर्ण है

प्रथम, द्वितीय और तृतीय निकासी आवेदनों में 'ई' द्वारा मांगी गई राहत।

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि प्रार्थना में

दूसरे और तीसरे निकासी आवेदन समान थे। इसके अलावा, दोनों की प्रार्थना (iii) प्रार्थना के दौरान लगभग समान शब्दों में, प्रथम वापसी आवेदन की प्रार्थना (iii) से मेल खाती है। ((ii) पहले निकासी आवेदन में बिल्कुल भी उपस्थित नहीं था। साथ ही, पहले निकासी आवेदन में प्रार्थना (i) और (ii) को दूसरे और तीसरे में दोहराया नहीं गया है।

वापस लेने के आवेदन। हालाँकि, जो मुद्दा है वह प्रार्थना है (iv)

पहले निकासी आवेदन और दूसरे और तीसरे निकासी आवेदनों की प्रार्थना (i)। पूर्ववर्ती के माध्यम से, 'ई' ने अपनी समाधान योजना का पुनर्मूल्यांकन करने और उपयुक्त रूप से इसे "संशोधित/संशोधित और/या वापस लें", जबकि बाद वाले के माध्यम से, "ई" ने अपनी समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति मांगी। अब

हमें यह विश्लेषण करना चाहिए कि क्या यह रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को आकर्षित करेगा। [पैरा 165] [480-सी-ई]

जो समाधान योजना के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित है, संभवतः इसलिए कि 'ई' ने प्रार्थनाओं के परिणामस्वरूप प्राप्त जानकारी के आधार पर समाधान योजना का पुनर्मूल्यांकन करने की उम्मीद की थी (i) और (ii) और उन प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। [पैरा 171] [483-डी-एफ]

15. प्रथम निकासी आवेदन में समाधान योजना को वापस लेने की प्रार्थना पर्याप्त नहीं थी और यह कि न्यायालय अनुदान देने के लिए बाध्य था, क्योंकि यह एक पुनर्मूल्यांकन पर आकस्मिक था, जो अपने आप में प्राप्त करने पर आकस्मिक था

प्रार्थना (i) और (ii) में मांगी गई जानकारी। चूंकि बाद की दो आकस्मिकताएँ कभी उत्पन्न नहीं हुईं, इसलिए एन. सी. एल. टी. ने स्वतंत्र रूप से वापसी की प्रार्थना पर अपना दिमाग नहीं लगाया। जब उसने दूसरा दाखिल किया

वापस लेने के आवेदन को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था न कि इसके गुण-दोष के आधार पर। जब एक संशोधित तीसरी निकासी आवेदन दायर किया गया था, फिर एन. सी. एल. टी. ने इसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया और इसकी अनुमति दी। इसलिए, क्योंकि एन. सी. एल. टी. ने

अपने गुण-दोष के आधार पर अपनी समाधान योजना को वापस लेने के लिए ई. की प्रार्थना पर निर्णय नहीं लिया, जबकि [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहली निकासी आवेदन को खारिज करना, अवसर

राहत की तलाश करना वास्तविक अर्थों में 'ई' के लिए उपलब्ध नहीं था। इसलिए, हम इस मुद्दे पर एन. सी. एल. ए. टी. के निष्कर्ष को उलट देते हैं और मानते हैं कि

ई के तीसरे निकासी आवेदन को रेस जुडिकाटा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था। [पैरा 174] [484-जी; 485-ए-बी]

16. 'ई' के इस प्रस्तुतिकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आर. एफ. आर. पी. या समाधान योजना की शर्तें इसकी वैधता से संबंधित हैं।

पार्टियां अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायिक प्राधिकरण पर एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर अपनी योजना को स्वीकार या अस्वीकार करने की शर्त नहीं लगा सकती हैं, जिसमें विफल रहने पर सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएगी। इस मामले में, 'ई' की समाधान योजना का मसौदा 29 जनवरी 2018 को प्रस्तुत किया गया था और ई-सी. ओ. सी. के साथ कई दौर की बातचीत की अवधि के लिए वैध रहा, जब तक कि 7 मार्च 2018 को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत नहीं किया गया, जो योजना में परिकल्पित छह महीने की अवधि के भीतर था। भले ही यह माना जाए, तर्क के लिए, कि प्रस्तुत संकल्प योजना में शब्द प्रकृति में था

किसी योग्य प्रस्ताव का, जो प्रस्तुत किए जाने के छह महीने बाद समाप्त हो जाएगा, धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की अभेद्यता में विफल रहता है, जो इसे सभी पक्षों, आर. एफ. आर. पी. की आसपास की शर्तों और बाद के कानूनी प्रावधानों के लिए बाध्यकारी बना देगा।

सी. आई. आर. पी. विनियमों के तहत एल. ओ. आई. और अनुपालन प्रमाणपत्र (फॉर्म एच) सहित सामग्री यह स्पष्ट करती है कि समाधान योजना के कार्यान्वयन से पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी, एक बार जब इसे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया था, सिवाय इसके कि

समाधान योजना मूल्य, यदि इसे 'सफल समाधान आवेदक' के रूप में घोषित किया जाना था। इस पी. बी. जी. को खंड 1.9 के तहत लागू किया जा सकता है। 5 आर. एफ. आर. पी. यदि समाधान आवेदक लागू करने में विफल रहता है समाधान योजना। इसके अलावा, खंड 1.8। 4 आर. एफ. आर. पी. राज्यों में से ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

कि "एक संकल्प उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना अपरिवर्तनीय होगी"।

ई का निवेदन कि खंड 1.10 (1) केवल इस पर लागू होता है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का अनुमोदन प्रशंसनीय नहीं है क्योंकि समाधान योजना धारा 31 के तहत अनुमोदन के परिणामस्वरूप सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी हो जाती है। ई-आरपी तर्क बहुत महत्वपूर्ण है जब यह तर्क दिया जाता है कि खंड 1.1 (1) का यह निष्कर्ष निकालने के लिए अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण 'ई' को एक बार फिर 'सफल समाधान आवेदक' घोषित करेगा।

जो तब पहली बार निकासी को रोकने का दायित्व लगाएगा। ई-आरपी ने हमारे समक्ष यह भी प्रस्तुत किया है कि समाधान योजना की वैधता छह महीने की नहीं थी

प्रपत्र एच में एक विशिष्ट शर्त के रूप में उल्लेख किया गया है कि

ई-आर. पी. द्वारा निर्णय योजना के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया, जो दर्शाता है कि छह महीने की वैधता केवल ई-सी. ओ. सी. द्वारा स्वीकृति की तुलना में थी।

' ई 'ने यह तर्क देने की भी कोशिश की है कि उसकी स्थिति बदल गई है

स्पष्ट रूप से एडुकॉम्प के वित्तीय आचरण के संबंध में सामने आए नए आरोपों के कारण। तथापि, इस संबंध में खंड 1.3 पर ध्यान देना उचित है। 2 आर. एफ. आर. पी. जो संभावित समाधान आवेदकों को अपना उचित परिश्रम करने का निर्देश देता है।

' ई 'एडुकॉम्प के अपने उचित परिश्रम के संचालन के लिए जिम्मेदार था और इसका उपयोग संशोधन/संशोधन के कारण के रूप में नहीं कर सकता था।

उनकी स्वीकृत समाधान योजना। किसी भी स्थिति में, आई. बी. सी. की धारा 32 ए कॉर्पोरेट ऋणदाता को अपराधों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करती है। सी. आर. आई. पी. के प्रारंभ से पहले किया गया और धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने की तारीख से ऐसे अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, यदि समाधान योजना के परिणामस्वरूप प्रबंधन में परिवर्तन होता है या

इस प्रकार, किसी भी मामले में भले ही यह पाया जाए कि शुरू होने से पहले एडुकॉम्प के मामलों में कोई कदाचार हुआ था। सी. आई. आर. पी. का, 'ई' किसी भी अभियोजन से मुक्त होगा या

उसी के संबंध में दंड। प्रस्तुतिकरण कि 'ई' को दीक्षा के कारण एक प्रतिकूल स्थिति में रखा गया है

लाल हेरिंग के अलावा और कुछ नहीं क्योंकि इस तरह की जांच का 'ई' पर कोई असर नहीं पड़ता है।

अंत में, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 'ई' स्वयं की समाधान योजनाओं का कोई भी खंड उन्हें संशोधित करने/वापस लेने का अधिकार प्रदान नहीं करता है

ई-सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन के बाद, लेकिन न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि से पहले उनकी समाधान योजना। खंड 9.1 उस स्थिति में वापसी की अनुमति देता है जब समाधान योजना को एन. सी. एल. टी. द्वारा पूरी तरह से अनुमोदित नहीं किया जाता है, जबकि खंड 9.7 समाधान योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए संशोधन की अनुमति देता है, लेकिन केवल तभी जब ई-सी. ओ. सी. इसे पचहत्तर के साथ मंजूरी देता है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि 'ई' ने छह महीने की समाप्ति के बाद अपनी समाधान योजना को आगे बढ़ाना बंद नहीं किया, यदि यह सच है। वाणिज्यिक सौदे का आयात समाधान योजना को प्रस्तुत करने के छह महीने बाद वापस लेना था। पहला निकासी आवेदन 10 सितंबर 2019 को दायर किया गया था, जो

छह महीने की अवधि की कथित समाप्ति के एक साल बाद था। इसलिए, भले ही प्रस्तुत समाधान योजना को एक सशर्त प्रस्ताव के रूप में माना जाता था, लेकिन शर्तों ने समाधान योजना को वापस लेने में सक्षम नहीं किया, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इसके छह महीने के भीतर धारा 31 के तहत इसे मंजूरी नहीं देता है।

प्रस्तुत करना। [पारस 179-183] [487-B-C, E-H; 488-A-B, E-H; 489 E; 490-G-H; 491-A-D]

17. आई. बी. सी. की धारा 29 आर. पी. पर एक कर्तव्य रखती है -

समाधान आवेदक को एक आई. एम. प्रदान करें, जिसमें ऐसी जानकारी हो जो समाधान आवेदक को अपनी समाधान योजना का मसौदा तैयार करने के लिए प्रासंगिक हो सकती है। [पैरा 186] [491-जी-एच]

18. आई. बी. सी. के तहत, आर. पी. पर एक कर्तव्य है कि वह कॉर्पोरेट देनदार के बारे में उतनी ही जानकारी एकत्र करे जितनी सटीक हो।

करना संभव है। जब ऐसी जानकारी आई. एम. के माध्यम से समाधान आवेदक को दी जाती है, तो आर. पी. को यह स्पष्ट करने में सावधानी बरतनी चाहिए कि कब इसकी जानकारी व्यापक नहीं है और कौन से कारक परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। [पैरा 189] [493-जी-एच]

19. ' ई 'इस बात पर विवाद नहीं कर सकता कि ई-आरपी ने इसे प्रदान किया था

अपनी समाधान योजना तैयार करने के लिए धारा 29 के तहत आवश्यक प्रासंगिक जानकारी। वित्तीय जाँच ईबीआईएक्स सिंगापुर पी. वी. टी. के संबंध में मुद्दे।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

एडुकॉम्प के संचालन में तब वृद्धि हुई जब दो लेख द वायर द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जो दोनों ई-आरपी द्वारा अनुमोदन आवेदन दायर किए जाने के बाद थे। इसके अलावा, 'ई' को एन. सी. एल. टी. के समक्ष सभी कार्यवाही के बारे में पता था क्योंकि विभिन्न आवेदनों को अक्सर अनुमोदन आवेदन के साथ सूचीबद्ध किया जाता था, जिसमें यह दिखाई देता रहा। अंत में, 'ई' ने यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया है कि ई-आरपी एसएफआईओ और सीबीआई के बारे में जानता था

एडुकॉम्प। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि ई-आरपी लड़खड़ा गया था 'ई' को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के अपने कर्तव्य में। [पैरा 191] [494 एफ-जी]

20. वर्तमान अपील की सुनवाई के दौरान, 'के' द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों का संकलन दायर किया गया है।

5 जुलाई 2021 को, 'के' ने एक्जिम बैंक और पी. एफ. सी. एल. को एक संचार को संबोधित किया था जिसमें संशोधन/पुनः बातचीत की मांग की गई थी।

एस्टनफील्ड के समाधान के लिए 'के' की समाधान राशि/वित्तीय प्रस्ताव। उपरोक्त संचार के जवाब में, एक्जिम बैंक ने 12 जुलाई 2021 को एक पत्र संबोधित किया है जिसमें कहा गया है कि एक बैठक

"ऋणदाताओं" (एक्जिम बैंक और पी. एफ. सी. एल.) द्वारा 9 जुलाई 2021 को अपने 5 जुलाई 2021 के पत्र में 'के' द्वारा उठाए गए मुद्दों से निपटने के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के आयोजित किया गया था।

उपरोक्त संचार आदान-प्रदान के अनुसार, 'के' और ए-सीओसी की ओर से एक संयुक्त अनुरोध किया गया है। इस अदालत को सूचित किया गया था कि एक्जिम बैंक और पी. एफ. सी. एल. एस्टनफेल्ड के 98 प्रतिशत वित्तीय लेनदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। में।

उपरोक्त समझौते को देखते हुए, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित समझते हैं। एकमुश्त राहत के लिए भारत का संविधान और निर्देश देता है कि:

(i) ए-सी. ओ. सी. 5 जुलाई 2021 को 'के' द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बैठक बुलाएगा और निर्णय लेगा, और जवाब - एक्जिम बैंक और पी. एफ. सी. एल. दिनांक 12 जुलाई 2021;

(ii) ए-सी. ओ. सी. द्वारा एक संशोधित समाधान योजना पर सहमति होने की स्थिति में, इसे एक सप्ताह के भीतर एन. सी. एल. टी. के अनुमोदन के लिए ए-आर. पी. के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। यदि एक संशोधित समाधान योजना पर सहमति नहीं होती है, तो मूल

15 नवंबर 2019 को एन. सी. एल. टी. के समक्ष प्रस्तुत समाधान योजना प्रबल होगी; और [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iii) एन. सी. एल. टी. संशोधित समाधान योजना के साथ आवेदन का शीघ्रता से निपटान करेगा, और अधिमानतः

संशोधित समाधान योजना के अनुमोदन के लिए ए-आरपी से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि। हम स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त निर्देश उस निवेदन को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं जिसका उल्लेख किया गया है, और समाधान आवेदक के कहने पर समाधान योजनाओं के संशोधन या वापसी के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर इस न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। [पैरा 195-197] [497-A-B, F H; 498-A-C]

21. ' एस ने अपनी समाधान योजना की शर्तों पर भरोसा किया है जिसमें भूमि और भवन की बिक्री द्वारा आर्य-सी. ओ. सी. को भुगतान की परिकल्पना की गई है।

और पुराने/अनुपयोगी/अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी यह आग्रह करने के लिए कि आर्थिक मंदी के कारण अनुबंध की निराशा हुई है जिसने इन परिसंपत्तियों के मूल्य को प्रभावित किया होगा। प्रस्तावित संशोधित समाधान में आर्य-सी. ओ. सी. के लिए एक और बाल कटवाने की परिकल्पना की गई है, जहां एक विस्तारित समय सीमा में डेढ़ करोड़ रुपये कम का भुगतान किया जाएगा। आर्य-आरपी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना या फॉर्म एच में ऐसी कोई शर्तें नहीं हैं जो 'एस' को इस तरह का लाभ प्रदान कर सकें।

निष्कर्ष

यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि कोविड-19 महामारी की असाधारण परिस्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा होगा

निगमित ऋणदाताओं के व्यवसायों पर और सफल होने पर

प्रभाव जो आई. बी. सी. की व्यवहार्यता को प्रभावित करेंगे। आई. बी. सी. के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग प्रक्रियात्मक उपचार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है जिनके दिवालिया होने की प्रक्रिया पर ठोस परिणाम होते हैं। ढांचा, जैसा कि यह खड़ा है, केवल सी. आई. आर. पी. की धारा 12ए में विस्तृत प्रक्रिया का पालन करके सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया से निकासी को सक्षम बनाता है।

सी. आई. आर. पी. विनियमों के आई. बी. सी. और विनियम 30ए और उन प्रावधानों में मान्यता प्राप्त स्थितियों में। ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. के कहने पर समाधान योजना की निकासी या संशोधन को सक्षम करना।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

सफल समाधान आवेदक, एक बार जब इसे उचित अनुपालन के बाद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है

समाधान योजना, जब वैधानिक समय-सीमा द्वारा विनियमित नहीं होती है, तो समय बीतने के बाद हो सकती है, जैसा कि हमारे समक्ष वर्तमान तीन अपीलों में होता है। इस तरह की कार्रवाई की अनुमति देने से या तो निगमित ऋणदाता की निम्न-श्रेणीकृत समाधान राशि और/या मूल्यह्रास की गई परिसंपत्तियों के साथ विलम्बित परिसमापन होगा। आई. बी. सी. के मूल उद्देश्य को विफल करता है।

यदि विधायिका को अपने विवेक में, समाधान योजना में निकासी या संशोधन की अवधारणा को मान्यता देनी थी यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है, इसे विशेष रूप से आई. बी. सी. और/या आई. बी. सी. के तहत एक व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए।

नियम। इस व्यवस्था को संकीर्ण रूप से परिभाषित आधारों पर निर्देशों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिन पर इस तरह के कार्यों की अनुमति है और प्रक्रियात्मक निर्देश हैं, जिसमें वे समय सीमा शामिल हो सकती है जिसमें उन्हें प्रस्तावित किया जा सकता है, मतदान की आवश्यकताएं और सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन के लिए सीमा (जैसा भी मामला हो)। उन्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि संशोधन और/या निकासी के लिए असफल बातचीत की स्थिति में किस स्तर पर निगमित ऋणदाता को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा या अन्यथा परिसमापन में भेजा जा सकता है। ये विधायी नीति के मामले हैं।

वर्तमान ढांचे में, भले ही इक्विटी की एक अस्वीकार्य समझ अवशिष्ट के मार्ग के माध्यम से आयात की जाती है

शक्तियों या समाधान योजना की शर्तों की व्याख्या इस तरह से की जाती है जो अपीलार्थियों की वांछित कार्रवाई को सक्षम बनाती है, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रक्रिया के बाद के चरण में सी. ओ. सी.-अनुमोदित समाधान योजना को वापस लेने का परिणाम [2021] 14 एस. सी. आर. होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगमित ऋणदाता के अनिवार्य परिसमापन का निर्देश देने वाला न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। उल्लेखनीय है कि यह दिशा अन्यथा रही है।

आई. बी. सी. की धारा 33 (1) (बी) में प्रावधान किया गया है जब एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 के तहत एक समाधान योजना को अस्वीकार करता है। इसमें

संदर्भ में, हमारा मानना है कि भारत में मौजूदा दिवालिया ढांचा आगे के संशोधनों को प्रभावित करने के लिए कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करता है या सी. ओ. सी.-अनुमोदित समाधान योजनाओं की निकासी, सफल समाधान आवेदक के कहने पर, एक बार योजना पूरी हो जाने के बाद

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया। एक समाधान आवेदक, सूचनात्मक उपयोगिताओं के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋणदाता की वित्तीय जानकारी प्राप्त करने और आई. एम. का अध्ययन करने के बाद, यह माना जाता है कि उसने कॉर्पोरेट ऋणदाता के व्यवसाय में जोखिमों का विश्लेषण किया है और एक विचारशील प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आई. बी. सी. और सी. आई. आर. पी. विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में सी. ओ. सी. और सफल समाधान आवेदक के बीच एक प्रस्तुत समाधान योजना बाध्यकारी और अपरिवर्तनीय है। कुंदन केयर के मामले में, चूंकि समाधान आवेदक और सी. ओ. सी. दोनों ने पी. पी. ए. पर अनिश्चितता के कारण समाधान योजना में संशोधन का अनुरोध किया है, जिसे गुजरात ऊर्जा (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले से मंजूरी मिल गई है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एक बार की राहत में निम्नलिखित शर्तों का प्रावधान किया गया है -

खंड के. 2।

हमारे लिए यह स्वीकार करना भी गंभीर होगा कि जबकि इस न्यायालय ने कानून में स्थिति को सक्षम नहीं करने के लिए घोषित किया है

निर्णय प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के बाद एक सफल समाधान आवेदक को वापस लेना या संशोधित करना, इसमें लंबी देरी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने से योजना के बाद के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है। ये देरी, यदि व्यवस्थित और बार-बार होती है, तो बातचीत के दौरान पक्षों द्वारा किए गए वाणिज्यिक मूल्यांकन पर निर्विवाद प्रभाव पड़ेगा। दिवाला और दिवालियापन संहिता के कार्यान्वयन पर वित्त पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की स्थायी समिति (2020-2021) की बत्तीसवीं रिपोर्ट

'खामियां और समाधान' न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदनों के लंबित होने के संबंध में एक निराशाजनक स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अपनी टिप्पणियों में, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि सत्तर-एक प्रतिशत से अधिक मामलों के साथ समाधान प्रक्रिया में देरी EBIX सिंगापुर PVT।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

180 दिनों से अधिक के लिए लंबित सी. आई. आर. पी. के लिए मूल उद्देश्य और समयरेखा के विचलन में है जिसकी परिकल्पना आई. बी. सी. द्वारा की गई थी। देरी के लिए जिम्मेदार थे: (i) सी. आई. आर. पी. को स्वीकार करने में एन. सी. एल. टी. को काफी समय लगता है; (ii) द्वारा देर से और अवांछित बोलियां

मूल बोलीदाता के सार्वजनिक होने के बाद समाधान आवेदक योजना प्रस्तुत करने की समय सीमा बीतने पर; और (iii)

एन. सी. एल. ए. टी. और उच्चतम न्यायालय में मुकदमेबाजी और अपीलीय प्रक्रिया की बहुलता। इस तरह की अत्यधिक देरी वाणिज्यिक अनिश्चितता, कॉर्पोरेट ऋणदाता के मूल्य में गिरावट का कारण बनती है और दिवाला प्रक्रिया को अक्षम और महंगा बनाती है। हम एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. से दिवाला समाधान प्रक्रिया पर इस तरह की देरी के प्रभाव के प्रति संवेदनशील होने और इस बात का संज्ञान लेने का आग्रह करते हैं कि स्थगन न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता में बाधा डालते हैं। एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. को आई. बी. सी. के तहत निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन करने और लंबित समाधान योजनाओं को तुरंत निपटाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्रयास करना चाहिए। आई. बी. सी. से पहले प्रभावी दिवालिया व्यवस्था की विफलता के प्रमुख कारणों में से एक न्यायिक देरी थी। उपरोक्त के आलोक में, 'ई' (2020 की सिविल अपील 3224) और 'एस' (2021 की सिविल अपील 295) द्वारा दायर अपीलें खारिज हो जाती हैं। 'के' (2020 की दीवानी अपील 3560) द्वारा दायर अपील के पक्षकार इस निर्णय के अनुच्छेद 196 (धारा के. 2) में निर्दिष्ट एकमुश्त राहत के रूप में अपनी अनुच्छेद 142 शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। [पैरा

200-206] [498 - जी-एच; 499-ई-एच; 500-ए-एच; 501-ए-ई; 502-ए-ई]

एसके गुप्ता बनाम। केपी जैन (1979) 3 एससीसी 54: [1979] 2 एससीआर

1184 ; इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2000) 3 एससीसी 379: [2000] 1 एस्सार स्टील इंडिया का एस. सी. आर. 925; सी. ओ. सी.

लिमिटेड वी. सतीश कुमार गुप्ता और अन्य। (2020) 8 एससीसी 531:

[2019] 16 एस. सी. आर. 275; आंध्र प्रदेश सरकार

वी. पी लक्ष्मी देवी (2008) 4 एससीसी 720: [2008] 3 एससीआर 330 ; सत्यधन घोषाल बनाम। देवराज देवी (1960) 3

एस. सी. आर. 590; शिवदान सिंह बनाम। दरियाव कुंवर (1966) 3

एस. सी. आर. 300; कृष्ण लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1994) 4 एस. सी. सी. 422 : [1994] 2 एस. सी. आर. 149; दरयाओ बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1962)

1 एस. सी. आर. 574; एराच बोमन खावर बनाम। तुकाराम श्रीधर

भट (2013) 15 एस. सी. सी. 655: [2013] 17 एससीआर 1055;

जसवंत सिंह बनाम। निकासी संपत्ति का संरक्षक (1985)

3 एस. सी. सी. 648 [1985] 1 पूरक। एस. सी. आर. 331-पर निर्भर।

[2021] 14 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिया ट्रैवल एंड टूर्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम सी. यू. चेंगप्पा (2001) 9 एससीसी 512; के शशिधर बनाम। आईओसी (2019) 12 एससीसी 150 [2019] 3 एससीआर 845; मेसर्स एंबेसी प्रॉपर्टी

डेवलपमेंट्स प्रा. लिमिटेड वी. कर्नाटक राज्य और अन्य।

(2020) 13 एससीसी 308: [2019] 17 एस. सी. आर. 559; मेसर्स इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आईसीआईसीआई बैंक और ए. एन. आर. (2018) 1 एससीसी 407 [2017] 8 एससीआर 33; गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। अमित गुप्ता (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 194; स्विस रिबन (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2019) 4 एस. सी. सी. 17 [2019] 3 एस. सी. आर. 535; नागभूषणम्मल बनाम। सी. चंडिकेश्वरलिंगम (2016) 4 एससीसी 434: [2016] 2 एस. सी. आर. 19; नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। सीमेंस एटकिंजेसेलशाफ्ट एयर 2007 एससी 1491: [2007] 3 एस. सी. आर. 399; हरिद्वार सिंह बनाम बागुन सुम्ब्रूई (1973) 3 एस. सी. सी. 889: [1972] 3 एस. सी. आर. 629; ऋणदाताओं की समिति ए. एम. टी. ई. के. ऑटो लिमिटेड के माध्यम से निगम बैंक बनाम।

दिनकर टी. वेंकटसुब्रमण्यन और अन्य। (2021) 4 एस. सी. सी. 457; कल्पराज धर्मशी बनाम। कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 204; जेपी केन्सिंगटन

बुलेवार्ड अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य। वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य। (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1192; घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से। निदेशक और अन्य के माध्यम से एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 313; लक्ष्मी पट सुराना बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1187; आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम। सतीश कुमार गुप्ता (2019) 2 एससीसी 1: [2018] 12 एस. सी. आर. 362; महाराष्ट्र सीमलेस बनाम। पद्मनाभन वेंकटेश (2020) 11 एस. सी. सी. 467 [2020] 2 एस. सी. आर. 1157; इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। आईसीआईसीआई बैंक (2018) 1 एससीसी 407: [2017] 8 एस. सी. आर. 33; लोखंडवाला कटारिया कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड बनाम। निसस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एलएलपी (2018) 15 एससीसी 589; उत्तरा फूड्स एंड फीड्स (पी) लिमिटेड बनाम। मोना

फार्मेकेम (2018) 15 एस. सी. सी. 587; ब्रिलियंट अलॉयज (पी) लिमिटेड v. एस. राजगोपाल (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 3154-संदर्भित। एलाइड डोमेक (होल्डिंग्स) लिमिटेड v. एलाइड डोमेक फर्स्ट पेंशन ट्रस्ट लिमिटेड [2008] पेन।

एल. आर. 425; रेनवुड एबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

लिमिटेड वी। एल ब्राउन एंड संस लिमिटेड [2008] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 696;

डोलेमैन बनाम। शॉ [2009] बस। एल. आर. 1175; मानक जीवन आश्वासन लिमिटेड v. ओक डेडिकेटेड लिमिटेड [2008] ईडब्ल्यूएचसी

222 (कॉम); ओकले-स्मिथ बनाम। ग्रीनबर्ग [2004]

बी. सी. सी. 81 टकर वी। गोल्ड फील्ड्स माइनिंग एल. सी. सी. [2010] बी. सी. सी. 544 हेइस वी। वित्तीय सेवा क्षतिपूर्ति

स्कीम लिमिटेड [2018] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 1327; री राइनो एंटरप्राइजेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड स्कोफील्ड बनाम स्मिथ [2020]

ई. डब्ल्यू. एच. सी. 2370; देवू सिंगापुर पीटीई लिमिटेड बनाम। सीइएल ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड [2001] 4 एस. एल. आर. 35; केम्पे और

एक अन्य वी। राजदूत बीमा कंपनी [1998] 1 डब्ल्यू. एल. आर.

271 ; कैराटी वी। हिलमैन [1974] युद्ध 92; पुनः शेनान्दोह रियल्टी पार्टनर्स, एल. पी. बनाम स्वास्थ्य में वृद्धि

केयर, इंक. 287 बी. आर. 867 को संदर्भित किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

पैरा 82 (ii) (c)

(2001) 9 एस. सी. सी. 512

संदर्भित किया गया है

[2019] 16 एससीआर 275

पैरा 82 (ii) (एच)

उस पर भरोसा करें

[2019] 3 एससीआर 845

पैरा 82 (वी)

संदर्भित किया गया है

[2019] 17 एससीआर 559

पैरा 83 (ii)

संदर्भित किया गया है

पैरा 83 (ii)

[2017] 8 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

[2019] 3 एससीआर 535

पैरा 83 (ii)

संदर्भित किया गया है

[2016] 2 एस. सी. आर 19

पैरा 85 (ix)

संदर्भित किया गया है

[2007] 3 एससीआर 399

पैरा 86 (i) (ए)

संदर्भित किया गया है

[1972] 3 एससीआर 629

पैरा 86 (iii) (ग)

संदर्भित किया गया है

(2021) 4 एस. सी. सी. 457

पैरा 91 (iv)

संदर्भित किया गया है

[1979] 2 एससीआर 1184

उस पर भरोसा करें

पैरा 111

[2000] 1 एससीआर 925

उस पर भरोसा करें

पैरा 115

[2018] 12 एससीआर 362

पैरा 126

संदर्भित किया गया है

[2020] 2 एससीआर 1157

संदर्भित किया गया है

पैरा 138

[2017] 8 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पैरा 143

(2018) 15 एस. सी. सी. 589

पैरा 145

[2021] 14

एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2018) 15 एस. सी. सी. 587

संदर्भित किया गया है

पैरा 145

[2008] 3 एससीआर 330

उस पर भरोसा करें

पैरा 145

[1960] 3 एससीआर 590

उस पर भरोसा करें

पैरा 164

[1966] 3 एससीआर 300

पैरा 166

उस पर भरोसा करें

[1994] 2 एससीआर 149

उस पर भरोसा करें

पैरा 168

[1962] 1 एससीआर 574

उस पर भरोसा करें

पैरा 169

[2013] 17 एससीआर 1055

उस पर भरोसा करें

पैरा 170

[1985] 1 पूरक। एससीआर 331

उस पर भरोसा करें

पैरा 173

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 3224

2020 से।

राष्ट्रीय संविधान के 29.07.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) No.203 में नई दिल्ली में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण।

के साथ

2020 की सिविल अपील संख्या 3560 और 2021 की सिविल अपील संख्या 295।

के. वी. विश्वनाथन, रितिन राय, रामजी श्रीनिवासन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, रजत

सहगल, गौतम स्वरूप, श्रीमती वंदना आनंद, मांडविया कपूर, कार्तिकेय जैसवाल, सुश्री गुंजन जिंदल, पृथ्वी गर्ग, शैलेंद्र सिंह, सुश्री हरिमोहन एन, अंकुश भारद्वाज, शिवकृत राज, विनम गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

श्याम दीवान, नकुल दीवान, वी. गिरि, जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता।,

सुश्री मीशा, सिद्धांत कांत, सुश्री मौलश्री शुक्ला, एस. एस. श्राफ, अतुल शर्मा, अभिषेक शर्मा, सुश्री एशली चेरियन, सुश्री अनीशा महाजन, सुश्री हर्षिता अग्रवाल, गौतम तालुकदार, सुश्री पूजा महाजन,

सुश्री महिमा सिंह, एस. महाजन, अविनाश बी. अमरनाथ, आशीष राणा, अनुराग सिंह, सुश्री सोनिया दुबे, शतद्रु चक्रवर्ती, सुश्री कंचन मेसर्स लीगल ऑप्शंस के लिए यादव, सुश्री सुरभी आनंद, सूर्य कपूर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।

ईआर, परिभाषित शब्दों की एक शब्दावली जिसका उपयोग पूरे समय किया गया है

खाद भी उपलब्ध कराई गई है। फैसले में धाराएँ * हैं

कमियाँ:

शब्दावली।

..... 5

2020 की सिविल अपील संख्या 3224-एबिक्स अपील। 11

ए. 1 अपील। ... .

.....

11

11

ए. 2

सी. आई. आर. पी की शुरुआत

ए. 3

प्रस्ताव का आमंत्रण, प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन

योजना बनाएँ।

12

ए. 4 के वित्तीय लेन-देन की जांच

एड्डकॉम्प।

..... 15

ए. 5

समाधान योजना को वापस लेने के लिए आवेदन। 20

ए. 6

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश

24

ए. 7 एस. एफ. आई. ओ. और सी. बी. आई. जांच की वर्तमान स्थिति

28

बी 2020 की सिविल अपील संख्या 3560-कुंदन

देखभाल अपील।

..... 29

अपील।

29

बी. 1

बी. 2

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत।

..... 30

बी. 3

का आमंत्रण, प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन

समाधान योजना।

..... 31

32

एस्टनफील्ड का जीयूवीएनएल के साथ विवाद

बी. 4

35

बी. 5

समाधान योजना को वापस लेना।

सी 2021 की सिविल अपील संख्या 295-सेरोको अपील

..... 43

ग. 1 अपील।

43

सी. 2

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत।

44

समाधान योजना का प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन। 44

सी. 3 ग. 4 समाधान योजना में संशोधन।

..... 45

ध्यान दें: पृष्ठ संख्या। संबंधित धाराओं के साथ उल्लिखित के अनुसार हैं

अल निर्णय।

डी एबिक्स अपील में वकील की प्रस्तुतियाँ D. 1 अपीलार्थी के लिए प्रस्तुतियाँ।

प्रथम उत्तरदाता के लिए प्रस्तुतियाँ

डी. 2

5

डी. 3 दूसरे प्रत्यर्थी के लिए प्रस्तुतियाँ।

€

ई. कुंदन देखभाल अपील में वकील की प्रस्तुतियाँ। ... . ई.

ई. 1 अपीलार्थी के लिए प्रस्तुतियाँ।

€

प्रथम उत्तरदाता के लिए प्रस्तुतियाँ

ई. 2 ई. 3 दूसरे प्रत्यर्थी के लिए प्रस्तुतियाँ।

एफ. सेरोको अपील में वकील की प्रस्तुतियाँ

8

एफ. 1 अपीलार्थी के लिए प्रस्तुतियाँ..

&

दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं के लिए प्रस्तुतियाँ। 8

एफ. 2

दिवाला पर कानून का उद्देश्य। ... .

जी.

8

एच.

समाधान योजना की प्रकृति।

9

..... 11

सी. आई. आर. पी. को नियंत्रित करने वाला सांविधिक ढांचा

आई.

समाधान योजना को सफलतापूर्वक वापस लेना

जे.

आई. बी. सी. के तहत समाधान आवेदक।

13

विधायी हुक या नियामक की अनुपस्थिति

जे. 1

निकासी को सक्षम करने के लिए टेथर।

13

समाधान योजना की शर्तें पर्याप्त नहीं हैं -

जे. 2

इसके बाद निकासी या संशोधनों का प्रभाव न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करना

14

के.

तथ्यात्मक विश्लेषण।

15

के. 1

एबिक्स अपील। ... .

15

15

के. 1.1 रेस जुडिकाटा

के. 1.2 एबिक्स की संकल्प योजना का विश्लेषण.... 16 के. 1.3 आर. पी. के कर्तव्य।

... .

17

के. 2 कुंदन देखभाल अपील।

17

के. 3 सेरोको अपील। ... .

18

एल.

निष्कर्ष।

..... 18 इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

शब्दावली

परिभाषित अवधि

परिभाषा

कम्पनी अधिनियम 2013

2013 अधिनियम

एस्टनफील्ड रिन्यूएबल्स प्राइवेट के लेनदारों की समिति

ए-सीओसी

सीमित

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

लेनदारों की समिति एएमटीईके ऑटो लिमिटेड के माध्यम से

एमटेक ऑटो

निगम बैंक बनाम। दिनकर टी. वेंकटसुब्रमण्यन और अन्य।

अपीलीय प्राधिकरण

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण

2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 587-दायर की गई

मंजूरी की अपील

एन. सी. एल. ए. टी. से पहले ई-सी. ओ. सी. द्वारा

अनुमोदन आवेदन

2018 का सीए नंबर 195 (पीबी)-एन. सी. एल. टी. के समक्ष ई-आर. पी. द्वारा दायर किया गया

एस्टनफील्ड रिन्यूएबल्स प्राइवेट के लिए रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल

ए-आरपी

सीमित

आर्य तंतु

आर्य फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

आर्य-सीओसी

आर्य फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों की समिति

आर्य फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल

आर्य-आर. पी.

एस्टनफील्ड

एस्टनफील्ड रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड

एक्सिस बैंक लिमिटेड

एक्सिस

एक्सिस अनुप्रयोग

2018 का आई. ए. सं. 448 (पी. बी.)-एक्सिस द्वारा एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर किया गया

दिवालियापन कानून सुधार समिति

बीएलआरसी

दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट, 2015

बीएलआरसी रिपोर्ट

बीएसई

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

केंद्रीय जांच ब्यूरो

सीबीआई

निगमित दिवाला समाधान कार्यवाही

सीआईआरपी

आई. बी. बी. आई. (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया)

सी. आई. आर. पी. नियम

विनियम, 2016

अनुबंध अधिनियम

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड ग्रेच्युटी एंड पेंशन ट्रस्ट और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड भविष्य निधि

सीएसईबी

भरोसा रखें।

सी. एस. ई. बी आवेदन

2018 का सी. ए. संख्या 160 (पी. बी.)-एन. सी. एल. टी. के समक्ष ई-आर. पी. द्वारा दाखिल किया गया एबिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड

इबिक्स

एबिक्स अपील

2020 की सिविल अपील संख्या 3224 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड के लेनदारों की समिति

ई-सीओसी

एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड

एडुकॉम्प

कमाई का पैसा जमा करें

ई. एम. डी.

रुचि की अभिव्यक्ति

ईओआई

ई-आरपी

एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड के लिए समाधान पेशेवर

एस्सार स्टील

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड का सी. ओ. सी. बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य।
भारतीय निर्यात आयात बैंक

एक्जिम बैंक

2017 के सीपी (आईबी) संख्या 101 (पीबी) में 2019 का सीए 1252 (पीबी)-दाखिल किया गया

पहला निकासी आवेदन

एन. सी. एल. टी. से पहले एबिक्स द्वारा

घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड

घनश्याम मिश्रा एंड संस

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता v. निदेशक और अन्य के माध्यम से एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड।

गुजरात ऊर्जा

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। अमित गुप्ता और अन्य।

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

जीयूवीएनएल

2019 की सिविल अपील संख्या 9241-जी. यू. वी. एन. एल. द्वारा पहले दायर की गई

जीयूवीएनएल की अपील

सुप्रीम कोर्ट

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

आईबीसी

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड

आई. बी. बी. आई.

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम

आई. एफ. सी

आईएफसी अनुप्रयोग

2018 का सीए नंबर 358-आई. एफ. सी. द्वारा एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर किया गया सूचना ज्ञापन

आईएम

जाँच लेखा परीक्षा

2018 का सी. ए. सं. 793 (पी. बी.)-एन. सी. एल. टी. के समक्ष ई-आर. पी. द्वारा दाखिल किया गया

आवेदन

अंतरिम समाधान पेशेवर

आईआरपी

जेपी केन्सिंगटन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर

जेपी

एसोसिएशन और ओआरएस। वी. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य। के शशिधर बनाम। आईओसी

के शशिधर

कोटक

कोटक महिंद्रा बैंक

कुंदन केयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

कुंदन देखभाल

कुंदन देखभाल अपील

2020 की सिविल अपील संख्या 3560

एल. ओ. आई

आशय पत्र

महाराष्ट्र सीमलेस बनाम। पद्मनाभन वेंकटेश और अन्य

महाराष्ट्र निर्बाध

निगमित कार्य मंत्रालय

एमसीए

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

एमएसएमई

एनसीएलएटी

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

एनसीएलटी

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

एनएसई

पीबीजी

प्रदर्शन बैंक गारंटी

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पीएफसीएल

बिजली खरीद समझौता

पीपीए

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली

ऋण वसूली अधिनियम

अधिनियम 1993

समाधान योजना के लिए अनुरोध

आरएफआरपी

गैंडा

री राइनो एंटरप्राइजेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड स्कोफील्ड बनाम स्मिथ

आरपी

समाधान पेशेवर

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और

सर्फेसी

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 का प्रवर्तन

एस. बी. आई.

भारतीय स्टेट बैंक

एस. बी. आई. आवेदन

2018 का सी. ए. सं. 639 (पी. बी.)-एस. बी. आई. द्वारा एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर किया गया

2017 के सीपी (आईबी) संख्या 101 (पीबी) में 2019 का सीए 1310 (पीबी)-दाखिल किया गया

दूसरी निकासी

आवेदन

एन. सी. एल. टी. से पहले एबिक्स द्वारा

सेरोको लाइटिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

सेरोको

सेरोको अपील

2021 की सिविल अपील संख्या 295

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

एसएफआईओ

बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985

एस. आई. सी. ए.

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2017

सिंगापुर अधिनियम

स्विस रिबन (पी) लिमिटेड v. भारत संघ

स्विस रिबन

2017 की सी. पी. (आई. बी.) संख्या 101 (पी. बी.) में 2019 की सी. ए. संख्या 1816 (पी. बी.) -

तीसरा निकासी आवेदन

इबिक्स द्वारा एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर किया गया

यू. बी. आई. एल.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड

यू. के. दिवाला अधिनियम 1986

ब्रिटेन अधिनियम

दिवाला कानूनों पर UNCITRAL विधायी मार्गदर्शिका

UNCITRAL गाइड

उत्तरा फूड्स एंड फीड्स (पी) लिमिटेड v. मोना फार्माकेम

उत्तरा फूड्स

2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 203-दायर की गई

वापसी की अपील

एन. सी. एल. ए. टी. से पहले ई-सी. ओ. सी. द्वारा

2020 की सिविल अपील संख्या 3224-एबिक्स अपील

ए. 1 अपील

1. यह निर्णय एन. सी. एल. ए. टी. के 29 जुलाई 2020 के एक फैसले की अपील से उत्पन्न होता है। एन. सी. एल. ए. टी. ने निकासी [2021] 14 एस. सी. आर. की अनुमति दी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नई दिल्ली में अपनी प्रधान पीठ में एन. सी. एल. टी. के 2 जनवरी 2020 के फैसले के खिलाफ आई. बी. सी. की धारा 61 के तहत प्रथम प्रतिवादी, ई-सी. ओ. सी. द्वारा दायर अपील 1।

2. एन. सी. एल. टी. ने उनके द्वारा दायर तीसरे निकासी आवेदन 2 की अनुमति दी।

एडुकॉम्प के लिए प्रस्तुत अपनी समाधान योजना को वापस लेने के लिए आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के तहत एबिक्स। उस आदेश को उलटते हुए, एन. सी. एल. ए. टी. ने कहा कि समाधान योजना से वापस लेने के आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी क्योंकि: (i) इसे न्यायिक प्रक्रिया द्वारा प्रतिबंधित किया गया था; और (ii) एन. सी. एल. टी. के पास इस तरह की निकासी की अनुमति देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। एन. सी. एल. ए. टी. के दृष्टिकोण की शुद्धता वर्तमान में निर्धारण के लिए सामने आती है। अपील करें।

ए. 2 सी. आई. आर. पी. की शुरुआत

3. 5 मई 2017 को, एडुकॉम्प ने स्वैच्छिक सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत एक याचिका 3 दायर की। एन. सी. एल. टी. ने यह माना

30 मई 2017 को याचिका दायर की और एक आई. आर. पी. नियुक्त किया। इसलिए, आई. बी. सी. की धारा 5 (12) के प्रयोजनों के लिए 30 मई 2017 को 'दिवाला आरंभ तिथि' के रूप में लिया जाएगा।

4. ई-सी. ओ. सी. का गठन 28 जून 2017 को किया गया था, जिसके बाद श्री महेंद्र कुमार खंडेलवाल को एडुकॉम्प का आर. पी. नियुक्त किया गया था।

27 जुलाई 2017 को। 12 सितंबर 2017 को एन. सी. एल. टी. द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। 18 सितंबर 2017 को ई-आर. पी. ने आई. आर. पी. से एडुकॉम्प से संबंधित जानकारी, दस्तावेज, रिपोर्ट और रिकॉर्ड अपने हाथ में ले लिए।

5. ई-आरपी के एक आवेदन पर, एन. सी. एल. टी. ने 13 नवंबर 2017 के अपने आदेश द्वारा सी. आई. आर. पी. की अवधि को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया। 26 नवंबर 2017 से 24 फरवरी 2018 तक।

ए. 3 समाधान योजना का आमंत्रण, प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन

6. आई. बी. सी. की धारा 25 (2) (एच) के संदर्भ में, ई-आर. पी. ने 18 अक्टूबर 2017 को संभावित बोलीदाताओं, निवेशकों और ऋणदाताओं से ई. ओ. आई. आमंत्रित किया। 7. 10 नवंबर 2017 को ई. ओ. आई. एस. जमा करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2017 तक बढ़ा दी गई थी। 5 दिसंबर से शुरू

2017 , ई-आरपी ने एडुकॉम्प के वर्चुअल डेटा रूम तक पहुंच प्रदान की

1 2017 की सी. पी. (आई. बी.) संख्या 101 (पी. बी.) में कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 2020 की 203 2 सी. ए. संख्या 2019 की 1816 (पी. बी.) 2017 की 3 सी. पी. (आई. बी.) संख्या 101 (पी. बी.) 4 2017 ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. का सी. ए. संख्या 405 (पी. बी.)।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

संभावित समाधान आवेदकों को जिन्होंने गोपनीयता का वचन दिया था और 5,00,000 का अग्रिम भुगतान किया था।

8. 5 दिसंबर 2017 को आई. बी. सी. की धारा 25 (2) (एच) के अनुसार अंतिम आर. एफ. आर. पी. जारी किया गया था। समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 8 जनवरी 2018 थी। आर. एफ. आर. पी. में 17 को संशोधन किया गया था।

जमा करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2018 तक बढ़ाने के लिए जनवरी 2018 और 20 जनवरी 2018। 25 जनवरी 20185 को, एन. सी. एल. टी. ने समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को फिर से 27 जनवरी 2018 तक बढ़ा दिया। 9. प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक, संकल्प योजनाएं ई-आरपी द्वारा एबिक्स और एक अन्य इकाई से प्राप्त की गई थीं। इनके साथ साझा किया गया था

ई-सीओसी 29 जनवरी 2018 को। इसके बाद, दोनों आवेदकों को 2 फरवरी 2018 को ई-सीओसी में अपनी प्रस्तुतियाँ देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

10. 9 फरवरी 2018 को ई-सीओसी द्वारा एबिक्स को सफल समाधान आवेदक घोषित किया गया था। एबिक्स ने ई-सी. ओ. सी. के साथ अपनी समाधान योजना के बारे में चर्चा की और इस पर एक संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत की।

19 फरवरी 2018,21 फरवरी 2018 को एक परिशिष्ट के साथ।

11. ई-आरपी के निर्देशों पर, ई-सीओसी ने 21 फरवरी 2018 को शाम 7 बजे एबिक्स की संकल्प योजना पर ई-मतदान शुरू किया। 22 फरवरी 2018 को शाम 7 बजे तक मतदान लाइनें खुली रखी गईं।

ई-वोटिंग के परिणामों के अनुसार, मतदान हिस्सेदारी प्रतिशत के संदर्भ में: (i) ई-सी. ओ. सी. के प्रतिशत सदस्यों ने संकल्प योजना को मंजूरी देने के लिए मतदान किया; (ii) प्रतिशत सदस्यों ने संकल्प योजना को अस्वीकार करने के लिए मतदान किया; और (iii) शेष सदस्य, जिनकी कुल हिस्सेदारी 8.55 प्रतिशत थी, संकल्प योजना पर मतदान करने से दूर रहे। इस प्रकार समाधान योजना आई. बी. सी. की धारा 30 (4) (जो उस समय थी) के अनुसार 75 प्रतिशत के न्यूनतम प्रतिशत को प्राप्त करने में विफल रही।

12. एक दिन बाद 23 फरवरी 2018 को ई-सीओसी (सीएसईबी) के सदस्यों में से एक ने ई-आरपी को एक ईमेल के माध्यम से सूचित किया कि तकनीकी त्रुटि के कारण वे ई-मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। ई-सी. ओ. सी. में सी. एस. ई. बी. का मतदान हिस्सा 1.195 प्रतिशत था, और चाहता था कि इसका सकारात्मक मत संकल्प योजना पर दर्ज किया जाए। सी. एस. ई. बी. के वोट से एबिक्स की संकल्प योजना के पक्ष में मतदान का हिस्सा बढ़कर 75.35 प्रतिशत हो जाएगा।

इस प्रकार धारा 30 (4) के तहत सीमा को पूरा करना। 13. ई-आर. पी. ने सी. एस. ई. बी. के देर से मतदान के संबंध में एन. सी. एल. टी. के निर्देश लेने के लिए धारा 60 (5) के तहत सी. एस. ई. बी. आवेदन दायर किया। एनसीएलटी

5 आवेदनों में 2018 का सीए नंबर 30 और 2018 का सीए नंबर 42 2018 [2021] का 6 सीए नंबर 160 (पीबी) 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28 फरवरी 2018 के अपने आदेश द्वारा, ई-आर. पी. को आई. बी. सी. की धारा 30 (6) के तहत एबिक्स की समाधान योजना की मंजूरी के लिए एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि सी. एस. ई. बी. के वोट के मुद्दे को आवेदन के साथ लिया जाएगा। 7 मार्च 2018 को, ई-

आर. पी. ने धारा 30 (6) के तहत एबिक्स की समाधान योजना के लिए एन. सी. एल. टी. की मंजूरी के लिए 'अनुमोदन आवेदन' दायर किया।

14. 2 जुलाई 2018 को, एबिक्स ने एडुकॉम्प के लिए सी. आई. आर. पी. में तेजी लाने के लिए ई-आर. पी. को एक पत्र जारी किया। पत्र के प्रासंगिक भाग निकाले गए हैं।

नीचे:

" ... हम प्रस्तुत करना चाहेंगे कि कंपनी के लिए समाधान योजना इस उम्मीद के साथ प्रस्तुत की गई थी कि समाधान प्रक्रिया

एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, और समाधान आवेदक को भारत में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले यानी अप्रैल 2018 में कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण प्राप्त होगा, बशर्ते कि वह सफल आवेदक के रूप में चुना जाए (समाधान योजना में प्रदान किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार), और एन. सी. एल. टी. द्वारा योजना की मंजूरी। इससे समाधान आवेदक को कंपनी के संचालन के पुनर्गठन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता।

जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी का संचालन पहले से ही दबाव में है और यह मान लेना सुरक्षित होगा कि कोई नया अनुबंध/ग्राहक सामने नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा, कंपनी के प्रतियोगी स्थिति का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कंपनी के व्यावसायिक मूल्य को और नुकसान हो सकता है और हो सकता है

पुनरुत्थान प्रक्रिया को और अधिक कठिन बना दें।

उपरोक्त कंपनी के लिए प्रस्तुत समाधान योजना में समाधान आवेदक द्वारा प्रदान किए गए वाणिज्यिक विचार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

19 फरवरी की संकल्प योजना के खंड 7 के अनुसार,

2018 समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत, समाधान योजना की शर्तें योजना प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने यानी 19 अगस्त, 2018 के लिए मान्य हैं। उपरोक्त और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समाधान प्रक्रिया को पूरा करने में देरी से वाणिज्यिक विचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है

समाधान योजना में समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तावित, हम

2018 ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. का 1 सी. ए. सं. 195 (पी. बी.)।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

समाप्ति पर समाधान योजना पर फिर से विचार करने या वापस लेने के लिए मजबूर होना अपने सभी हितों की रक्षा करने के लिए योजना की अवधि

हितधारक "।

ए. 4 एड्डकॉम्प के वित्तीय लेन-देन की जांच

15. 3 अप्रैल 2018 को, एक भारतीय ऑनलाइन समाचार प्रकाशन, द वायर,

"एड्डकॉम्प भारत की दिवाला और दिवालियापन प्रक्रिया की भावना को कैसे नष्ट कर सकता है" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। "एड्डकॉम्प्स इन्सॉल्वेंसी प्रोसेस बिकम्स मर्कियर ऐज एबिक्स बाय्स स्मार्टक्लास एजुकेशनल सर्विसेज" शीर्षक वाला एक अन्य लेख द वायर द्वारा 26 अप्रैल 2018 को प्रकाशित किया गया था।

16. ई-आर. पी. ने इस न्यायालय के समक्ष कहा है कि इनके आधार पर

रिपोर्टों के अनुसार, एड्डकॉम्प के एक वित्तीय लेनदार, आई. एफ. सी. ने आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के तहत आई. एफ. सी. आवेदन 1 0 10 दायर कर मामले की जांच की मांग की। एड्डकॉम्पक लेनदेन। 4 मई 2018 को, जब सी. एस. ई. बी. आवेदन के साथ आई. एफ. सी. आवेदन एन. सी. एल. टी. के समक्ष आया और

अनुमोदन आवेदन, इसने ई-आर. पी. को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और निर्देश भी दिया

आई. एफ. सी. इबिक्स पर एक नोटिस देगा।

17. इसी तरह के अनुप्रयोग-एक्सिस आवेदन 1 1 और एस. बी. आई. आवेदन 12 1 2,

एड्डकॉम्प, एक्सिस बैंक और एस. बी. आई. के अन्य वित्तीय लेनदारों द्वारा 2013 अधिनियम की धारा 233 के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के तहत एड्डकॉम्प के मामलों के संचालन में कथित अनियमितताओं को देखते हुए एन. सी. एल. टी. से 'उचित निर्देश' की मांग करते हुए दायर किया गया था।

18. इस बीच, 1 अगस्त 2018 को, आरोपों के कारण

2014-2018 के बीच एड्डकॉम्प के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण, एम. सी. ए. ने अपने मामलों में एस. एफ. आई. ओ. जांच का निर्देश दिया।

8 मनोज गैरोला, "एड्डकॉम्प ने भारत की दिवाला और दिवालियापन प्रक्रिया की भावना को कैसे नष्ट कर दिया है" (द वायर, 3 अप्रैल 2018) पर उपलब्ध है। //तार। इन/बिजनेस/हाउ-एजुकेशनकॉम्प-हो सकता है-विकृत-द-स्पिरिट-ऑफ-इंडियाज-दिवालियापन-और दिवालियापन-प्रक्रिया> 26 जुलाई 2021 को एक्सेस किया गया 9 9 मनोज गैरोला, "एड्डकॉम्प की दिवाला प्रक्रिया एबिक्स बाय्स स्मार्टक्लास एजुकेशनल सर्विसेज के रूप में मुर्कियर बन जाती है" (द वायर, 26 अप्रैल 2018) पर उपलब्ध है। // तार। इन/बिजनेस/एजुकोमप्स-इनसॉल्वेंसी-प्रोसेस-बिकम्स-मर्कियर-एज़-एबिक्स-बाय

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. एन. सी. एल. टी. ने 9 अगस्त 2018 के अपने आदेश द्वारा आई. एफ. सी., एक्सिस और एस. बी. आई. द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि: ((i) ई-आरपी

आवेदनों की विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए तीन दिनों के भीतर ई-सी. ओ. सी. की एक बैठक बुलाएगी और (ii) ई-सी. ओ. सी. द्वारा ऐसा करने की सलाह दिए जाने पर ई-आर. पी. और ई-सी. ओ. सी. कानून के अनुसार एन. सी. एल. टी. के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

20. 9 अगस्त 2018 के एन. सी. एल. टी. के आदेश के अनुसार, ई-सी. ओ. सी. ने 13 अगस्त 2018 को अपनी 13वीं बैठक की मेजबानी की, और एडुकॉम्प के मामलों में विशेष जांच लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त करने के लिए एक प्रतिशत मत के साथ एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव की प्रासंगिक शर्तें इस प्रकार हैं:

कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने से पहले कंपनी और स्मार्टक्लास एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("एस. ई. एस. पी. एल".) के बीच व्यवसाय; (iii) एडसमार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्तियों की वास्तविकता के बारे में लेन-देन जिसमें क्रॉस-वेरिफिकेशन शामिल है।

एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड को देय राशियों के साथ

एडसमार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड; ((iv) कंपनी के बीच समझौता करने वाले लेन-देन,

क्लास लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड; (v) कंपनी द्वारा अपनी 4 सहायक कंपनियों में किए गए निवेश के संबंध में हानि से संबंधित लेनदेन;

(vi) कंपनी द्वारा प्राप्त अग्रिम से संबंधित लेन-देन

एडुकॉम्प रैफल्स हायर एजुकेशन लिमिटेड से; ईबीआईएक्स सिंगापुर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(vii) डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन एस. डी. एन. बी. एच. डी. के साथ वितरण समझौता;

(viii) द्वारा दायर आवेदनों में संदर्भित लेन-देन

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, एक्सिस बैंक लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक; और

(ix) एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा प्राप्तियों के खिलाफ किए गए प्रावधानों की समीक्षा;

(x) एक्सिस बैंक, आई. एफ. सी. और एस. बी. आई. द्वारा माननीय एन. सी. एल. टी. के साथ दायर आवेदनों में उठाए गए अन्य सभी लेनदेन/मुद्दे;

हल किया कि समाधान पेशेवर, ऋणदाताओं की समिति द्वारा अधिकृत किया जाए और अन्य बातों के साथ-साथ स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित विशेष जांच ऑडिट पर माननीय एन. सी. एल. टी. की सहमति/आदेश प्राप्त करने के लिए माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के साथ उचित आवेदन/याचिका दायर करने का निर्देश दिया जाए।

कंपनी पर किए गए पिछले लेखापरीक्षाओं में निहित सीमाओं को देखते हुए और उक्त जांच को व्यापक बनाने के लिए, प्रस्ताव पेशेवर, इस तरह के आवेदन/याचिका दायर करते समय, एक अतिरिक्त अनुरोध के रूप में, माननीय एन. सी. एल. टी. की सहमति/आदेश भी लेंगे।

कि एस. ई. एस. पी. एल., कंपनी की अन्य समूह कंपनियों और कंपनी के पूर्व ग्राहकों को सहयोग करने का निर्देश दिया जाए।

इस प्रकार नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी के साथ, या वैकल्पिक रूप से, उक्त जांच करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक निरीक्षक नियुक्त करने के लिए मामले को केंद्र सरकार को भेजने के लिए।

आगे यह तय किया गया कि प्रस्तावित जांच (विशेष जांच लेखा परीक्षा) की पूरी लागत सी. आई. आर. पी. में शामिल की जाएगी।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और संबंधित विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में लागत और तदनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

आगे हल किया कि, स्वतंत्र एजेंसी करने के लिए

विशेष जाँच लेखा परीक्षा आयोजित करना, [2021] 14 एस. सी. आर. द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

कोर कमेटी, जिसमें एस. बी. आई., आई. डी. बी. आई. बैंक, एक्सिस बैंक, आई. एफ. सी., यस बैंक और जे. एंड के. बैंक शामिल हैं।

आवेदन। एन. सी. एल. टी. ने ई-आर. पी. को एक उपयुक्त आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया। 13 अगस्त 2018 के प्रस्ताव और 20 अगस्त 2018 के एन. सी. एल. टी. के आदेश के अनुसार, ई-आर. पी. ने जांच दायर की। लेखा परीक्षा आवेदन 14 1 4 आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के तहत एन. सी. एल. टी. से एडुकॉम्प की विशेष जांच लेखा परीक्षा करने के निर्देश की मांग करता है।

22. हमारे समक्ष यह कहा गया है कि जाँच लेखा परीक्षा आवेदन

11 सितंबर 2018,20 सितंबर 2018,27 सितंबर 2018 और 4 अक्टूबर 2018 को सुनवाई हुई। 4 अक्टूबर 2018 को, जाँच लेखा परीक्षा आवेदन में अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए, एन. सी. एल. टी. ने ई-आर. पी. को आई. बी. सी. की धारा 43,45,50 और 66 के तहत एडुकॉम्प द्वारा किए गए लेनदेन के संबंध में एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया।

23. ई-आर. पी. में कहा गया है कि इस तरह का एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि एडुकॉम्प से संबंधित लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक सामग्री के आधार पर, आई. बी. सी. की धारा 43,45,50 और 66 के तहत कोई भी लेनदेन नहीं पाया गया, जिससे बचने की आवश्यकता थी। ई-आर. पी. ने यह भी कहा कि चूंकि एन. एल. सी. टी. ने विशेष जांच ऑडिट के संचालन के लिए विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए थे, इसलिए ऐसा कोई ऑडिट नहीं किया गया था।

24. यह हलफनामा अनुमोदन आवेदन के साथ 7 दिसंबर 2018 को एन. सी. एल. टी. के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। 10 जनवरी 2019 को, एन. सी. एल. टी. ने अनुमोदन आवेदन पर अपने आदेश सुरक्षित रखे।

25. 12 जून 2019 को एडुकॉम्प ने एस. एफ. आई. ओ. और सी. बी. आई. जैसी एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच के संबंध में बी. एस. ई. और एन. एस. ई. को एक नियामक खुलासा किया। प्रकटीकरण के भौतिक भाग इस प्रकार हैं:

" यह आपके 10 जून, 2019 के मेल के संदर्भ में है, जो "बिजनेस स्टैंडर्ड" में प्रकाशित समाचार से संबंधित है।

" ऋणग्रस्त एडुकॉम्प सॉल्यूशंस के लेन-देन एस. एफ. आई. ओ. के अंतर्गत आते हैं।

स्कैनर "।

[.....]

14 2018 ईबीआईएक्स सिंगापुर पी. वी. टी. का सी. ए. सं. 793 (पी. बी.)।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

3. यह ध्यान देने योग्य है कि बीडीओ इंडिया एलएलपी ने लेन-देन किया

यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई वरीयता थी, लेखा परीक्षा

संहिता की धारा 43,45,50 और 66 के दायरे में आने वाले कम मूल्य वाले, जबरन वसूली या धोखाधड़ी वाले लेनदेन। लेनदेन समीक्षा रिपोर्ट बीडीओ इंडिया एलएलपी द्वारा फरवरी 2018 में तैयार की गई थी। जिसे आगे प्रसारित किया गया और सी. ओ. सी. के साथ चर्चा की गई। उस पर

बी. डी. ओ. रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक सामग्री की जांच

सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान समाधान पेशेवर के पास उपलब्ध, समाधान पेशेवर द्वारा कोई लेनदेन नहीं पाया गया जो उक्त धाराओं के संदर्भ में इनसे बचने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, मीडिया रिपोर्ट में कथित रूप से दो भूमि लेनदेन बीडीओ द्वारा अपनी रिपोर्ट में रिपोर्ट नहीं किए गए हैं और इसलिए, प्रस्ताव

पेशेवर इस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

मीडिया रिपोर्ट में आरोप के संबंध में कि "संदिग्ध"

ऋणग्रस्त एडुकॉम्प सॉल्यूशंस के लेन-देन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन (एस. एफ. आई. ओ.) के नजरिये में आ गए हैं, जो कंपनी के कथित धन-परिवर्तन और बढ़े हुए भूमि सौदों की जांच कर रहा है।

हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि एस. एफ. आई. ओ. के मामलों की जाँच

एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड वर्तमान में चल रहा है जिसमें

समाधान पेशेवर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर डेटा/जानकारी/दस्तावेजों की आपूर्ति कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई नहीं है।

प्रस्ताव के संज्ञान में जानकारी लाई गई है अभी तक पेशेवर। इसके अलावा, लेख आधारित प्रतीत होता है

गलत, प्रेरित, मनगढ़ंत डेटा "।

ए. 5 समाधान योजना को वापस लेने के लिए आवेदन

26. 5 जुलाई 2019 को, एबिक्स ने निम्नलिखित राहतों के लिए आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के तहत पहला निकासी आवेदन दायर किया:

" आई. उस एल. डी. को निर्देशित करें। समाधान पेशेवर एक प्रति की आपूर्ति करते हैं

समाधान आवेदक के लिए विशेष जांच लेखा परीक्षा

तुरंत:

ii. उस एल. डी. को निर्देशित करें। समाधान पेशेवर एक प्रति की आपूर्ति करते हैं

दिवाला की धारा 43,45, एस. ओ. और 66 के तहत प्रमाण पत्र

और समाधान पेशेवर के लिए दिवालियापन संहिता, 2016

तुरंत;

1252 (2017 [2021] 14 एस. सी. आर. के सी. पी. (आई. बी.) संख्या 101 (पी. बी.) में 2019 का पी. बी.)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

iii. द्वारा स्वीकृत समाधान योजना की मंजूरी रोकें

निगमित देनदार के लेनदारों की समिति, जैसा कि पहले दायर किया गया था

यह माननीय न्यायाधिकरण 11.04.2018 पर, विस्तृत विचार लंबित है संकल्प आवेदक द्वारा उसी का;

iv. समाधान आवेदक को पुन: प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दें।

समाधान योजना में निहित अपने प्रस्तावों का मूल्यांकन करें, और

इसके संकल्प को उपयुक्त रूप से संशोधित/संशोधित करना और/या वापस लेना

योजना बनाएँ; "

(जोर दिया गया)

एबिक्स का तर्क है कि आवेदन आवश्यक था क्योंकि: ((i)

एन. सी. एल. टी. के समक्ष अनुमोदन आवेदन 17 वर्षों से लंबित था।

महीनों, आर. एफ. आर. पी. और इसकी समाधान योजना में परिकल्पित अवधि से बहुत आगे; (ii) एडुकॉम्प का सी. आई. आर. पी. आई. बी. सी. के तहत वैधानिक अवधि से परे, 26 महीनों से लंबित था; (iii) एडुकॉम्प को दिए गए सरकारी अनुबंधों का कार्यकाल, जो इसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण था,

हो सकता है कि यह समाप्त हो गया हो, जिससे इसके आधार का क्षरण हुआ हो; और (iv) हाल की मीडिया रिपोर्टों के कारण, इसे एडुकॉम्प के प्रबंधन और मामलों के बारे में संदेह था।

27. 10 जुलाई 2019 को, एन. सी. एल. टी. ने पहली निकासी को खारिज कर दिया।

निम्नलिखित आदेश के साथ आवेदनः

यह एक एबिक्स सिंगापुर पी. टी. डी. द्वारा दायर एक आवेदन है। सीमित इससे पहले प्रस्तुत समाधान योजना के पुनर्मूल्यांकन की मांग करना।

समाधान पेशेवर। आवेदन में मांगी गई प्रार्थना पर विचार करने का कोई आधार नहीं है

बनाया गया।

इस तरह आवेदन खारिज कर दिया जाता है "।

28. इसके बाद, एबिक्स ने दूसरा निकासी आवेदन 1 6 16 दायर किया।

आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के तहत निम्नलिखित राहत की मांग की गई हैः

" आई. समाधान आवेदक को समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति दें

दिनांक 21.02.2019) इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इसके द्वारा अनुमोदित ऋणदाताओं की समिति;

16 2017 ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. के सी. पी. (आई. बी.) संख्या 101 (पी. बी.) में 2019 का सी. ए. 1310 (पी. बी.)।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

ii. एल. डी. को निर्देशित करें। रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल और/या एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड और लेनदारों की समिति अर्नेस्ट को वापस करने के लिए

रुपये की धन जमा। 2,00,00,000 / - संकल्प द्वारा प्रस्तुत

समाधान योजना के संबंध में आवेदक;

iii. द्वारा स्वीकृत समाधान योजना की मंजूरी रोकें

निगमित देनदार के लेनदारों की समिति, जैसा कि इस माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष 07.03.2018 पर दायर किया गया है और दिनांक 1.1.04 के आदेश के माध्यम से दर्ज किया गया है। 2018 , द्वारा उसी पर विस्तृत विचार लंबित है

समाधान आवेदक; "

पहली निकासी में उल्लिखित कारणों को दोहराते समय

आईसीएशन, इसने दूसरा निकासी दाखिल करने का कारण प्रदान किया निम्नलिखित शब्दों में आईकेशन:

" xii. कि वर्तमान आवेदक ने धारा 60 (5) के तहत पी. बी./आई. ए./1252/2019 वाला दिनांक 05.07.2019 का आवेदन भी दाखिल किया था।

हालाँकि, इसे इस माननीय न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था, और उक्त आवेदन में सुनवाई के दौरान, इस माननीय न्यायालय ने एक अलग आवेदन के माध्यम से समाधान योजना को वापस लेने के लिए संकल्प आवेदक को रखा। समाधान योजना को वापस लेने के लिए वर्तमान आवेदन अनुसरण में किया जा रहा है। उसी से "।

29. 5 सितंबर 2019 को, एन. सी. एल. टी. ने दूसरे आदेश को खारिज कर दिया।

निम्नलिखित आदेश के साथ आवेदन निकालें:

“ सी. ए. सं. 1310 (पी. बी.)/2019

उपरोक्त पैरा के इटैलिक भाग से पता चलता है कि समाधान योजना को वापस लेने का अनुरोध अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालय के सुझाव पर किया गया है जो न तो आदेश में परिलक्षित होता है और न ही किसी भी अभिलेख से उत्पन्न होता है। न्यायालय पर कुछ ऐसा आरोप लगाना जो कभी नहीं कहा गया है, निंदनीय है। द.

कार्रवाई का कारण ऐसी किसी भी चीज़ पर आधारित नहीं हो सकता है।

तदनुसार, यदि सलाह दी जाती है तो हम आवेदक को कार्रवाई के उसी कारण पर नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इस आवेदन को खारिज करते हैं। "[2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. इसके बाद, एबिक्स ने तीसरा निकासी आवेदन दायर किया, जिसमें मांग की गई थी

निम्नलिखित राहतें हैं:

" आई. समाधान आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना दिनांक 19.02.2018 (दिनांक 21.02.2019 के परिशिष्ट/वित्तीय प्रस्ताव के साथ) को वापस लेने की अनुमति दें, और जैसा कि द्वारा अनुमोदित किया गया है

ऋणदाताओं की समिति;

ii. एल. डी. को निर्देशित करें। रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल और/या एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड और लेनदारों की समिति अर्नेस्ट को वापस करने के लिए रुपये की धन जमा। 2,00,00,000 / - समाधान योजना के संबंध में समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत;

iii. निगमित देनदार के लेनदारों की समिति द्वारा स्वीकृत समाधान योजना की मंजूरी को रोकें, जैसा कि इस माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष 07.03.2018 पर दायर किया गया है और 11.04.2018 दिनांकित वी. आई. डी. आदेश दर्ज किया गया है, जिस पर निगम द्वारा विस्तृत विचार किया जाना बाकी है।

समाधान आवेदक; "

निकासी के लिए पहले के आवेदनों को संदर्भित किया गया था:

" xiv. यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान आवेदक ने संहिता की धारा 60 (5) के तहत पी. बी./आई. ए./1252/2019 दिनांकित 05.07.2019 वाला एक आवेदन भी दायर किया था, जिसमें समाधान योजना के संशोधन/पुनर्मूल्यांकन और/या वापसी की मांग की गई थी। उक्त आवेदन था

इस माननीय न्यायाधिकरण द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि समाधान योजना के संशोधन/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। द.

इसके बाद आवेदक ने समाधान योजना सरलीकरण को वापस लेने की मांग करते हुए पी. बी./आई. ए./1310/2019 वाला एक आवेदन दायर किया, जिसे माननीय न्यायाधिकरण ने दिनांक 07.09.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था, जबकि वापस लेने की मांग करते हुए एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

समाधान योजना "।

वापस लेने के कारण वही थे जो वापस लेने के लिए पिछले आवेदनों में थे।

31. 18 सितंबर 2019 को, एन. सी. एल. टी. ने तीसरे निकासी आवेदन में नोटिस जारी किया और ई-आर. पी. को इसे आवेदन पत्र के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

ई-सीओसी। ई-आर. पी. ने 26 सितंबर 2019 को 14 वीं बैठक में ई-सी. ओ. सी. के समक्ष आवेदन रखा। ई-सीओसी ने आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं देने का संकल्प लिया।

ए. 6 एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. के आदेश।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

32. 2 जनवरी 2020 के अपने आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी. ने तीसरे आदेश की अनुमति दी।

आहरण आवेदन। एन. सी. एल. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि आहरण के लिए आवेदन को पिछली तारीख से न्यायिक प्रक्रिया द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था

प्रथम आहरण आवेदन से संबंधित संपादन, यह नहीं था

सावधानीपूर्वक निर्णय लिया गया कि क्या समाधान योजना हो सकती है इरॉन। आदेश के लिए तर्क निम्नलिखित उद्धरण में इंगित किया गया है:

" 11. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रस्ताव को वापस लेने की प्रार्थना की गई थी।

सीए No.1252 (पीबी)/2019 में दूसरों के बीच योजना, के लिए प्रार्थना

पुनर्मूल्यांकन को विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था दिनांकित बर्खास्तगी आदेश

10.07.2019 . सीए No.1252 (पीबी)/2019 को खारिज करते हुए

न तो समाधान योजना को वापस लेने की प्रार्थना की गई थी

इस पर विचार किया गया और न ही कभी निपटा गया। वापसी का मुद्दा

आवेदक द्वारा संकल्प योजना का कभी नहीं किया गया है

योग्यता के आधार पर सचेत रूप से माना जाता है और/या निर्णय लिया जाता है

CA No.1252 (PB)/2019 में।

12. रचनात्मक रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

मुद्दों/बिंदुओं, या पार्टियों के बीच किसी भी "लिस" के लिए

पहले तय नहीं किया गया था, और अनुरोध किए जाने के बावजूद,

न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया है और स्पष्ट रूप से

इस प्रकार पारित आदेश के अनुसार व्यवहार किया गया।

13. यहाँ तक कि 10.07.2019 दिनांकित आदेश का एक नंगे अवलोकन भी होगा

इंगित करें कि द्वारा समाधान योजना को वापस लेने का मुद्दा समाधान आवेदक के साथ योग्यता के आधार पर व्यवहार नहीं किया गया था और कि नहीं

निर्णय या तो पारित किया गया है या अंतिम रूप से प्राप्त किया गया है पक्ष को समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति देना।

14. यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि समाधान आवेदक

बाद में वापस लेने के लिए प्रार्थना की थी

सीए No.1310 (पीबी)/2019 वाले आवेदन में समाधान योजना।

उक्त आवेदन पर विचार करते समय स्वतंत्रता दी गई थी।

आवेदक को फिर से दाखिल करने के लिए 01.09.2019 दिनांकित आदेश के माध्यम से

निर्देश आगे पुष्टि करता है कि कोई सचेत नहीं था के मुद्दे पर सीए No.1252 (पीबी)/2019 में निर्णय

आवेदक द्वारा समाधान योजना को वापस लेना।

(जोर दिया गया)

एन. सी. एल. टी. ने कहा कि: ((i) समाधान योजना बाध्यकारी हो जाती है।

उसके द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में प्रमाणित; (ii) धारा 30 (2) के तहत

आई. बी. सी., न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास यह जांचने की शक्ति है कि क्या समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू और कार्यान्वित किया जा सकता है और वर्तमान परिस्थितियों में, एक अनिच्छुक सफल समाधान याचिकाकर्ता समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में असमर्थ होगा।

आदेश के प्रासंगिक भागों को नीचे निकाला गया है:

" 20. तत्काल मामले में समाधान योजना अभी भी अनुमोदन के लिए न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है। प्रावधानों के तहत

23. संहिता की धारा 30 (2) (डी) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य करती है कि समाधान योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के प्रभावी साधन हैं। इसी तरह, संहिता की धारा 31 की उप-धारा (1) के प्रावधान में निर्णय लेने वाले प्राधिकरण को समाधान योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। वस्तु। समाधान योजना के अनुमोदन में बचत करना है निगमित ऋणी और उसे अपने पैरों पर खड़ा करना। एक अनिच्छुक और अनिच्छुक समाधान आवेदक, जिसने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है

समाधान योजना, न तो कॉर्पोरेट देनदार को वापस कर सकते हैं

अपने पैरों पर खड़ा है और न ही इसके संकल्प का प्रभावी कार्यान्वयन

योजना सुनिश्चित की जा सकती है।

24. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अग्रिम चरण में समाधान योजना को वापस लेने से लेनदारों/हितधारकों के लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा हुआ है और समाधान योजना को वापस लेने पर कानूनी परिणाम सामने आए हैं

कानून के अनुसार पालन किया जाएगा। समाधान पेशेवर और सी. ओ. सी. समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना को वापस लेने के परिणामस्वरूप कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें निम्नलिखित मुद्दे भी शामिल हैं -

योजना को लागू करने के लिए समाधान आवेदक के कारण हो सकता है अनिश्चितता। संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगमित ऋणदाता एक चालू संस्था के रूप में काम करता रहे और ऋणदाता की सुरक्षा करे।

सभी हितधारकों का हित। संहिता के प्रावधान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य करते हैं कि सफल समाधान

आवेदक नए सिरे से कॉर्पोरेट देनदार का व्यवसाय चलाना शुरू कर देता है। इसके अलावा अदालत को एक वादी के मौलिक ए. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अपने तरीके से व्यवसाय करने का अधिकार संविधान। एक बार जब आवेदक अनिच्छुक और अनिच्छुक हो

और खुद ने अपनी समाधान योजना को वापस लेने का फैसला किया है, एक संदेह

यह उत्पन्न होता है कि क्या संकल्प आवेदक के पास है उक्त योजना को लागू करने की क्षमता। में अनिश्चितता

समाधान योजना के कार्यान्वयन से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। बाहर निकलो "।

(जोर दिया गया)

एन. सी. एल. टी. ने यह भी निर्देश दिया कि एडुकॉम्प के सी. आई. आर. पी. को एक द्वारा बढ़ाया जाए

16 नवंबर 2019 से शुरू होने वाली 90 दिनों की अवधि।

33. इसके आदेश के परिणामस्वरूप तीसरी वापसी की अनुमति दी गई

आवेदन में, एन. सी. एल. टी. ने 3 जनवरी 2020 को अनुमोदन आवेदन को भी निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया।

34. ई-सी. ओ. सी. ने एन. सी. एल. टी. के आदेश का विरोध करते हुए वापस लेने की अपील दायर की

दिनांक 2 जनवरी 2020। 3 फरवरी 2020 को, एन. सी. एल. ए. टी. ने 2 जनवरी 2020 के आदेश पर रोक लगा दी। ई-सी. ओ. सी. द्वारा आई. बी. सी. की धारा 61 के तहत अनुमोदन अपील भी दायर की गई थी, जिसमें 3 जनवरी 2020 के एन. सी. एल. टी. के आदेश का समर्थन किया गया था।

35. 29 जुलाई 2020 के अपने आदेश द्वारा, एन. सी. एल. ए. टी. ने आदेश को दरकिनार कर दिया

एन. सी. एल. टी. ने समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति दी। न्यायनिर्णयक मुद्दा पर, एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि पहली वापसी को अस्वीकार करने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है।

आवेदन में, मुद्दा अंतिम रूप ले चुका था। एन. सी. एल. ए. टी. ने कहा:

" 82 ..... उक्त सी. ए. 1252 (पी. बी.)/2019 की बर्खास्तगी को देखते हुए

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और उक्त आदेश जो प्राप्त हुआ था

किसी भी 'अपील' के दायर किए जाने के अभाव में अंतिमता और अधिक उक्त आदेश के विरुद्ध, फिर सी. ए. 1252 का बर्खास्तगी आदेश

2019 दिनांकित 10.7.2019 आदेश प्रथम उत्तरदाता/'संकल्प' को बाध्य करता है

आवेदक 'एक' अंतर-से 'पार्टी के रूप में।

[.....]

84 ..... विशेष परिस्थितियों में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

वर्तमान मामले के पास लाने की स्वतंत्रता देने/सुरक्षित रखने की कोई शक्ति नहीं है।

एक नया आवेदन और इसलिए, द्वारा दायर किया गया बाद का आवेदन

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रथम प्रत्यर्थी/'समाधान आवेदक को नया दाखिल करने की स्वतंत्रता के बावजूद' रेस जुडिकाटा 'के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया गया है।

वापस लेने के लिए आवेदन के गुण-दोष पर, एन. सी. एल. ए. टी. ने कहा कि: (i) एक बार सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, एन. सी. एल. टी. के पास इसे वापस लेने की अनुमति देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था; (ii) निर्णय प्राधिकरण समाधान योजना को मंजूरी देने के सी. ओ. सी. के निर्णय के विवेक पर प्रवेश नहीं कर सका; (iii) समाधान आवेदक ने समाधान योजना की शर्तों को स्वीकार कर लिया था और किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती थी; (iv) अनुमोदन आवेदन में आदेश पहले ही सुरक्षित कर लिए गए हैं; (v) कोई विशेष जांच लेखा परीक्षा नहीं की गई थी; (vi) आई. बी. सी. की धारा 32 ए समाधान आवेदक को सी. आई. आर. पी. शुरू होने से पहले किए गए किसी भी अपराध से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करती है; और (vii) एबिक्स ने अगस्त 2018 से जनवरी 2019 तक इस प्रक्रिया में भाग लिया था जब

अनुमोदन आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखे गए थे, और इसलिए यह देरी के आधार पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता था।

ए. 7 एस. एफ. आई. ओ. और सी. बी. आई. जांच की वर्तमान स्थिति

36. 17 फरवरी 2020 को एक ईमेल में ई-आर. पी. ने ई-सी. ओ. सी. को सूचित किया कि सी. बी. आई. ने एडुकॉम्प के परिसरों की तलाशी ली।

11 फरवरी 2020 में कई दस्तावेज जब्त किए गए (ईमेल के साथ एक सूची संलग्न की गई थी)। 19 फरवरी 2020 को एक अन्य ईमेल द्वारा, ई-आर. पी. ने ई-सी. ओ. सी. को सूचित किया कि सी. बी. आई. ने एडुकॉम्प के कार्यालय में दस्तावेजों की खोज फिर से शुरू कर दी है। 37. 30 मार्च 2020 को ई-सीओसी की 16 वीं बैठक में ई-आरपी ने सी. बी. आई. और एस. एफ. आई. ओ. के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की।

जाँच:

(i) 11 फरवरी 2020 को एडुकॉम्प के परिसर में सी. बी. आई. की तलाशी, एस. बी. आई. की ओर से एक शिकायत पर की गई थी।

बैंकों का संघ;

(ii) 1 अगस्त 2018 को एम. सी. ए. द्वारा जांच शुरू करने के बाद से, एस. एफ. आई. ओ. ने दस्तावेजों/जानकारी की मांग की है, जो प्रदान की गई हैं;

(iii) एस. एफ. आई. ओ. से अंतिम सूचना 27 को प्राप्त हुई थी।

(iv) ई-सी. ओ. सी. के कुछ सदस्यों की शिकायत के जवाब में कि ई-आर. पी. ने उन्हें केवल ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. में जांच के बारे में सूचित किया था।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

देर से, ई-सी. ओ. सी. के अध्यक्ष ने यह कहते हुए इसे उचित ठहराया कि संचार केवल तभी हो सकता है जब प्रासंगिक

जाँच पूरी हो गई। हालांकि, भविष्य के संदर्भों के लिए,

अध्यक्ष ने इस सुझाव पर ध्यान दिया कि ई-आर. पी. ई-सी. ओ. सी. के सभी सदस्यों को एक वॉट्सऐप समूह में जोड़ेगा, जहां वास्तविक समय होगा।

अद्यतन साझा किए जा सकते हैं।

बैठक में, ई-सी. ओ. सी. ने 77.05 प्रतिशत बहुमत के साथ एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें ई-आर. पी. को ई. एम. डी. का आह्वान करने और उसे जब्त करने का निर्देश दिया गया।

खंड 1.9 के अनुसार एबिक्स द्वारा प्रस्तुत 2 करोड़ रुपये। 1 से आरएफआरपी। ई-आर. पी. ने 1 अप्रैल 2020 को आई. डी. बी. आई. को ई. एम. डी. को भुनाने के लिए एक पत्र जारी किया।

38. 8 मई 2020 को ई-सी. ओ. सी. की 17 वीं बैठक में ई-आर. पी. ने सी. बी. आई. और एस. एफ. आई. ओ. की जांच के संबंध में और जानकारी प्रदान की। यह देखते हुए कि वे अभी भी चल रहे थे और आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी।

39. ई-आर. पी. ने इस न्यायालय को सूचित किया है कि एस. एफ. आई. ओ. से अंतिम संचार 4 सितंबर 2020 को प्राप्त हुआ था। जाँच-पड़ताल

सी. बी. आई. और एस. एफ. आई. ओ. द्वारा कार्रवाई जारी है।

बी 2020 की सिविल अपील संख्या 3560-कुंदन देखभाल अपील

B. 1 अपील

40. यह अपील आई. बी. सी. की धारा 62 के तहत एन. सी. एल. ए. टी. के 30 सितंबर 2020 के एक फैसले से उत्पन्न होती है। एनसीएलएटी ने खारिज कर दिया

अपील 1 8 अपीलार्थी, कुंदन केयर द्वारा धारा 61 के तहत शुरू की गई एन. सी. एल. टी. के 3 जुलाई 2020 के आदेश के खिलाफ आई. बी. सी.

41. एन. सी. एल. टी. ने चौथे प्रतिवादी-कॉर्पोरेट देनदार, एस्टनफील्ड के लिए प्रस्तुत अपनी समाधान योजना को वापस लेने के लिए आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के तहत कुंदन केयर द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था। अपील में, एन. सी. एल. ए. टी. ने एबिक्स अपील में विवादित अपने फैसले पर भरोसा करते हुए एन. सी. एल. टी. के फैसले को बरकरार रखा। इसने अभिनिर्धारित किया कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना से हटने के लिए एक समाधान आवेदक द्वारा दायर आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकिः (i) आई. बी. सी. में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था; (ii) समाधान योजना इसके खिलाफ एक अनुबंध के रूप में लागू करने योग्य है।

समाधान आवेदक; और (iii) समाधान आवेदक को वापस लेने से हटा दिया गया था।

18 2018 [2021] 14 एस. सी. आर. के सी. पी. सं. (आई. बी.)-940 (एन. डी.) में कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) 2020 की सं. 653 2019 की 19 आई. ए. सं. 1679।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. एन. सी. एल. ए. टी. के इस दृष्टिकोण की शुद्धता अब वर्तमान अपील में निर्धारण के लिए सामने आती है। नोटिस जारी करते समय

16 नवंबर 2020 में, इस अदालत ने एक विज्ञापन-एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया था, जो आज तक जारी है।

बी. 2 सी. आई. आर. पी. की शुरुआत

43. 20 नवंबर 2018 को, एस्टनफील्ड ने स्वैच्छिक सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत एक याचिका दायर की। एनसीएलटी 27 नवंबर 2018 को इस याचिका को स्वीकार किया और एक आई. आर. पी. नियुक्त किया।

44. इसके बाद एक सी. ओ. सी. का गठन किया गया, जिसमें दूसरे और तीसरे उत्तरदाता, एक्जिम बैंक और पी. एफ. सी. एल. शामिल थे। ए-सीओसी नियुक्त किया गया प्रथम प्रतिवादी, श्री अमित गुप्ता, आर. पी. के रूप में और उनकी नियुक्ति की पुष्टि एन. सी. एल. टी. द्वारा 1 फरवरी 2019 को की गई थी।

B. 3 समाधान योजना का आमंत्रण, प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन

46. ए-आर. पी. को नौ ई. ओ. आई. प्राप्त हुए, जिनमें से सात पात्र पाए गए। हालांकि, कुंदन केयर ने अपने ईओआई को प्रस्तुत नहीं किया ए-आरपी द्वारा निर्धारित समय, और इसके विलंबित प्रस्तुतिकरण को ए-आरपी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

47. इसके बाद, ए-आर. पी. ने 6 मार्च 2019 को चयनित संभावित समाधान आवेदकों को आर. एफ. आर. पी. जारी किया। इसके अलावा, आई. एम. 13 मार्च 2019 को जारी किया गया था। इसके आधार पर 31 मई 2019 को ए-आर. पी. को दो समाधान योजनाएं प्राप्त हुईं, जिन पर ए-सी. ओ. सी. के साथ चर्चा की गई।

48. अंतरिम में, कुंदन केयर ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष ए-आर. पी. द्वारा अपने विलंबित ई. ओ. आई. की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया। ए-आरपी

30 अगस्त 2019 को इस आवेदन का नोटिस प्राप्त हुआ। 6 सितंबर 2019 के आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी. ने कुंदन केयर के आवेदन की अनुमति दी।

इसके बाद, इसे डेटा रूम में एस्टनफील्ड से संबंधित आर. एफ. आर. पी., आई. एम. और अन्य दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान की गई। 22018 का 0 सी. पी. सं. (आई. बी.)-940 (एन. डी.) 2019 का 21 सी. ए. सं. 1119 ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

49. कुंदन केयर ने 16 सितंबर 2019 को विचार के लिए अपनी समाधान योजना प्रस्तुत की। समाधान योजना को सामने रखा गया था

ए-सीओसी, जिसने कुंदन केयर से एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। इसके बाद कुंदन केयर ने 29 अक्टूबर 2019 को अपनी समाधान योजना का एक अद्यतन मसौदा प्रस्तुत किया।

50. ए-आर. पी. ने फिर 11 नवंबर 2019 को ए-सी. ओ. सी. की 17 वीं बैठक आयोजित की, जिसमें कुंदन केयर द्वारा प्रस्तुत समाधान योजनाओं और एक और संभावित समाधान आवेदक (जिसने भी किया था) पर चर्चा की गई।

52. ए-आर. पी. ने तब फॉर्म एच के साथ एन. सी. एल. टी. के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए एक आवेदन 22 दायर किया। जैसा कि सी. आई. आर. पी. विनियमों के तहत अनिवार्य है। यह आवेदन वर्तमान में एन. सी. एल. टी. के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

B. 4 जी. यू. वी. एन. एल. के साथ एस्टनफील्ड का विवाद

53. आगे बढ़ने से पहले, एस्टनफील्ड के पी. पी. ए. से उत्पन्न विवाद पर जी. यू. वी. एन. एल. के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण है। पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे

30 अप्रैल 2010, दिसंबर 2012 में लागू हुआ और 25 साल की अवधि के लिए वैध था। महत्वपूर्ण रूप से, यह पी. पी. ए. एस्टनफील्ड द्वारा किया गया एकमात्र समझौता था और इसने अपने पूरे व्यवसाय का गठन किया। 54. जब एस्टनफील्ड के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू की गई थी, तो जी. यू. वी. एन. एल. ने अनुच्छेद 9.2 के तहत चूक का नोटिस जारी किया था। 1 (ई) पी. पी. ए. का, यह कहते हुए कि दिवाला की शुरुआत एक "चूक की घटना" थी। इसे ए-आरपी 2,3 और एक्जिम बैंक 24 द्वारा आवेदनों के माध्यम से एन. सी. एल. टी. के समक्ष चुनौती दी गई थी।

आईबीसी की धारा 60 (5) के तहत।

22 2019 का सीए सं. 1526 2019 का 23 सीए सं. 700 2019 का 24 सीए सं. 701 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

55. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुंदन केयर इस विवाद से अवगत थे, और उन्होंने अपनी समाधान योजना में इसका विशिष्ट संदर्भ दिया था। "पी. पी. ए. रिस्क" शीर्षक के तहत, इसने नोट कियाः

" जी. यू. वी. एन. एल. ने समझौते को समाप्त करने के लिए नोटिस दिए थे क्योंकि कंपनी दिवालिया होने की प्रक्रिया से गुजर रही है। हालांकि

29 अगस्त 2019 के माननीय एन. सी. एल. टी. के आदेश के अनुसार

(सी. ए.) 700/एन. डी./2019 और सी. ए. 701/एन. डी./2019) यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बिजली खरीद समझौता (पी. पी. ए.) बिजली खरीद के लिए एक "साधन" है।

आई. बी. सी., 2016 की धारा 238 और खंड 9.2 की प्रयोज्यता। 1 ई. 9. 3 के साथ पढ़ें। 1 संदर्भ के तहत पी. पी. ए. के भीतर असंगत हैं

बी. सी., 2016 की धारा 238 के दायरे, बी. सी., 2016 के प्रावधानों और बी. सी. के तहत शुरू की गई प्रक्रिया का ऊपर एक प्रबल प्रभाव होगा। पीपीए।

इसके अलावा, माननीय एन. सी. एल. ए. टी. ने 15 अक्टूबर 2019 के आदेश के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा है कि कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में भी अपीलकर्ता, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, संहिता के तहत बिजली खरीद समझौते को समाप्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा, परिसमापक यह सुनिश्चित करेगा कि निगमित ऋणदाता एक चालू चिंता बना रहे। इसलिए यह बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है कि

बिजली खरीद समझौते को समाप्त नहीं किया जा सकता है और इसे करना होगा

माननीय एन. सी. एल. टी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद भी इसे जारी रखें।

56. 29 अगस्त 2019 को, एन. सी. एल. टी. ने आवेदनों की अनुमति दी और जी. यू. वी. एन. एल. द्वारा जारी चूक के नोटिस को दरकिनार कर दिया। यह माना गया कि अनुमति

पी. पी. ए. की समाप्ति एस्टनफील्ड की 'चालू चिंता' की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। हालाँकि, यह माना गया कि यदि एस्टनफील्ड को बाद में परिसमापन से गुजरना पड़ता है, तो समाप्ति की अनुमति दी जाएगी।

57. जी. यू. वी. एन. एल. ने एन. सी. एल. टी. के फैसले को चुनौती दी थी।

25 एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील करें। 15 अक्टूबर 2019 के फैसले द्वारा, एन. सी. एल. ए. टी. ने अपील को खारिज कर दिया और एन. सी. एल. टी. के फैसले को आंशिक रूप से बरकरार रखा, जितना कि उसने सी. आई. आर. पी. के दौरान पी. पी. ए. को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि, इसने एन. सी. एल. टी. के निष्कर्षों को उलट दिया और कहा कि भले ही एस्टनफील्ड को परिसमापन से गुजरना पड़े, लेकिन पी. पी. ए. की समाप्ति नहीं होगी। अनुमति दी गई।

58. जीयूवीएनएल ने जीयूवीएनएल में एनसीएलएटी के फैसले को चुनौती दी

26 इस न्यायालय के समक्ष अपील करें। जब वर्तमान अपील कुंदन द्वारा दायर की गई थी

25 कंपनी अपील (ए. टी.) 2019 की दिवाला संख्या 1045 26 2019 ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. की सिविल अपील संख्या 9241।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

ध्यान रखें, जी. यू. वी. एन. एल. की अपील इस न्यायालय के समक्ष लंबित थी। हालाँकि, इसे 8 मार्च 2021 के एक फैसले द्वारा निम्नलिखित में निपटाया गया है:

शर्तें:

" 165 यह देखते हुए कि धारा 60 (5) (सी) में उपयोग किए गए शब्द व्यापक महत्व के हैं, जैसा कि प्राधिकरण की एक सुसंगत रेखा में मान्यता प्राप्त है, हम मानते हैं कि

एन. सी. एल. टी. को अपीलार्थी को रोकने का अधिकार था

पी. पी. ए. को समाप्त करना। हालाँकि, हमारा निर्णय वर्तमान मामले में सी. आई. आर. पी. की सफलता के लिए पी. पी. ए. की केंद्रीयता की मान्यता पर आधारित है, इस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, क्योंकि यह बिजली की बिक्री के लिए एकमात्र अनुबंध है जो कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किया गया था। ऐसा करते हुए, हम दोहराते हैं कि एन. सी. एल. टी. को इस मामले में पी. पी. ए. की समाप्ति को दरकिनार करने का अधिकार दिया गया होगा क्योंकि समाप्ति पूरी तरह से

दिवालियापन का आधार। आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन से असंबंधित आधारों पर समाप्ति हो सकती है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अनुच्छेद 9.2 जैसे वास्तविक खंड के आधार पर अनुबंध की वैध समाप्ति की स्थिति में भी लागू नहीं किया जा सकता है। 1 (ई) यहाँ, यदि ऐसा है

समाप्ति का प्रभाव कॉर्पोरेट देनदार की मृत्यु सुनिश्चित करने पर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार, भविष्य के सभी मामलों में, एन. सी. एल. टी. को वैध संविदात्मक समाप्ति को अलग करने से सावधान रहना होगा जो केवल निगमित देनदार के मूल्य को कम करेगा, और

इसे कॉर्पोरेट ऋणदाता का एकमात्र अनुबंध होने के कारण अपनी कॉर्पोरेट मृत्यु की ओर न धकेलें (जैसा कि इस मामले के अद्वितीय तथ्यात्मक मैट्रिक्स में हुआ था)।

इसलिए, इस न्यायालय ने कहा कि जी. यू. वी. एन. एल. को एस्टनफील्ड के साथ अपने पी. पी. ए. को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि: (i) समाप्ति पूरी तरह से एस्टनफील्ड के दिवालिया कार्यवाही में प्रवेश करने के कारण थी; और (ii) इसका एकमात्र अनुबंध होने के कारण, पी. पी. ए. की समाप्ति के परिणामस्वरूप एस्टनफील्ड की कॉर्पोरेट मृत्यु अनिवार्य रूप से होगी, जो पूरे सी. आई. आर. पी. को पटरी से उतार देगी।

B. 5 समाधान योजना को वापस लेना

59. 17 दिसंबर 2019 को, कुंदन केयर ने आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें एन. सी. एल. टी. से वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। इसकी समाधान योजना, जिसे पहले ए-सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था और धारा 31 के तहत एन. सी. एल. टी. द्वारा पुष्टि लंबित थी।

आईबीसी। अपने आवेदन में, इसने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" क) वर्तमान आवेदन की अनुमति दें और आवेदक को अनुमति दें

द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित अपनी समाधान योजना को वापस लें

14.11.2019 पर CoC;

ख) निर्देश दें कि द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी

आवेदक को रद्द/रद्द/वापस/वापस किया जाए आवेदक; "

अपने आवेदन में, कुंदन केयर ने कहा कि आई. बी. सी. के तहत इसकी पुष्टि होने से पहले अपनी समाधान योजना को वापस लेने पर कोई रोक नहीं थी

एनसीएलटी द्वारा। इसने अपनी समाधान योजना को वापस लेने की मांग की क्योंकि चार कारण:

कि पी. पी. ए. के संबंध में अनिश्चितता थी

((i)

जी. यू. वी. एन. एल., क्योंकि जी. यू. वी. एन. एल. की अपील इस न्यायालय के समक्ष लंबित थी। इसने नोट किया कि पी. पी. ए. सी. आई. आर. पी. के लिए केंद्रीय था, और इसकी समाप्ति इसकी समाधान योजना को प्रभावित करेगी। इसके अलावा, इसने नोट किया कि जीयूवीएनएल ने 2017 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए सौर पैनलों को बदलने के लिए एस्टनफील्ड को एकतरफा अनुमति देने से इनकार कर दिया था और आपूर्ति की जा रही बिजली के लिए एस्टनफील्ड को कोई भुगतान नहीं किया था

वर्तमान में;

कि 2019 के दौरान गुजरात राज्य में भारी बाढ़ के कारण,

((ख)

एस्टनफील्ड के परियोजना स्थल पर सौर पैनल और अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके अलावा, इसने आरोप लगाया कि परियोजना स्थल पर पानी जमा था, जो जारी रहा।

उन्हें खराब करें;

(iii)

एस्टनफील्ड का बीमा दावा 46.40 करोड़ रुपये में

2017 में बाढ़ के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अलावा, यह भी नोट किया कि यह भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है 2019 में बाढ़ के लिए दावा; और

((iv) कि ए-आर. पी. द्वारा जारी आई. एम. दर्शाता है कि चूंकि एस्टनफील्ड ने "त्वरित मूल्यह्रास" का लाभ नहीं उठाया था।

पी. पी. ए. के तहत, इसलिए, यह जी. यू. वी. एन. एल. से 6.614 करोड़ रुपये की राशि का हकदार था, जो एक "व्यापार प्राप्य" था। हालांकि, इसने नोट किया कि कुंदन केयर ने बाद में समान तथ्यों पर इस न्यायालय के पिछले फैसले का पता लगाया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि परियोजना विकासकर्ता लाभ नहीं उठाने के मामले में उच्च/संशोधित शुल्क का हकदार नहीं होगा।

" त्वरित मूल्यह्रास "।

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

60. 6 जनवरी 2020 को, कुंदन केयर ने एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि इसके कारण अतिरिक्त लागतों का सामना करना पड़ेगाः (i) जी. यू. वी. एन. एल. द्वारा एकतरफा रूप से अनुमति नहीं देने के कारण सौर पैनलों का बिगड़ना।

प्रतिस्थापन, जिससे 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आती है (9 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अपेक्षित लागत के मुकाबले); (ii) एस्टनफील्ड का संयंत्र अपने इष्टतम स्तर पर बिजली का उत्पादन नहीं कर रहा है, जिससे प्रति माह 150 लाख रुपये तक के राजस्व का नुकसान होता है; और (iii) सी. आई. आर. पी. में देरी के कारण सी. आई. आर. पी. लागत, जिससे प्रति माह 12 लाख रुपये (लगभग) का नुकसान होता है। .. इसमें उल्लेख किया गया हैः

" 5. मैं कहता हूं और प्रस्तुत करता हूं कि समाधान योजना प्रस्तुत करने के बाद, आवेदक के प्रतिनिधियों ने फिर से साइट का दौरा किया था और पाया कि परियोजना स्थल पर स्थापित लगभग सभी सौर पैनलों को आवेदक द्वारा निर्धारित 9 करोड़ रुपये के बजाय 30 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत से बदलना/बदलना आवश्यक है। योजना
प्रस्तुत करने का समय।

[.....]

17. मैं कहता हूं और प्रस्तुत करता हूं कि यह संयंत्र इष्टतम क्षमता पर काम करते हुए प्रति वर्ष 18133200 के. डब्ल्यू. एच./बिजली इकाइयों (11.5 मेगावाट * 365 दिन * 24 घंटे * 1000 (मेगावाट से के. डब्ल्यू. तक) * 18 प्रतिशत सी. यू. एफ. = 18133200 के. डब्ल्यू. एच./इकाइयों) का उत्पादन करने में सक्षम है, जो समाधान योजना में विचार किए गए सौर पैनलों, इनवर्टरों आदि के परिवर्तन/प्रतिस्थापन के बाद ही संभव होगा। इससे लगभग 1800 लाख रुपये प्रति वर्ष या लगभग 150 लाख रुपये प्रति माह का राजस्व उत्पन्न होता है जो परियोजना द्वारा खर्च किया जा रहा है। 18. मैं कहता हूं और प्रस्तुत करता हूं कि उपरोक्त उत्पादन नुकसान के अलावा, सी. आई. आर. प्रक्रिया में देरी के कारण मासिक सी. आई. आर. पी. लागत के लिए 12 लाख रुपये (लगभग) की राशि खर्च की जा रही है।

61. इसके बाद, कुंदन केयर ने भी एक आवेदन दायर किया।

इस न्यायालय के समक्ष लंबित जी. यू. एन. वी. एल. अपील में अभियोग 2 7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित राहतों के लिए अनुरोध करने वाले निर्देश 28 के लिए एक आवेदन के साथ:

" क) गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा एस्टनफील्ड सोलर (गुजरात) प्राइवेट को जारी किए गए 28.03.2019 दिनांकित नोटिस को रद्द कर दें।

27 2020 का आई. ए. सं. 9679

28 2020 [2021] 14 एस. सी. आर. का आई. ए. सं. 9682।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीमित करें और घोषणा करें कि आवेदक/कॉर्पोरेट देनदार सौर पैनलों/मॉड्यूल और अन्य को बदलने/बदलने के लिए स्वतंत्र होगा।

परियोजना के उपकरण, जिन्हें आवेदक/निगमित देनदार द्वारा उपयुक्त माना जा सकता है;

ख) घोषणा करें कि बिजली खरीद समझौता दिनांक 30.04.2010

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और

एस्टनफील्ड सोलर (गुजरात) प्राइवेट लिमिटेड का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। सी. आई. आर. के दौरान आई. बी. सी. के तहत घोषित अधिस्थगन की अवधि तक

प्रक्रिया; ग) प्रार्थना (क) और (ख) के विकल्प के रूप में, आवेदक को वापस लेने की अनुमति दें।

इसकी समाधान योजना दिनांकित 12.11.2019 और निर्देश देता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी

लेनदारों की समिति रद्द/निरस्त हो जाएगी और/या आवेदक को लौटाया/वापस किया गया; "

62. जबकि जी. यू. वी. एन. एल. की अपील और उसका आवेदन लंबित रहा,

14 मई 2020 को कुंदन केयर ने एन. सी. एल. टी. से अपना काम शुरू करने का अनुरोध किया। शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन। इसके बाद, आवेदन 15 जून 2020 को सूचीबद्ध किया गया था।

63. 12 जून 2020 को ए-आरपी ने कुंदन केयर को अपना जवाब दाखिल किया।

आवेदन और अतिरिक्त शपथ पत्र, जिसमें उसने ए-सीओसी द्वारा अनुमोदन के बाद समाधान योजना को वापस लेने का विरोध किया और कहा कि

((i)

जी. यू. वी. एन. एल., कुंदन के साथ चल रहे विवाद के संबंध में

केयर को उसी के बारे में पता था जब उसने प्रस्तुत किया

समाधान योजना;

सौर पैनलों को हुए नुकसान के संबंध में, इसने बताया

((ख)

कि ए-आर. पी. ने 2019 में कुंदन केयर को बाढ़ के बारे में सूचित किया था और परियोजना स्थल पर पानी को साफ करने के लिए एक संचालन और प्रबंधन एजेंसी को काम पर रखा गया था।

किया गया;

बीमा दावे को अस्वीकार करने के संबंध में,

(iii)

आर. एफ. आर. पी. या आई. एम. ने कभी गारंटी नहीं दी कि दावा होगा सफल हुए। किसी भी मामले में, ए-आरपी सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा था

इसके खंडन के लिए चुनौती;

(iv) "त्वरित मूल्यह्रास" के संबंध में, कि इसे आई. एम. में ए-आर. पी. द्वारा "संदिग्ध ऋण" के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

इसके अलावा, किसी भी मामले में, कुंदन केयर ने अपना काम किया होगा

इसके आसपास उचित परिश्रम; और

एस्टनफील्ड के संयंत्र के पूर्ण क्षमता पर काम नहीं करने के संबंध में,

(v)

ए-आर. पी. द्वारा जारी आई. एम. ने नोट किया कि 2017 में बाढ़ ने संयंत्र को प्रभावित किया था और यह पूर्ण रूप से काम करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

क्षमता।

64. कुंदन केयर ने 29 जून 2020 को ए-आर. पी. के जवाब के लिए अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि उनके द्वारा प्रस्तावित और ए-सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना, आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के प्रावधान के साथ पठित धारा 30 (2) (डी) के अनुसार, अब "व्यवहार्य" और व्यावसायिक रूप से "व्यवहार्य" नहीं थी, क्योंकि एन. सी. एल. टी. द्वारा इसकी पुष्टि से पहले की मध्यवर्ती परिस्थितियों के कारण जिसने वित्तीय अनुमानों को भौतिक रूप से बदल दिया था। इसलिए, एन. सी. एल. टी. को समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति देनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कुंदन केयर ने निम्नलिखित बताते हुए समाधान योजना पर फिर से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा:

" 55. उत्तर का वह पैरा 78 प्रार्थना खंड है, जो गलत है और अस्वीकार किया गया है। सी. ए. सं. 16798/2019 का प्रार्थना खंड है दोहराया और पुष्टि की। वैकल्पिक रूप से, और उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यह प्रार्थना की जाती है कि आवेदक को फिर से अनुमति दी जा सकती है

सी. ओ. सी. के साथ वित्तीय प्रस्ताव पर बातचीत करें "

65. ए-सी. ओ. सी. ने 30 जून 2020 को कुंदन केयर के आवेदन पर भी अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया था कि: (i) एन. सी. एल. टी. आवेदन पर निर्णय नहीं ले सका क्योंकि कुंदन केयर ने एक और आवेदन दायर किया था। जी. यू. वी. एन. एल. की अपील में इस न्यायालय के समक्ष; और (ii) किसी भी मामले में, कुंदन

केयर सी. आई. आर. पी. में प्रवेश करते समय जोखिमों के बारे में जानता था और इस तरह के विलंबित चरण में उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

66. एन. एल. सी. टी. ने 3 जुलाई 2020 को एक आदेश पारित किया, जिसके द्वारा उसने कुंदन केयर के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि: (i) इसे वापस लेने की अनुमति देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था; और (ii) मामले में कुंदन केयर के आवेदन के आधार पर इस न्यायालय के समक्ष मामला भी विचाराधीन था।

जीयूवीएनएल अपील। आदेश में कहा गया है:

" आई. ए. 1679/2019

समाधान आवेदक, सी. ओ. सी. और आई. आर. पी. के लिए वकील मौजूद हैं।

समाधान आवेदक ने समाधान योजना को वापस लेने का अनुरोध किया है जिसे सी. ओ. सी. की मंजूरी के बाद इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम [2021] 14 एस. सी. आर. के हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह विचार कि एन. सी. एल. टी. के पास समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसे सी. ओ. सी. के उचित अनुमोदन के साथ प्राधिकरण के समक्ष रखा गया है। इस तथ्य के बावजूद, सी. ओ. सी. के वकील द्वारा यह बताया गया है कि एक अन्य मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसी तरह का अनुरोध किया गया है। यह आवेदन के जवाब में सी. ओ. सी. द्वारा दायर जवाब के पृष्ठ 31 पर सी. ओ. सी. के लिए कोटिनसेल द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

इसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायाधिकरण के लिए किसी ऐसे मुद्दे से निपटना उचित नहीं होगा जो पहले से ही माननीय के समक्ष विचाराधीन है।

सुप्रीम कोर्ट। आवेदन इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। "

67. एन. सी. एल. टी. के आदेश को ध्यान में रखते हुए, कुंदन केयर ने इस अदालत में अपने आवेदन को वापस लेने के लिए मौखिक अनुरोध किया जब जी. यू. वी. एन. एल.

अपील 20 जुलाई 2020 को सूचीबद्ध की गई थी। इस अनुरोध को इस अदालत ने स्वीकार कर लिया था।

प्रस्तुतियाँ। 69. 30 सितंबर 2020 के विवादित फैसले से, एन. सी. एल. ए. टी. ने एबिक्स अपील में विवादित फैसले पर भरोसा करते हुए कुंदन केयर की अपील को खारिज कर दिया। इसमें उल्लेख किया गया है:

" 7. चाहे यह देखा जाए कि शुरू की गई सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया में संभावित समाधान आवेदकों द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति दाखिल करना शामिल है जो अंततः सुधार के संबंध में बातचीत के बाद संभावित समाधान योजना के रूप में प्रकट हो सकता है या प्रस्तावित समाधान योजना के संदर्भ में संशोधन। यह प्रक्रिया एक बोली प्रक्रिया की प्रकृति में है, जहां वित्तीय मैट्रिक्स के संबंध में एक समाधान योजना के प्रावधानों पर विचार करने, धन उत्पन्न करने के लिए समाधान आवेदक की क्षमता, धन का निवेश, अग्रिम भुगतान, वितरण तंत्र और समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता के अलावा विभिन्न हितधारकों के दावों को पूरा करने की अवधि के आधार पर, एक समाधान आवेदक उच्चतम बोलीदाता (एच 1) के रूप में उभरता है, जो समाधान आवेदकों की समाधान योजनाओं को समाप्त करता है, जो एच 2 और एच 3 श्रेणी में हैं। ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आवश्यक बहुमत के साथ लेनदारों की समिति का प्रभाव क्षेत्र से एच 2 और एच 3 को समाप्त करने का होता है। हालांकि, इस तरह की स्वीकृत समाधान योजना निगमित ऋणदाता और सभी हितधारकों के लिए तभी बाध्यकारी होगी जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एक आदेश पारित करेगा।

समाधान पेशेवर द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी देने वाली सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 31 के तहत

आई एंड बी संहिता की धारा 30 (6) के प्रावधानों के संदर्भ में ऋणदाताओं की समिति, यह नहीं मानती है कि सफल समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित और ऋणदाताओं की समिति के समक्ष रखी गई समाधान योजना को वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णयन करना जिससे किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई संपूर्ण निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को बाधित किया जा सके। एक समाधान आवेदक जिसकी समाधान योजना ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित है, उसे बोली प्रक्रिया के दौरान सभी संभावित प्रतिद्वंद्वियों को बाहर करने के बाद विभिन्न हितधारकों के नुकसान के लिए अपनी स्थिति में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह निगमित देनदार के लिए विनाशकारी परिणामों से भरा हुआ है जिसे परिसमापन में धकेल दिया जा सकता है क्योंकि तब तक सी. आई. आर. पी. अवधि समाप्त हो सकती है जिससे दिवालिया समाधान और निगमित देनदार के संरक्षण की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, विशेष रूप से जब यह एक चिंता का विषय है। इसके अलावा, आई एंड बी कोड में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो एक सफल समाधान आवेदक को यू-तुम करने और कॉर्पोरेट दिवाला की पूरी कवायद को विफल करने की अनुमति देता है। समाधान प्रक्रिया। अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि आई एंड बी संहिता में कोई प्रावधान नहीं है जो समाधान योजना के विशिष्ट प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए बाध्य करता है।

समाधान आवेदक को चार प्रमुख आधारों पर खारिज किया जाना चाहिए:

(iii) ऐसे मामले में समाधान आवेदक को अनुमोदित के तहत की गई देनदारियों से बाहर निकलने से रोक दिया जाता है। समाधान योजना और आचरण द्वारा रोक का सिद्धांत इस पर लागू होगा; [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iv) निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों का मूल्य कम होना तय है क्योंकि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में समय लग जाता है और सफल समाधान आवेदक को दंड से मुक्ति के साथ बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है, निगमित ऋणदाता का घटता मूल्य सभी हिस्सेदारी छोड़ देगा।

तबाही की स्थिति में धारक "।

एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन के बाद समाधान आवेदन द्वारा समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि: (i) यह आई. बी. सी. के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिसमें सी. आई. आर. पी. को समयबद्ध तरीके से संचालित करने की आवश्यकता होती है ताकि कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों का मूल्य अधिकतम किया जा सके; (ii) कुंदन केयर को वापस लेने की अनुमति देने से सी. आई. आर. पी. में तोड़फोड़ होगी, जहां ए-सी. ओ. सी. ने पहले कुंदन केयर के पक्ष में अन्य संभावित समाधान आवेदकों को खारिज कर दिया था; (iii) निकासी की अनुमति देने के लिए आई. बी. सी. में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है; (iv) समाधान योजना में समाधान आवेदक को बाध्य करने वाली संविदात्मक शर्तों को शामिल किया गया है, और यह व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के समान नहीं है जो कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय है; (v) आचरण के बहिष्कार के सिद्धांत के आधार पर, कुंदन केयर को वापस लेने से रोक दिया गया है।

सी 2021 की सिविल अपील संख्या 295-सेरोको अपील

सी. 1 अपील

70. यह एन. सी. एल. ए. टी. के 10 दिसंबर 2020 के एक आदेश से आई. बी. सी. की धारा 62 के तहत एक अपील है। अपने फैसले से, एन. सी. एल. ए. टी.

एन. सी. एल. टी. के 23 अक्टूबर 2020 के आदेश के खिलाफ आई. बी. सी. की धारा 61 के तहत सेरोको द्वारा दायर 9 वीं अपील को खारिज कर दिया गया।

71. एन. सी. एल. टी. ने धारा 60 (5) के तहत सेरोको द्वारा अपनी समाधान योजना को संशोधित करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को खारिज कर दिया।

कॉर्पोरेट देनदार-आर्य फिलामेंट्स। एन. सी. एल. टी. ने कुंदन केयर अपील में विवादित फैसले पर भरोसा किया। इसके अलावा, इसने नोट किया कि जहां आवेदन में समाधान योजना में संशोधन के लिए अनुरोध किया गया था, वहीं इसका शीर्षक "दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 60 (5) के तहत निकासी के लिए आवेदन" था।

72. अपील में, एन. सी. एल. ए. टी. ने आंशिक रूप से एन. सी. एल. टी. के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि सेरोको को संशोधित करने या वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 29 2018 ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. की सी. पी. (आई. बी.) संख्या 29 में कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 2020 की 1054 30 आई. ए. संख्या 2020 की 96।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आर्य-सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजनाः (i) यह सी. आई. आर. पी. में एकमात्र समाधान आवेदक था; (ii) आर्य फिलामेंट्स एक एम. एस. एम. ई. था; और (iii) जब उसने समाधान योजना प्रस्तुत की तो उसे आर्य फिलामेंट्स की वित्तीय स्थिति के बारे में पता था। हालांकि, इसने सेरोको पर लगाए गए खर्च के संबंध में एन. सी. एल. टी. के फैसले को दरकिनार कर दिया।

सी. 2 सी. आई. आर. पी. की शुरुआत

सी. आई. आर. पी. शुरू करें। 74. 17 अगस्त 2018 के एक आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी. ने आर्य फिलामेंट्स के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू की और पहले प्रतिवादी, श्री रवि को नियुक्त किया।

कपूर, आई. आर. पी. के रूप में। इसके बाद, एक सीओसी का गठन किया गया, जिसमें कोटक महिंद्रा और तीसरे प्रतिवादी, यूबीआईएल शामिल थे। आर्य-सी. ओ. सी. ने तब श्री रवि कपूर को आर. पी. नियुक्त किया।

सी. 3 समाधान योजना का प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन

75. आर्य-आर. पी. ने इसके बाद आर्य तंतुओं के लिए संकल्प योजनाओं को आमंत्रित किया। आर्य फिलामेंट्स के पूर्व कर्मचारियों द्वारा बनाई गई कंपनी होने के नाते, सेरोको ने 13 मार्च 2019 को एक समाधान योजना प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उन्होंने 6,79,22,000 रुपये का भुगतान करने की पेशकश की। यह केवल एक था

समाधान योजना जो प्राप्त हुई।

76. 16 अप्रैल 2019 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में आर्य-सी. ओ. सी. ने नोट किया कि सेरोको की समाधान योजना में कुछ सुधार की आवश्यकता है और निर्देश दिया

एक संशोधित योजना प्रस्तुत करना। सेरोको की संशोधित समाधान योजना को आर्य-सी. ओ. सी. द्वारा 10 मई 2019 को आयोजित अपनी 5 वीं बैठक में 100 प्रतिशत अनुमोदन के साथ मंजूरी दी गई थी।

77. 15 मई 2019 को या उसके आसपास, आर्य-आर. पी. ने संकल्प की पुष्टि के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष धारा 30 (6) के तहत एक आवेदन 3 2 32 दायर किया।

योजना बनाएँ। सी. आई. आर. पी. विनियमों के तहत फॉर्म एच एक के माध्यम से दाखिल किया गया था 5 जून 2020 को शपथ पत्र।

C. 4 समाधान योजना में संशोधन

78. 9 जून 2020 को, सेरोको ने आर्य-आरपी और आर्य-सीओसी को एक पत्र संबोधित किया जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उनकी समाधान योजना इस पर आधारित थी आर्थिक स्थितियाँ जो उस समय प्रचलित थीं, जो

31 2018 का सीपी (आईबी) संख्या 29 32 2018 [2021] 14 एस. सी. आर. के सी. पी. (आई. बी.) संख्या 29 में 2019 का आई. ए. संख्या 280।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण इसमें काफी बदलाव आया है। विशेष रूप से, इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि:

(i) आर्य फिलामेंट की मशीनरी की भौतिक स्थिति

बिगड़ गए हैं;

((ii) आर्य फिलामेंट्स को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा होगा।

कोविड-19 महामारी के दौरान;

(iii) आर्य फिलामेंट्स के उत्पादों की मांग/बिक्री को नुकसान हुआ होगा।

महामारी के दौरान; और

(iv) महामारी के कारण, सेरोको का कोष भी दिया गया है

काफी कम हो गया।

इसने आर्य-सी. ओ. सी. द्वारा विचार किए जाने के लिए एक संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत की। संशोधित समाधान योजना में, सेरोको ने अन्य बातों के साथ-साथ, 5,29,22,000 रुपये की राशि का भुगतान करने की पेशकश की। इसने आर्य-आर. पी. और आर्य-सी. ओ. सी. से एन. सी. एल. टी. के समक्ष संशोधित समाधान योजना दायर करने और पिछली समाधान योजना की पुष्टि पर कार्यवाही को स्थगित रखने का भी अनुरोध किया।

79. इसके बाद, 10 जुलाई 2020 को, सेरोको ने निम्नलिखित राहतों के लिए अनुरोध करते हुए एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन दायर किया:

" क) आवेदक को दिनांकित समाधान योजना को संशोधित करने की अनुमति दें।

13.3.2020 अनुलग्नक चेरेटो में दिनांकित 09/06/2020 पत्र के संदर्भ में;

ख) प्रत्यर्थी संख्या 2 को अनुलग्नक ग में पत्र के अनुसार संशोधित समाधान योजना पर विचार करने और उस पर नए सिरे से मतदान करने का निर्देश दें;

ग) प्रत्यर्थी संख्या 1 को निगम की वित्तीय स्थिति प्रदान करने के लिए एक अद्यतन सूचना ज्ञापन प्रदान करने का निर्देश दें। 1/07/2020 पर कर्जदार;

घ) इस आवेदन की सुनवाई के दौरान, दिनांक 13.3.2020 के समाधान योजना के कार्यान्वयन, संचालन और निष्पादन पर रोक लगा दें।

आवेदक का; "

इसने नोट किया कि इसकी समाधान योजना अठारह महीने पहले दायर की गई थी

और यह दो साल पहले प्रकाशित एक आई. एम. पर आधारित था, जिसके बाद परिस्थितियाँ भौतिक रूप से बदल गई थीं। इसलिए, सेरोको ने कहा कि हालांकि वह वास्तव में आर्य फिलामेंट्स में रुचि रखता था, लेकिन इसकी बदली हुई परिस्थितियों का मतलब था कि वह आर्य-सीओसी द्वारा पहले अनुमोदित समाधान योजना में परिकल्पित पूरे विचार का भुगतान नहीं कर सकता था।

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]80. सेरोको के आवेदन को एन. सी. एल. टी. एच. की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था जो लूशन प्लान की पुष्टि के लिए आर्य-आर. पी. के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। 23 अक्टूबर 2020 को एक सामान्य आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी. ने आर्य-आर. पी. के आवेदन को संपादित किया और सेरोको के प्रस्ताव की पुष्टि की जिसे आर्य-सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। संशोधन के लिए सेरोको के समर्थन के संबंध में, यह नोट किया गया:

" 18. यह रिकॉर्ड की बात है कि तत्काल आवेदन उपरोक्त बताए गए आई. ए. को भरने के बाद दायर किया गया था। आई. बी. संहिता की धारा 30 (6) के तहत दायर 2019 का आई. ए. 280। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना, दो साल पहले प्रकाशित सूचना ज्ञापन पर आधारित है। दो साल के समय और प्रकोप को ध्यान में रखते हुए

कोविड-19, आवेदक कॉर्पोरेट ऋणदाता की वर्तमान वित्तीय स्थिति से अवगत नहीं है और अब इस स्थिति में नहीं है कि निगमित ऋणदाता की लागत/हानि को वहन करें और इसलिए समाधान योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यह कहानी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि एक एमएसएमई होने के नाते कॉर्पोरेट देनदार ने कॉर्पोरेट देनदार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना दायर की है और कंपनी को लेने में अपनी रुचि दिखाई है। इसलिए, वित्तीय स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं होने से बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होता है।

19. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि कुंदन केयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम में माननीय एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित निर्णय को देखते हुए। श्री अमित गुप्ता रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल और-ओआरएस (कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 2020 का 653), रिज़ॉल्यूशन प्लान, एक बार जमा करने के बाद, वापस नहीं लिया जा सकता है क्योंकि आईबी कोड में कोई प्रावधान नहीं है जो अनुमोदित रिज़ॉल्यूशन प्लान को वापस लेने की अनुमति देता है और सफल समाधान योजना में संविदात्मक शर्तें शामिल हैं।

समाधान आवेदक को बाध्यकारी लेकिन यह व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध नहीं है जो कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय हो सकता है।

20. इसके अलावा, मांगी गई राहत के संबंध में तत्काल आवेदन में एक अस्पष्टता है, क्योंकि आवेदन के शीर्षक में "दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 60 (5) के तहत निकासी के लिए आवेदन" कहा गया है, जबकि प्रार्थना में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, समाधान योजना को वापस लेने के बारे में कोई कानाफूसी नहीं है।

इसलिए, इसने सेरोको के आवेदन को खारिज कर दिया और रुपये की लागत लगाई। 0 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

81. सेरोको ने एन. सी. एल. टी. के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिसे एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

10 दिसंबर 2020, जहाँ यह नोट किया गया:

" 2. अपीलार्थी के विद्वान वकील को सुनने के बाद और इस अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित करते हुए कि सफल समाधान आवेदक को अनुमति नहीं दी जा सकती है

अनुमोदित समाधान योजना को इस तथ्य के साथ वापस ले लें कि तत्काल मामले में अपीलकर्ता कॉर्पोरेट ऋणदाता की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) में एकमात्र समाधान आवेदक है जिसे एक एम. एस. एम. ई. के रूप में वर्गीकृत किया गया है और स्वीकार किया जाता है कि उसे कंपनी की वित्तीय स्थिति का ज्ञान है।

एक प्रवर्तक या संबंधित व्यक्ति के रूप में निगमित ऋणदाता को उस आधार पर अनुमोदित समाधान योजना में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 61 (3) के दायरे में एक भौतिक अनियमितता नहीं होगी।

2016. हमारा मानना है कि इसमें कोई योग्यता नहीं है।

यह अपील और वही खारिज होने योग्य है। "

एम. एस. एम. ई. के रूप में आर्य फिलामेंट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सेरोको अपने पूर्व कर्मचारियों द्वारा बनाई गई एक कंपनी है (जो इसकी वित्तीय स्थिति से अवगत होंगे) और एकमात्र समाधान आवेदक होने के नाते, एन. सी. एल. ए. टी. ने समाधान योजना में संशोधन/वापसी की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

डी एबिक्स अपील में वकील की प्रस्तुतियाँ

D. 1 अपीलार्थी के लिए प्रस्तुतियाँ

82. एबिक्स की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन ने कहा कि एक सफल समाधान आवेदक हो सकता है समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी लंबित), निम्नलिखित कारणों से: (क) एडुकॉम्प (जो इस मामले में पूर्व-सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान धोखाधड़ी और कुप्रबंधन की जांच से संबंधित है) के संबंध में बाद के विकास; और (ख) समय के अत्यधिक अंतराल के कारण, जिसके परिणामस्वरूप समाधान योजना में अंतर्निहित मौलिक वाणिज्यिक आधार का पूर्ण क्षरण हुआ है। इसके अलावा, उनका तर्क है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने रचनात्मक न्याय व्यवस्था के सिद्धांत को सही ढंग से लागू नहीं किया। उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

(i) के साथ पढ़े गए सी. आई. आर. पी. दस्तावेजों के संदर्भ में, एबिक्स न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी से पहले समाधान योजना से बाध्य नहीं है।

आईबीसी की योजना। इस संबंध में हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था:

के सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एमपी सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आई. बी. सी. की धारा 31 (1), जो यह प्रावधान करती है कि समाधान योजना "सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी है" केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन पर;

सी. आई. आर. पी. में अंतर्निहित दस्तावेज, यानी ई. ओ. आई. का निमंत्रण, आर. एफ. आर. पी., मंजूरी पत्र और समाधान योजना एक बाध्यकारी अनुबंध का प्रभाव केवल न्यायनिर्णायक की मंजूरी पर ही लेते हैं। प्राधिकरण और निश्चित समझौतों का निष्पादन

खंड 1.1। 6 आर. एफ. आर. पी. का प्रावधान है कि योजना प्रस्तुत की गई इबिक्स द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा और निगमित ऋणदाता और इबिक्स के संबंध में सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगा, इसके अनुमोदन के बाद ही।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा;

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की तारीख से समाधान योजना; और खंड 2.2। 9 आर. एफ. आर. पी. का प्रावधान है कि एबिक्स, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के अनुसार, निश्चित निष्पादन करेगा।

समझौते;

समाधान योजना एक ऐसा प्रस्ताव है जो समय के अनुसार योग्य है और जिसे इतने लंबे समय के बाद पक्षों के खिलाफ लागू किया जाता है। इस संबंध में, दस्तावेजों की निम्नलिखित शर्तें

एनजी सी. आई. आर. पी. पर प्रकाश डाला गया:

खंड 1.1। 5 आर. एफ. आर. पी., जो संभावित समाधान आवेदकों से समाधान योजनाओं को आमंत्रित करता है। इसके अलावा, समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए आवरण पत्र के खंड 1 में यह प्रावधान है कि एबिक्स इस संबंध में प्रस्ताव निर्धारित कर रहा है -

एडुकॉम्प का दिवालिया समाधान;

समाधान योजना खंड 1.8 के बाद से केवल छह महीने के लिए वैध थी। 3 आर. एफ. आर. पी. छह महीने की वैधता के साथ समाधान योजनाओं/प्रस्तावों को आमंत्रित करता है; [2021] 14 एस. सी. आर.

((ग)

आर. एफ. आर. पी. के अनुसार, संकल्प का खंड 7

योजना में प्रावधान है कि यह जमा करने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए वैध है। यदि छह महीने की अवधि से अधिक कई महीनों की देरी होती है तो अपीलार्थी को समाधान योजना को वापस लेने की स्वतंत्रता है। इस बात पर जोर दिया गया कि

समाधान योजना एक योग्य प्रस्ताव है जो अनिश्चित काल के लिए स्वीकृति के लिए खुला नहीं है। रिलायंस को रिया ट्रैवल एंड टूर्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम में इस अदालत के फैसले पर रखा गया था। इसका समर्थन करने के लिए सी. यू. चेंगप्पा 3 3

प्रस्ताव;

((घ)

प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए सी. एस. ई. बी. का आवेदन

योजना न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, जबकि अनुमोदन अपील अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित है। समाधान योजना प्रस्तुत करने की तारीख (यानी 19 फरवरी 2018) से अठारह महीने की अवधि और सी. आई. आर. पी. शुरू होने की तारीख से सत्ताईस महीने बीत चुके हैं। आई. बी. सी. की धारा 12 के तहत इस तरह की गंभीर और अत्यधिक देरी की अनुमति नहीं है और यह योजना को वापस लेने को उचित ठहराता है।

(ई)

अनुमोदन में देरी के कार्यों के कारण थी

इस संबंध में। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने 13 अगस्त 2018,20 अगस्त 2018 और 31 अगस्त 2018 के आदेशों द्वारा इन आवेदनों का संज्ञान लिया और उन्हें ई-सीओसी के समक्ष रखने का निर्देश दिया। ई-सी. ओ. सी. ने पहले अपनी ओर से दायर जांच लेखा परीक्षा आवेदन को मंजूरी दी थी द्वारा एक विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

77.85 प्रतिशत वोट;
एस. एफ. आई. ओ. ने एडुकॉम्प के खिलाफ जांच शुरू की। एबिक्स बन गया

(च)

केवल किए गए खुलासे के माध्यम से जांच के बारे में पता चलता है

12 जून 2019 को एन. एस. ई./बी. एस. ई. और नियामकों को;

(जी)

एबिक्स ने 2 जुलाई 2018 को ई-सीओसी/ई को एक नोटिस भेजा था। आरपी ने कहा कि सी. आई. आर. पी. में गंभीर देरी हुई है

1) 9 एस. सी. सी. 512 आई. एन. जी. पी. आर. पी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

समाधान योजना में अंतर्निहित वाणिज्यिक विचारों को पूर्वाग्रहित किया और, किसी भी मामले में, समाधान योजना केवल छह महीने के लिए मान्य थी। इसने ई-सीओसी/ई-आरपी से न्यायनिर्णयन प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया प्राधिकरण की मंजूरी। इसके बाद, एबिक्स ने पहला दायर किया।

एडुकॉम्प की वित्तीय स्थिति और अन्य वाणिज्यिक पहलुओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए निकासी आवेदन। पहली निकासी की बर्खास्तगी के बाद

आवेदन, अपीलार्थी ने दूसरा और तीसरा दायर किया इसके संकल्प को वापस लेने के लिए आवेदन वापस लेना

योजना बनाएँ; और घटनाओं के उपरोक्त क्रम से पता चलता है कि एडुकॉम्प के सी. आई. आर. पी. को परेशान करने वाली देरी में एबिक्स की कोई भूमिका नहीं थी। आई. बी. सी. की धारा 12 में कहा गया है कि दिवाला संकल्प

प्रक्रिया को बाहरी सीमा के साथ 270 दिनों में पूरा किया जाना चाहिए।

330 दिन। एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के सी. ओ. सी. बनाम में यह न्यायालय। सतीश कुमार गुप्ता और Ors.[3]4 ने कहा है कि "[i] केवल ऐसे असाधारण मामलों में ही समय बढ़ाया जा सकता है, सामान्य नियम यह है कि 330 दिन बाहरी सीमा है जिसके भीतर निगम की दबाव वाली परिसंपत्तियों का समाधान किया जाता है।

देनदार को ऐसा होना चाहिए जिसके आगे कॉर्पोरेट देनदार को परिसमापन में धकेल दिया जाना है।

योजना पर प्रस्तुत करने के बाद हुई घटनाएं इसे वापस लेने को उचित ठहराती हैं। इस संबंध में आग्रह किया गया कि

ix वह:

समाधान योजना कुछ विचारों पर आधारित थी जो एडुकॉम्प के व्यवसाय के लिए एबिक्स की बोली के लिए मौलिक थे, और एडुकॉम्प के व्यवसाय को एक चालू चिंता के रूप में रखने के लिए महत्वपूर्ण थे। ये शिक्षा और स्वास्थ्य उद्योगों में सरकारी अनुबंध और आईपी संचालित समाधान थे। हालाँकि, सी. आई.

आर. पी. को पूरा करने में अत्यधिक देरी के कारण, कई सरकारी अनुबंध समाप्त हो गए होंगे। इसके अलावा, एड्डकॉम्प द्वारा स्वामित्व और संचालित विभिन्न प्रौद्योगिकी संचालित समाधान और बौद्धिक संपदा, जिन्हें एबिक्स ने हासिल करने की मांग की थी, अब वैध नहीं थे।

ई-सीओसी ने 77.85 प्रतिशत मतों के साथ एक प्रस्ताव पारित किया।

(ख)

एड्डकॉम्प के मामलों में एक विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करना, जिससे पता चलता है कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए सबूत उपलब्ध हैं कि कंपनी के मामलों का कुप्रबंधन किया गया था, जो समाधान योजना में अंतर्निहित आर्थिक विचारों को भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं;

एड्डकॉम्प के मामलों की भी जांच की जा रही है

((ग)

एस. एफ. आई. ओ. और सी. बी. आई., जो आगे सबूत प्रदान करते हैं कि एड्डकॉम्प के मामलों को गंभीर रूप से कुप्रबंधित किया गया था और हैं

आपराधिक जांच के लिए अतिसंवेदनशील;

तीन साल से अधिक समय बीत चुका है जिसके परिणामस्वरूप

((घ)

एड्डकॉम्प की महत्वपूर्ण व्यावसायिक संभावनाओं का क्षरण; और

समाधान योजना का कार्यान्वयन और व्यवहार्यता है -

(ई)

सक्षम न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी योजना पर विचार करने के समय मूल्यांकन किया जाएगा, न कि प्रस्तुत करने के समय

योजना से। समाधान योजना प्रस्तुत किए जाने के बाद जो घटनाएँ घटित हुई हैं, वे वाणिज्यिक व्यवहार्यता और योजना को लागू करने की क्षमता के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक हैं। वर्तमान मामले में, समाधान योजना का आधार बनाने वाले आधार को उपर्युक्त घटनाओं की घटना से नष्ट कर दिया गया है। इस प्रकार, सफल समाधान आवेदक को वापस लेने का अधिकार है ऐसी परिस्थितियों में समाधान योजना;

((iv) वित्तीय स्थिति और मामलों से संबंधित सामग्री जानकारी।

संकल्प प्रस्तुत करने के बाद इबिक्स को ix प्रदान नहीं किया गया था

जिसके परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक लेन-देन की निष्पक्ष प्रक्रिया में कमी आती है। इस संदर्भ में:

(अ)

आई. बी. सी. की धारा 29 (2) में प्रावधान है कि सभी प्रासंगिक समाधान आवेदक को जानकारी प्रदान की जानी चाहिए;

सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 36 में प्रावधान है कि

(ख)

आई. बी. सी. की धारा 29 के तहत तैयार आई. एम. में अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित जानकारी होनी चाहिए: (1) " परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ. "; (2)" नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरण "; और (3)". सरकार और वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा शुरू की गई चल रही जांच या कार्यवाही "का विवरण। हालांकि यह जानकारी समाधान योजना की तैयारी के लिए प्रासंगिक है, लेकिन यदि सी. आई. आर. पी. ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. में पर्याप्त देरी होती है तो ऐसी जानकारी का खुलासा करने का निरंतर दायित्व है।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(आई. बी. सी. की धारा 12 के तहत निर्धारित अवधि से परे)

निगमित देनदार कौन है;

((ग)

समाधान आवेदक का पूर्ण और सटीक होने का अधिकार

कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित जानकारी को UNCITRAL गाइड के तहत मान्यता दी गई है। समाधान आवेदक सहित सभी हितधारकों के लिए "सूचना की समानता" के सिद्धांत को बीएलआरसी में रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट करें; और

((घ)

2014-2018 के बीच एडुकॉम्प के मामलों का कुप्रबंधन, और इसके मामलों की जांच के संबंध में भी सरकारी अधिकारियों द्वारा शिक्षा;

(v) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास अनुमति देने की शक्ति है

समाधान योजना को वापस लेना। आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत, इसके पास स्वतंत्र रूप से खुद को संतुष्ट करने की शक्ति है कि "समाधान योजना के रूप में

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित. धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है। आई. बी. सी. की धारा 30 (2) (डी) में प्रावधान है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण यह आकलन कर सकता है कि क्या पर्याप्त प्रावधान हैं

"समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण" के लिए बनाया गया था। के शशिधर बनाम में यह न्यायालय। आई. ओ. सी. 3 5 35 ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास समाधान योजना को अस्वीकार करने का विवेक है यदि

यह धारा 30 (2) (डी) की बताई गई आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। आई. बी. सी. की धारा 31 (1) का प्रावधान स्पष्ट रूप से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक ऐसी योजना को मंजूरी देने से रोकता है जो प्रभावी होने में असमर्थ है।

लागू किया गया। एन. सी. एल. ए. टी. ने विवादित फैसले में इस बात पर विचार नहीं किया है कि क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है।

धारा 30 (2) (डी) के साथ पठित धारा 31 (1) के तहत वैध था। वर्तमान परिस्थितियों में, समाधान योजना अब सक्षम नहीं है समाधान योजना के वाणिज्यिक आधार के क्षरण और समय के अत्यधिक अंतराल के कारण लागू किया गया;

(vi) एन. सी. एल. टी. के पास अनुमति देने के लिए अच्छे और वैध कारण थे

समाधान योजना को वापस लेना क्योंकि:

(क) 75 प्रतिशत के अपेक्षित बहुमत के साथ ई-सी. ओ. सी. द्वारा कोई अनुमोदन नहीं था। जब 22 फरवरी 2018 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना पर मतदान हुआ, तो एक

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई-सीओसी में 75 प्रतिशत मतों की वैधानिक आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मतों की कमी। 23 फरवरी 2018 को, वित्तीय लेनदारों में से एक जो बैठक में उपस्थित नहीं था

ई-सी. ओ. सी. ने समाधान योजना के साथ अपने समझौते की सूचना दी और तदनुसार 7 मार्च 2018 को अनुमोदन आवेदन दायर किया गया।

10 को अनुमोदन आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखे गए हैं।

जनवरी 2018; और

(ख) योजना को पूरा करने के लिए किसी के अनिच्छुक होने पर दबाव नहीं डाला जा सकता है।

स्थिति जो इसे निकासी की अनुमति देने की शक्ति प्रदान करती है अच्छे और महत्वपूर्ण कारणों के लिए एक समाधान योजना से; और

(vii) रेस जुडिकाटा का सिद्धांत उस राहत को बाधित नहीं करता है जो एबिक्स ने अपनी समाधान योजना के तीसरे वापसी आवेदन में मांगी थी।

पहला निकासी आवेदन कार्रवाई के एक अलग कारण से उत्पन्न हुआ, अर्थात् समय बीतने के कारण एड्डकॉम्प की वित्तीय स्थिति की जानकारी और पुनर्मूल्यांकन की मांग करना। प्रथम निकासी आवेदन में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा 10 जुलाई 2019 को पारित आदेश में केवल एबिक्स द्वारा मांगी गई जानकारी और सामग्री के गैर-प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लिया गया था, और समाधान योजना को वापस लेने की राहत पर विचार नहीं किया गया था। व्यक्त निष्कर्ष में भी इसकी पुष्टि की गई थी

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने 2 जनवरी 2020 के अपने आदेश में, जिसे एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील की गई थी।

D. 2 पहले उत्तरदाता के लिए प्रस्तुतियाँ

83. ई-सी. ओ. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया है:

((i)

एबिक्स ने 27 जनवरी 2018 को अपनी समाधान योजना प्रस्तुत की। महीने भर चलने वाली बातचीत। ई-सीओसी और के बीच बैठकें

इबिक्स 17 फरवरी 2018,19 फरवरी 2018 और 21 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था। 21 फरवरी 2018 को परिशिष्ट प्रस्तुत किए गए थे। पारस्परिक रूप से अनुमोदित और बातचीत की गई योजना को मतदान के लिए रखा गया था, और ई-सीओसी के 75.36 प्रतिशत द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह एबिक्स और ई-सीओसी के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध था।

((ख)

आई. बी. सी. एक पूर्ण संहिता है जैसा कि इस न्यायालय ने मैसर्स में अभिनिर्धारित किया है।
एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वी. कर्नाटक राज्य & Ors.36 और मेसर्स इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज

36 (2020) 13 एससीसी 308 के सिंगापुर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एमपी सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

लिमिटेड वी. आईसीआईसीआई बैंक और Anr.37। इसमें समाधान आवेदक और सी. ओ. सी. के बीच आपसी बातचीत के बाद समाधान योजनाओं को वापस लेने की परिकल्पना नहीं की गई है, जो एक बाध्यकारी समझौते में परिणत होता है। द एडजुडिकेटिंग

प्राधिकरण एक सचेत वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन के बिना आई. बी. सी. की भावना/उद्देश्य का आह्वान करने के लिए पाठ का उल्लंघन नहीं कर सकता है, जैसा कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम में इस अदालत ने कहा है।

सीमित वी। अमित गुप्ता 3 8

) किसी भी दिवाला कानून के मूल सिद्धांत निर्धारित प्रक्रियाओं और समयसीमा की पवित्रता सुनिश्चित करना है।

परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण और निगमित ऋणदाता का समाधान आई. बी. सी. के मुख्य उद्देश्य हैं, जैसा कि इस न्यायालय ने स्विस रिबन (पी) लिमिटेड v. भारत संघ 39. निकासी को सक्षम करना, विशेष रूप से प्रक्रिया के अंतिम छोर पर, वित्तीय रूप से व्यथित कॉर्पोरेट को धक्का देगा

परिसमापन में ऋणदाता;

) विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम 2018, जैसा कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के राज्यसभा के समक्ष संशोधनों को पेश करते समय दिए गए भाषण से पता चलता है, ने भारत में अनुबंध प्रवर्तन पर प्रतिमान को बदल दिया, जहां विशिष्ट प्रदर्शन अब मानक है।

अपवाद;

समाधान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सार्वजनिक धन शामिल है,

संसाधन और समय। निकासी को सक्षम करना पूर्वानुमेयता और अंतिमता के लक्ष्यों को कमजोर कर देगा, जिसे विधायिका ने राज्यसभा में समय की आवश्यकता के रूप में मान्यता दी थी

आई. बी. सी. पर बहस;

) आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से अनुमोदन के बाद समाधान योजनाओं का गैर-कार्यान्वयन,

विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा के एक संकीर्ण दायरे पर, उत्तरदायी है

आई. बी. सी. की धारा 74 (3) के तहत आपराधिक अभियोजन। इस न्यायालय को एक सफल समाधान आवेदक को विधिवत समाप्त अनुबंध से हटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए;

एस. सी. सी. 407 कोनलाइन एस. सी. 194, पैरा 181 एस. सी. सी. 17, पैरा 27-28 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(vii) एबिक्स द्वारा निकासी की अनुमति देने के परिणाम होंगे

एडुकॉम्प को परिसमापन की ओर धकेलें, जिससे जोखिम होगा

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर हजारों करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन बकाया है।

(viii) एक अनुमोदित समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति देना सी. ओ. सी. के अनन्य क्षेत्र पर चलेगा, जिसके पास समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता निर्धारित करने की शक्ति है। आई. बी. सी. की धारा 30 (2) (डी) के अधिदेश, जिसमें 'समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण' की परिकल्पना की गई है, का उल्लंघन किया जाएगा यदि न्यायालय यह अभिनिर्धारित करके निकासी की अनुमति देगा कि एक अनिच्छुक संकल्प

आवेदक स्वयं एक समाधान योजना बनाएगा

लागू करने योग्य;

(ix) आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ न्यायिक समीक्षा का दायरा धारा 30 (2) में वर्णित मापदंडों तक ही सीमित है, जिसमें सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को जारी रखने के लिए प्रस्ताव आवेदक की वापसी या अनिच्छा की परिकल्पना नहीं की गई है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, कानून के एक प्राणी के रूप में, आई. बी. सी. के दायरे से परे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है या दूसरा सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान का अनुमान नहीं लगा सकता है, जैसा कि इसके द्वारा माना गया है।

एस्सार स्टील (ऊपर) में न्यायालय, के शशिधर (ऊपर) में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर ध्यान देने के बाद;

(x)

सुप्रीम कोर्ट, एस्सार स्टील (ऊपर) और के

शशिधर (ऊपर) ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सी. ओ. सी. के बहुमत निर्णय का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। धारा 30 (2) (ए) के तहत गणना किए गए आधारों को छोड़कर

आई. बी. सी. के लिए (ई);

(xi) आर. एफ. आर. पी. के प्रावधानों को पूर्वानुमेयता और अंतिमता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। जिन प्रावधानों ने इस उद्देश्य को स्पष्ट किया वे थे:

(क) खंड 1.13। 5 , जिसमें प्रस्तुत करने की तारीख के बाद समाधान योजना में किसी भी बदलाव या पूरक जानकारी की परिकल्पना नहीं की गई थी;

(ख) खंड 1.8। 4 , जिसमें कहा गया है कि प्रस्तुत समाधान योजना अपरिवर्तनीय होगी; और आई. एन. जी. पी. ओ. आर. पी. वी. टी।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(ग) खंड 1.1 (1), जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि प्रस्ताव आवेदक को प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। योजना बनाएँ;

आर. एफ. आर. पी. ने समाधान योजना की वैधता के लिए छह महीने की परिकल्पना नहीं की थी। खंड 1.8। 3 , जो समाधान योजना की न्यूनतम छह महीने की वैधता निर्धारित करता है,

ई-सी. ओ. सी. द्वारा योजना की स्वीकृति से संबंधित है न कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा। इस बात से पता चलता है कि

आर. एफ. आर. पी. के खंड जो निर्धारित करते हैं कि प्रस्तुत योजना अपरिवर्तनीय है;

समाधान प्रक्रिया इस दावे को गलत साबित करती है कि छह महीने की अवधि के बाद निकासी की अनुमति थी। प्रक्रिया को निम्नलिखित शब्दों में चित्रित किया गया था:

(क) खंड 1.3। 1 और 1.3। 2 ई-आर. पी. को संभावित समाधान आवेदकों को निमंत्रण जारी करने का अधिकार देता है।

अन्य बातों के साथ-साथ गैर-प्रकटीकरण समझौतों और भागीदारी शुल्क;

(ख) खंड 1.3। 6 , खंड 1.9 के साथ पढ़ें। 1 , एक पक्ष को 2 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा करने के भुगतान पर एक समाधान योजना प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। संकल्प के साथ

योजना, समाधान आवेदक को आर. एफ. आर. पी. की शर्तों को स्वीकार करते हुए एक वचन प्रस्तुत करना आवश्यक था, समाधान योजना की वैधता की न्यूनतम छह महीने की अवधि सहित,

((ग) खंड 1.9। 3 , खंड 1.9 के साथ पढ़ें। 5 , यह सुनिश्चित करता है कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना ई-सी. ओ. सी. और ई. बी. आई. एस. के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाए, क्योंकि बकाया धन जमा को प्रदर्शन गारंटी के साथ बदलने की आवश्यकता होती है, जो समाधान योजना का 10 प्रतिशत है।

मूल्य। निष्कर्षित अनुबंध का कोई भी उल्लंघन, जो इस मामले में अनुमोदित समाधान योजना होगी, ई-सी. ओ. सी. को लागू करने का अधिकार देगा

प्रदर्शन की गारंटी;

(घ) खंड 1.8 के अतिरिक्त उपरोक्त खंड। 3 , 1. 9 के साथ पढ़ें। 5 , यह दर्शाता है कि छह महीने की वैधता केवल ई. एम. डी. के संबंध में है, और इसलिए यह केवल एक अवधि से संबंधित है।

ई-सीओसी द्वारा स्वीकृति तक; [2021] 14 एस. सी. आर.

(ई) आईबीसी की धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन का परिणाम यह है कि पक्षकार

निश्चित बाध्यकारी समझौतों में प्रवेश करना,

समाधान योजना का कार्यान्वयन शुरू हो जाता है और प्रदर्शन की गारंटी वापस कर दी जाती है। धारा 31 की मंजूरी सभी हितधारकों को एक संपन्न अनुबंध के लिए बाध्य करती है। एबिक्स और ई-सीओसी के बीच;

(च) सी. ओ. सी. या आर. पी. के पास न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पर समय सीमा लागू करने का अधिकार नहीं है। अतः खंड 1.8 का अर्थ लगाना प्रशंसनीय नहीं होगा। 3 को

समाधान योजना पर अधिकतम वैधता अवधि लागू करना;

और

(छ) किसी भी स्थिति में, एबिक्स ने योजना की वैधता की अवधि को छह महीने के बाद, यानी अगस्त 2018 से जनवरी 2019 में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आदेशों को आरक्षित करने तक योजना का अनुसरण करके माफ कर दिया था, और नहीं

जुलाई 2019 तक कोई भी दावा करना। इसलिए, एबिक्स है कथित समाप्ति के बाद याचिका दायर करने से रोक दिया गया

वैधता अवधि;

खंड 1.1। 6 आर. एफ. आर. पी. की धारा, जिसमें आई. बी. सी. की धारा 31 को दोहराया गया है और कहा गया है कि समाधान योजना सभी हितधारकों पर न्यायनिर्णायक की मंजूरी के बाद ही बाध्यकारी होगी।

प्राधिकरण, ई-सी. ओ. सी. के इस प्रस्ताव के खिलाफ नहीं है कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना एक संपन्न अनुबंध है। ऐसा इसलिए है क्योंकिः (क) आई. बी. सी. की धारा 30 (4) सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के बाद किसी भी वैधानिक निकास पर विचार नहीं करती है, जो इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता निर्धारित करती है;

(ख) खंड 1। 6 आई. बी. सी. की धारा 31 (1) की व्याख्या करता है, जो केवल समाधान योजना को अन्य सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी बनाता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का

धारा 31 (1) के तहत अनुमोदन सी. ओ. सी. के बीच समाप्त शर्तों के लिए एक 'सुपर-एडेड इम्प्रिमटूर' के बराबर है। और सफल समाधान आवेदक; और

(ग) खंड 1.1 का एक संयुक्त पठन। 6 , खंड 1.8 के साथ। 4 , जो प्रस्तुत समाधान योजना को अपरिवर्तनीय घोषित करता है, और खंड 1.10 (1), जो आई. एन. जी. ए. पी. ओ. आर. पी. वी. टी. को प्रतिबंधित करता है।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

प्रस्तुत समाधान योजना को वापस लेना, इस दावे को झुठलाता है कि समाधान योजना बाध्यकारी है अनुमोदन के बाद ही सफल समाधान आवेदक

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण;

समाधान प्रक्रिया में देरी ई-सीओसी के कारण नहीं है। इसे इबिक्स को कानूनी रूप से बाध्यकारी योजना से हटने की अनुमति देने के लिए उद्धृत नहीं किया जा सकता है; (क) ई-सी. ओ. सी. ने 270 दिनों के भीतर प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दी, और इसे मार्च 2018 में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष तुरंत दायर किया गया। इन पर आदेश

योजना की मंजूरी जनवरी 2019 में सुरक्षित रखी गई थी और केवल जनवरी 2020 में घोषित की गई थी। देरी नहीं हो सकती

ई-सी. ओ. सी. के लिए जिम्मेदार या एक योजना से वापस लेने के लिए उपयोग किया जाता है जो 90 प्रतिशत बाल कटवाने प्रदान करता है; और

एबिक्स का यह तर्क कि बाद की परिस्थितियों के कारण आधार या वाणिज्यिक व्यवहार्यता का क्षरण हुआ है, हास्यास्पद है क्योंकि: (क) एबिक्स ने आर. एफ. आर. पी. के अनुसार अपना उचित परिश्रम किया था। आई. बी. सी. की धारा 29 ने अपीलार्थी को एडुकॉम्प पर आई. एम. तक पहुँचने में भी सक्षम बनाया, जो

वित्तीय स्थिति और लंबित विवादों सहित सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल करें। खंड 1.13। 7 में से

आर. एफ. आर. पी. यह भी निर्धारित करता है कि पर्याप्त उचित परिश्रम करने में विफलता समाधान आवेदक को प्रस्तुत किए गए प्रावधान के तहत अपने दायित्वों से मुक्त करने का आधार नहीं है। समाधान योजना;

(ख) एबिक्स की 1 जून 2020 तक एडुकॉम्प में रुचि बनी रही, जब उसने एक पत्र को संबोधित किया जिसमें कहा गया था कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस, द्वारा जारी किए गए थे।

एडुकॉम्प, में और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं

महामारी की परिस्थितियाँ;

(ग) एडुकॉम्प के मामलों की जांच के लिए जांच लेखा परीक्षा आवेदन मई 2018 में दायर किया गया था और अगस्त 2018 तक निपटाया गया था, जो [2021] 14 एस. सी. आर. से पहले था।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपने आदेशों को सुरक्षित रखा

समाधान योजना। किसी भी स्थिति में, विशेष जांच दल द्वारा ऐसा कोई लेखा परीक्षा नहीं किया गया था।

(घ) ई-सी. ओ. सी. के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ई-आर. पी. ने सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर सी. बी. आई. और एस. एफ. आई. ओ. जांच के संबंध में एडुकॉम्प के पास उपलब्ध सभी जानकारी प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त, ई-सी. ओ. सी. ने जब अनुरोध किया, तब एबिक्स भी एन. सी. एल. टी. के समक्ष उपस्थित हो रहा था।

एडुकॉम्प के मामलों की जांच, जैसा कि दर्ज किया गया है

9 अगस्त 2018 के एन. सी. एल. टी. के आदेश में;

(ई) एबिक्स ने 314 करोड़ रुपये की समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले एडुकॉम्प के व्यापार और व्यावसायिक आचरण का मूल्यांकन किया था।

3003 करोड़ रु. यह 90 प्रतिशत बाल कटवाने से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी एडुकॉम्प की शर्तों से अवगत था; और

(च) किसी भी स्थिति में, आई. बी. सी. की धारा 32 ए समाधान आवेदक को सी. आई. आर. पी. शुरू होने से पहले निगमित ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी अपराध से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, और यह निश्चितता प्रदान करती है कि निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियां, जैसा कि प्रतिनिधित्व किया गया है, उसी तरीके से उपलब्ध होंगी जैसे कि ऋण जमा करने के समय थी।

समाधान योजना। आई. बी. सी. की धारा 25 (2) (जे) सशक्त करती है और आर. पी. को कुछ लेनदेनों से बचने के लिए आवेदन दायर करने के लिए बाध्य करता है, ताकि लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।

समाधान आवेदक; और

तीसरा निकासी आवेदन न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वर्जित है। चूंकि 10 जुलाई 2019 को पहले निकासी आवेदन में एन. सी. एल. टी. द्वारा एबिक्स द्वारा उठाए गए आधारों को खारिज कर दिया गया था। द.

एन. सी. एल. टी. द्वारा 5 सितंबर 2019 को एक नया आवेदन दायर करने के लिए दी गई स्वतंत्रता दोषों के बिना एक उचित अभिवचन दायर करने के संबंध में थी, न कि गुण-दोष पर। इस सशर्त स्वतंत्रता को आपत्ति की छूट के रूप में नहीं माना जा सकता है।

न्यायपालिका। किसी भी मामले में, की सीमित वैधता का मुद्दा

अनुमोदित समाधान योजना और सत्रह महीने की देरी, रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है।

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. ड्यूकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]84. वैकल्पिक रूप से, यदि एबिक्स को इस न्यायालय के समक्ष सफल होना था, तो ई-सीओसी की ओर से वरिष्ठ वकील ने प्रार्थना की है कि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

घ दिवाला प्रक्रिया के संचालन के लिए सीमा अवधि बढ़ाएँ

एक नई प्रक्रिया शुरू करने के लिए तीन से चार महीने, बशर्ते

ई-सी. ओ. सी. का एनसेंट।

डी. 3 दूसरे उत्तरदाता के लिए प्रस्तुतियाँ

85. ई-सी. ओ. सी. की प्रस्तुतियों का समर्थन करते हुए, श्री नकुल दीवान,

वरिष्ठ वकील, ई-आरपी की ओर से पेश हुए हैं। उसके पास है

छोड़ दिया कि:

(i) सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन पर,

समाधान आवेदक और सी. ओ. सी. की कोई भी वापसी समाधान योजना निष्कर्षित अनुबंध का उल्लंघन करेगी;

((ii) वर्तमान मामले में, खंड 1.9। 3 और 1.9। 5 , ई-सी. ओ. सी. को एबिक्स द्वारा प्रस्तुत पी. बी. जी. को लागू करने का अधिकार दें यदि वह प्रयास करता है।

लागू करने के लिए अपने संविदात्मक दायित्व से पीछे हटना

समाधान योजना;

(iii) वापस लेना आई. बी. सी. के उद्देश्य का भी उल्लंघन होगा, जैसा कि इस न्यायालय ने स्विस रिबन (उपरोक्त) में उल्लेख किया है, जो कॉर्पोरेट के पुनरुद्धार और निरंतरता को सुनिश्चित करना है।

देनदार। समाधान योजना को देर से वापस लेना

चरण, कॉर्पोरेट देनदार में जाने के लिए नेतृत्व करेंगे

परिसमापन;

((iv) द्वारा अनुमोदन के बाद समाधान योजना को वापस लेना।

सी. ओ. सी. पर विचार नहीं किया जाता है:

(क) UNCITRAL गाइड, जिसके अनुसार न्यायिक अधिकारियों की भूमिका यह सुनिश्चित करने के बाद समाधान योजना को मंजूरी देने तक सीमित है कि इसे सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था।

ठीक से। यह परिकल्पना नहीं की गई है कि न्यायिक अधिकारियों की भूमिका सी. ओ. सी. के व्यावसायिक विवेक पर सवाल उठाने तक विस्तारित होगी, समाधान आवेदक के कहने पर समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति बहुत कम होगी;

(ख) बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट: (1) यह नोट करता है कि UNCITRAL गाइड का उपयोग संसद द्वारा [2021] 14 एस. सी. आर. को लागू करते समय एक बेंचमार्क के रूप में किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. बी. सी.; (2) ने राय दी कि सी. ओ. सी. को निगमित ऋणदाता के समाधान के पीछे प्रेरक शक्ति होना चाहिए; और

(3) समाधान योजना को वापस लेने पर चर्चा नहीं करता है;

(ग) यू. के. अधिनियम समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति नहीं देता है और चुनौती के आधार को सीमित करता है। सिंगापुर में, सिंगापुर अधिनियम वापसी की परिकल्पना किए बिना समाधान योजना को चुनौती देने की अनुमति देता है;

(घ) समाधान योजना के तहत निष्पादित एक अनुबंध है

आई. बी. सी. के तत्वावधान में और इसलिए क़ानून होना चाहिए

व्याख्या की गई ताकि अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। के लिए रिलायंस

यह प्रस्ताव निम्नलिखित अंग्रेजी पर रखा गया है

निर्णय: (1) एलाइड डोमेक (होल्डिंग्स) लिमिटेड v. एलाइड डोमेक फर्स्ट पेंशन ट्रस्ट लिमिटेड "; (2) रेनवुड

लिमिटेड वी। एल ब्राउन एंड संस लिमिटेड "1; (3) डोलेमैन बनाम। शॉ 4 2; और (4) स्टैंडर्ड लाइफ एस्योरेंस लिमिटेड v. ओक

समर्पित लिमिटेड 43; और

(ङ) यदि संसद आई. बी. सी. को अधिनियमित करते समय इरादा रखती है -

सी. ओ. सी. या एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदन के बाद समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति दें, यह ऐसी स्थिति के लिए प्रावधान करता। सी. आई. आर. पी. से निकासी से जुड़ी स्थितियों के लिए संशोधन द्वारा धारा 12 ए को जोड़ा गया था। इसके विपरीत, धारा 74 में समाधान आवेदक के ऐसा न करने की स्थिति में दंड का प्रावधान है।

समाधान योजना का पालन करना;

(v) एबिक्स का तर्क है कि आर. एफ. आर. पी. जो प्रदान करता है कि

समाधान योजना को छह महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए जिसमें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इसकी मंजूरी भी शामिल होगी, जो आई. बी. सी. के विपरीत है क्योंकि पक्ष, एक समझौते के माध्यम से, न्यायिक प्राधिकरण पर प्रतिबंध/शर्त नहीं लगा सकते हैं;

(vi) किसी भी मामले में, एबिक्स ने समाधान योजना को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है।

छह महीने की अवधि के बाद भी ई-सीओसी/ई-आरपी के साथ संवाद करके, अनुमोदन आवेदन में उसके पक्ष में बहस करके और ई. एम. डी. का विस्तार करके। पहली निकासी

ओ [2008] पेन। एल. आर. 425, पैरा 24 और 38

1 [2008] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 696, पैरा 5 और 11 2 [2009] बस। एल. आर. 1175, पैरा 40 और 56

-3 -3 [2008] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 222 (कम), पैरा 16 के. सिंगापुर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एमपी सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

छह महीने की अवधि की समाप्ति से लगभग एक वर्ष की समाप्ति के बाद केवल 5 जुलाई 2019 को आवेदन दायर किया गया था।

19 अगस्त 2018 को;

1) एन. सी. एल. टी. के समक्ष अनुमोदन आवेदन दाखिल करने के बाद एस. एफ. आई. ओ. और सी. बी. आई. द्वारा जांच शुरू की गई थी। चूंकि ई-आरपी को किसी भी विसंगतियों या अवैधता के बारे में पता नहीं था

एडुकॉम्प के पूर्व प्रबंधन द्वारा प्रतिबद्ध,

आई. बी. सी. की धारा 29 के तहत समाधान आवेदनकर्ताओं को ऐसी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती थी। धारा 29 में केवल यह परिकल्पना की गई है कि आर. पी. संभावित समाधान आवेदकों को सर्वोत्तम समाधान के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

प्रयास आधार;

ii) एबिक्स एक पेशेवर निगमित इकाई है, और अपनी स्वयं की समाधान योजना के स्पष्ट प्रावधानों के माध्यम से कहा गया है

एडुकॉम्प, एबिक्स को ई-आरपी द्वारा वर्चुअल डेटा रूम तक पहुंच प्रदान की गई और इसके लिए उचित परिश्रम किया गया। इसलिए, यह तर्क देकर कि निश्चित रूप से, इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तथ्य उसके ज्ञान में नहीं थे; और

) नागभूषणम्मल में इस अदालत के फैसले को देखते हुए

वी. सी. चंडिकेश्वरलिंगम 4, तीसरी वापसी आवेदन को रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों द्वारा वर्जित किया गया था क्योंकि इसमें वही प्रार्थना की गई थी जो पहले में उठाई गई थी।

निकासी आवेदन, और 10 जुलाई 2019 के अपने आदेश में एन. सी. एल. टी. द्वारा खारिज कर दिया गया।

कुंदन देखभाल अपील में वकील की प्रस्तुतियाँ 1 अपीलार्थी के लिए प्रस्तुतियाँ

. श्री रामजी श्रीनिवासन, विद्वान वरिष्ठ वकील

कुंदन केयर ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया है:

आई. बी. सी. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को निहित करता है

प्रत्यक्ष वापसी की शक्तियाँ:

(क) आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को व्यापक शक्तियां और अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।

गुजरात ऊर्जा (ऊपर) में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दिवाला के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद धारा 60 (5) (सी) के तहत निर्णय लिया गया। तदनुसार, "की कमी" पर कुंदन केयर के आवेदन को खारिज करना।

अधिकार क्षेत्र "अस्वीकार्य है। योग्यता में जाने से इनकार करना

इसके आवेदन का अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक अस्वीकार्य इनकार के बराबर है, जैसा कि इस न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय में उल्लेख किया है।

थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। सीमेंस

एटकिंजेसेलशाफ्ट 45;

(ख) एन. सी. एल. टी. ने कुंदन केयर के तर्क को अस्वीकार करने में गलती की।

आई. बी. सी. की धारा 31 (1) तक अपने अधिकार क्षेत्र को सीमित करके जो विशेष रूप से अनुमोदन या अस्वीकृति से संबंधित है।

समाधान योजनाएं;

(ग) एन. सी. एल. ए. टी. गलत तरीके से इस धारणा पर आगे बढ़ा।

यह कि वापस लेने की मांग करने वाले कुंदन केयर के आवेदन को निपटाने में इसकी शक्तियों को आई. बी. सी. की धारा 61 (3) द्वारा सीमित किया गया था, जो एक समाधान योजना के अनुमोदन के खिलाफ अपील से संबंधित है। कुंदन केयर ने आह्वान करने की मांग की

आई. बी. सी. की धारा 61 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र जो एन. सी. एल. टी. के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करता है;

(घ) जिन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर समाधान योजना की 'व्यवहार्यता और व्यवहार्यता' को ए-सी. ओ. सी. द्वारा अपने व्यावसायिक ज्ञान में अनुमोदित किया गया था, वे बदल गए हैं। चूंकि ए-सी. ओ. सी. की संतुष्टि की इमारत बदल गई थी, इसलिए एन. सी. एल. टी. के पास उन तथ्यों पर गौर करने की शक्ति है जो वापस लेने या संशोधन की गारंटी देते हैं।

समाधान योजना;

(ई) आईबीसी की धारा 31 की विधायी पृष्ठभूमि

निर्णय लेने वाले को समाधान योजना प्रस्तुत करने के बाद उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर विचार नहीं करता है

प्राधिकरण। यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. गाइड और बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट कॉर्पोरेट ऋणदाता की व्यवहार्यता को दिवाला प्रक्रिया के केंद्र में रखती है। सी. आई. आर. पी. हितों को अनिवार्य करता है।

एससी 1491, पैरा 5 गपोर पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. ऋणदाताओं की समिति लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

परिसमापन की तुलना में पुनर्गठन द्वारा हितधारकों को बेहतर ढंग से संरक्षित किया जाना चाहिए। बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट पर इस न्यायालय द्वारा के. शशिधर (उपरोक्त) मामले में "सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान" के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए भरोसा किया गया था, जिसमें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऋणदाता, दिवालियापन में घाटे में रहने वाले पक्ष के रूप में, संकल्प की शर्तों को निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं।

हालाँकि, यह सिद्धांत उन उदाहरणों को नहीं छूता है जहाँ सी. ओ. सी. और समाधान आवेदक के बीच टकराव होता है जहाँ समाधान आवेदक को प्रथम दृष्टया नुकसान होगा। समाधान आवेदक की इस प्रक्रिया में तब तक कोई हिस्सेदारी नहीं है जब तक कि उनकी योजना को एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है और योजना के अनुमोदन से पहले पूर्ण नुकसान की संभावना न्यायसंगत है।

इस मामले में एक भौतिक प्रतिकूल प्रभाव रखने वाले मध्यवर्ती कारक; कुंदन केयर की समाधान योजना इस पर आकस्मिक थी

जी. यू. वी. एन. एल. के साथ पी. पी. ए. जारी रखना। अगर आकस्मिकता उत्पन्न नहीं होती है, योजना बन जाएगी

असंभव है। इस आकस्मिकता पर ए-सीओसी द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए, निकासी या संशोधनों को अक्षम करना वास्तव में ए-सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान का उल्लंघन करेगा।

समाधान योजना अव्यवहारिक और लागू करना असंभव हो गया है। यदि अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है, तो एस्टनफील्ड को नुकसान उठाना होगा और अंततः खुद को घोषित करना होगा।

दिवालिया। ये घटनाएँ इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं और [2021] 14 एस. सी. आर. के साथ पठित धारा 31 (1) के पहले प्रावधान के बाद से ए-सी. ओ. सी. द्वारा योजना की अस्वीकृति का समर्थन करती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उप-धारा (2) (डी) समाधान योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के निर्णय प्राधिकरण द्वारा निर्धारण की गारंटी देती है। न्यायनिर्णायक द्वारा निर्धारण

धारा 31 (1) के तहत प्राधिकरण को रबरस्टैम्प के बराबर नहीं माना जा सकता है जहां एक समग्र विश्लेषण को वर्जित किया गया है।

(i) बी. एल. आर. सी. की फरवरी 2015 की अंतरिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 'व्यवहार्यता' का निर्धारण इस प्रावधान से किया जाता है कि वित्तीय व्यवस्था की लागत (समाधान आवेदन द्वारा निवेश की गई समाधान राशि) कॉर्पोरेट ऋणदाता के भविष्य के नकदी प्रवाह के शुद्ध वर्तमान मूल्य से कम होनी चाहिए। कुंदन केयर की गणना में, कंप्यूटेड नेट

एस्टनफील्ड के भविष्य के नकदी प्रवाह के लिए वर्तमान मूल्य हानि और संभावित दोहराए गए सी. आई. आर. पी. को प्रदर्शित करता है; और

(जे) प्रस्ताव कि द्वारा अनुमोदित एक समाधान योजना

सी. ओ. सी. को किसी भी प्रावधान के तहत वापस नहीं लिया जा सकता या संशोधित नहीं किया जा सकता है।

परिस्थिति, चाहे बाद में उत्पन्न होने वाली असंभवता या व्यवहार्यता की सीमा कुछ भी हो, गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है और इसके कठोर और बेतुकी होने की संभावना है।

परिणाम। यदि इसका आधार

समाधान योजना पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, एक समाधान आवेदक की योजना को लागू करने में विफलता आईबीसी की धारा 74 के तहत दंडात्मक अभियोजन को आमंत्रित करेगी और

सी. आई. आर. पी. दोहराएँ। यह संभावना को हतोत्साहित करेगा।

समाधान आवेदक भविष्य में अपनी योजनाओं के साथ आगे आने से, इस प्रकार उद्देश्य को विफल कर देते हैं और

आईबीसी के पीछे की वस्तु;

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन से पहले समाधान आवेदक और सी. ओ. सी. के बीच कोई निष्कर्षित और बाध्यकारी अनुबंध नहीं है:

(क) जब तक एन. सी. एल. टी. मंजूरी नहीं देता, तब तक समाधान आवेदक और सी. ओ. सी. के बीच कोई अनुबंध नहीं होता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 7 की आवश्यकता है -

प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्ण, बिना शर्त और अयोग्य होनी चाहिए। खंड 1.1। 9 , 1.2 , 1.9. 4 और 2.2। 6 आर. एफ. आर. पी. इस तथ्य को दर्ज करता है कि योजना बाध्यकारी होगी।

केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी के बाद; GAPORE PVT।

लिमिटेड। वी. ऋणदाताओं की समिति लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आर. एफ. आर. पी. पेशकश करने के निमंत्रण की प्रकृति में है। कुंदन केयर की समाधान योजना एक प्रस्ताव है जो आर. एफ. आर. पी. के अनुसरण में किया जाता है। एक अनुबंध किया जाता है और

पार्टियों के बीच बाध्यकारी हो जाता है, केवल सी. आई. आर. पी. विनियमन के विनियमन 39 (5) के तहत इसकी स्वीकृति का संचार,

आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। इसे एक निष्कर्षित अनुबंध के रूप में कहना गलत होगा, क्योंकि इसके अप्रत्याशित सार्वजनिक प्रभाव होंगे;

चूंकि कोई अनुबंध समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए स्वीकृति से पहले किसी प्रस्ताव को वापस लेना अनुबंध कानून में एक तय सिद्धांत है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के तहत इसे प्रभावी बना सकता है।

यदि कोई अनुबंध संपन्न हुआ है, तो वह अनुबंध अधिनियम की धारा 32 और 35 के तहत अमान्य हो गया है।

खंड 1.8। 3 आर. एफ. आर. पी. ने प्रावधान किया कि योजना कम से कम छह महीने के लिए वैध होनी चाहिए। इस पर

प्रतिनिधित्व, कुंदन केयर ने इस धारणा पर वित्तीय अस्वीकृति तैयार की कि वे संभाल लेंगे

यह परियोजना 1 जनवरी 2020 को शुरू की जाएगी और 1 अप्रैल 2020 तक इसे चालू कर दिया जाएगा। अनुमान 2037 तक एस्टनफील्ड के साथ जी. यू. वी. एन. एल. के पी. पी. ए. की निरंतरता पर आधारित थे। कुंदन केयर ने इस धारणा के आधार पर संशोधित अनुमान भी प्रस्तुत किए कि वे 30 सितंबर 2020 तक परियोजना को संभालने और 1 जनवरी 2021 तक इसे चालू करने में सक्षम होंगे। इस देरी के कारण, कुंदन केयर ने नोट किया था कि वर्ष 2038 के लिए इसके मूल अनुमान

2 लाख रुपये के संचयी लाभ से 1 लाख रुपये के संचयी नुकसान तक चला गया। ए-आरपी का बयान 20 फरवरी 2020 को एन. सी. एल. टी. द्वारा दर्ज किया गया था कि एस्टनफील्ड को प्रतिदिन 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। लाख। इससे एस्टनफील्ड का संचयी घाटा 1647.24 लाख रुपये हो जाता है।

Sl.No। 1. 1 कुंदन केयर की समाधान योजना में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे इसे वापस लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। समाधान योजना में कोई बदलाव होने की स्थिति में

आई. एम. में दी गई जानकारी या नई जानकारी उपलब्ध है, जो एक 'भौतिक प्रतिकूल परिवर्तन' का गठन करती है।

कुंदन केयर का कहना है कि यह विशेष रूप से था जी. यू. वी. एन. एल. के समाप्त करने के प्रयासों के कारण पेश किया गया

पीपीए। ए-सी. ओ. सी. इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था। योजना में प्रावधान है, लेकिन चूंकि यह प्रावधान है, इसलिए इसे लागू किया जाना चाहिए;

(च) अनिश्चितता के कारण निकासी आवश्यक थी।

एस्टनफील्ड के एकमात्र अनुबंध की निरंतरता पर,

एस्टनफील्ड की परिसंपत्तियों में गिरावट

गुजरात में बाढ़, सहायक दस्तावेज प्रदान करने में ए-आर. पी. की कथित विफलता के कारण एस्टनफील्ड के बीमा दावे को अस्वीकार करना और लाभ का लाभ न लेने के लिए व्यापार प्राप्तियों के संबंध में गलत विवरण देना।

त्वरित मूल्यह्रास; और

(छ) कुंदन केयर ने भी अच्छे विश्वास का प्रदर्शन किया था क्योंकि उसने 17 दिसंबर 2019 को जी. यू. वी. एन. एल. की अपील इस अदालत के समक्ष सूचीबद्ध होने के तुरंत बाद समाधान योजना को वापस लेने की मांग की थी। वापस लेने के लिए यह अंतरिम आवेदन ए-आरपी द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को योजना प्रस्तुत करने के एक महीने के भीतर दायर किया गया था। एन. सी. एल. ए. टी. ने यह कहते हुए गलती की कि यह बोली के दौरान सभी प्रतिद्वंद्वियों को बाहर करने के बाद सी. आई. आर. पी. को निराश करने के लिए कुंदन केयर की ओर से एक चाल थी।

प्रक्रिया;

(iii) वैकल्पिक रूप से, सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना एक है

भारतीय संविधान की धारा 32 के तहत आकस्मिक अनुबंध अनुबंध अधिनियमः

(क) अनुबंध अमान्य हो गया है क्योंकि एन. सी. एल. टी. के अनुमोदन के माध्यम से एक निर्दिष्ट समय के भीतर जी. यू. वी. एन. एल. के साथ पी. पी. ए. की निश्चितता की आकस्मिकता हो गई है।

असंभव;

(ख) जारी रखने के खिलाफ जी. यू. वी. एन. एल. की अपील

गुजरात ऊर्जा (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा हल किया गया पी. पी. ए., जो कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से जटिल हो गया है, सी. आई. आर. पी. के निष्कर्ष में देरी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। 14 जुलाई 2021 तक सी. आई. आर. पी. के समापन में 608 दिनों की देरी हुई है। सी. आई. आर. पी. लागत (लगभग 12 लाख रुपये प्रति माह) भी बढ़ रही है, जिसे पूरी तरह से आर. ई. पी. वी. टी. वहन करना पड़ता है।

लिमिटेड। वी. ओएनएस लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

कुंदन केयर द्वारा। एन. सी. एल. टी. को अनुमति के वैकल्पिक अनुरोध पर विचार करना चाहिए था

मतदान के माध्यम से ए-सी. ओ. सी. की मंजूरी 'प्रस्ताव की अस्थायी स्वीकृति' का गठन करती है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा हरिद्वार सिंह बनाम में समान रूप से अभिनिर्धारित किया गया था। बागुन सुम्ब्रूई "जिसमें कहा गया था कि अनुबंध की अनुपस्थिति में अनुबंध समाप्त नहीं हुआ था संभागीय वन अधिकारी द्वारा सशर्त स्वीकृति की सरकार द्वारा पुष्टि। ए.

अनुबंध अधिनियम की धारा 7 और 32 के तहत आकस्मिक अनुबंधों के रूप में समाधान योजनाओं का वैधानिक अध्ययन योजना की सशर्त स्वीकृति के रूप में प्रस्ताव देने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने में आई. बी. सी. के इरादे के साथ संरेखित होगा, जब तक कि यह आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के तहत अनुमोदन पर बाध्यकारी नहीं हो जाता; और

धारा 31 (1) के तहत समाधान योजना का अनुमोदन। सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 36-ए (7) (एफ) में यह भी कहा गया है कि वापसी योग्य जमा राशि को जब्त किया जा सकता है। केवल संभावित समाधान आवेदक द्वारा किसी भी गलत जानकारी या रिकॉर्ड की खोज के मामले में। विनियम 36-बी (4ए) में यह भी कहा गया है कि

आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत योजना की मंजूरी के बाद प्रदर्शन करने में विफलता पर ही वापसी योग्य जमा जब्त की जाएगी। विवादित निर्णय का प्रभाव न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी से पहले इसे बाध्यकारी बनाना है जो इसके लिए हिंसा करता है

धारा 31 (1) की असंदिग्ध भाषा। यह आई. बी. सी. के प्रावधानों द्वारा आगे समर्थित है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट [2021] 14 एस. सी. आर. में उल्लेख किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीमित वी। सतीश कुमार गुप्ता ", आई. बी. सी. की धारा 29ए के आधार पर एक योजना के सी. ओ. सी. द्वारा अस्वीकृति अभी भी अपील योग्य है एन. सी. एल. टी. के समक्ष समाधान आवेदक, और इसलिए सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित योजना को अभी भी एक अन्य योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो एन. सी. एल. टी. के समक्ष धारा 29ए के तहत मानदंडों को पूरा करने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में, सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित एक योजना के परिणामस्वरूप एक निष्कर्षित अनुबंध नहीं होता है क्योंकि

इसे किसी अन्य पक्ष द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

87. सुनवाई के अंतिम चरण के दौरान, कुंदन केयर

प्रस्तुत किया कि उसने ए-आर. पी./ए. सी. ओ. सी. के साथ पारस्परिक रूप से एक समझौते पर बातचीत की थी और संशोधन की एक बार की राहत के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने का अनुरोध किया था, जिससे वे समाधान योजना में पारस्परिक रूप से स्वीकार्य संशोधन पर पहुंचने में सक्षम होंगे।

E. पहले उत्तरदाता के लिए प्रस्तुतियाँ

88. श्री नकुल दीवान, विद्वान वरिष्ठ वकील अपनी ओर से पेश हुए।

कुंदन देखभाल अपील में ए-आरपी। वह इबिक्स अपील में ई-आरपी की ओर से भी पेश हुए हैं, दोनों का सामूहिक रूप से निपटान किया जा रहा है। यह निर्णय। उन्होंने एबिक्स अपील में ऊपर दर्ज तर्कों के अलावा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

एक की वापसी के संबंध में कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है

((i)

समाधान आवेदक द्वारा आई. बी. सी. के तहत समाधान योजना,

एक बार सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित। नतीजतन, न्यायनिर्णायक या अपीलीय प्राधिकरण के पास निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

समाधान योजनाओं की निकासी या संशोधन;

((ख)

आई. बी. सी. की धारा 12 एक समयबद्ध अवधि प्रदान करती है -

180 सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए 330 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। सी. ओ. सी. की मंजूरी के बाद समाधान आवेदक को समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति देने से बातचीत में शामिल पूरी समय अवधि शून्य हो जाती है और

एक संकल्प योजना पर मतदान;

कुंदन केयर को अपनी समाधान योजना प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी।

(iii)

समय पर ई. ओ. आई. जमा करने में विफलता के बावजूद। कुंदन देखभाल

47 2018 की सिविल अपील संख्या 9402 आई. एन. जी. ए. पी. ओ. आर. पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

जी. यू. वी. एन. एल. के साथ पी. पी. ए. के जारी रहने के संबंध में लंबित मुकदमेबाजी से अवगत था और बातचीत की थी

उस आधार पर ए-सीओसी के साथ। फिर भी, कुंदन केयर ने अपनी योजना के एक महीने के भीतर वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन और दाखिल करना। वापस लेने की याचिका एक अवसरवादी रणनीति है

बातचीत;

खंड 1.8। 4 आर. एफ. आर. पी. ने कहा कि प्रस्तुत समाधान योजना अपरिवर्तनीय होगी। आर. एफ. आर. पी. के साथ संलग्न आवरण पत्र का प्रारूप भी प्रस्तुत करने के बाध्यकारी प्रभाव और इसकी अपरिवर्तनीयता पर बयान देता है। कुंदन केयर द्वारा जारी एल. ओ. आई. में यह भी कहा गया है कि समाधान आवेदक

इस प्रारूप में निर्धारित नहीं किया गया था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसे बचने के लिए एक विचार के रूप में तैनात किया जा रहा है प्रस्तुत समाधान योजना के परिणाम। किसी भी मामले में, कुंदन केयर का कोई भी दावा एक सामग्री नहीं है।

प्रतिकूल परिवर्तन जिसके लिए उन्होंने आई. एम. को देखने के बाद जिम्मेदार नहीं ठहराया;

Sl.No। 1. 1 कुंदन केयर की समाधान योजना को समाधान योजना के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में पेश नहीं किया गया था। Sl.No। प्रपत्र एच का 12, जिसे आर. पी. द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 39 (4) के अनुसार स्पष्ट रूप से 'शर्तों' को निर्धारित करता है जिन्हें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लाभ के लिए निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। कोशिशों में

बाद के संशोधन और वापसी समाधान योजना, आर. एफ. आर. पी. या आई. बी. सी. के प्रावधानों द्वारा समर्थित नहीं हैं:

सी. आई. आर. पी. की लागत वर्तमान में ढाई करोड़ रुपये है जिसे कुंदन केयर ने पूरा भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध किया था। 26 जुलाई तक 2021 , अवैतनिक सी. आई. आर. पी. लागत 1.66 करोड़ रुपये है जो [2021] 14 एस. सी. आर. होगी।

संभवतः लंबित बीमा दावे से देय होगा। पिछले तीन वर्षों के लिए एस्टनफील्ड की वित्तीय स्थिति का विवरण देने वाली एक तालिका भी संलग्न की गई थी, इस दावे को मजबूत करने के लिए कि वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और लाभ अभी भी उत्पन्न किया जा सकता है; और

(viii) समाधान योजना के अनुमोदन में देरी

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एक अभेद्य कार्य है जिसका उपयोग बाध्यकारी अनुबंध से पुनः प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है। देरी भी नहीं है

ए-आरपी या ए-सीओसी के लिए जिम्मेदार।

ई. 3 दूसरे उत्तरदाता के लिए प्रस्तुतियाँ

89. श्री वी. गिरि, एक्जिम बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील

ए-सी. ओ. सी. के आधे ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित एक समाधान योजना प्रस्तुत की जाती है

आईबीसी की धारा 30 (6) के तहत एन. सी. एल. टी. को आर. पी.। एक बार जब एन. सी. एल. टी. संतुष्ट हो जाता है कि समाधान योजना का अनुपालन करता है

धारा 30 (2) की आवश्यकताओं के अनुसार, यह योजना को अपनी मंजूरी देता है, जो समाधान योजना में शामिल सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी हो जाता है। इस प्रकार, उपरोक्त योजनाओं में, आई. बी. सी. इसे वापस लेने पर विचार नहीं करता है।

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद समाधान योजना;

((ख)

धारा 74 (3) के तहत दंडात्मक प्रावधान एक पर लागू होता है सफल समाधान आवेदक क्योंकि वह सी. आई. आर. पी. में एक हितधारक है। एक दंडात्मक प्रावधान का अस्तित्व इंगित करता है कि विधायिका का उद्देश्य निकासी को रोकना और हतोत्साहित करना है

समाधान योजनाएं;

(111) सी. आई. आर. पी. 180 दिनों की एक समयबद्ध प्रक्रिया है, जिसे 330 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। यदि किसी सफल समाधान आवेदक को अपनी समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति दी जाती है, तो वह समाधान योजना प्राप्त करने में बिताए गए समय को निर्धारित करेगा, आई. बी. सी. की धारा 30 (2) के तहत इसका मूल्यांकन करेगा, इसे सी. ओ. सी. के समक्ष मतदान के लिए रखेगा और अंत में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से अपनी मंजूरी प्राप्त करेगा। (iv) इस स्तर पर समाधान योजना को वापस लेने के परिणामस्वरूप सी. आई. आर. पी. और एस्टनफील्ड की विफलता होगी।

परिसमापन। आई. बी. सी. ने अंतिम उपाय के रूप में परिसमापन की परिकल्पना की है; आई. एन. जी. ए. पी. ओ. आर. पी. वी. टी।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आर. एफ. आर. पी. जारी करने की प्रक्रिया और समाधान योजना का प्रस्ताव, और सी. ओ. सी. द्वारा इसके बाद की मंजूरी वैधानिक रूप से अनिवार्य है। दस्तावेजों के प्रारूप सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया के अंतर्गत कानून और उसके तहत बनाए गए विनियम भी प्रदान किए जाते हैं। दस्तावेज़ों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए पक्षों को प्रदान की गई पैंतरेबाज़ी के लिए कुछ जगह है, हालांकि, इससे वैधानिक रूप से निर्धारित प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।

दस्तावेज़; और

सी. ओ. सी. द्वारा आई. बी. सी. की धारा 30 (3) के तहत समाधान योजना की मंजूरी दोनों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाती है। सी. ओ. सी. और सफल समाधान आवेदक क्योंकि:

(क) प्रस्तावित समाधान योजना को सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया है और आगे इसके समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

आरपी द्वारा एन. सी. एल. टी.;

(ख) एक समाधान आवेदक आई. एम. के तहत निर्धारित शर्तों से अवगत है और अपना उचित परिश्रम करता है। इसे आई. एम. में दी गई जानकारी पर सवाल उठाने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार, एक बार जब समाधान आवेदक एक समाधान योजना प्रस्तुत करने का निर्णय लेता है और आर. पी. और सी. ओ. सी. द्वारा अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में पर्याप्त समय और प्रयास खर्च किया जाता है और

एक समाधान योजना को मंजूरी देना, यह केवल वापस नहीं ले सकता है

के अधीन किए बिना समाधान योजना

आवश्यक परिणाम;

(ग) सी. ओ. सी. द्वारा योजना की मंजूरी विज्ञापन को इंगित करती है

एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए पक्षों के बीच आईडीएम। परिणामी अनुबंध केवल अनुमोदन पर सशर्त है।

एनसीएलटी द्वारा;

(घ) सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के अनुसरण में, सी. ओ. सी. सफल समाधान आवेदक को एक बिना शर्त एल. ओ. आई. जारी करता है जिसमें कहा जाता है कि उसे एन. सी. एल. टी. के अनुमोदन के अधीन सफल समाधान आवेदक के रूप में चुना गया है। सफल समाधान आवेदक एल. ओ. आई. को स्वीकार करता है और पी. बी. जी. प्रस्तुत करता है। द.

सफल समाधान आवेदक को यह बताना आवश्यक है कि एल. ओ. आई. को "बिना शर्त स्वीकार" किया जाता है।

एल. ओ. आई. को सफल समाधान आवेदक द्वारा बिना शर्त स्वीकार किया जाता है और पी. बी. जी. को प्रस्तुत किया जाता है कि आर. पी. अनुमोदन के लिए एन. सी. एल. टी. को आवेदन करता है।

समाधान योजना का; और

(ङ) अनुबंध करने वाले पक्ष बिना किसी परिणाम का सामना किए अनुबंध को पूरा करने के अपने वादे से मुकर नहीं सकते।

एफ. सेरोको अपील में वकील की प्रस्तुतियाँ

एफ. 1 अपीलार्थी के लिए प्रस्तुतियाँ 90. श्री तीर्थ नायक ने अपनी ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं -

रॉको:

समाधान योजना के आधार पर प्रस्तुत किया गया था

((i)

द्वारा जारी आई. एम. के तहत प्रदान की गई जानकारी

आर्य-अगस्त 2018 में आरपी। समाधान योजना प्रस्तुत किए हुए 18 महीने से अधिक समय बीत चुका है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के साथ-साथ एन. सी. एल. टी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने में अत्यधिक देरी हुई है

आर्य फिलामेंट्स के मूल्यांकन को प्रभावित किया, इसके अलावा इसके व्यावसायिक संचालन और वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया। इस प्रकार, सेरोको को ऐसे विचारों के आधार पर समाधान योजना का पुनर्मूल्यांकन और संशोधन करने का अधिकार है।

((ख)

देरी के लिए सेरोको को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

आर्य की परिसंपत्तियों का मूल्य और कार्यशील पूंजी निधि

(iii)

पिछले अठारह महीनों में हुए नुकसान के कारण तंतुओं में गिरावट आई है।

वर्तमान समाधान योजना का कार्यान्वयन असंभव है, जिससे योजना में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है।

वर्तमान परिस्थितियाँ;

(iv) सेरोको को आर्य फिलामेंट्स की अद्यतन वित्तीय स्थिति से अवगत नहीं कराया गया था। अगर अठारह महीने पहले प्रस्तुत की गई समाधान योजना का पालन किया जाता है तो यह अन्यायपूर्ण होगा।

आई. एम. के आधार पर जो चौबीस महीनों में जारी किया गया था पहले;

(v)

खंड 3. 2 . बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट में कहा गया है कि "आर. पी.

समाधान सिंगापुर पी. वी. टी. की इस शृंखला के लिए इकाई के बारे में सबसे अद्यतन जानकारी यथासंभव सटीक प्रदान करनी चाहिए।

लिमिटेड। वी. [पी सॉल्यूशंस लिमिटेड के क्रेडिटर्स की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

प्रदाता। ऐसा करने के लिए, आर. पी. को देनदारियों के दावों के साथ-साथ उनके द्वारा प्रकट की गई परिसंपत्तियों को सत्यापित करने में सक्षम होना चाहिए। इकाई। आर. पी. के पास लेखांकन और परामर्श सेवाओं सहित इस कार्य को पूरा करने के लिए जो भी बाहरी संसाधनों की आवश्यकता हो, उन्हें नियुक्त करने की शक्ति है। सेरोको से आर्य फिलामेंट्स में भारी निवेश करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, बिना इसके वर्तमान के बारे में जानकारी दिए।

वित्तीय स्थिति;

सेरोको वास्तव में आर्य फिलामेंट्स में निवेश करने में रुचि रखता है, हालांकि, परिस्थितियों में बदलाव के कारण, यह नीचे दिए गए पूरे विचार का भुगतान करने में असमर्थ है।

वर्तमान समाधान योजना; और

) समाधान योजना अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत एक प्रस्ताव है। समाधान आवेदक केवल तभी प्रस्ताव से बाध्य हो जाता है जब समाधान योजना द्वारा अनुमोदित किया जाता है

एनसीएलटी। वर्तमान में यह योजना अभी भी विचाराधीन है।

एन. सी. एल. टी. इस प्रकार, सेरोको वापस ले सकता है या मांग कर सकता है योजना में संशोधन।

दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं के लिए प्रस्तुतियाँ आर्य-सी. ओ. सी. की ओर से श्री जयंत मेहता,

कोटक और यू. बी. आई. एल. ने ई. ए-सी. ओ. सी. के तर्कों का समर्थन किया है। उन्होंने निम्नलिखित अतिरिक्त प्रस्तुतियों का आग्रह किया है:

सी. ओ. सी. द्वारा मतदान के बाद आर. पी. द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने के बाद समाधान योजना में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ प्रस्तुत समाधान योजना के संशोधन के लिए सेरोको द्वारा माँगा गया एकमात्र आधार महामारी के कारण उत्पन्न हुई आवश्यकता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि आवेदन के लिए महामारी के प्रकोप के 2 महीने के भीतर संशोधन किया गया था;

सेरोको की समाधान योजना को 10 मई 2019 को आर्य सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था और 14 मई 2019 को अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया था। जब सेरोको ने समाधान योजना में संशोधन के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष अपना आवेदन दायर किया, तो कोटक और यू. बी. आई. एल. ने क्रमशः 13 जुलाई 2020 और 17 जुलाई 2020 को अपने ईमेल द्वारा आर्य-आर. पी. को सूचित किया कि वे ऐसे किसी भी [2021] 14 एस. सी. आर. के लिए अपनी अस्वीकृति दर्ज करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समाधान योजना में संशोधन का प्रयास, जिसमें सुरक्षित लेनदारों को देय समाधान राशि को कम करने का प्रयास किया गया था

डेढ़ करोड़ रु.

(iii)

परिसंपत्तियों या मूल्यांकन में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

आर्य फिलामेंट्स। पंचत्तर प्रतिशत धनराशि सेरोको द्वारा आर्य फिलामेंट की बिक्री से जुटाई जानी थी।

परिसंपत्तियाँ; और

(iv) निम्नलिखित अधिकारियों को स्पष्ट करने के लिए उद्धृत किया गया था

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की शक्ति, जो आई. बी. सी. द्वारा कसकर सीमित है, और सी. ओ. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई है: के शशिधर 48 (ऊपर), एस्सार स्टील 4 9 (ऊपर), ऋणदाताओं की समिति एएमटीईके ऑटो लिमिटेड के माध्यम से निगम बैंक बनाम। दिनकर

टी. वेंकटसुब्रमण्यन और Ors.50, कल्पराज धर्मशी

वी. कोटक निवेश सलाहकार Ltd.51, जेपी

केन्सिंगटन बुलेवार्ड अपार्टमेंट कल्याण

एसोसिएशन और ओआरएस। वी. एन. बी. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड और घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड ने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम. एडलवाइस परिसंपत्ति

पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के माध्यम से

निदेशक और आई. बी. सी. की धारा 61 (3) के तहत एक अपील, इसलिए एक समाधान आवेदक के लिए बनाए रखने योग्य नहीं है। इसकी अनुमोदित समाधान योजना में संशोधन की मांग करना।

ऐसे किसी भी संशोधन की अनुमति देने में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण,

अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं, जो क़ानून इसे सीधे करने की अनुमति नहीं देता है।

92. तीन अपीलों में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब होंगी

विचार किया।

जी दिवाला पर कानून का उद्देश्य 93. आई. बी. सी. के कारणों की जांच होनी चाहिए।

आवश्यक रूप से इसकी विश्लेषणात्मक व्याख्या से पहले। कानून की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या, जैसा कि चुनाव लड़ने वाले दलों द्वारा तर्क दिया जाता है, को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। 48 पारस 52-58,62,68,65 EBIX सिंगापुर PVT।

पारस 65,67,69 और 88

50 (2021) 4 एससीसी 457 51 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 204, पैरा 143 52 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 1192, पैरा 170 53 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 313, पैरा 55-57,67,77

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

विधान के उद्देश्यों और उद्देश्यों की जांच किए बिना। आई. बी. सी. को भारत में दिवाला कानून के लिए एक जल-प्रवाह क्षण के रूप में पेश किया गया था जो 2013 के अधिनियम, एस. आई. सी. ए., एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई., ऋण वसूली अधिनियम, प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 जैसे कई अलग-अलग कानूनों के तहत प्रक्रियाओं को एक ही संहिता में समेकित करता है। एक व्यापक और समयबद्ध ढांचा पेश किया गया था पुनर्गठन और

परिसमापन के बीच सुचारू परिवर्तन, अन्य बातों के साथ-साथ सभी व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के उद्देश्य से।

94. इससे पहले कि हम क़ानून के ढांचे का विश्लेषण करें,

यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. गाइड, जो आई. बी. सी. 55 का मसौदा तैयार करने के भारतीय अनुभव के लिए निर्देशात्मक थी, इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है कि दिवालिया कानून क्या दर्शाता है। विशेष रूप से, UNCITRAL गाइड स्पष्ट रूप से इससे परहेज करता है

विशिष्ट विकल्पों (प्रक्रियात्मक या मूल) के लिए आदेश निर्धारित करना जो एक दिवाला कानून को प्रदान करना चाहिए। इसके बजाय, यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक क्षेत्राधिकार अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लक्षयों के आधार पर अपनी दिवालिया व्यवस्था विकसित करता है। यह नोट करता है 56:

ऊपर बताए गए विशिष्ट उद्देश्यों के बीच संतुलन। दिवाला कानून उस संतुलन को पुनः विभाजित करके प्राप्त करते हैं

इस तरह से दिवालिया होने के जोखिम जो किसी राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुकूल हों,

सामाजिक और राजनीतिक लक्षय। इस प्रकार, एक दिवाला कानून कर सकता है

इसका व्यापक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। [.....]

17. एक के डिजाइन का कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं है

दिवाला कानून क्योंकि राज्यों में उनके मामलों में काफी भिन्नता है

54 वस्तुओं और कारणों का विवरण, आई. बी. सी., 2016 55 3.3. 1 , दिवालियापन कानून सुधार समिति खंड I की रिपोर्ट: तर्कसंगत और डिजाइन (नवंबर 2015), <HTTPS: पर उपलब्ध है। //इबिबि। गव. इन/बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट मतदान 04112015. पी. डी. एफ.> 20 अगस्त 2021 को पहुँचा गया

56 दिवाला कानून के लिए यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. विधायी गाइड के पी. जी. एस. 14-16 पर उपलब्ध है। //असंकलित। एक. ओ. आर. जी./साइट/अनसिट्रल। एक. ओ. आर. जी./फाइल/मीडिया-दस्तावेज़/अनसिट्रल/एन/05

80722 ई-बुक। पी. डी. एफ.> 20 अगस्त 2021 [2021] 14 एस. सी. आर. पर पहुँचा गया।

आवश्यकताएँ, जैसा कि अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके कानून करते हैं

दिवाला, जैसे कि सुरक्षा हित, संपत्ति और

अनुबंध अधिकार, उपचार और प्रवर्तन प्रक्रियाएँ।

हालांकि कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं हो सकता है, अधिकांश दिवालिया कानून ऊपर चर्चा किए गए प्रमुख उद्देश्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों की सीमा को संबोधित करते हैं, हालांकि अलग-अलग जोर और ध्यान के साथ। कुछ कानून इसके पक्ष में हैं।

लेनदार अधिकारों की मजबूत मान्यता और प्रवर्तन और

दिवाला में वाणिज्यिक सौदेबाजी और ऋणदाता को ऋणदाता की तुलना में दिवाला कार्यवाही के संचालन पर अधिक नियंत्रण देता है।

(कभी-कभी "लेनदार-अनुकूल" शासन के रूप में संदर्भित)। अन्य कानून देनदार को कार्यवाही पर अधिक नियंत्रण देने की ओर झुकते हैं। ("ऋणी-अनुकूल" शासन के रूप में संदर्भित), जबकि अभी भी अन्य बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं।

95. अंतर्राष्ट्रीय कानून के इस विधायी मार्गदर्शन के साथ, बी. एल. आर. सी. को भारत सरकार द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया था।

मौजूदा व्यवस्था के लिए सुधारों की सिफारिशों और प्रस्तावित दिवाला और दिवालियापन संहिता के मसौदे के साथ। नवंबर 2015 में, बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट को दो खंडों में प्रकाशित किया, जिसमें पहला खंड 57 तर्क को चित्रित करता है और दूसरा खंड प्रस्तावित कानून की रूपरेखा प्रदान करता है।

96. बी. एल. आर. सी. की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि दिवाला व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता थी क्योंकि भारत में वसूली दर इनमें से एक थी -

दुनिया में सबसे कम 58 और एक संशोधित, सुसंगत कोड की परिकल्पना की गई थी जिसमें गति और पूर्वानुमेयता को इसके अंतर्निहित डिजाइन में बुना गया था ताकि उच्च वसूली दर और तत्काल परिसमापन सुनिश्चित किया जा सके।

संकल्प। जैसा कि इस न्यायालय ने एस्सार स्टील (उपरोक्त) मामले में उल्लेख किया है, एस. आई. सी. ए., एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. और ऋण वसूली अधिनियम के प्रावधानों के बाद भारत में दिवालिया व्यवस्था में सुधार किया गया था, जिसमें त्वरित निर्धारण के प्रावधान के बावजूद, चूक करने वाली कंपनियों द्वारा विस्तारित अधिस्थगन अवधि का आनंद लेने के लिए उपयोग किया गया था और समय सीमा को लागू करने में विफलता का मतलब था कि कानूनी कार्यवाही वर्षों तक चलती रहेगी और

इसके परिणामस्वरूप दबाव वाली संपत्तियों की वसूली नहीं होगी। इसी तरह, "स्पीड इज ऑफ एसेन्स" पर अपने अवलोकन में, बी. एल. आर. सी. की रिपोर्ट ने एक संशोधित दिवालियापन के वाणिज्यिक उद्देश्य को विस्तार से बताया।

निम्नलिखित शर्तों में शासन 60.

57 उपर्युक्त टिप्पणी 55 58 कार्यकारी सारांश, बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, उपर्युक्त टिप्पणी 55 59 पैरा 118, एस्सार स्टील (उपर्युक्त)

60 कार्यकारी सारांश, बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, उपर्युक्त टिप्पणी 55 ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" दिवालियापन संहिता के काम करने के लिए गति दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, जबकि "शांत अवधि" एक संगठन को चालू रखने में मदद कर सकती है, स्वामित्व और नियंत्रण की पूरी स्पष्टता के बिना, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। प्रभावी नेतृत्व के बिना, फर्म क्षीण हो जाएगी और विफल हो जाएगी। देरी जितनी लंबी होगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि परिसमापन ही एकमात्र जवाब होगा। दूसरा, परिसमापन मूल्य समय के साथ उतनी ही परिसंपत्तियों के रूप में कम होता जाता है

मूल्यह्रास की उच्च आर्थिक दर से पीड़ित हैं।

लेनदारों के दृष्टिकोण से, आम तौर पर एक अच्छी प्राप्ति प्राप्त की जा सकती है यदि फर्म को एक चालू संस्था के रूप में बेचा जाता है। इसलिए, जब

विलम्ब परिसमापन को प्रेरित करता है, मूल्य विनाश होता है। इसके अलावा, परिसमापन में भी, देरी होने पर प्राप्ति कम होती है। अतः विलम्ब मूल्य विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार, एक उच्च वसूली प्राप्त करना

दर मुख्य रूप से देरी के स्रोतों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के बारे में है।

देरी के स्रोतों की पहचान करने में, निर्णय लेने के तंत्र की पहचान देरी के दो महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक के रूप में की गई थी, जिन्हें सही संसाधनों से लैस करने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तनों का जवाब देने के लिए, बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट ने एक के गठन की सिफारिश की

आई. बी. बी. आई. जो एक नियामक के रूप में कार्य करेगा और ऐसे विनियम तैयार करेगा जो आवश्यक तात्कालिकता के साथ आई. बी. सी. के काम करने के प्रक्रियात्मक मानदंडों को गतिशील रूप से विस्तार से बताते हैं। इस न्यायालय के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि एक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में जो आई. बी. सी. ढांचे से संबंधित कानून के प्रश्नों को निर्धारित करता है, यह ध्यान रखना कि कभी-कभी

एक त्वरित परिसमापन एक लंबे सी. आई. आर. पी. की तुलना में बेहतर हो सकता है। इस भावना पर जोर दिया गया था बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, कार्यकारी सारांश में अपने समापन बयान में, जिसमें कहा गया है:

" निष्कर्ष कुछ व्यावसायिक योजनाओं की विफलता बाजार अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जब व्यावसायिक विफलता होती है, तो समाज के लिए सबसे अच्छा परिणाम यह होता है कि वित्तपोषकों के बीच एक नई व्यवस्था का उपयोग करके चल रही संस्था को वित्तपोषित करने के लिए तेजी से फिर से बातचीत की जाए।

देनदारियों और एक नई प्रबंधन टीम के साथ। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो समाज के लिए सबसे अच्छा परिणाम तेजी से परिसमापन है। जब इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है, तो रचनात्मक विनाश की बाजार प्रक्रिया अधिक प्रतिस्पर्धी होने के साथ सुचारू रूप से काम करेगी।

जोश और अधिक प्रतिस्पर्धा।

भारत एक परिपक्व बाजार अर्थव्यवस्था की नींव रखने की प्रक्रिया में है। इसमें अच्छी तरह से तैयार किए गए आधुनिक कानून शामिल हैं, जो पिछले 100 वर्षों के कानूनों को प्रतिस्थापित करते हैं, और उच्च प्रदर्शन वाले संगठन जो इन नए कानूनों को लागू करते हैं। समिति ने इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण निर्माण खंड प्रदान करने का प्रयास किया है, जिसमें एक आधुनिक दिवाला और दिवालियापन संहिता और संबंधित संस्थागत बुनियादी ढांचे का डिजाइन शामिल है जो देरी को कम करता है और

हम आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन से एक आधुनिक ऋण बाजार और विशेष रूप से कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के उदय को बढ़ावा देकर भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में वृद्धि होगी। जी. डी. पी. वृद्धि में तेजी आएगी जब नई फर्मों को अधिक ऋण उपलब्ध होगा, जिसमें ऐसी फर्में भी शामिल हैं जिनके पास ठोस पूंजी की कमी है। जबकि वित्त और फर्मों की एक मजबूत प्रणाली प्राप्त करने के लिए कई अन्य चीजें करने की आवश्यकता है, यह उस इमारत का एक महत्वपूर्ण निर्माण खंड है।
97. UNCITRAL गाइड और BLRC को एक साथ पढ़ना

रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि दिवाला प्रक्रिया के लिए बनाई गई प्रक्रिया आर्थिक समन्वय आवंटित करने के लिए महत्वपूर्ण है

उन पक्षों के बीच जो प्रक्रिया में भाग लेते हैं, या बाध्य होते हैं। यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण अधिकारों और दायित्वों को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, सी. ओ. सी. की संरचना, इसके मतदान की विधि और प्रतिशत, सी. आई. आर. पी. के लिए समय-सीमा, प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के बाद विशिष्ट प्रपत्र

दाखिल करने के लिए आर. पी. पर दायित्व और समाधान योजना प्रस्तुत करते समय समय-सीमा से किसी भी विचलन के कारणों को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को समझाने का दायित्व, और ऐसी अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करती हैं जो दिवाला प्रक्रिया में सभी प्रतिभागियों के आचरण को मजबूती से संरचित करती हैं। इस प्रक्रिया का हमेशा आचरण पर प्रभाव पड़ता है।

दिवाला कानून के प्रक्रियात्मक डिजाइन और संबंधित संस्थागत बुनियादी ढांचे के बीच परस्पर क्रिया को ध्यान में रखते हुए 6 1: 61 पृष्ठ 20, यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. गाइड, उपर्युक्त टिप्पणी 56 ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" 27. जबकि विधायी मार्गदर्शिका में संस्थागत ढांचे पर किसी भी विस्तार से चर्चा नहीं की गई है, कुछ मुद्दों को नीचे छुआ गया है। विभिन्न प्रकार के मूल मुद्दों के बावजूद, जिन्हें हल किया जाना चाहिए, दिवाला कानून प्रकृति में अत्यधिक प्रक्रियात्मक हैं। प्रक्रियात्मक नियमों की रूपरेखा यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि विभिन्न प्रतिभागियों के बीच भूमिकाओं को कैसे आवंटित किया जाना है। विशेष रूप से
निर्णय लेने के संदर्भ में। इस हद तक कि दिवाला कानून काफी जिम्मेदारी रखता है

प्रमुख निर्णय लेने के लिए संस्थागत अवसंरचना, यह आवश्यक है कि अवसंरचना को सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित किया जाए

आवश्यक निर्णय लिए जाने चाहिए।

समयोचितता और पूर्वानुमेयता जो आई. बी. सी. के लिए केंद्रीय है। एक प्रक्रियात्मक या मूल उपचार का कोई भी न्यायिक निर्माण जिसकी परिकल्पना क़ानून द्वारा नहीं की गई है, न केवल शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा, बल्कि आई. बी. सी. ढांचे द्वारा तैयार किए गए नाजुक समन्वय को बदलने का जोखिम भी उठाएगा और सी. आई. आर. पी., देश की अर्थव्यवस्था और श्रमिकों और अन्य संबद्ध लोगों के जीवन के परिणाम पर गंभीर प्रभाव डालेगा। ऐसे पक्ष जो सांविधिक रूप से किसी निगमित ऋणदाता के समाधान या परिसमापन के प्रभाव से बाध्य हैं।

एच समाधान योजना की प्रकृति

99. इससे पहले कि हम यह विज्ञापन दें कि क्या सफल समाधान आवेदकों द्वारा निकासी या संशोधन आई. बी. सी. के तहत अनुमत हैं, हमें समाधान योजना की प्रकृति को समझने के साथ शुरुआत करनी चाहिए। समाधान योजना को आई. बी. सी. की धारा 5 (26) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

" (26) " समाधान योजना "से निगमित देनदार के दिवालिया होने के समाधान के लिए समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तावित एक योजना अभिप्रेत है।

भाग II के अनुसार चल रही चिंता; स्पष्टीकरण। संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक समाधान योजना में पुनर्गठन [2021] 14 एस. सी. आर. के प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

निगमित देनदार का, जिसमें विलय, समामेलन और विलयन शामिल हैं;

प्रावधान में स्पष्टीकरण दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा, शब्द

" समाधान आवेदक को दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 द्वारा "किसी भी व्यक्ति" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

100. आई. बी. सी. की धारा 5 (25) में "समाधान आवेदक" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" (25) " समाधान आवेदक का अर्थ है एक व्यक्ति, जो व्यक्तिगत रूप से या

किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, खंड के तहत दिए गए निमंत्रण के अनुसार समाधान पेशेवर को एक समाधान योजना प्रस्तुत करता है

(ज) धारा 25 की उप-धारा (2) के या धारा 54-के के अनुसरण में, जैसा भी मामला हो "

101. आई. बी. सी. भाग II के अध्याय II में पूरे सी. आई. आर. पी. के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को अन्य बातों के साथ-साथ शामिल करने के लिए सख्ती से विनियमित किया जाता है,

धारा 12 द्वारा निर्दिष्ट सी. आई. आर. पी. की समयसीमा, धारा 29 में समाधान योजना का प्रस्ताव करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करने के लिए आर. पी. के कर्तव्य और धारा 29ए में समाधान आवेदक कौन हो सकता है, इस पर प्रतिबंध। इसके बाद, धारा 30 में एक समाधान योजना प्रस्तुत करने का प्रावधान है, और यह इस प्रकार है:

" 30. समाधान योजना प्रस्तुत करना। - (1) एक समाधान आवेदक

समाधान पेशेवर को एक हलफनामे के साथ एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें कहा गया है कि वह धारा 29-ए के तहत पात्र है।

सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार किया गया।

(2) समाधान पेशेवर प्रत्येक समाधान योजना की जांच करेगा।

उसे यह पुष्टि करने के लिए प्राप्त हुआ कि प्रत्येक समाधान योजना

(क) निगमित देनदार के अन्य ऋणों के भुगतान को प्राथमिकता देते हुए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के भुगतान का प्रावधान करता है; (ख) प्रचालन ऋणदाताओं के ऋणों के भुगतान के लिए ऐसी विधि का प्रावधान करता है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए जो -

से कम

(i) धारा 53 या ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. के तहत निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

((ii) वह राशि जो ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाती, यदि समाधान योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि धारा 53 की उप-धारा (1) में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार वितरित,

जो भी अधिक हो, और वित्तीय लेनदारों के ऋणों के भुगतान के लिए प्रावधान करता है, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, ऐसी तरीके से जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, जो कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 1. संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के प्रावधानों के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा।

निगमित देनदार की समाधान प्रक्रिया (i) जहाँ किसी समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार नहीं किया गया है;

((ii) जहां धारा 61 या धारा 62 के तहत अपील की गई है या ऐसी अपील पर उस समय लागू कानून के किसी प्रावधान के तहत समय की पाबंदी नहीं है; या

((ग) जहाँ किसी समाधान योजना के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है;

(ग) समाधान योजना के अनुमोदन के बाद निगमित देनदार के मामलों के प्रबंधन का प्रावधान करता है;

(घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण;

(ई) उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है;

(च) ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो इसके द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं बोर्ड।

स्पष्टीकरण। खंड (ई) के प्रयोजनों के लिए, यदि कंपनी अधिनियम, 2013 ([2021] 14 एस. सी. आर. का 18) के तहत शेयरधारकों की किसी भी मंजूरी की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(3) समाधान पेशेवर ऋणदाताओं की समिति को उसके अनुमोदन के लिए ऐसी समाधान योजनाएं प्रस्तुत करेगा जो उप-धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों की पुष्टि करती हैं। (4) लेनदारों की समिति प्रस्तावित वितरण के तरीके की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के कम से कम साठ-छह प्रतिशत के वोट से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है, जो धारा 53 की उप-धारा (1) में निर्धारित लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकती है, जिसमें एक सुरक्षित लेनदार के प्रतिभूति हित की प्राथमिकता और मूल्य और ऐसी अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं जो हो सकती हैं।

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट:

बशर्ते कि ऋणदाताओं की समिति एक समाधान योजना को मंजूरी नहीं देगी, जो ऋण की शुरुआत से पहले प्रस्तुत की गई हो।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017, जहां समाधान आवेदक धारा 29-ए के तहत अपात्र है और समाधान पेशेवर को एक नए प्रस्ताव को आमंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। समाधान योजना जहाँ इसके साथ कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है:

बशर्ते कि दूसरे परंतुक में कुछ भी उप-परंतुक के प्रयोजनों के लिए अवधि के विस्तार के रूप में नहीं माना जाएगा। धारा 12 की धारा (3) और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

अनुभाग।

बशर्ते कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (अध्यादेश) द्वारा संशोधित धारा 29-ए में पात्रता मानदंड। 2018 का 6) उस समाधान आवेदक पर लागू होगा जिसने ईबीआईएक्स सिंगापुर पी. वी. टी. शुरू होने की तारीख तक समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश,

2018 . (5) समाधान आवेदक ऋणदाताओं की समिति की बैठक में भाग ले सकता है जिसमें आवेदक की समाधान योजना

माना जाता है:

बशर्ते कि समाधान आवेदक को लेनदारों की समिति की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसा समाधान आवेदक भी वित्तीय लेनदार न हो।

(6) समाधान पेशेवर ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णायक को प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण "।

एक बार जब कोई समाधान आवेदक धारा 30 की उप-धारा (1) के तहत एक समाधान योजना प्रस्तुत करता है, तो आर. पी. को यह आकलन करना चाहिए कि क्या यह उप-धारा (2) की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है। स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, उप-धारा (3) के तहत आर. पी. को सी. ओ. सी. को उन समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करना चाहिए जो उप-धारा (2) के तहत मानदंडों को पूरा करती हैं। इसके बाद सी. ओ. सी. इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि उप-धारा (4) के तहत आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, साठ-छह प्रतिशत के बहुमत के साथ समाधान योजना के अनुमोदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा, जिसमें समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का परीक्षण भी शामिल है। एक संकल्प आवेदक भाग ले सकता है उप-धारा (5) के तहत सी. ओ. सी. की यह बैठक, लेकिन इसे तब तक मतदान करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वह एक वित्तीय लेनदार भी न हो। उप-धारा (4) के तहत सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को आर. पी. द्वारा उप-धारा (6) के तहत अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता है।

102. आई. बी. सी. के अलावा, प्रक्रिया को आई. बी. सी. के तहत बनाए गए सी. आई. आर. पी. विनियमों द्वारा भी विनियमित किया जाता है। विनियम 37 में प्रावधान है कि

समाधान योजना में प्रस्तावित किए जा सकने वाले समाधानों का चित्रण। विनियम 38 समाधान योजना की अनिवार्य सामग्री प्रदान करता है, जो आई. बी. सी. की धारा 30 (2) में उल्लिखित पूर्व शर्तों के समान हैं। विनियम 39 सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है, और उप-विनियम (3) के तहत, सी. ओ. सी. को विनियमन 5 (हेक्टेयर) के तहत "मूल्यांकन मैट्रिक्स" के आधार पर प्रत्येक समाधान योजना का मूल्यांकन करना होता है।

103. संक्षेप में प्रक्रिया का अवलोकन करने के बाद, अब हम समझते हैं कि मोटे तौर पर तीन चरण हैं: ((i) पहला चरण पूर्व है। सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के साथ समाप्त होता है; (ii) [2021] 14 एस. सी. आर.

दूसरा चरण सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना की मंजूरी और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि से पहले की अंतरिम अवधि है।

और (iii) तीसरा चरण न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के बाद है। पहले चरण में, पक्षों के बीच संबंध स्पष्ट रूप से आई. बी. सी. के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं-जैसे कि आई. एम. और आर. एफ. आर. पी. की मांग करने के लिए संभावित समाधान आवेदक का अधिकार।

अपना ई. ओ. आई. जमा करने पर, जिसे आर. पी. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो सकता है। (जैसा कि कुंदन देखभाल अपील में हुआ था)। तीसरे चरण में, यही बात सही है क्योंकि धारा 31 (1) समाधान योजना को सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी बनाती है और इसके उल्लंघन पर आई. बी. सी. की धारा 74 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। हालाँकि, हम अभी जो आकलन कर रहे हैं वह उन दोनों के बीच का अंतरिम दूसरा चरण है। उसमें पक्षों के संबंधों को समझने के लिए, निर्णय लेने वाले को प्रस्तुत किए जाने के बाद समाधान योजना की सटीक "प्रकृति" को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है।

प्राधिकरण और उससे पहले धारा 31 (1) के तहत अनुमोदित किया गया है।

104. पक्षों की दलीलों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि समाधान योजनाएं एक प्रस्ताव की प्रकृति में हैं, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद ही यह एक संपन्न अनुबंध के रूप में बाध्यकारी हो जाता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्ण, बिना शर्त और अनिवार्य होनी चाहिए।

अयोग्य। चूँकि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा योजना की पुष्टि पर प्रभावी रूप से सशर्त है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि समाधान योजना की पूर्ण स्वीकृति है। वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया गया है कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजनाएं आकस्मिक अनुबंध हैं, जिनकी प्रवर्तनीयता अनुबंध अधिनियम की धारा 32 के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

के अनुमोदन पर सशर्त है। प्रत्यर्थियों (आर. पी. और सी. ओ. सी.) ने तर्क दिया है कि एक निष्कर्षित अनुबंध तब अस्तित्व में आता है जब सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दी जाती है और एक सफल समाधान आवेदक समाधान योजना को लागू करने के अपने संविदात्मक दायित्व से पीछे नहीं हट सकता है। इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए, ई-सीओसी की ओर से पेश श्री श्याम दीवान ने विशिष्ट राहत का संदर्भ दिया।

105. समाधान योजना की प्रकृति का निर्धारण हमें समाधान योजना के कानूनी बल के स्रोत को स्थापित करने में मदद करेगा - चाहे वह क़ानून हो, यानी आई. बी. सी. या अनुबंध का कानून।

द इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आई. बी. सी. द्वारा शासित दिवाला प्रक्रिया केवल संरचना नहीं है

एक सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को अंतिम रूप देने और अनुमोदन के बाद प्रक्रिया में सभी प्रतिभागियों का संचालन, लेकिन संभावित समाधान आवेदकों को आमंत्रित करने के पहले चरणों से उत्पन्न आचरण भी। आर. पी., सी. ओ. सी. 62 की मंजूरी के साथ, आर. एफ. आर. पी. के माध्यम से संभावित समाधान आवेदकों को आमंत्रित करता है। एक बार संभावित समाधान आवेदकों से बिना शर्त ई. ओ. आई. प्राप्त हो जाने के बाद, जो धारा 29 ए के तहत अन्यथा पात्र हैं, आर. पी. धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार एक आई. एम. तैयार करता है जो समाधान योजना का प्रस्ताव करने से पहले संभावित समाधान आवेदकों को एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता की सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करता है। आई. बी. सी. और इसके विनियमों के परिणामस्वरूप, संभावित समाधान आवेदक, जो धारा 29 ए के तहत अयोग्य नहीं हैं, अपनी समाधान योजनाओं के मसौदे का प्रस्ताव करते हैं। आर. पी. धारा 30 (2) की रूपरेखा के खिलाफ समाधान योजना की जांच करता है और केवल योग्य योजनाओं को सी. ओ. सी. 6 3 को प्रस्तुत करता है। आई. बी. बी. आई. (सी. आई. आर. पी.) (चौथा संशोधन) विनियम 2020 से पहले, जिसकी अब आवश्यकता है

सी. ओ. सी. प्रत्येक योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर अपने विचार-विमर्श को दर्ज करने के बाद सभी योजनाओं पर एक साथ मतदान करने के लिए, विनियमन 39 (3) ने पहले सी. ओ. सी. को "ऐसे संशोधनों के साथ एक समाधान योजना को मंजूरी देने में सक्षम बनाया जो उसे उचित लगे"। इसका मतलब था कि संभावित समाधान आवेदक और सी. ओ. सी. एक पारस्परिक रूप से सहमत समाधान योजना पर पहुंचने के लिए एक सख्त समय-सीमा के भीतर कई दौर की बातचीत में शामिल होंगे, जो तब सी. ओ. सी. द्वारा मतदान के अधीन थी। मतदान के बाद, आर. पी. पी. बी. जी. की प्राप्ति और फॉर्म एच. के रूप में एक अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को योजना प्रस्तुत करेगा। ऊपर वर्णित प्रत्येक चरण सभी पक्षों पर कई अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप है जो विशेष रूप से कानून द्वारा बनाए गए हैं।

106. आई. बी. बी. आई. (सी. आई. आर. पी.) (चौथा संशोधन) विनियम 2020 की व्याख्या और संकल्प पर प्रभाव के बाद से

समाधान योजना की शर्तों पर बातचीत करने के लिए आवेदक और सीओसी है

इस न्यायालय के समक्ष नहीं और वर्तमान अपील अनिवार्य रूप से सी. ओ. सी. द्वारा इसकी मंजूरी के बाद समाधान योजना की प्रकृति को निर्धारित करने का प्रयास करती है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इसकी मंजूरी से पहले, यह न्यायालय ऐसी योजना की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ेगा, कानून की धारणा पर

यह तब था, अर्थात, विनियम 39 (3) जिसमें निर्देश दिया गया था कि समिति उप-विनियम (1) के तहत प्राप्त समाधान योजनाओं का सख्ती से मूल्यांकन करेगी। सर्वोत्तम समाधान योजना की पहचान करने के लिए मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार और हो सकता है

62 धारा 25 (2) (एच), आईबीसी 63 विनियमन 39 (2), सीआईआरपी विनियम [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसे ऐसे संशोधनों के साथ अनुमोदित करें जो इसे उपयुक्त समझते हैं। संशोधनों का सुझाव देने की सी. ओ. सी. की इस शक्ति में निश्चित रूप से समाधान आवेदकों के साथ बातचीत का एक तत्व शामिल था, जो उपयुक्त संशोधन करेंगे और अपनी समाधान योजनाओं को फिर से प्रस्तुत करेंगे। समाधान आवेदकों के साथ एक वाणिज्यिक सौदे का दायरा एक बातचीत समझौते की भावना को दर्शाता है जो पक्षों के बीच किया जाता है, जो सी. ओ. सी. और समाधान आवेदक द्वारा संविदात्मक स्वतंत्रता के अभ्यास जैसा दिखता है।

107. यदि यह अदालत मानती है कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजनाएं वास्तव में अनुबंध हैं, तो उनके प्रावधानों को अभी भी अनुरूप होना होगा

आईबीसी के वैधानिक प्रावधान। हालांकि, इस तरह की व्याख्या का मतलब यह होगा कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजनाएं आई. बी. सी. और अनुबंध अधिनियम के चौराहे पर हैं। इसका मतलब यह होगा कि कुछ सिद्धांत

अनुबंध कानून, उदाहरण के लिए निर्वहन, दंड, उपचार और नुकसान से संबंधित कानून सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर लागू होंगे।

योजनाएं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अदालतों द्वारा पुष्टि की गई योजनाओं को अनुबंध के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका उल्लंघन संविदात्मक उपचारों को भी जन्म दे सकता है।

अरकंसास में एक दिवालियापन अदालत ने हॉफ़िंगर इंडस, इंक 65 में कहा है कि "एक पुष्ट योजना संविदात्मक रूप से बाध्य पक्षों के बीच नुकसान के लिए लागू करने योग्य और उत्तरदायी होनी चाहिए।" वास्तव में, हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि समाधान योजनाओं को विशिष्ट प्रदर्शन के संविदात्मक उपचार के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह निर्धारण कि समाधान योजनाएं सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी के बीच की अवधि में अनुबंध हैं, हमें यह विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी कि क्या अनुबंध निर्माण के सभी तत्व संतुष्ट हुए हैं, जिसमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना की स्वीकृति अनुबंध अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है या क्या अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त पूरी करती है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण समाधान योजना को एक आकस्मिक अनुबंध बनाता है। समाधान योजनाओं के हमारे निर्धारण के परिणामों को अनुबंध के रूप में निर्धारित करने का हमारा इरादा इसके महत्व को उजागर करना है -

108. आई. बी. सी. के पाठ में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि क्या प्रक्रिया के दूसरे चरण में समाधान योजनाएँ, यानी, प्रक्रिया के बीच की अवधि में। 64 जैसा कि अधिसूचना सं। आईबीबीआई/2018-19/जीएन/आरईजी031, दिनांक 3 जुलाई, 2018 (डब्ल्यू. ई. एफ. 04-07-2018)। इस प्रतिस्थापन से पहले, विनियमन 39 (3) में कहा गया था कि "समिति किसी भी समाधान योजना को ऐसे संशोधनों के साथ मंजूरी दे सकती है जो उसे उचित लगे।" 65 327 बी. आर. 389 (बैंकर। ई. डी. आर्क 2005) , यूनाइटेड स्टेट्स बैंकरप्सी कोर्ट, ई. डी. अर्कांसस ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करना और अनुमोदन शुद्ध हैं।

अनुबंध। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, समाधान आवेदकों के लिए पात्रता, आई. एम. की सामग्री और संभावित समाधान आवेदकों के लिए आर. पी. के कर्तव्यों और समय सीमा और मतदान पर वैधानिक प्रक्रियाओं जैसे विनिर्देशों द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को योजना प्रस्तुत करने से पहले भी दिवालिया प्रक्रिया को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। सी. ओ. सी., जिसके बारे में अपीलकर्ताओं का आरोप है कि वह एक स्वतंत्र संविदाकारी पक्ष की प्रकृति का है, उस वैधानिक योजना की सामग्री और प्रकृति के संबंध में क़ानून के बाध्यकारी सिद्धांतों द्वारा शासित होता है जिसे वह धारा 30 (4) के तहत अनुमोदित करता है और यहां तक कि इसकी अपनी संरचना भी।

12 ए को सी. आई. आर. पी. लागतों के भुगतान की आवश्यकता के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन समाधान आवेदक को कोई भी नुकसान वैधानिक रूप से देय नहीं है, चाहे निकासी का चरण कुछ भी हो। 110. आवश्यक बहुमत के साथ भी सी. ओ. सी. को समाधान योजना को मंजूरी देते समय योजना [2021] 14 एस. सी. आर. की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए।

और प्रस्तावित वितरण का तरीका, जो आई. बी. सी. की धारा 53 की उप-धारा (1) में निर्धारित लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकता है। सी. ओ. सी. समाधान योजना को मंजूरी नहीं दे सकता है।

आई. बी. सी. की धारा 29ए के तहत वर्जित एक आवेदक द्वारा प्रस्तावित। सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 37 और 38 समाधान योजना की सामग्री को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा, एक समाधान योजना, यदि आई. बी. सी. के जनादेश के अनुपालन में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार नहीं की जा सकती है और सभी हितधारकों पर इसकी मंजूरी पर बाध्यकारी हो जाती है-जिसमें केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण जिनके लिए वैधानिक बकाया है, परिचालन लेनदार जो सी. ओ. सी. का हिस्सा नहीं थे और कॉर्पोरेट देनदार का कार्यबल जो अब एक नए ऋणदाता द्वारा शासित होगा।

प्रबंधन। समाधान योजना की ऐसी विशेषताएँ, जहाँ एक क़ानून व्यापक रूप से अनुमोदन के रूप, तरीके, तरीके और प्रभाव को नियंत्रित करता है, इसे एक पारंपरिक अनुबंध से अलग करता है, विशेष रूप से उन लोगों को बांधने की क्षमता में जिन्होंने इसके लिए सहमति नहीं दी है। विशुद्ध संविदात्मक क्षेत्र में, एक समझौता उन पक्षों को बाध्य करता है जो अनुबंध के लिए गोपनीय हैं। संदर्भ में

आई. बी. सी. द्वारा शासित समाधान योजना का, गोपनीयता का तत्व तब लागू नहीं होता है जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 (1) के तहत समाधान योजना की पुष्टि करता है और इसे सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी घोषित करता है, जो बातचीत के चरण का हिस्सा नहीं हैं या समाधान योजना के पक्षकार नहीं हैं। वास्तव में, एक टिप्पणीकार ने नोट किया है कि दिवालियापन कानून का उद्देश्य वास्तव में वित्तीय संकट के साथ एक विशिष्ट 'अनुबंध विफलता' को हल करना है। इस तरह की अनुबंध विफलता उत्पन्न होती है क्योंकि "वित्तीय संकट में रणनीतिक सौदेबाजी प्रोत्साहन के साथ बहुत सारे पक्ष शामिल होते हैं और फर्म और उसके लेनदारों के लिए एक सेट को परिभाषित करने के लिए बहुत अधिक आकस्मिकताएं होती हैं।

प्रत्येक परिदृश्य के नियम "। इस प्रकार, दिवाला कानून यह मानता है कि पक्ष अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एक-दूसरे को बनाए रखने के लिए इस तरह के 'अपूर्ण अनुबंध' का लाभ उठा सकते हैं। अपूर्णता और रोक-थाम के खतरे के मुद्दे को हल करने के प्रयास में, दिवाला कानून प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है अर्थात, "कानून ऐसे संरक्षण प्रदान करता है जो पक्षों को सौदेबाजी करने के लिए जगह देते हैं जबकि उन्हें ऐसी स्थिति लेने से रोकते हैं जो अत्यधिक पकड़ की ओर मुड़ती है" 66

111. यह उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है कि इस न्यायालय ने समाधान योजना के अनुरूप उपकरणों का विश्लेषण कैसे किया है। एस. के. गुप्ता बनाम के. पी. जैन 67, इस न्यायालय ने समझौते की प्रकृति पर चर्चा करते हुए या

66 एंथनी जे. केसी, 'चैप्टर 11 का रिनेगोशिएशन फ्रेमवर्क एंड द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट बैंकरप्सी', कोलंबिया लॉ रिव्यू वॉल्यूम 120 नंबर 7, पर उपलब्ध है। // कोलंबियालावरिव्यू। org/विषय-वस्तु/अध्याय-11s-बातचीत-रूपरेखा-और-उद्देश्य

का-कॉर्पोरेट-दिवालियापन/> 5 सितंबर 2021 67 (1979) 3 एस. सी. सी. 54 ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. पर पहुँचा गया।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

एक कंपनी और उसके लेनदारों या सदस्यों के बीच की गई व्यवस्थाओं में कहा गया है कि अदालत द्वारा एक बार स्वीकृत इस तरह का समझौता या व्यवस्था केवल पक्षों के बीच एक समझौता नहीं है क्योंकि यह वैधानिक बल के माध्यम से असहमत लेनदारों या सदस्यों को भी बांधता है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 12 ..... यह योजना जब स्वीकृत हो जाती है तो केवल काम ही नहीं करती है

और न केवल कंपनी पर बल्कि असहमत लेनदारों पर भी बाध्यकारी है या सदस्य, जैसा भी मामला हो। स्वीकृत का प्रभाव

योजना "प्रक्रिया का सहारा लेकर आपूर्ति करना है जिससे

प्रत्येक द्वारा उस व्यक्तिगत समझौते की अनुपस्थिति निर्धारित की गई

वर्ग का सदस्य उस योजना से बाध्य होगा जो

अन्यथा इसे वैधता देना आवश्यक होगा "[जे. के. (बॉम्बे) देखें।

प्रा. लिमिटेड वी. न्यू कैसर-आई-हिंद एस. पी. जी. & डब्ल्यूवीजी। कं. लिमिटेड [ए. आई. आर. 1970 एससी 1041: (1969) 2 एससीआर 866,891: (1970) 40 कॉम कैस 689]] "।

(जोर दिया गया)

112. जबकि उपरोक्त टिप्पणियाँ एक के संदर्भ में की गई थीं

अदालत द्वारा स्वीकृत योजना, निर्णय प्राधिकरण की मंजूरी से पहले भी समाधान योजना सी. ओ. सी. और सफल समाधान आवेदक के बीच बाध्यकारी है। समाधान योजना को विशुद्ध रूप से अनुबंध अधिनियम द्वारा शासित एक 'अनुबंध' के रूप में नहीं माना जा सकता है, जो सी. ओ. सी. द्वारा इसकी स्वीकृति और सी. ओ. सी. के अनुमोदन के बीच की अवधि में होता है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। उस स्तर पर भी, इसके बाध्यकारी प्रभाव आई. बी. सी. ढांचे द्वारा उत्पन्न होते हैं। बी. एल. आर. सी. की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि "यदि 75 प्रतिशत लेनदार पुनरुद्धार योजना पर सहमत होते हैं, तो यह योजना शेष सभी लेनदारों के लिए बाध्यकारी होगी"। बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि, "आर. पी. डिफ़ॉल्ट अधिकतम तिथि से पहले न्यायनिर्णायक को एक बाध्यकारी समझौता प्रस्तुत करता है"। हमने आगे वैधानिक योजना पर चर्चा की है इस निर्णय की धारा I और J में आई. बी. सी. यह स्थापित करने के लिए कि एक समाधान योजना सी. ओ. सी. और सफल समाधान आवेदक के बीच बाध्यकारी है। इस प्रकार, संकल्प योजना की उन लोगों को बांधने की क्षमता, जिन्होंने इसके लिए सहमति नहीं दी है, एक वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से, इंगित करती है कि यह एक विशिष्ट अनुबंध नहीं है।

113. बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, जिसने इसका पहला मसौदा प्रस्तुत किया

आई. बी. सी. और दिवाला के सुधार के पीछे के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया

68 पृष्ठ 13, बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, उपर्युक्त टिप्पणी 55 69 पृष्ठ 92, बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, उपर्युक्त टिप्पणी 55 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शासन, एक उदाहरण में सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को 'बाध्यकारी अनुबंध' के रूप में संदर्भित करता है और अन्य उदाहरणों में इसे 'बाध्यकारी समझौते' के रूप में संदर्भित करता है। रिपोर्ट में सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को 'वित्तीय व्यवस्था', 'पुनरुद्धार योजना' या 'समाधान' के रूप में भी संदर्भित किया गया है। अदला-बदली शर्तों में से-'समझौता', 'अनुबंध', 'वित्तीय व्यवस्था', 'पुनरुद्धार योजना' और 'समाधान' इंगित करते हैं कि समाधान योजना की प्रकृति को अनुबंध के रूप में चिह्नित करने में बी. एल. आर. सी. का कोई स्पष्ट इरादा नहीं है। समाधान योजना के बाध्यकारी प्रभाव को रोकने का परिणाम है

एक मतदान तंत्र के माध्यम से सी. ओ. सी. द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद सी. ओ. सी. या संकल्प आवेदक अपनी शर्तों से अलग हो जाता है। समाधान योजना की बाध्यकारी प्रकृति और सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित होने के बाद बातचीत की अंतिमता को इंगित करने के लिए बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट (जो एक पूर्व-विधायी पाठ था जिसमें विधानमंडल द्वारा बाद में संशोधन किए गए थे) में एक अवसर पर

'बाध्यकारी अनुबंध' का क्षणिक उल्लेख दस्तावेज़ की कानूनी प्रकृति को स्थापित नहीं करता है, विशेष रूप से जब यह आई. बी. सी. के पाठ और डिजाइन द्वारा पूरक नहीं है।

एक समाधान योजना जैसे कि: (i) आर. एफ. आर. पी. जारी करने को प्रस्ताव के निमंत्रण के बराबर माना जा सकता है; (ii) समाधान योजना को प्रस्ताव या प्रस्ताव के रूप में माना जा सकता है; और (iii) सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन प्रस्ताव की स्वीकृति के समान हो सकता है। समाधान योजना की शर्तों में शामिल हैं - सी. ओ. सी. और समाधान आवेदक के बीच वाणिज्यिक सौदा। बाध्यकारी प्रभाव के साथ कानूनी संबंध बनाने का भी इरादा है। हालांकि, यह आई. बी. सी. की संरचना है जो सी. ओ. सी. को कानूनी बल प्रदान करती है

स्वीकृत समाधान योजना। समाधान योजना की वैधता बाध्य लोगों के समझौते या सहमति पर आधारित नहीं है (हालांकि एक प्रक्रियात्मक कदम के रूप में आई. बी. सी. को लेनदारों के साठ-छह प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है), लेकिन आई. बी. सी. के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन पर आधारित है।

115. ई-आरपी के लिए यह तर्क दिया गया था कि एक समाधान योजना आईबीसी के तहत एक वैधानिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए निष्पादित एक अनुबंध है। एक सवाल।

यह उत्पन्न होता है कि क्या किसी समाधान योजना को 'सांविधिक अनुबंध' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस न्यायालय ने इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड बनाम में एक वैधानिक अनुबंध को परिभाषित किया है। निम्नलिखित शब्दों में एम. पी. 73 की स्थिति:

70 पृष्ठ 21, बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, उपर्युक्त टिप्पणी 55 71 पृष्ठ 13, बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, उपर्युक्त टिप्पणी 55 72 पृष्ठ 21,75 और 126, बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, उपर्युक्त टिप्पणी 55 73 (2000) 3 एस. सी. सी. 379 ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" 11. धारा 43 विद्युत बोर्ड को एक में प्रवेश करने का अधिकार देती है

सहमत हुए। धारा 43-ए (1) में प्रावधान है कि एक उत्पादन कंपनी उत्पादित बिजली की बिक्री के लिए अनुबंध कर सकते हैं

बिजली बोर्ड के साथ। दृढ़ संकल्प के बारे में

बोर्ड, धारा 43 (1) (2) में प्रावधान है कि शुल्क निर्धारित किया जाएगा। संचालन और संयंत्र-भार के संबंध में मानदंडों के अनुसार

प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कारक और उसके अनुसार मूल्यह्रास और उचित प्रतिफल की दरों के साथ और इस तरह

अन्य कारक जो समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार। ये

प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि समझौता ऐसी शर्तों पर हो सकता है

जैसा कि पार्टियों द्वारा सहमति दी जा सकती है सिवाय इसके कि शुल्क होना है

धारा में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया गया

43 - ए (2) और उसके तहत जारी अधिसूचनाएं। सिर्फ इसलिए कि ए

एक सक्षम करने वाली शक्ति के प्रयोग में अनुबंध किया जाता है

एक कानून द्वारा प्रदान किया गया जो अपने आप में प्रस्तुत नहीं कर सकता है एक वैधानिक अनुबंध का अनुबंध करें। यदि कोई अनुबंध किया जाता है

निर्धारित नियमों और शर्तों को शामिल करना आवश्यक है।

कानून के तहत तब वह अनुबंध एक वैधानिक बन जाता है अनुबंध। यदि किसी अनुबंध में कुछ शर्तें शामिल हैं और

इसमें ऐसी शर्तें हैं जो वैधानिक हैं तो उक्त अनुबंध

उस हद तक वैधानिक है। एक अनुबंध में कुछ शामिल हो सकते हैं

चरित्र और जिन्हें इसमें शामिल किया गया है पक्षों के बीच आपसी समझौते का परिणाम। इसलिए,

पी. पी. ए. को केवल इस हद तक वैधानिक माना जा सकता है कि

इनमें शुल्क निर्धारण और अन्य प्रावधान शामिल हैं।

धारा 43-ए (2) की वैधानिक आवश्यकताएँ।

(जोर दिया गया)

116. उपरोक्त अवलोकन एक पी. पी. ए. के संदर्भ में दर्ज किए गए थे।

विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत। धारा 43 अधिनियम के ए (1) में निर्धारित किया गया है कि उत्पादन करने वाली कंपनी एक

विद्युत बोर्ड के साथ अनुबंध। इस प्रकार, निर्णय पूर्व-मान लेता है

एक स्थायी अनुबंध का अस्तित्व। मामले में विवाद था

क्या पी. पी. ए. को एक वैधानिक अनुबंध के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कहने के लिए

यदि समाधान योजना एक वैधानिक अनुबंध है, तो हमें पहले [2021] 14 एस. सी. आर. पर विचार करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या आई. बी. सी. एक अनुबंध के रूप में सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की परिकल्पना करता है। विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 43-ए (1) के विपरीत आई. बी. सी. के तहत समाधान योजना को अनुबंध के रूप में संदर्भित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि संबंधित पक्षों के बीच एक अनुबंध किया जा सकता है। समाधान योजना का कानूनी बल आई. बी. सी. के तहत प्रदान किए गए ढांचे के कारण उत्पन्न होता है। आई. बी. सी. के तंत्र प्रक्रिया में सभी प्रतिभागियों के संचालन पर पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और सी. ओ. सी.-अनुमोदित समाधान योजना के बाध्यकारी प्रभाव का प्रमाण सी. आई. आर. पी. विनियमों के अनुपालन में सफल समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत पी. बी. जी. के निष्पादन से मिलता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा धारा के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने के बाद यह पी. बी. जी. वापस किया जा सकता है।

31 और इसे सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी बनाता है। इसलिए, आई. बी. सी. और इसके विनियम सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के बाध्यकारी प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय स्थापित करते हैं। खंड I और J में हमारी चर्चा में नीचे, हम सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की प्रकृति और उस आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताते हैं जिसकी वैधानिक रूप से अनुमति है।

फ्रेमवर्क।

117. जबकि दिवाला व्यवस्था प्रत्येक अधिकार क्षेत्र के लिए विशिष्ट है, यह विश्लेषण करने के लिए उपयोगी हो सकता है कि समाधान योजनाएं या इसी तरह के साधन कैसे हैं।

विदेशी क्षेत्राधिकारों में विशेषताएँ हैं।

118. अन्य क्षेत्राधिकारों से कुछ उदाहरण उद्धृत किए गए हैं।

अनुबंध। हालाँकि, चूंकि हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि समाधान योजनाएँ सांविधिक अनुबंध नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए यह विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या समाधान योजना की शर्तों को अनुबंध की शर्तों के रूप में प्रभावी किया जा सकता है, जब तक कि वे सांविधिक उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत एक अद्वितीय दिवालिया ढांचे को अपनाता है जहां तीसरे

पक्षों को दिवालिया व्यवस्था में भाग लेने और कॉर्पोरेट ऋणदाता को प्राप्त करने का अधिकार है। कई क्षेत्राधिकारों में, दिवालिया व्यवस्था देनदार और लेनदारों के बीच होती है। जो कॉर्पोरेट देनदारियों द्वारा 'पुनर्भुगतान योजनाओं' से निकट समानता रखता है,

जैसा कि धारा 105 के तहत आई. बी. सी. द्वारा परिकल्पित है और मोटे तौर पर अध्याय III के तहत निर्धारित किया गया है, 'समाधान योजनाओं' के विपरीत जो देनदारों द्वारा प्रस्तावित नहीं हैं। किसी भी स्थिति में, ऐसी व्यवस्थाओं का विश्लेषण नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है।

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

119. यूनाइटेड किंगडम में, यूके अधिनियम निदेशकों को अनुमति देता है,

स्वैच्छिक रूप से किसी कंपनी को प्रस्तावित करने के लिए किसी कंपनी के प्रशासक या परिसमापक व्यवस्था या 'सी. वी. ए.' (आई. बी. सी. की धारा 10 के समान), जिसे

उन लेनदारों द्वारा अनुमोदित किया जाए जिनका वोट शेयर पचहत्तर प्रतिशत हो। यू. के. अधिनियम की धारा 5 (2) (बी) 74 में प्रावधान है कि एक बार सी. वी. ए. स्वीकृत हो जाने के बाद, कंपनी और लेनदार इसके लिए बाध्य हैं। प्रोफेसर रॉय गुडे

उनके आधिकारिक ग्रंथ कॉर्पोरेट दिवाला कानून 75 के सिद्धांतों में कहा गया है कि, "[टी] वे एस के शब्द हैं। 5 (2) (ख), जिसकी नीचे चर्चा की गई है, अदालतों को सी. वी. ए. के पक्षकारों के बीच संबंधों को इस रूप में चिह्नित करने के लिए प्रेरित किया है अनिवार्य रूप से प्रकृति में संविदात्मक और इसका दायरा और प्रभाव इसकी शर्तों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिनकी व्याख्या संविदात्मक व्याख्या के सामान्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा की जाती है। अपील न्यायालय के कुछ निर्णयों में, अंग्रेजी न्यायालयों ने माना है कि एक सी. वी. ए. एक संविदात्मक दायित्व बनाता है ", एक वैधानिक अनुबंध 77 है, या इसका संविदात्मक प्रभाव है और है

अनुबंध 78 पर लागू होने वाले व्याख्या के सामान्य सिद्धांतों के अधीन। हालांकि, इस मुद्दे पर स्थिति पूरी तरह से तय नहीं हुई है। उच्च न्यायालय के हाल के एक फैसले में यह माना गया था कि सी. वी. ए. अनुबंध नहीं है। महत्वपूर्ण रूप से अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 83. इसके अलावा, और जैसा कि एसएचबी रियलाइजेशन लिमिटेड में श्री पायमोंट क्यूसी ने उल्लेख किया है, एक स्वैच्छिक व्यवस्था का गठन या विश्लेषण नहीं किया जाता है। अनुबंध। अनुबंधों पर लागू कुछ कानूनी सिद्धांत, के लिए

उदाहरण के लिए उनकी व्याख्या, स्वैच्छिक रूप से लागू की जाती है व्यवस्था; यह अन्य वाद्ययंत्रों के बारे में भी कम सच नहीं है।

जो अनुबंध नहीं हैं। अनुबंध कानून के अन्य सिद्धांत, उदाहरण के लिए दंड से संबंधित दंड लागू नहीं होते हैं।

स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के लिए। श्री पायमोंट क्यू. सी. ने निष्कर्ष निकाला कि ए

स्वैच्छिक व्यवस्था कोई अनुबंध नहीं है। सी. वी. ए. की विशेषता

एक काल्पनिक समझौते के रूप में या एक वैधानिक के संदर्भ में

76 री टी. बी. एल. रियलाइजेशन पी. एल. सी., ओकले-स्मिथ बनाम ग्रीनबर्ग, [2004] बी. सी. सी. 81 (अपील न्यायालय) 77 टकर बनाम गोल्ड फील्ड्स माइनिंग एल. सी. सी., [2010] बी. सी. सी. 544 (अपील न्यायालय)

78 हेइस बनाम वित्तीय सेवा क्षतिपूर्ति योजना लिमिटेड, [2018] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 1327 (अपील न्यायालय) 79 री राइनो एंटरप्राइजेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड स्कोफील्ड बनाम स्मिथ [2020] ईडब्ल्यूएचसी 2370 (सीएच)।

परिकल्पना साफ और सटीक रूप से स्पष्ट करती है कि एक सी. वी. ए. है

यह एक अनुबंध से अलग है और वास्तव में नहीं है।

(जोर दिया गया)

120. सिंगापुर में, धारा 210 (3 एए और 3 एबी) के तहत

सिंगापुर अधिनियम, कंपनी और उसके लेनदारों के बीच एक समझौता या व्यवस्था बाध्यकारी हो जाती है जब आवश्यक बहुमत लेनदार इससे सहमत होते हैं और इसे अदालत द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सिंगापुर अपील न्यायालय ने व्यवस्था की ऐसी योजना को 'संविदात्मक' के रूप में संदर्भित किया है। योजना 1 80। इसके बाद, सिंगापुर अपील न्यायालय के समक्ष इस बात पर विवाद खड़ा हो गया कि क्या इसके बाद किसी योजना में काफी संशोधन किया जा सकता है।

अदालत ने मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर व्यवस्था की योजनाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है; क्या योजनाओं ने अदालत के आदेश या क़ानून से अपनी प्रभावशीलता प्राप्त की है। अदालत ने कहा कि अंग्रेजी दृष्टिकोण 8 1 के तहत, अधिकांश लेनदारों द्वारा अनुमोदित एक योजना क़ानून से अपनी प्रभावशीलता प्राप्त करती है और एक वैधानिक अनुबंध है। इस प्रकार, न्यायालय के पास एक सीमित अधिकार क्षेत्र है और वह ऐसी योजना में पर्याप्त परिवर्तन नहीं कर सकता है। हालाँकि,

अदालत ने नोट किया कि ऑस्ट्रेलिया में, यह योजना अदालत के आदेश के रूप में काम करती है। अदालत ने कहा कि उसके पिछले फैसले, जिसमें व्यवस्था की एक योजना को 'संविदात्मक योजना' के रूप में संदर्भित किया गया था, का मतलब यह नहीं है कि सिंगापुर में ऐसी योजनाओं को वैधानिक अनुबंध माना जाता है। अदालत ने ऑस्ट्रेलियाई दृष्टिकोण का पालन करने का फैसला करते हुए कहा कि एक योजना अदालत के आदेश के रूप में प्रभावी होती है और किसी भी अन्य अदालत के आदेश की तरह, इसे कुछ परिस्थितियों में बदला जा सकता है। अदालत ने कहाः

" 66. ..... हम बाद की चिंता के संबंध में यह भी जोड़ेंगे कि अदालती आदेश किसी भी तरह से वैधानिक अनुबंध से कम बाध्यकारी नहीं है।

व्यवस्था की एक योजना के पक्षकार, और यह साधारण कानून भी है

सामान्य ज्ञान के रूप में कि अदालत के आदेश को इच्छानुसार नहीं बदला जा सकता है

वे पक्ष जो आदेश के अधीन हैं।

121. ऑस्ट्रेलिया में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, व्यवस्था की योजना

अदालत के आदेश 3 2 के रूप में कार्य करता है। न्यू साउथ वेल्स के सर्वोच्च न्यायालय ने वैधानिक अनुबंधों के रूप में योजनाओं (सी. वी. ए. एस. से अलग) को चिह्नित करने के अंग्रेजी दृष्टिकोण को खारिज करते हुए कहाः

80 देवू सिंगापुर पीटीई लिमिटेड बनाम सी. ई. एल. ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, [2001] 4 एस. एल. आर. 35 (अपील न्यायालय) 81 केम्पे और एक अन्य वी। राजदूत बीमा कंपनी, [1998] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 271 82 कैरेटी बनाम हिलमैन [1974] युद्ध 92 (वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च न्यायालय)

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" 46 .....

[.....]

(ख) ऑस्ट्रेलिया में, [अधिकारियों] [नामतः, हिल बनाम एंडरसन मांस

इंडस्ट्रीज लिमिटेड [1971] 1 एनएसडब्ल्यूएलआर 868, कैराटी एंड बॉन्ड कॉर्प होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया (1992) 7 एसीएसआर 472]

कि एक अनुमोदित योजना वास्तव में अपनी शक्ति प्राप्त करती है

अदालती आदेश, [और] सदस्यों और लेनदारों के पूर्ववर्ती संकल्पों से नहीं।

122. संयुक्त राज्य दिवालियापन संहिता के तहत, एक पुनर्गठन

धारा 1141 के संदर्भ में अदालत द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद योजना बाध्यकारी हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दिवालियापन अदालतों के निर्णय हैं जो इंगित करते हैं कि इस तरह की पुनर्गठन योजनाओं की विशेषताएँ हैं:

अनुबंध 83। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पुष्ट योजना देनदार और योजना प्रस्तावक पर बाध्यकारी है और इसका प्रभाव अनुबंध 84 के समान है। हालांकि, टिप्पणीकारों ने नोट किया है कि संयुक्त राज्य दिवालियापन संहिता, "एक संविदात्मक प्रतिमान को अपनाना कुछ हद तक असंगत है। दिवालियापन अदालतें और संहिता दोनों ही पूर्व अनुबंध की तुलना में पूर्व पद के प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रखते हैं। यह आगे देखा गया है कि,

" दिवालियापन संहिता में कुछ प्रावधान हैं जो पार्टियों को अनुबंध द्वारा "अन्यथा सहमत" होने के लिए आमंत्रित करते हैं और कुछ संदर्भों में संहिता स्पष्ट रूप से पूर्व अनुबंधों को ओवरराइड करती है ", इनमें संहिता के प्रावधान शामिल हैं।

दिवालियापन से पहले के अनुबंधों में इप्सो फैक्टो खंडों को ओवरराइड करना जो यह निर्धारित करते हैं कि चूक की एक आवश्यक शर्त दिवालियापन दाखिल करना है या दिवालियापन याचिका।

123. उपरोक्त चर्चा इंगित करती है कि अन्य क्षेत्राधिकारों में कानून, चाहे अलग-अलग ढांचे हों, इस पर पूरी तरह से तय नहीं है कि क्या

समाधान योजनाओं के समान उपकरण विशुद्ध अनुबंध हैं। पुनरावृत्ति करने के लिए, यूनाइटेड किंगडम में, जबकि व्यवस्था की योजनाओं को वैधानिक अनुबंधों के रूप में चिह्नित किया जाता है, सी. वी. ए. पर कानून, जो आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत शुरू की गई दिवाला प्रक्रिया के समान है, स्पष्ट नहीं है।

83 हॉफिंगर इंडस, इंक., 327 बी. आर. 389 (बैंकर। ई. डी. आर्क 2005) , संयुक्त राज्य दिवालियापन न्यायालय, ई. डी. अरकंसास 84 रे शेनान्दोह रियल्टी पार्टनर्स, एल. पी. बनाम। एसेंड हेल्थ केयर, इंक, 287 बी. आर. 867 (यू. एस. दिवालियापन न्यायालय, डब्ल्यू. डी.)

85 डेविड स्केल और जॉर्ज ट्रायंटिस, 'दिवालियापन का एक संविदात्मक प्रतिमान में आसान बदलाव', पेन लॉ में संकाय छात्रवृत्ति, (2018), पर उपलब्ध है। // छात्रवृत्ति। कानून। ऊपर। ई. डी. यू./सी. जी. आई./व्यूकनटेंट। सी. जी. आई? लेख = 2993 और संदर्भ = संकाय _ छात्रवृत्ति> 5 सितंबर 2021 को पहुँचा गया

86 आइबीआइडी।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय ने यह ध्यान में रखते हुए कि यह एक अनुबंध 87 नहीं है, भले ही अनुबंधों पर लागू व्याख्या के सिद्धांतों का उपयोग ऐसे सी. वी. ए. एस. की भाषा के निर्माण के लिए किया जा सकता है। सिंगापुर में, योजनाओं को वैधानिक अनुबंधों के रूप में निरूपित करने के अंग्रेजी दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया कि योजनाएं न्यायालय के आदेश के रूप में कार्य करती हैं। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत भी ऐसा ही रुख अपनाया गया था। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलियाई अदालतें विशेष रूप से संकेत देती हैं कि योजनाएं केवल एक अदालत द्वारा "अति-अतिरिक्त अभेद्यता" के साथ अनुबंध से अधिक हैं, बल्कि वे योजनाओं की निगरानी में अदालत द्वारा एक सक्रिय भूमिका निभाने की परिकल्पना करती हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसमें पर्याप्त बदलाव किए जा सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका में, पुनर्गठन योजनाओं को अनुबंधों के बराबर माना गया है, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि संविदात्मक सौदे को बनाए रखने के संबंध में कुछ विसंगति रही है।

124. इस मुद्दे पर एक स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय सहमति की कमी कि क्या सी. ओ. सी.-अनुमोदित समाधान योजनाओं जैसे साधन हैं न्यायालय की मंजूरी से पहले अनुबंध, प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में दिवाला व्यवस्था की विशिष्टता के लिए भी जिम्मेदार हैं। इस न्यायालय को हमारी दिवाला व्यवस्था में एक समान ढांचे की पहचान किए बिना, एक अधिकार क्षेत्र की दिवाला व्यवस्था की विशिष्ट विशेषताओं के लिए प्रतिक्रिया के रूप में विकसित अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के प्रत्यारोपण से सावधान रहना होगा।

125. आई. बी. सी. में किसी विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति या

88 " (3) समिति सर्वोत्तम समाधान योजना की पहचान करने के लिए मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार सख्ती से उप-विनियमन (1) के तहत प्राप्त समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करेगी और इसे ऐसे संशोधनों के साथ मंजूरी दे सकती है जो उसे उचित लगे: बशर्ते कि समिति समाधान योजनाओं "ईबीआईएक्स सिंगापुर पीवीटी" की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर अपने विचार-विमर्श को दर्ज करेगी।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

वाणिज्यिक वार्ता के लिए सक्षम जगह अधिक शक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है।

बशर्ते कि जहां दो या दो से अधिक संकल्प योजनाओं को समान वोट मिलते हैं, लेकिन आवश्यक वोटों से कम नहीं, समिति मतदान से पहले घोषित टाई-ब्रेकर फॉर्मूले के अनुसार उनमें से किसी एक को मंजूरी देगी: बशर्ते कि जहां किसी भी प्रस्ताव योजना को अपेक्षित वोट नहीं मिलते हैं, समिति संहिता के

तहत समय सीमा के अधीन, सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाली प्रस्ताव योजना पर फिर से मतदान करेगी।

" "

90

<HTTPS पर उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईबीबी। गव. में/अपलोड/नया क्या है /

fbe59358a8c440d001f3b950be4alc67। पीडीएफ> 5 सितंबर 2021 [2021] 14 एस. सी. आर. पर पहुँचा गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. आई. आर. पी. 9 1 के दौरान निगमित देनदार द्वारा अर्जित लाभ या हानि के विभाजन के लिए समाधान योजनाओं को अनिवार्य करने के लिए सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया की सिफारिश की है। इन रिपोर्टों को समय-समय पर संसद द्वारा संहिता के कामकाज की समीक्षा करने और संशोधनों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया जाता है। हालाँकि, यदि इरादा सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को एक अनुबंध के रूप में देखना था, तो अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत इस मुद्दे को हल करने के लिए पर्याप्त होते और एक संशोधन को आवश्यक नहीं माना जा सकता है। एक समाधान आवेदक, दिवालिया व्यवस्था में भाग लेने वाले तीसरे पक्ष के रूप में, अपने ऋणों, वैधानिक देनदारियों की संपूर्णता के बिना और तीसरे पक्ष के साथ कुछ लेनदेन से बचने के बिना कॉर्पोरेट ऋणदाता के व्यवसाय का अधिग्रहण करना चाहता है। ये लाभ आई. बी. सी. के जबरदस्त तंत्र का एक कार्य है जो किसी तीसरे पक्ष को अपनी देनदारियों के बिना कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति का अधिग्रहण करने में सक्षम बनाता है। निगमित देनदार द्वारा देय ऋण की बातचीत की गई राशि के लिए। आमतौर पर, समाधान राशि में ऋण के एक अंश के भुगतान की परिकल्पना की जाती है जो लेनदारों पर बकाया होता है और व्यवसाय को चालू ऋण के रूप में अधिग्रहित किया जाता है।

अपने कर्मचारियों की चिंता करें। समाधान योजना का मसौदा इस तरह से तैयार किया गया है कि इसे भविष्य में लागू किया जा सके और सी. आई. आर. पी. को शांति मिले। समाधान आवेदकों को अनुबंध अधिनियम का सहारा लेकर उन उपायों की तलाश करने में सक्षम बनाना जो आई. बी. सी. द्वारा निर्दिष्ट नहीं हैं, विरोधाभासी होगा।

आई. बी. सी. की दिवाला व्यवस्था के लिए। किसी विवाद की स्थिति में समाधान योजना की शर्तों की भाषा को समझने के लिए संविदात्मक व्याख्या के तत्वों पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन आई. बी. सी. के तंत्र को पूरी तरह से फिर से बनाने और विकृत करने के लिए नहीं। लक्ष्मी पट सुराना बनाम में यह न्यायालय। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 22 ने माना है कि आई. बी. सी. एक स्व-निहित संहिता है। इस

प्रकार, आई. बी. सी. व्यवस्था में किसी भी अन्य कानून या अनुबंध अधिनियम जैसे क़ानून के सिद्धांतों का आयात करने से आई. बी. सी. के काम-काज में अनावश्यक जटिलता पैदा होगी और आई. बी. सी. के लिए विदेशी विचारों पर लंबे समय तक मुकदमेबाजी हो सकती है। एक उदाहरण देने के लिए, सी. ओ. सी. आर. एफ. आर. पी. और समाधान योजना के संदर्भ में कुछ परिस्थितियों में सफल समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत पी. बी. जी. को जब्त कर सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि समाधान आवेदक संकल्प को लागू करने में विफल रहा है या उसने इसकी विफलता में योगदान दिया है। सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 36 बी (4 ए) में लेनदारों द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद इस तरह की प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। द. 91 पृष्ठ 55-56, दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट (फरवरी 2020), निगम कार्य मंत्रालय, यहाँ उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एमसीए। गव. में/मंत्रालय/पी. डी. एफ. /

ICLReport _ 05032020। पी. डी. एफ.> 20 अगस्त 2021 9 2 (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1187 ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. पर पहुँचा गया।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

विनियमों में यह प्रावधान नहीं है कि प्रदर्शन प्रतिभूति को नुकसान का एक उचित अनुमान होना चाहिए जैसा कि अनुबंध कानून के तहत दंड खंडों से अपेक्षित है, बल्कि स्पष्टीकरण में कहा गया है कि प्रदर्शन प्रतिभूति ऐसी प्रकृति, मूल्य, अवधि और स्रोत की होनी चाहिए, जैसा कि समिति के अनुमोदन के साथ समाधान योजनाओं के अनुरोध में निर्दिष्ट किया जा सकता है। समाधान योजना की प्रकृति और निगमित देनदार के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा, यदि सी. ओ. सी. निगमित देनदार के साथ समझौता करता है और धारा 12 ए के तहत सी. आई. आर. पी. से वापस लेता है, तो विनियमन 30 ए केवल दिवालिया लागत के भुगतान का प्रावधान करता है, न कि समाधान आवेदक को प्रक्रिया में समय और धन निवेश करने के लिए मुआवजे या नुकसान का। पक्ष प्रस्ताव के कार्यान्वयन से बचने के लिए हताशा या मजबूर करने के सिद्धांतों का सहारा ले सकते हैं

अनावश्यक मुकदमेबाजी की ओर ले जाने वाली योजना। एमटेक ऑटो (ऊपर) में इस न्यायालय ने एक सफल समाधान आवेदक के इसी तरह के प्रयास पर अंकुश लगाया था, जिसने अपनी समाधान योजना में एक बल आकस्मिक खंड पर भरोसा किया था ताकि सी. ओ. सी. को अपनी समाधान योजना में संशोधन के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर किया जा सके। अदालत ने कहा कि सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद पक्षों के बीच बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार, संविदात्मक सिद्धांत और सामान्य कानूनी उपचार, जो आई. बी. सी. के शब्दों या इरादे में कोई अंतर नहीं पाते हैं, सी. ओ. सी. की स्वीकृति और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के बीच की अवधि में आयात नहीं किए जा सकते हैं। संविदात्मक सिद्धांत समाधान योजना की शर्तों पर अस्पष्टता की स्थिति में निर्माण और व्याख्या व्याख्यात्मक सहायक के रूप में काम कर सकते हैं। हालांकि, अनुबंध अधिनियम के लिए विशिष्ट उपचार लागू नहीं किए जा सकते हैं।

आई. बी. सी. के ओवर-राइडिंग सिद्धांत।

I सी. आई. आर. पी. को नियंत्रित करने वाला सांविधिक ढांचा

126. सी. आई. आर. पी. एक समयबद्ध प्रक्रिया है जिसका एक विशिष्ट उद्देश्य है -

परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना। आई. बी. सी. और इसके तहत बनाए गए विनियमों में सख्त समयसीमा निर्धारित की गई है जिसका सभी पक्षों द्वारा पालन करने की आवश्यकता है।

सी. आई. आर. पी. के सभी चरणों में। आई. बी. सी. की धारा 12 (1) के तहत सी. आई. आर. पी. के 180 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। धारा 12 की उप-धारा (2) और (3) के संदर्भ में, इस अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से विस्तार की मांग की जा सकती है। धारा 12 (3) के पहले परंतुक में स्पष्ट किया गया है कि इस तरह का विस्तार केवल एक बार ही दिया जा सकता है। आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता ", यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि इस संबंध में कानूनी कार्यवाही में लगने वाला समय

93 (2019) 2 एस. सी. सी. 1, पैरा 86 [2021] 14 एस. सी. आर.

संहिता (संशोधन) अधिनियम 2019 ने 16 अगस्त 2019 से धारा 12 (3) में दूसरा प्रावधान जोड़ा ताकि यह कहा जा सके कि सी. आई. आर. पी. पूरी तरह से लागू है। दिवाला शुरू होने की तारीख से 330 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय भी शामिल है। एक विधायी संशोधन जो न्यायिक निष्कर्ष के आधार को छीन लेता है, आई. बी. सी. द्वारा अपनी समय-सीमा पर जोर देने और हितधारकों के कई मामलों में शामिल होने की संभावना को विफल करने के प्रयास का संकेत है।

मुकदमें, केवल अनुचित देरी करने के इरादे से। देरी भी चिंता का कारण है क्योंकि परिसमापन मूल्य तेजी से कम हो जाता है। स्थगन लागू किए जाने और विलम्बित परिसमापन के बावजूद, कॉर्पोरेट ऋणदाता के मूल्य, सी. ओ. सी. की वसूली दर और परिणामस्वरूप, बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। एस्सार स्टील (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम 2019 के औचित्य पर जोर दिया, जिसने धारा 12 (3) में दूसरा प्रावधान पेश किया। अदालत ने बी. एल. आर. सी. की रिपोर्ट की ओर रुख किया, जिसमें एस. आई. सी. ए. के तहत पिछली दिवाला व्यवस्था और एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. में वसूली तंत्र की विफलता के कारण के रूप में कानूनी कार्यवाही में देरी को रेखांकित किया गया। इसने 2019 में संशोधन के प्रस्ताव की व्याख्या करने के लिए राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री का एक भाषण भी निकाला, जो

आईबीसी में समान नुकसान से बचने के लिए था। न्यायालय ने न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन के माध्यम से बोलते हुए कहा:

" 119. राज्यसभा के सदन में माननीय मंत्री के भाषण ने इस तथ्य को भी दर्शाया कि समय बीतने के साथ संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के त्वरित समाधान का मूल उद्देश्य कमजोर होता जा रहा है। इसलिए इस विधायी इरादे को बहाल करने के लिए समयबद्ध निर्णय लेना आवश्यक है। सदन में यह भी बताया गया कि संहिता के काम करने का अनुभव उत्साहजनक नहीं रहा है। मंत्री ने अपने भाषण में

राज्यसभा में निम्नलिखित तथ्य और आंकड़े दिए गए हैं:
" अब, कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) के संबंध में, संहिता के तहत, मैं आपको फिर से 30-6-2019 का डेटा देना चाहता हूं। सबसे पहले, मैं सी. आई. आर. पी. की स्थिति के बारे में बात करूंगा। भर्ती किए गए मामलों की संख्या 2162 है; अपील पर बंद किए गए मामलों की संख्या, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, 174 है; धारा 12-ए के तहत वापसी द्वारा बंद किए गए मामलों की संख्या 101 है, मैंने आपको थोड़ा बाद में डेटा दिया है; समाधान द्वारा बंद किए गए मामलों की संख्या 120 है; परिसमापन द्वारा बंद किया गया, ईबीआईएक्स सिंगापुर पीवीटी।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

475 ; और चल रहे सी. आई. आर. पी. 1292 हैं। इसलिए, अब, मैं प्रतीक्षा के दिनों की संख्या का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं यहां समय-सीमा के साथ-साथ चल रहे सी. आई. आर. पी. के विवरण का उल्लेख करना चाहूंगा। चालू सी. आई. आर. पी. 1292 हैं, जो आंकड़ा अभी मैंने आपको दिया है। 330 दिनों में, 335 मामले; 270 दिनों में, 445 मामले; 180 दिनों में और 270 दिनों से कम, 221 मामले; 90 दिनों में लेकिन 180 दिनों से कम, 349 मामले; 90 दिनों से कम, 277 मामले। लंबित दिनों की संख्या में समय शामिल है, यदि कोई हो, जिसे न्यायाधिकरणों द्वारा बाहर रखा गया है। तो, यह आपको एक तस्वीर देता है कि किस तरह का इंतजार है और इसलिए, हम क्यों चाहते हैं

इसके लिए संशोधनों में तेजी लाने के लिए "।

[.....]

123. चूंकि सदन में माननीय मंत्री का भाषण केवल उस उद्देश्य को इंगित करता है जिसके लिए संशोधन किया गया था। बनाया गया
और चूंकि इसमें कुछ डेटा है जिसे विज्ञापन देने के लिए उपयोगी है, इसलिए हम भाषण से सहायता लेते हैं, न कि संशोधित धारा 12 का अर्थ लगाने के लिए, बल्कि केवल यह समझाने के लिए कि अधिनियम का संशोधन क्यों किया गया।

2019 लाया गया था "।

127. एस्सार स्टील (ऊपर) में निर्णय को दोहराते हुए

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए आई. बी. सी. का तर्क एक प्रमुख कारक के रूप में, एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट के सिद्धांतों को टालना पड़ा, अर्थात, किसी भी व्यक्ति को अदालत की गलती के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए।

या प्रक्रिया में देरी। इस न्यायालय के उदाहरणों के बावजूद जो अन्यथा उन प्रावधानों को रद्द कर देते हैं जो एक वादी के मामले में हस्तक्षेप करते हैं।

बिना किसी अपवाद के कार्यवाही के अनिवार्य समापन द्वारा अनुच्छेद 14 के तहत गैर-मनमाना व्यवहार के मौलिक अधिकार, इस न्यायालय ने धारा 12 (3) के दूसरे परंतुक को पूरी तरह से रद्द करने से इनकार कर दिया। इसने नोट किया कि दिवाला के लिए पिछले वैधानिक प्रयोग विस्तारित कानूनी कार्यवाही के परिणामस्वरूप देरी के कारण विफल हो गए थे और शेष प्रावधान को बरकरार रखते हुए केवल 'अनिवार्य रूप से' शब्द को हटाने का फैसला किया। इसलिए, कानून जैसा कि है, सी. आई. आर. पी. के निष्कर्ष को अनिवार्य करता है-जिसमें कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय भी शामिल है, 330 दिनों के भीतर, केवल असाधारण मामलों में एक छोटे से विस्तार के साथ। हालाँकि, न्यायालय ने चेतावनी दी है कि इस विवेकाधिकार का उपयोग संयम से और केवल निम्नलिखित स्थितियों में किया जाना चाहिए:

" 127 ..... इस प्रकार, प्रावधान को अन्यथा अक्षुण्ण रखते हुए, हम "अनिवार्य रूप से" शब्द को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत स्पष्ट रूप से मनमाना और अत्यधिक [2021] 14 एस. सी. आर. के रूप में खारिज करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और वादी के जारी रखने के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत कार्य। इस घोषणा का प्रभाव यह है कि आम तौर पर निगमित देनदार की निगमित समाधान प्रक्रिया के संबंध में लिया गया समय दिवाला शुरू होने की तारीख से 330 दिनों की बाहरी सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें विस्तार और कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय शामिल है। हालांकि, किसी मामले के तथ्यों पर, यदि यह संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण को दिखाया जा सकता है कि दिवाला समाधान प्रक्रिया को 330 दिनों से अधिक पूरा करने के लिए केवल एक छोटी अवधि बची है, और यह कि सभी हितधारकों के हित में होगा कि निगमित ऋणदाता को परिसमापन में भेजे जाने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा किया जाए और कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय काफी हद तक उन कारकों के कारण है जिनके कारण न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष वादियों को दोष नहीं दिया जा सकता है, देरी या

उसका एक बड़ा हिस्सा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या स्वयं अपीलीय न्यायाधिकरण की धीमी प्रक्रिया के कारण होने के कारण, ऐसे मामलों में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 330 दिनों से अधिक समय बढ़ाने के लिए खुला हो सकता है। इसी तरह, धारा 12 में नए जोड़े गए परंतुक के तहत भी, यदि सभी उपरोक्त कारकों के कारण 2019 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 90 दिनों की अनुग्रह अवधि पार हो जाती है, तो फिर से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए समय बढ़ाने के लिए एक विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। केवल ऐसे असाधारण मामलों में ही समय बढ़ाया जा सकता है, सामान्य नियम यह है कि 330 दिन की बाहरी सीमा है जिसके भीतर निगमित देनदार की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान होना चाहिए, जिसके बाद निगमित देनदार को परिसमापन में धकेल दिया जाना है।

128. विधायी संशोधनों, विनियमों और न्यायिक व्याख्या की परस्पर क्रिया के माध्यम से आई. बी. सी. ढांचे का विकास, आई. बी. सी. की पूर्वानुमेयता और समयबद्धता पर लगातार जोर देता है। विधायिका और आई. बी. बी. आई. प्रक्रियात्मक ढांचे में संशोधन करने के लिए सक्रिय रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों का जवाब देते हैं। उदाहरण के लिए, विनियमन 40 (सी), जो 20 अप्रैल 2020 को लागू हुआ था, को सी. आई. आर. पी. विनियमों में जोड़ा गया था ताकि कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण सी. आई. आर. पी. को होने वाली देरी को ध्यान में रखा जा सके। विनियमन 40 (सी) में ईबीआईएक्स सिंगापुर पी. वी. टी. से संबंधित किसी भी गतिविधि को पूरा करने में देरी का प्रावधान है।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

लॉकडाउन लागू होने के कारण सी. आई. आर. पी. को वैधानिक ढांचे के तहत निर्धारित समय सीमा के उद्देश्यों के लिए नहीं गिना जाएगा। यदि सी. आई. आर. पी. निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तो निगम ऋणदाता को परिसमापन में भेज दिया जाता है। कानून के विकास की यह समझ न्यायिक व्याख्या के हमारे कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। हम निष्पक्ष विवेकाधिकार के साथ समाधान योजना की शर्तों पर स्वतंत्र रूप से बातचीत करने के लिए पक्षों की समानता और 'संविदात्मक स्वतंत्रता' की अमूर्त अवधारणाओं से प्रभावित नहीं हो सकते हैं, जो इस पर आधारित नहीं हैं।

129. आई. बी. सी. और नियम सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करते हैं। सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन या तो वित्तीय लेनदार, परिचालन लेनदार या खुद कॉर्पोरेट देनदार द्वारा आई. बी. सी. की धारा 7,9 और 10 के तहत दायर किया जाता है। एक बार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आवेदन स्वीकार किया जाता है, यह आई. बी. सी. की धारा 13 (1) के तहत निम्नलिखित आदेश पारित करता है: (i) आई. बी. सी. की धारा 14 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थगन की घोषणा; (ii) सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए सार्वजनिक घोषणा

करना और आई. बी. सी. की धारा 15 के तहत निर्दिष्ट किए जाने वाले दावों को प्रस्तुत करने के लिए आह्वान जारी करना; और (iii) आई. बी. सी. की धारा 16 के अनुसार आई. आर. पी. की नियुक्ति करना।

130. धारा 13 (2) में प्रावधान है कि आई. आर. पी. की नियुक्ति के तुरंत बाद सार्वजनिक घोषणा की जानी है। वह शब्द।

' तत्काल 'यहाँ का अर्थ है नियुक्ति की तारीख से तीन दिनों के बाद नहीं जैसा कि सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 6 (1) के स्पष्टीकरण में दिया गया है। आई. बी. सी. की धारा 15 उन सूचनाओं को सूचीबद्ध करती है जिन्हें सी. आई. आर. पी. की सार्वजनिक घोषणा में शामिल किया जाना चाहिए। इसमें वह अंतिम तिथि निर्दिष्ट की जानी चाहिए जिस तक ऋणदाताओं, कर्मचारियों और कर्मचारियों द्वारा आई. बी. सी. की धारा 3 (6) के तहत परिभाषित दावे, यानी भुगतान का अधिकार या उपचार का अधिकार किया जा सकता है। विनियम 6 (2) (सी) में प्रावधान है कि दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आई. आर. पी. की नियुक्ति की तारीख से चौदह दिन होगी। सार्वजनिक घोषणा यह भी निर्दिष्ट करती है कि

जिस तारीख को सी. आई. आर. पी. बंद होगा, जो धारा 7,9 या 10 के तहत आवेदन के प्रवेश की तारीख से एक सौ अस्सीवां दिन है, जो लागू हो सकता है। सी. आई. आर. पी. विनियमों का विनियम 6 सार्वजनिक घोषणा कैसे की जाए, इससे संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।

131. परिचालन लेनदारों, वित्तीय लेनदारों, श्रमिकों और कर्मचारियों से दावों की प्राप्ति पर, आई. आर. पी. लेनदारों [2021] 14 एस. सी. आर. की एक सूची तैयार करता है।

दावों की पुष्टि करने के बाद। विनियम 13 (1) में प्रावधान है कि सभी दावों का सत्यापन दावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से सात दिनों के भीतर किया जाना है। इसके बाद, आई. आर. पी. आई. बी. सी. की धारा 21 (1) के अनुसार एक सी. ओ. सी. का गठन करता है। सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 17 में कहा गया है कि आई. आर. पी. को दावों के सत्यापित होने के दो दिनों के भीतर सी. ओ. सी. के गठन को प्रमाणित करने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। आई. आर. पी. को उक्त विनियमन के तहत रिपोर्ट दाखिल करने के सात दिनों के भीतर सी. ओ. सी. की पहली बैठक आयोजित करने की आवश्यकता है। यदि सी. ओ. सी. द्वारा आर. पी. की नियुक्ति में देरी होती है, तो आई. आर. पी. को दिवाला शुरू होने की तारीख के चालीसवें दिन से आई. बी. सी. की धारा 22 के तहत आर. पी. की नियुक्ति होने तक आर. पी. के कार्य करने होते हैं।

132. सी. ओ. सी. अपनी पहली बैठक में आई. बी. सी. की धारा 22 (2) के अनुसार आर. पी. की नियुक्ति करता है। धारा 23 (1) में प्रावधान है कि आर. पी. पूरे सी. आई. आर. पी. के संचालन और संचालन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान निगमित देनदार। आर. पी. सी. आई. आर. पी. अवधि की समाप्ति के बाद कॉर्पोरेट ऋणदाता के संचालन का प्रबंधन तब तक जारी रखता है जब तक कि आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला आदेश पारित नहीं किया जाता है या आई. बी. सी. की धारा 34 के तहत परिसमापक नियुक्त नहीं किया जाता है। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगमित ऋणदाता तब तक एक चालू चिंता बना रहे जब तक कि निर्णय प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूरी नहीं दे दी जाती। आर. पी. की शक्तियाँ और कर्तव्य आई. बी. सी. की धारा 23 (2) के तहत सूचीबद्ध हैं।

133. महत्वपूर्ण, यदि सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, तो आर. पी. का कर्तव्य समाधान योजनाओं का अनुरोध करना है। आर. पी. को संभावित को आमंत्रित करने का अधिकार है।

समाधान आवेदक जो आर. पी. द्वारा निर्धारित और सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित मानदंडों को पूरा करते हैं, कॉर्पोरेट ऋणदाता की जटिलता और व्यावसायिक संचालन के पैमाने और आई. बी. बी. आई. द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य शर्तों पर विचार करते हुए, आई. बी. सी. की धारा 25 (2) (एच) के तहत समाधान योजना या योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा, किसी व्यक्ति को आई. बी. सी. की धारा 29ए के तहत समाधान आवेदक होने के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए। धारा 5 (25) एक संकल्प आवेदक को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती है:

" समाधान आवेदक का अर्थ है एक व्यक्ति, जो व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, के खंड (एच) के तहत किए गए निमंत्रण के अनुसार समाधान पेशेवर को एक समाधान योजना प्रस्तुत करता है।

धारा 25 की उप-धारा (2); या धारा 54 के के अनुसरण में,

मामला हो सकता है "। इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

134. समाधान योजना का अनुरोध करने की प्रक्रिया में पहला कदम एक आई. एम. तैयार करना है जिसमें प्रासंगिक जानकारी होती है जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है

आई. बी. बी. आई. आई. बी. सी. की धारा 29 (1) के अनुसार एक समाधान योजना तैयार करने के लिए। आई. एम. की सामग्री सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 36 (2) के तहत निर्दिष्ट की गई है। सी. आई. आर. पी. विनियमों का विनियम 36 (1) उन समयसीमा को निर्दिष्ट करता है जिनके भीतर आर. पी. को सी. ओ. सी. के सदस्यों को आई. एम. प्रस्तुत करना चाहिए, जो उनकी नियुक्ति के दो सप्ताह के भीतर है, लेकिन दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख से पचास-चौथे दिन के बाद नहीं, जो भी

पहले हो। इसके बाद, आर. पी. पात्र संभावित समाधान से रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए दिवाला शुरू होने की तारीख से पचहत्तरवें दिन के बाद ई. ओ. आई. का निमंत्रण जारी करता है।

सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 36 ए के संदर्भ में आवेदक। एक संभावित समाधान आवेदक को निमंत्रण के तहत निर्धारित समय के भीतर एक बिना शर्त ईओआई जमा करना आवश्यक है, जो निमंत्रण जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों से कम नहीं होगा। आर. पी. सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 36 ए (8) के संदर्भ में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर समाधान आवेदक का उचित परिश्रम करता है। इसके बाद, आर. पी. सी. ओ. सी. को ई. ओ. आई. जमा करने की अंतिम तिथि के दस दिनों के भीतर और ई. ओ. आई. जमा करने वाले सभी संभावित समाधान आवेदकों को योग्य संभावित समाधान आवेदकों की एक अस्थायी सूची जारी करता है। विनियम 36 ए भी निर्दिष्ट करता है वह समय सीमा जिसके भीतर सूची में किसी संभावित समाधान आवेदक को शामिल करने या बाहर करने के खिलाफ कोई आपत्ति की जा सकती है, जो सूची जारी होने के पांच दिन बाद है। आर. पी. को सी. ओ. सी. द्वारा आपत्तियों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि के दस दिनों के भीतर संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची प्रकाशित करनी होती है।

135. सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 36 बी के तहत, आर. पी. को संकल्प पर विचार करने के लिए आई. एम., मूल्यांकन मैट्रिक्स जारी करना होता है।

सूची में प्रत्येक संभावित समाधान आवेदक और किसी भी अन्य संभावित समाधान आवेदक, जिन्होंने सूची में उन्हें शामिल न करने का विरोध किया है, के लिए समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर योजना और आर. एफ. आर. पी.। विनियमन 36 बी निर्धारित करता है कि आर. एफ. आर. पी. में प्रत्येक प्रक्रिया और तरीके के विस्तृत चरण शामिल होंगे। आर. पी. और संभावित समाधान आवेदक के बीच बातचीत के उद्देश्यों के साथ-साथ संबंधित समय-सीमा। संभावित समाधान आवेदक को समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए कम से कम तीस दिन का समय दिया जाता है। आई. बी. सी. की धारा 5 (26) के तहत एक समाधान योजना को परिभाषित किया गया है:

" समाधान योजना का अर्थ है समाधान आवेदक द्वारा निगमित देनदार के दिवालिया होने के समाधान के लिए प्रस्तावित एक योजना।

भाग II के अनुसार;

स्पष्टीकरण। शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक समाधान योजना में निगमित देनदार के पुनर्गठन के प्रावधान शामिल हो सकते हैं, जिसमें विलय, समामेलन शामिल हैं।

और विखंडन; "

136. समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने की समय सीमा सी. ओ. सी. की मंजूरी से आर. पी. द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आर. एफ. आर. पी. के लिए समाधान आवेदक को एक प्रदर्शन प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता होनी चाहिए यदि उनकी समाधान योजना विनियमन 36 बी (4 ए) के तहत सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित है। निष्पादन प्रतिभूति जब्त हो जाएगी यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के बाद, समाधान आवेदक योजना को लागू करने में विफल रहता है या योजना के कार्यान्वयन की विफलता में योगदान देता है। विनियमन के तहत, एक प्रदर्शन सुरक्षा को "ऐसी प्रकृति, मूल्य, अवधि और स्रोत की सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे समाधान योजना की प्रकृति और कॉर्पोरेट के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए समिति के अनुमोदन के साथ समाधान योजनाओं के अनुरोध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

ऋणी "। विनियम 37 और 38 समाधान योजना की अनिवार्य सामग्री को सूचीबद्ध करते हैं। 137. आर. पी. को आई. बी. सी. की धारा 30 (2) के संदर्भ में प्रस्तुत समाधान योजना की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जो प्रदान करता है कि:

" धारा 30-समाधान योजना प्रस्तुत करना

[.....]

(2) समाधान पेशेवर प्रत्येक समाधान योजना की जांच करेगा।

उसे यह पुष्टि करने के लिए प्राप्त हुआ कि प्रत्येक समाधान योजना

(क) निगमित देनदार के अन्य ऋणों के भुगतान को प्राथमिकता देते हुए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के भुगतान का प्रावधान करता है; (ख) प्रचालन ऋणदाताओं के ऋणों के भुगतान के लिए ऐसी रीति का प्रावधान करता है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए जो -

से कम

(i) धारा 53 या ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. के तहत निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

स्पष्टीकरण 1. संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के प्रावधानों के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा। स्पष्टीकरण 2. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने की तारीख से

इस खंड के प्रावधान एक निगमित देनदार की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पर भी लागू होंगे। (i) जहाँ किसी समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार नहीं किया गया है;

((ii) जहां धारा 61 या धारा 62 के तहत कोई अपील की गई है या ऐसी अपील उस समय लागू कानून के किसी प्रावधान के तहत प्रतिबंधित नहीं है; या

((ग) जहाँ किसी समाधान योजना के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है;

(ग) के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रावधान करता है

समाधान योजना की मंजूरी के बाद निगमित देनदार;

(घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण;

(ई) उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है; (च) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है।

स्पष्टीकरण। खंड (ई) के प्रयोजनों के लिए, यदि कंपनी अधिनियम, 2013 ([2021] 14 एस. सी. आर. का 18) के तहत शेयरधारकों की किसी भी मंजूरी की आवश्यकता है।

माना जाएगा कि दिया गया है और यह एक नहीं होगा उस अधिनियम या कानून का उल्लंघन।

(जोर दिया गया)

आई. बी. सी. की धारा 30 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि आर. पी.

अनुमोदन के लिए सी. ओ. सी. के समक्ष उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान योजनाएं प्रस्तुत करेगा। धारा 30 की उप-धारा (4) में कहा गया है कि सी. ओ. सी. योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और आई. बी. बी. आई. द्वारा निर्दिष्ट ऐसी किसी भी आवश्यकता पर विचार करने के बाद कम से कम साठ-छह प्रतिशत के मत से एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकता है।

138. सी. ओ. सी. को आई. बी. सी. के तहत व्यापक अधिकार दिए गए हैं। यह हो सकता है।

आई. बी. सी. की धारा 33 (2) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन से पहले किसी भी समय निगमित ऋणदाता को परिसमापन करने का निर्देश दें। इसके अलावा, आईबीसी की धारा 12 ए के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अनुमति दे सकता है

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आई. बी. सी. की धारा 7,9 या 10 के तहत प्रस्तुत आवेदन को वापस लेना (यानी, क्रमशः वित्तीय लेनदार, परिचालन लेनदार और कॉर्पोरेट आवेदक द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत) यदि निकासी को सी. ओ. सी. के मतदान हिस्से के नब्बे प्रतिशत द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इस सवाल से निपटने के लिए कि क्या एक सफल समाधान आवेदक आई. बी. सी. की धारा 12 ए के तहत प्रदान किए गए मार्ग से पीछे हट सकता है, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने महाराष्ट्र सीमलेस बनाम. पद्मनाभन वेंकटेश ने कहा कि धारा 12 ए में निर्धारित निकास मार्ग समाधान आवेदक पर लागू नहीं होता है। उक्त प्रावधान में परिकल्पित प्रक्रिया केवल संहिता की धारा 7,9 और 10 को लागू करने वाले आवेदकों पर लागू होती है। हालाँकि, इस न्यायालय ने यह सवाल छोड़ दिया कि क्या एक सफल समाधान आवेदक "पूरी तरह से जब्त हो जाता है।" ऐसी प्रक्रिया से हटने का उनका अधिकार [सी. आई. आर. पी.] या नहीं ",

के

लिए खोलें

बाद में न्यायिक निर्धारण 9 95।

139. विनियम 39 (4) के संदर्भ में, आर. पी. प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा

सी. आई. आर. पी. को पूरा करने की अधिकतम अवधि से कम से कम पंद्रह दिन पहले, आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना। धारा 31 (1) में प्रावधान है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण समाधान योजना को मंजूरी देगा यदि वह संतुष्ट है कि वह धारा के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करता है।

30 (2) आई. बी. सी. अनिवार्य रूप से, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है

9 4 (2020) 11 एस. सी. सी. 467

95 पैरा 29, आई. बी. आई. डी.

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आई. बी. सी. की धारा 30 (2) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आर. पी. की भूमिका की जांच करें और खुद को संतुष्ट करें कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित योजना को आई. बी. सी. की धारा 31 (1)

के प्रावधान के तहत प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। एक बार जब समाधान योजना को न्यायनिर्णायक द्वारा अनुमोदित किया जाता है

प्राधिकरण, यह निगमित देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटरों और इसमें शामिल अन्य हितधारकों पर बाध्यकारी हो जाता है

समाधान योजना। आई. बी. सी. की धारा 31 (1) नीचे दी गई है:

" धारा 31-समाधान योजना की स्वीकृति

(1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि संकल्प

उप-धारा के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित योजना

(4) धारा 30 उप में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है। धारा 30 की धारा (2), यह आदेश द्वारा संकल्प को अनुमोदित करेगी।

योजना जो निगमित देनदार और उसके लिए बाध्यकारी होगी

केंद्र सरकार सहित कर्मचारी, सदस्य, ऋणदाता,

कोई राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण जिसके ऊपर कोई ऋण है।

उस समय के लिए किसी भी कानून के तहत उत्पन्न बकाया के भुगतान का सम्मान

लागू होना, जैसे कि ऐसे अधिकारी जिनके लिए वैधानिक बकाया है

समाधान में शामिल बकाया, गारंटर और अन्य हितधारक

योजना बनाएँ।

कि समाधान योजना में इसके प्रभावी होने के लिए प्रावधान हैं कार्यान्वयन "।

(जोर दिया गया)

धारा 31 के तहत बाध्यकारी समाधान योजना का उल्लंघन है

आई. बी. सी. की धारा 74 (3) के तहत दंडनीय। आई. बी. सी. की धारा 74 (3) इस प्रकार प्रदान करती है:

" धारा 74-अधिस्थगन के उल्लंघन के लिए दंड या

समाधान योजना

[.....]

(3) जहाँ निगमित ऋणी, उसका कोई अधिकारी या लेनदार या कोई भी व्यक्ति जिस पर अनुमोदित समाधान योजना बाध्यकारी है

धारा 31, जानबूझकर और जानबूझकर किसी भी शर्त का उल्लंघन करती है।

ऐसी समाधान योजना या इस तरह के उल्लंघन को बढ़ावा देता है, ऐसे निगमित ऋणी, अधिकारी, लेनदार या व्यक्ति दंडनीय होगा -

एक वर्ष से कम का कारावास, लेकिन पांच [2021] 14 एस. सी. आर. तक बढ़ सकता है।

वर्ष, या जुर्माने के साथ जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा,

लेकिन यह एक करोड़ रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ सकता है।

140. यदि समाधान योजना निर्णयकर्ता द्वारा अस्वीकार कर दी जाती है

प्राधिकरण, निगमित देनदार के अनुसार परिसमापन में जाता है आईबीसी की धारा 33 (1)। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश को अस्वीकार करना

समाधान योजना और आई. बी. सी. की धारा 33 के तहत परिसमापन का निर्देश केवल भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर अपील की जा सकती है, जैसा कि आई. बी. सी. की धारा 61 (4) के तहत निर्धारित किया गया है। समाधान योजना को मंजूरी देने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ आई. बी. सी. की धारा 61 (3) के तहत एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष केवल उसमें निर्दिष्ट आधारों पर अपील की जा सकती है।

अनुभाग। अपील के आधार इस प्रकार हैं:

" धारा 61-अपील और अपीलीय प्राधिकरण

[.....]

(3) धारा 31 के तहत समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील निम्नलिखित आधारों पर दायर की जा सकती है, अर्थात्: —
((i) अनुमोदित समाधान योजना उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है।

((ii) निगमित दिवाला समाधान अवधि के दौरान समाधान पेशेवर द्वारा शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता हुई है;

(iii) निगमित देनदार के परिचालन ऋणदाताओं को देय ऋणों का समाधान योजना में इस तरह से प्रावधान नहीं किया गया है।

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट;
((iv) अन्य सभी ऋणों की तुलना में प्राथमिकता से पुनर्भुगतान के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का प्रावधान नहीं किया गया है; या

(v) समाधान योजना किसी अन्य मानदंड का पालन नहीं करती है।

(4) धारा 33, या धारा 54 एल की उप-धारा (4), या धारा 54 एन की उप-धारा (4) के तहत पारित परिसमापन आदेश के खिलाफ अपील भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी के आधार पर दायर की जा सकती है। इस तरह के परिसमापन आदेश के संबंध में प्रतिबद्ध।

141. सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 39 (5) के तहत, आर. पी. को ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. को स्वीकार करने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश की एक प्रति भेजना आवश्यक है।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

या समाधान योजना को 'तत्काल आधार' पर अस्वीकार करना। विनियम 39 (5 ए) निर्दिष्ट करता है कि समाधान योजना को मंजूरी देने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश की तारीख के पंद्रह दिनों के भीतर, आरपी को प्रत्येक को सूचित करना चाहिए।

समाधान योजना के तहत ऋणों के भुगतान के लिए सिद्धांत या सूत्र के बारे में दावेदार।

142. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आई. बी. सी. की धारा 12 उस समय सीमा को निर्धारित करती है जिसके भीतर सी. आई. आर. पी. को पूरा किया जाना है। आर. पी. के निर्देश पर

सी. ओ. सी. सी. आई. आर. पी. के विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है। सी. आई. आर. पी. विनियमों का विनियम 40 ए सी. आई. आर. पी. के लिए एक विस्तृत मॉडल समयरेखा प्रदान करता है जो कानून और विनियमों द्वारा अनुमत सभी प्रक्रियात्मक घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। विनियमन 40 ए नीचे दिया गया है:

" 40 - ए. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए मॉडल समय-सीमा। निम्नलिखित तालिका एक मॉडल समयरेखा प्रस्तुत करती है

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया इस धारणा पर कि अंतरिम समाधान पेशेवर को प्रक्रिया शुरू होने की तारीख को नियुक्त किया जाता है और उपलब्ध समय सौ है

और अस्सी दिन:

धारा/विनियमन गतिविधि का विवरण

न

वीनतम

नॉर्म

सम

यरेखा

धारा 16 (1)

शुरुआत

टी.

की नियुक्ति

आईआरपी

विनियम 6 (1)

सार्वजनिक

3 दिनों के भीतर टी +

3

में से

घोषणा

दावे आमंत्रित करना

नियुक्ति

आईआरपी का

अनुभाग

प्रस्तुत करना

14 दिनों के लिए टी +

14

दावे

से

15 (1) (ग)/विनियम

6 (2) (ग) और 12 (1)

आईआरपी का

90 वें दिन टी + 90 तक

प्रस्तुत करना

विनियम 12 (2)

दावे

में से

प्रारंभ [2021]

14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7 दिनों के भीतर। टी +

21

विनियम 13 (1)

का सत्यापन

प्राप्त दावे

से

की रसीद

के तहत

दावा करें

विनियमन

12 (1)

का सत्यापन

टी + 97

प्राप्त दावे

के तहत

विनियमन

12 (2)

के लिए आवेदन

धारा 21 (6ए)

2 दिनों के भीतर टी +

23

(ख)/विनियम 16-ए

की नियुक्ति

से

एआर

का सत्यापन

प्राप्त दावे। टी + 23

विनियम 17 (1)

रिपोर्ट करें।

के तहत

प्रमाणित करना

विनियमन

का संविधान

12 (1)

सीओसी

7 दिनों के भीतर टी +

30]

अनुभाग

1 की पहली बैठक

22 / विनियम 19 (2)

दाखिल करने का

सीओसी

का संविधान

सीओसी, लेकिन

पाँच दिनों के साथ

नोटिस करें।

धारा 22 (2)

के लिए संकल्प

पहले टी + 30 में

की बैठक

आर. पी. नियुक्त करें

सीओसी

सीओसी

धारा 16 (5)

की नियुक्ति

मंजूरी मिलने पर

एए

आरपी

आई. आर. पी. का प्रदर्शन

विनियम 17 (3)

यदि आरपी टी + 40

नहीं है

के कार्य

द्वारा नियुक्त

आरपी तक आरपी है

40 का दिन

नियुक्त किया गया।

शुरुआत

7 दिनों के भीतर टी + 47]

की नियुक्ति

विनियम 27

मूल्यांकनकर्ता

नियुक्ति की

आरपी का, लेकिन नहीं

47 वें से बाद में

दिन।

में से

नौवीं शुरुआत सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एमपी सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

प्रस्तुत करना

जारी करने से पहले

डब्ल्यू.

के लिए आवेदन

अनुशासनात्मकता

ईओआई

की वापसी

आवेदन

स्वीकार किया।

7 दिनों के भीतर

निपटाने के लिए सी. ओ. सी.

डब्ल्यू + 7

उसकी रसीद या

में से

द.

7 के दिन

आवेदन

का संविधान

सीओसी,

जो भी हो

बाद में।

फाइलिंग

3 दिनों के भीतर। डब्ल्यू + 10

का आवेदन

द्वारा अनुमोदन

वापस लेना, यदि

सीओसी

मंजूरी मिल गई।

द्वारा

सीओसी 90 प्रतिशत के साथ

बहुमत मतदान,

आरपी से एए तक

75 दिनों के भीतर। टी + 75

आयन 35-ए

आर. पी. बनाने के लिए

राय

द.

में से

पर

तरजीही और

शुरुआत

अन्य

लेन-देन

भीतर

115 टी + 115

आर. पी. एक बनाने के लिए

दृढ़ संकल्प

दिन।

में से

वरीयता पर

शुरुआत

और

अन्य

लेन-देन

भीतर

फाइल के लिए आर. पी.

135 टी + 135

के लिए आवेदन

दिन।

में से

एए

के लिए

शुरुआत

उपयुक्त

राहत

आयन 36 (1)

2 सप्ताह के भीतर

टी + 54

प्रस्तुत करना

नियुक्ति की

आईएम से सी. ओ. सी.

आरपी का, लेकिन नहीं

54 वें से बाद में

दिन।

में से

शुरुआत

फॉर्म जी प्रकाशित करें

75 दिनों के भीतर टी + 75

आयन 36-ए

में से

का निमंत्रण

शुरुआत

ईओआई

कम से कम 15

प्रस्तुत करना

टी + 90

जारी होने के दिन

ईओआई

में से

ईओआई

(मान लीजिए 15

दिन)

अस्थायी सूची

10 दिनों के भीतर टी +

100

अंतिम समय से

आरपी द्वारा आरएएस का

प्राप्ति का दिन

ईओआई का

5 दिनों के लिए टी + 105

प्रस्तुत करना

आपत्तियाँ

तारीख से

को

अस्थायी सूची

अनंतिम

सूची

अंतिम सूची

10 दिनों के भीतर टी +

115

रसीद की

आरपी द्वारा आरएएस

आपत्तियों का

विनियम 36-बी

5 दिनों के भीतर टी +

105

आरएफआरपी का मुद्दा,

सहित

के मुद्दे पर

अनंतिम

मूल्यांकन

सूची

मैट्रिक्स और आईएम

रसीद

में से

कम से कम 30। टी +

135

जारी होने के दिन

समाधान

योजनाएं

आरएफआर

पी

में से

(मान लीजिए 30

दिन)

विनियम 39 (4)

प्रस्तुत करना

जल्द ही।

टी +

165 के रूप में

सीओसी ने मंजूरी दी

मंजूरी मिल गई।

द्वारा

सीओसी

समाधान योजना

एए के लिए

धारा 31 (1)

की स्वीकृति

टी = 180

समाधान योजना

एए द्वारा

एए: न्यायनिर्णायक प्राधिकरण; एआर: अधिकृत प्रतिनिधि;

सी. आई. आर. पी: निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया; सी. ओ. सी.: समिति

लेनदारों का; ईओएल: रुचि की अभिव्यक्ति; आईएम: जानकारी

ज्ञापन; आई. आर. पी.: अंतरिम समाधान पेशेवर; आर. ए.:

समाधान आवेदक; आरपी: समाधान पेशेवर; आर. एफ. आर. पी.: निवेदन

समाधान योजना के लिए "।

143. सी. आई. आर. पी. को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा बनाना चाहता है।

दिवाला को कुशल, व्यापक और समय पर हल करने के लिए एक तंत्र। आई. बी. सी. किसी भी देरी को कम करने के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता के सी. आई. आर. पी. को शुरू करने के लिए एक विस्तृत रैखिक प्रक्रिया प्रदान करता है।

प्रक्रिया और विवादों में अनिश्चितता। सी. आई. आर. पी. में महत्वपूर्ण अभिनेताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को आई. बी. सी. और इसके नियमों के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आईसीआईसीआई बैंक "इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि" संहिता के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक भारत में दिवाला कानून को एक कानून के तहत लाना है।

96 (2018) 1 एस. सी. सी. 407, पैरा 13.

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

दिवालियापन में तेजी लाने के उद्देश्य से एकल एकीकृत छत्र

प्रक्रिया "। हाल ही में, गुजरात ऊर्जा (ऊपर) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि दिवाला को पूरा करने में देरी हो रही है।

सी. आई. आर. पी. को पूरा करना और पारदर्शिता, निश्चितता और दिवाला समाधान प्रक्रिया में पूर्वानुमान। UNCITRAL गाइड

यह भी कहा गया है कि किसी क्षेत्राधिकार का दिवाला कानून पारदर्शी और पूर्वानुमेय होना चाहिए। यह निम्नलिखित शब्दों 9 8 में ऐसी पूर्वानुमेयता के मूल्य को नोट करता है।

" 11. दिवाला कानून पारदर्शी और पूर्वानुमेय होना चाहिए। यह संभावित ऋणदाताओं और लेनदारों को यह समझने में सक्षम बनाएगा कि दिवाला प्रक्रिया कैसे संचालित होती है और इससे जुड़े जोखिम का आकलन कैसे किया जा सकता है

जोखिमों का आकलन किया जा सकता है और किसी भी विवेक की सीमाओं को परिभाषित करने में मदद की जा सकती है। दिवाला कानून के अप्रत्याशित अनुप्रयोग में न केवल सभी प्रतिभागियों के विश्वास को कम करने की क्षमता है दिवाला कार्यवाही, लेकिन दिवाला से पहले ऋण और अन्य निवेश निर्णय लेने की उनकी इच्छा भी। जहां तक संभव हो, एक दिवाला कानून को अन्य कानूनों के उन सभी प्रावधानों को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए जो दिवाला कार्यवाही के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं (जैसे। श्रम कानून; वाणिज्यिक और अनुबंध कानून; कर कानून; विदेशी मुद्रा को प्रभावित करने वाले कानून, नेट और सेट-ऑफ और इक्विटी अदला-बदली के लिए ऋण; और यहां तक कि परिवार और वैवाहिक कानून)।

इस न्यायालय को दिवाला प्रक्रिया में किसी भी तत्व को पेश करने में सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए जिससे अप्रत्याशितता, देरी और नुकसान हो सकता है।

97 (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन 194, पैरा 71। 9 8 98 पृष्ठ 13, UNCITRAL गाइड, उपर्युक्त 56 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समाधान पेशेवर द्वारा न्यायनिर्णायक को प्रस्तुत किए जाने के बाद आवेदक अपनी समाधान योजना को वापस लेने या संशोधित करने का हकदार है। प्राधिकरण और उससे पहले आईबीसी की धारा 31 (1) के तहत बाद वाले द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

समाधान योजना को सफलतापूर्वक वापस लेना

जे.

आई. बी. सी. के तहत समाधान आवेदक

जे. 1 एक विधायी हुक या एक नियामक तंत्र की अनुपस्थिति

निकासी को सक्षम करने के लिए

144. सी. आई. आर. पी. को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे के विश्लेषण और दिवाला विधि समिति की आवधिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि

ऋणदाता एक चालू संस्था के रूप में, कर्मचारियों के व्यवसाय और रोजगार को संरक्षित करने के लिए; दूसरा, निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना और परिसमापन की तुलना में अपने लेनदारों को अधिक भुगतान करने में सक्षम बनाना; और तीसरा, मूल्य में और गिरावट को रोकने के लिए एक समयबद्ध सी. आई. आर. पी. विफल होने की स्थिति में परिसमापन के लिए एक सहज और तेज़ संक्रमण को सक्षम करना। 145. चूँकि क़ानून का उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदार और सी. ओ. सी. के हितों की रक्षा करना है, इसलिए यह माना गया कि निपटान

निगमित देनदार और सी. ओ. सी. के बीच संबंध सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में हो सकता है क्योंकि दिवालिया होने से बचा जा सकता है। इस न्यायालय की दो न्यायाधीश पीठों के दो निर्णय, लोखंडवाला कटारिया कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड बनाम। निसस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एलएलपी 9 9 9 और उत्तरा फूड्स एंड फीड्स (पी) लिमिटेड v. मोना फार्माचेम ने (धारा 12 ए को शामिल करने से पहले, जिसने पक्षों के बीच समझौते के कारण सी. आई. आर. पी. को वापस लेने में सक्षम बनाया था), एन. सी. एल. टी. नियम 2016 के नियम 11 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके या पार्टियों की शक्ति का उपयोग करके इस उपाय को लागू करने से इनकार कर दिया था।

दिवाला और दिवालियापन (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम 2016 के नियम 8 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन। उत्तरा फूड्स (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एक बार की राहत दी थी क्योंकि इससे पहले सभी पक्ष उपस्थित थे। और इसे हस्ताक्षरित सहमति शर्तों के साथ प्रस्तुत किया था। प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने के लिए अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से बचने के लिए कार्रवाई का यह तरीका

9 9 (2018) 15 एससीसी 589

100 (2018) 15 एस. सी. सी. 587 ई. बी. आई. एक्स सिंगापुर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

और जिन उपचारों की क़ानून द्वारा विशेष रूप से परिकल्पना नहीं की गई थी,

सी. आई. आर. पी. विनियमों के नए जोड़े गए और फिर अपरिवर्तित विनियम 30 ए (डब्ल्यू. ई. एफ. 4 जुलाई 2018) में निर्धारित किया गया है कि धारा 12 ए के तहत निकासी की अनुमति आई. आर. पी. या आर. पी. (जैसा भी मामला हो) को आवेदन जमा करके दी जा सकती है, इससे पहले कि ई. ओ. आई. के लिए जनता को निमंत्रण जारी किया जाए। सी. ओ. सी. को अपने गठन के सात दिनों के भीतर आवेदन पर विचार करना था और इस तरह के आवेदन के लिए सी. ओ. सी. के मतदान हिस्से के नब्बे प्रतिशत की

मंजूरी की आवश्यकता थी। हालाँकि, 14 दिसंबर 2018 को, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने ब्रिलियंट अलॉयज (पी) लिमिटेड बनाम. एस. राजगोपाल 1 02 ने कहा कि विनियमन 30ए निर्देशिका है, और प्रकृति में अनिवार्य नहीं है क्योंकि आईबीसी की धारा 12ए एक समय सीमा निर्धारित नहीं करती है जिसके द्वारा सीआईआरपी से निकासी की जा सकती है। इस प्रकार, धारा 12ए के तहत सी. आई. आर. पी. से असाधारण मामलों में निकासी ई. ओ. आई. के निमंत्रण जारी होने के बाद भी आई. बी. सी. की अनुमति दी जा सकती है। सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 30ए को इस न्यायालय के निर्णय को दोहराने के लिए 25 जुलाई 2019 से आई. बी. बी. आई. (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया था। नया संशोधित प्रावधान ब्याज की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण जारी होने के बाद भी निकासी की अनुमति देता है, बशर्ते कि आवेदक इस तरह की निकासी को उचित ठहराते हुए कारण बताए। इसी तरह, 25 जनवरी 2019 को स्विस रिबन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 12ए के वास्तविक महत्व की व्याख्या की और स्पष्ट किया कि यदि -

सी. ओ. सी. का अभी तक गठन नहीं किया गया है, एक पक्ष न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है, जो एन. सी. एल. टी. नियम 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वापस लेने के लिए आवेदन की अनुमति या अस्वीकार कर सकता है या

101 पृष्ठ 5 और 101, दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट, निगम कार्य मंत्रालय (मार्च 2018) यहां उपलब्ध है: //आईबीबी। गव. में/अपलोड/संसाधन / आईएलआररिपोर्ट 2603 _ 03042018। पी. डी. एफ.> 20 अगस्त 2021 को पहुँचा गया 102 (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 3154 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समझौता। 25 जुलाई 2019 को, आई. बी. बी. आई. (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 ने धारा 12ए की व्याख्या करने में इस निर्णय के संदर्भ में विनियम 30ए में संशोधन किया और अब विशेष रूप से आई. बी. सी. के तहत प्रक्रिया प्रदान करता है जो सी. ओ. सी. के गठन से पहले धारा 12ए के तहत निकासी को प्रभावित करने से संबंधित है। आवेदक आई. आर. पी. के माध्यम से निकासी के लिए एक आवेदन सीधे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस तरह के आवेदन पर विचार करने के लिए सी. ओ. सी. का गठन अभी तक नहीं किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निकासी की प्रक्रिया समय पर और कुशल है, वर्तमान विनियमन 30ए प्रदान करता है

कि आई. आर. पी. रसीद के तीन दिनों के भीतर आवेदक की ओर से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सी. ओ. सी. के गठन से पहले सी. आई. आर. पी. को वापस लेने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। वैकल्पिक रूप से, यदि निकासी के लिए आवेदन सी. ओ. सी. के गठन के बाद किया जाता है, तो इस तरह

के आवेदन पर सी. ओ. सी. द्वारा इसकी प्राप्ति के सात दिनों के भीतर विचार किया जाएगा। यदि सी. ओ. सी. नब्बे प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी के साथ इस तरह के आवेदन को मंजूरी देता है, तो इसे मंजूरी के तीन दिनों के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना है। इसके अलावा, निकासी के लिए आवेदन के साथ आई. आर. पी. की लागत (सी. ओ. सी. के गठन से पहले निकासी के मामले में) या दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत (जहां निकासी के बाद होती है) से संबंधित अनुमानित खर्चों के लिए बैंक गारंटी होनी चाहिए।

सी. ओ. सी. का गठन)। यह स्पष्ट है कि सी. आई. आर. पी. को वापस लेने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब यह सी. ओ. सी. के हितों को बनाए रखता है, समयबद्ध है, और इस बात पर विचार करता है कि दिवालिया प्रक्रिया से संबंधित खर्च कैसे होते हैं।

निकासी वहन की जाएगी। इस प्रकार, यहां तक कि सी. ओ. सी. की धारा 12 ए के तहत निकास, जो समाधान आवेदक के लिए उपलब्ध नहीं है, प्रक्रियात्मक प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है जो दर्शाता है कि विधायिका ने अपना दिमाग लगाया है। सी. आई. आर. पी. में शामिल समयसीमा और लागतों के लिए। उल्लेखनीय रूप से, विनियमों में संभावित समाधान आवेदकों या एक सफल समाधान आवेदक को देय किसी भी लागत का प्रावधान नहीं है, जिन्होंने प्रक्रिया में भाग लेने में महत्वपूर्ण खर्च किया होगा। इस न्यायालय ने महाराष्ट्र में निर्बाध (ऊपर) एक प्रस्ताव आवेदक को राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसने धारा 12 ए को लागू करने की मांग की थी।

समाधान योजना। कानून की प्रकृति इसके उद्देश्य की स्पष्टता को इंगित करती है-उन लेनदारों के हितों की प्रधानता जो चाहते हैं

सी. आई. आर. पी. के माध्यम से अपने नुकसान में कटौती करें। समानता या निष्पक्षता के पारंपरिक मॉडल और समझ जो राहत चाहते हैं जो क़ानून के लक्षयों के साथ गलत तरीके से जुड़े हुए हैं और पक्षों के बीच परिकल्पित आर्थिक समन्वय को परेशान करते हैं, उन्हें न्यायिक व्याख्या के माध्यम से क़ानून में नहीं पढ़ा जा सकता है। जबकि दलों को कुछ ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. पर बातचीत करने की स्वतंत्रता है।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

समाधान योजना की वाणिज्यिक शर्तों को व्यापक समर्थन प्राप्त करने के लिए, बातचीत करने की उनकी क्षमता शासी क़ानून द्वारा सीमित है। एक अदालत समाधान योजना में प्रस्तुत बातचीत की गई व्यवस्थाओं की व्याख्या इस तरह से नहीं कर सकती है जो आई. बी. सी. के उद्देश्यों में बाधा डालती है जो एक त्वरित, पूर्वानुमेय और समय पर समाधान है। समाधान आवेदक को पहले आई. बी. सी. और इसके तंत्र के बारे में पता माना जाता है।

यह मैदान में उतरता है और अपने अंतर्निहित उद्देश्यों से बंधे रहने के लिए सहमति देता है। एक समाधान आवेदक, सूचनात्मक उपयोगिताओं के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋणदाता की वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के बाद और माना जाता है कि आई. एम. ने निगमित देनदार के व्यवसाय में जोखिमों का विश्लेषण किया है और एक सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह आई. बी. सी. के नीतिगत उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ शक्तियों और अधिकारों को निहित करने की मांग नहीं कर सकता है जिन्हें क़ानून के तहत विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से हटा दिया गया है। एक अदालत इस तरह के विस्तृत मार्गदर्शन को निर्धारित करने में सक्षम नहीं हो सकती है कि वैधानिक समय सीमा को बाधित किए बिना और लेनदारों और अन्य लोगों के हितों का पर्याप्त मूल्यांकन किए बिना एक सफल समाधान आवेदक को निकासी के लिए एक तंत्र, यदि कोई हो, कैसे प्रदान किया जा सकता है।

हितधारक, जो अंततः विधायी नीति का विषय है। एस्सार स्टील (ऊपर) मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने के शशिधर 103 1 0 3 (ऊपर) मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की पुष्टि की, जिसमें न्यायनिर्णयन को प्रतिबंधित किया गया था।

समाधान आवेदक के कहने पर इसे वापस लेने की योजना बनाएं या सहमत हों। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण केवल सी. ओ. सी. को धारा 31105 के तहत अनुमोदन या अस्वीकृति की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पहले, आई. बी. सी. की धारा 30 (2) के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समाधान योजना के कुछ तत्वों पर फिर से विचार करने का निर्देश दे सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार बनाम। पी लक्ष्मी देवी 1 06, की संवैधानिकता का निर्धारण करते हुए एक कानून के रूप में, इस न्यायालय ने कहा कि उसे विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करने से सावधान रहना चाहिए, विशेष रूप से आर्थिक और नियामक विधान से संबंधित मामलों में। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

103 पैरा 62, उपर्युक्त नोट 35

104 पैरा 64-73, उपर्युक्त नोट 35 105 पैरा 73, एस्सार स्टील उपर्युक्त नोट 34 106 (2008) 4 एससीसी 720 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 80. जहां तक आर्थिक और अन्य विनियामक कानूनों का संबंध है, न्यायिक न्यायालय द्वारा संयम का पालन किया जाना चाहिए और अधिक अक्षांश का पालन किया जाना चाहिए।

की संवैधानिकता का निर्णय करते समय विधायिका को दिया जाए

कानून क्योंकि न्यायालय में आर्थिक या

प्रशासनिक विशेषज्ञ। इन मामलों में इसकी कोई विशेषज्ञता नहीं है। और विशेषज्ञता के इस युग में जब नीतियों को

विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद बहुत सावधानी से रखा गया

मैदान, अदालत के लिए अतिक्रमण करना पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण होगा

विधायिका) और अपने स्वयं के विचारों को लागू करने का प्रयास करें और धारणाएँ '।

(जोर दिया गया)

146. न्यायिक संयम का प्रयोग न केवल निर्णय लेते समय किया जाना चाहिए

आर्थिक नीति से संबंधित कानून की संवैधानिकता पर, लेकिन आर्थिक कानूनों की व्याख्या के मामलों में भी, जहां न्यायालय के व्याख्यात्मक युद्धाभ्यास का प्रभाव विधायिका की कानून बनाने की शक्ति का उल्लंघन करने और विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के नाजुक संतुलन को बाधित करने का होता है। विवेकपूर्ण मामलों में न्यायिक संयम का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय के पास न तो आवश्यक विशेषज्ञता है और न ही आर्थिक नीति की दिशा तय करने के लिए हितधारकों या विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने की शक्ति है। एक अदालत आई. बी. सी. के तहत अन्य प्रक्रियात्मक चरणों और समयसीमा को प्रभावित किए बिना एक सफल समाधान आवेदक द्वारा निकासी या संशोधन की शक्ति के प्रयोग के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करने में अक्षम हो सकती है। इस प्रकार, मूल को नियंत्रित करने वाले कानून में हस्तक्षेप करते समय न्यायिक संयम का प्रयोग किया जाना चाहिए।

आई. बी. सी. जैसी प्रक्रिया के माध्यम से परिणाम। इस मामले में, यदि समाधान आवेदकों को बाद में संशोधन करने की अनुमति है

कानून के रूप में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के बाद बातचीत या वापसी, यह सभी संभावित लोगों के वाणिज्यिक ज्ञान और सौदेबाजी की रणनीतियों को निर्धारित करेगी।

समाधान आवेदक जो प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं और

सफल समाधान आवेदक जो अपने मामले के लिए विशिष्ट असंख्य कारकों के कारण एक बेहतर सौदे पर बातचीत करना चाहते हैं। इस कार्रवाई की व्यापक वैधता अकेले विधायिका द्वारा तय की जा सकती है, क्योंकि किसी भी अन्य कार्रवाई के परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी की झड़ी लग जाएगी जिससे आई. बी. सी. को अस्वीकार करने में देरी होगी।

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

147. आई. बी. सी. इस बात पर चुप है कि क्या यह एक सफल समाधान है

आवेदक अपनी समाधान योजना को वापस ले सकता है। हालांकि, आई. बी. सी. और सी. आई. आर. पी. विनियमों के तहत निर्धारित वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। एक चरण-दर-चरण प्रक्रिया जिसका पालन आरंभ से किया जाना है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के लिए सी. आई. आर. पी.। विनियमन 40ए सी. आई. आर. पी. के लिए एक मॉडल-समयरेखा का वर्णन करता है जो प्रत्येक के लिए जिम्मेदार है।

सी. आई. आर. पी. के प्रारंभ और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के बीच उत्पन्न होने वाली संभावना, जिसमें धारा 12ए के तहत सी. आई. आर. पी. को वापस लेने के लिए दबाव डालने के विभिन्न चरण शामिल हैं। यहां तक कि आर. एफ. आर. पी. में संशोधन की परिकल्पना सी. आई. आर. पी. नियमों द्वारा की गई है और यह एक समय सीमा के अधीन है। एक सफल समाधान आवेदक के लिए क़ानून के तहत निर्धारित किए गए किसी भी निकास मार्ग की अनुपस्थिति आई. बी. सी. के किसी भी प्रयास पर प्रतिबंध का संकेत है। उसके कहने पर वापस लेना। केसस ओमिसस का नियम व्याख्या का एक स्थापित नियम है, जो प्रदान करता है कि एक क़ानून में एक चूक न्यायिक निर्माण द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने अपने आधिकारिक ग्रंथ, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत 107 में, के नियम को परिभाषित किया है

केसस ओमिसस इस प्रकार:

" यह उसी सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है कि एक मामला जो

होना चाहिए था, लेकिन एक क़ानून में प्रदान नहीं किया गया है

अदालतों द्वारा आपूर्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए कानून होगा निर्माण नहीं। लेकिन ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि एक मामला

चूक मौजूद है और अदालत को अनुमति देने वाली भाषा से बचना चाहिए

एक केसस ओमिसस बनाना जहाँ कोई नहीं है "।

(जोर दिया गया)

इस ग्रंथ में आगे चर्चा की गई है कि इस नियम से एक प्रस्थान है

केवल उन मामलों में अनुमति दी जाती है जहां शब्दों को दुर्घटनावश हटा दिया गया है या चूक का क़ानून के किसी भी हिस्से को अर्थहीन बनाने का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, कानून में केवल ऐसे शब्दों की आपूर्ति की जा सकती है जो निश्चित रूप से संसद द्वारा शामिल किए गए होते, अगर चूक उसके संज्ञान में आती। संबंधित अनुच्छेद नीचे निकाला गया है:

" जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि किसी कानून में शब्दों को पढ़ने की अनुमति नहीं है। जो वहाँ नहीं हैं, लेकिन "जहाँ दोनों के बीच विकल्प निहित है

गलती से हटा दिया गया, या एक निर्माण को अपनाना जो वंचित करता है सभी अर्थों के कुछ मौजूदा शब्द, इसकी आपूर्ति करने की अनुमति है

107 जी. पी. सिंह, वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत (पहला संस्करण, लेक्सिसनेक्सिस 2015)

शब्द "। शाब्दिक निर्माण के नियम से हटना वैध हो सकता है ताकि क़ानून के किसी भी हिस्से को अर्थहीन होने से रोका जा सके। इरादे को प्रभावी बनाने के लिए शब्दों को पढ़ा भी जा सकता है।

अधिनियम में किसी चूक को सुधारने के लिए किसी भी शब्द को पढ़ने से पहले, यह निश्चित रूप से कहना संभव होना चाहिए कि ये या इसी तरह के शब्द ड्राफ्ट्समैन द्वारा जोड़े गए होते और संसद द्वारा अनुमोदित किए गए होते यदि पहले चूक की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया होता। विधेयक कानून में पारित हो गया।

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, लॉकडाउन के कारण कई समाधान योजनाएं न्यायनिर्णायक अधिकारियों के समक्ष लंबित रहीं

और सुनवाई को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं। 5 जून 2020 को तेजी से एक अध्यादेश जारी किया गया था, जिसमें 25 मार्च 2020 से छह महीने (एक वर्ष तक बढ़ाने योग्य) के लिए आई. बी. सी. की धारा 7,9 और 10 के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत का अस्थायी निलंबन लगाया गया था। इसके बाद आई. बी. सी. के माध्यम से एक संशोधन किया गया (दूसरा

संशोधन) अधिनियम 2020 23 सितंबर 2020 को जिसमें एक

संशोधन) विनियम 2020, जिसने 20 अप्रैल 2020 को विनियम 40 सी को 29 मार्च 2020 से लागू किया, और अन्यथा सख्त समय-सीमा के पालन के उद्देश्यों के लिए इस तरह की देरी को बाहर रखा। हाल ही में, आई. बी. सी. (संशोधन) अध्यादेश 2021 को 04 अप्रैल 2021 से लागू किया गया था, जिसमें व्यवसायों को संरक्षित करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे एम. एस. एम. ई. और एक त्वरित दिवाला प्रक्रिया। सफल समाधान आवेदकों की ओर से एक कोलाहल हुआ है जो अब नहीं चाहते हैं

देश में प्रत्येक व्यवसाय को प्रभावित करने वाली आर्थिक मंदी के कारण उनकी प्रस्तुत समाधान योजनाओं की शर्तों का पालन करें जो धारा 31 के तहत अनुमोदन के लिए लंबित हैं। हालाँकि, पिछले अठारह महीनों में निकासी या पुनः बातचीत को सक्षम करने के लिए कोई विधायी राहत प्रदान नहीं की गई है। आई. बी. सी. के तहत एक सफल समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना को वापस लेने की

अनुमति देने वाले किसी भी प्रावधान के अभाव में, समाधान आवेदक को न्यायिक व्याख्या की प्रक्रिया के माध्यम से ऐसी राहत देना अस्वीकार्य होगा।

ऐसा न्यायिक ए. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अभ्यास उन बुराइयों को लाएगा जिन्हें आई. बी. सी. पिछले दरवाजे से दूर करना चाहता था।

148. यह ध्यान देने योग्य है कि UNCITRAL गाइड भी ऐसा करता है।

प्रस्तुत योजना को वापस लेने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह केवल समाधान योजना में संशोधन की संभावनाओं पर चर्चा करता है। द. UNCITRAL गाइड इंगित करता है कि यह विचार करता है कि विधानमंडल को यह चुनना चाहिए कि क्या वह प्रस्तुत संकल्प योजना में किसी भी संशोधन की अनुमति देना चाहता है। यदि ऐसा होता है, तो उसे प्रस्तुत समाधान योजना 08 में संशोधन प्रस्तावित करने के विस्तृत कदमों को निर्धारित करना चाहिए। वास्तव में, यहां तक कि समाधान आवेदक के बीच बातचीत का दायरा और

सी. ओ. सी. की परिकल्पना विशेष रूप से क़ानून 09 द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा, यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. गाइड में परिकल्पना की गई है कि इसमें संशोधन किए जा सकते हैं -

समाधान योजना को केवल सीमित परिस्थितियों में लेनदारों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसमें उल्लेख किया गया है कि, "दिवाला कानून में ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित होने के बाद (और पुष्टि से पहले और बाद में दोनों) संशोधित की जाने वाली योजना के लिए सीमित प्रावधान शामिल हो सकते हैं यदि इसका कार्यान्वयन टूट जाता है या यह प्रदर्शन में असमर्थ पाया जाता है, चाहे वह पूरी तरह से हो या आंशिक रूप से, और विशिष्ट समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि कानून द्वारा अनुमति दी जाती है, तो सिफारिशें ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदन के बाद संशोधन के लिए एक तंत्र की स्थापना का दृढ़ता से आग्रह करती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, संशोधन के लिए ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदन और संशोधनों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता के परिणामों का विवरण होता है। बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट ने आई. बी. सी. 1 1 2 को डिजाइन करते समय यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. गाइड पर भरोसा किया है और यह विधायी विकल्प और इरादे का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। संसद ने आई. बी. सी. के तहत कोई स्पष्ट प्रावधान पेश नहीं किया है

108 IV.A.52।, पृष्ठ 225 और अनुशंसा 155: " 155. दिवाला कानून को एक योजना के संशोधन की अनुमति देनी चाहिए और उन पक्षों को निर्दिष्ट करना चाहिए जो संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं और जिस समय पर योजना में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें प्रस्तुत करने और अनुमोदन, अनुमोदन और पुष्टि के बीच, पुष्टि के बाद और कार्यान्वयन के दौरान, जहां कार्यवाही खुली रहती है। UNCITRAL गाइड, ऊपर नोट 56

109 आइबीआइडी। 110 IV। ए. 66, यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. गाइड का पृष्ठ 230, ऊपर टिप्पणी 56 111 अनुशंसा 156: " दिवाला कानून को लेनदारों द्वारा अनुमोदित योजना में संशोधनों के अनुमोदन के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए। उस तंत्र के लिए ऋणदाताओं और इससे प्रभावित अन्य पक्षों को सूचना देने की आवश्यकता होनी चाहिए

प्रस्तावित संशोधन; नोटिस देने के लिए आवश्यक पक्ष को निर्दिष्ट करें; संशोधन से प्रभावित लेनदारों और अन्य पक्षों के अनुमोदन की आवश्यकता है; और पुष्टि के लिए नियमों (जहां पुष्टि की आवश्यकता है) को संतुष्ट करने की आवश्यकता है। दिवाला कानून को प्रस्तावित संशोधनों की मंजूरी हासिल करने में विफलता के परिणामों को भी निर्दिष्ट करना चाहिए। , UNCITRAL गाइड, उपर्युक्त टिप्पणी 56

112 11 2 3.

1 , उपर्युक्त

टिप्पणी 55 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऋणदाताओं की मंजूरी के बाद समाधान योजना के किसी भी संशोधन की अनुमति देने के लिए, उस समय समाधान योजना को वापस लेने की शक्ति की तो बात ही छोड़िए। स्टेज। साथ ही, कॉर्पोरेट देनदार और सी. ओ. सी.

सी. आई. आर. पी. से हटने का अधिकार। यदि यह पक्षकारों को निर्णय प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के बाद समाधान योजना में संशोधन करने की अनुमति देने का इरादा रखता है, तो समाधान योजना की अपनी विशिष्ट शर्तों के आधार पर, यह UNCITRAL द्वारा उजागर किए गए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को अपनाता।

जे. 2 समाधान योजना की शर्तें पर्याप्त नहीं हैं -

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के बाद प्रभावी निकासी या संशोधन

149. तीन अपीलार्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक समाधान योजना केवल तभी बाध्यकारी होती है जब इसे न्यायनिर्णायक द्वारा अनुमोदित किया जाता है। आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के तहत प्राधिकरण। इसके अलावा, आई. बी. सी. की धारा 74 (3) में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर समाधान योजना का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है या दंडित किया जा सकता है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, सफल समाधान आवेदक अपने संविदात्मक प्रावधानों की शर्तों पर योजना को वापस लेने का हकदार है, जब तक कि इसे आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के तहत बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। हमने धारा एच में कहा है कि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना आई.

बी. सी. की एक रचना है और आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत इसके अनुमोदन से पहले इसे दो सहमति देने वाले पक्षों के बीच एक शुद्ध अनुबंध के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस खंड में,

उपरोक्त निष्कर्ष से स्वतंत्र, हम इस तर्क की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि समाधान योजना की शर्तें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के बाद इसकी सामग्री को संशोधित करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रख सकती हैं।

150. आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी से समाधान योजना को सभी हितधारकों पर बाध्यकारी बनाने का प्रभाव पड़ता है। इन हितधारकों में कर्मचारी शामिल हैं

निगमित ऋणी जिसकी रोजगार की शर्तें समाधान योजना द्वारा शासित होंगी, केंद्र और राज्य सरकारें जो समाधान योजना की शर्तों के आधार पर अपना कर बकाया प्राप्त करेंगी और स्थानीय प्राधिकरण जिन्हें बकाया है। ये हितधारक सी. आई. आर. पी. में प्रत्यक्ष प्रतिभागी नहीं हैं, लेकिन आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के आधार पर इसके परिणाम से बाध्य हैं। धारा 31 (1) यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होने के बाद समाधान योजना सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी हो जाए। धारा 31 (1) की भाषा का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि एक समाधान योजना अनिश्चित है या वापस लेने या संशोधन के लिए खुली है जब तक कि यह ईबीआईएक्स सिंगापुर पी. वी. टी. नहीं है।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या कि यह सी. ओ. सी. और सफल समाधान आवेदक के बीच बाध्यकारी नहीं है। का विनियम 39 (4)

सी. आई. आर. पी. विनियमों में कहा गया है कि आर. पी. को पी. बी. जी. की रसीद और फॉर्म एच के रूप में अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ धारा 12 के तहत सी. आई. आर. पी. की वैधानिक अवधि समाप्त होने से कम से कम पंद्रह दिन पहले योजना प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए।

330 दिनों के भीतर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। इस तीन सौ तीस दिन की अवधि को केवल असाधारण परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है, यदि प्रक्रिया समाप्त होने के करीब है और आई. बी. सी. के उद्देश्य को पूरा करती है, जैसा कि एस्सार स्टील (ऊपर) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया है। इसलिए, आर. पी. को अपने फॉर्म एच में और अन्यथा विनियमन 40 बी के माध्यम से सभी वैधानिक रूप से परिकल्पित देरी के लिए लेखांकन करने के बाद, प्रक्रिया में समाधान योजना प्रस्तुत करने के बीच पंद्रह दिनों की अवधि की परिकल्पना की गई है।

और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इसका अनुमोदन या अस्वीकृति। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कानून निर्णय प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले एक निश्चित स्तर की अंतिमता की परिकल्पना करता है। यहां तक कि सी. ओ. सी. को भी निर्णयकर्ता को समाधान योजना प्रस्तुत करने के बाद कई समाधान योजनाओं को मंजूरी देने या ई. ओ. आई. का अनुरोध करने की अनुमति नहीं है। प्राधिकरण, जो संभवतः विचार में होगा यदि समाधान आवेदक को सी. ओ. सी. द्वारा स्वीकृति के बाद योजना से हटने या संशोधित करने की अनुमति दी गई थी। विनियमन 36 बी (4 ए) में एक निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिसे यदि कोई समाधान आवेदक योजना को लागू करने में विफल रहता है तो जब्त कर लिया जाएगा। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा योजना को मंजूरी देने से पहले इसे एकत्र किया जाता है। विशेष रूप से, नियम भी ज़ब्ती का निर्देश देते हैं

151. बी. एल. आर. सी. की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सी. आई. आर. पी. में बातचीत समयबद्ध होनी चाहिए और इसमें यह परिकल्पना की गई है कि बातचीत करने का एक तरीका यह है कि सी. आई. आर. पी. का समापन यह है कि आर. पी. सी. ओ. सी. 1.13 से एक बाध्यकारी समझौता प्राप्त करने में सक्षम है। इस तरह के बाध्यकारी समझौते को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता है, जो सी. आई. आर. पी. को बंद करने का आदेश देता है। यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को बाध्यकारी समझौता नहीं मिलता है, तो वह निगमित ऋणदाता को परिसमापन में भेज सकता है। प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे निकाले गए हैं:

113 5.3. 4 , बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, उपर्युक्त टिप्पणी 55 [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 5.3. 4 आई. आर. पी. बंद करने के नियम

समिति इस बात से सहमत है कि संहिता को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है

इकाई का समय मूल्य यह सुनिश्चित करके कि बातचीत में

आई. आर. पी. समयबद्ध है। कोड में कहा गया है कि आई. आर. पी. में एक डिफ़ॉल्ट है

अधिकतम समय सीमा जिसका सख्ती से पालन किया जाता है, चाहे

लेनदार समिति ने एक समाधान की पहचान की है। दूसरी तरफ

पक्ष, समिति का यह भी विचार है कि, यदि कोई समाधान हो सकता है

कम समय सीमा के भीतर पहचाने जाने पर प्रक्रिया को पूरा करना होगा

आई. आर. पी. को कम समय अवधि में भी बंद कर दें। द.

समिति का प्रस्ताव है कि आई. आर. पी. बंद हो सकती है।

दोनों में से कोई भी तरीका। या तो आरपी बाध्यकारी प्राप्त करने में सक्षम है

ऋणदाता समिति के बहुमत से समझौता या

आई. आर. पी. की शुरुआत में निर्णायक। यदि दोनों में से कोई भी शर्त पूरी हो जाती है, तो न्यायनिर्णायक आई. आर. पी. को बंद करने का आदेश जारी करेगा। हालांकि,

ऑर्डर स्थिति के आधार पर अलग-अलग होंगे। यदि आर. पी. प्रस्तुत करता है

पूर्वनिर्धारित से पहले न्यायनिर्णायक के लिए एक बाध्यकारी समझौता

आई. आर. पी. मामले को समाप्त करने के आदेश के साथ बंद करें इकाई "।

(जोर दिया गया)

152. बाध्यकारी प्रकृति, जैसा कि सी. ओ. सी. और सफल के बीच है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत संकल्प योजना का समाधान आवेदक इस तथ्य से और अधिक प्रमाणित होता है कि

सी. ओ. सी. एक सफल समाधान आवेदक को एक एल. ओ. आई. जारी करता है जिसमें कहा जाता है कि उसे सफल समाधान आवेदक के रूप में चुना गया है और इसकी योजना को अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। सफल समाधान आवेदक को आम तौर पर एल. ओ. आई. को बिना शर्त स्वीकार करने और पी. बी. जी. जमा करने की आवश्यकता होती है। क्रमिक रूप से, एक एल. ओ. आई. जारी करने के बाद सफल समाधान आवेदक द्वारा इसकी बिना शर्त स्वीकृति की जाती है। में।

एमटेक ऑटो (ऊपर), इस अदालत ने एक सफल समाधान आवेदक के इसी तरह के प्रयास को विफल कर दिया, जिसने अपनी समाधान योजना में कुछ खुले खंडों पर भरोसा किया था ताकि सी. ओ. सी. को बातचीत करने के लिए मजबूर किया जा सके। अपनी समाधान योजना में संशोधन। समाधान योजना को निर्णय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था और समाधान आवेदक के आई. ए. पर विचार नहीं किया गया था। समाधान आवेदक ने तब सिंगापुर पी. वी. टी. को समाप्त करने की मांग की थी।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आई. बी. सी. की धारा 61 (3) के तहत समाधान योजना की मंजूरी को उसी राहत की मांग करके चुनौती दें। इस अदालत ने दावे को खारिज कर दिया और

यह देखा गया कि "[टी] ओ इस बात पर जोर देता है कि बातचीत की कोई गुंजाइश थी।

153. विनियम 38 (3) आदेश देता है कि एक समाधान योजना विशिष्ट समय सीमा के साथ व्यवहार्य, व्यवहार्य और कार्यान्वित करने योग्य हो। एक समाधान योजना जिसका सफल के कहने पर कार्यान्वयन वापस लिया जा सकता है

समाधान आवेदक स्वाभाविक रूप से व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि संशोधनों/वापसी पर खुले खंडों का मतलब होगा कि योजना एक अनिर्धारित चरण में विफल हो सकती है, अनिश्चित हो सकती है, जिसमें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के बाद भी शामिल है। एक ओर यह अभिधारणा करना असंगत है कि समाधान योजना की शर्तों के बावजूद, धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के बाद किसी भी वापसी या संशोधन की अनुमति नहीं है; और दूसरी ओर, यह तर्क देना कि वापसी या संशोधन से संबंधित समाधान योजना की शर्तों का सम्मान किया जाना चाहिए, सी. ओ. सी. की मंजूरी के बावजूद, लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन से पहले। पहली स्थिति आई. बी. सी. के इरादे, उद्देश्य और उद्देश्य और धारा 31 का अनुसरण करती है, और बाद वाले को आई. बी. सी. की संरचना और उद्देश्य द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। आई. बी. सी. सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन के चरण और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अनुमोदन के बीच एक समाधान आवेदक के संबंध में समाधान योजना के बाध्यकारी चरित्र में एक द्विभाजन की परिकल्पना नहीं करता है। एक समाधान आवेदक पर एक समाधान योजना की बाध्यकारी प्रकृति, जो योजना का प्रस्तावक है जिसे सी. ओ. सी. द्वारा स्वीकार किया गया है, समाधान आवेदक के विवेक पर अनिश्चित नहीं रह सकता है। समाधान आवेदक और सी. ओ. सी. के बीच बातचीत सी. ओ. सी. की मंजूरी के बाद समाप्त हो जाती है। एकमात्र शर्त जो बनी हुई है वह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी है, जिसके पास आई. बी. सी. की धारा 30 (2) के संदर्भ में समाधान योजना की कानूनी वैधता की पुष्टि या इनकार करने का सीमित अधिकार क्षेत्र है। यदि धारा 30 (2) की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के तहत सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित योजना की पुष्टि करेगा।

154. यदि अपीलार्थियों का दावा सफल होना था, तो एक खंड जो एक समाधान आवेदक को वापस लेने/संशोधन की मांग करने में सक्षम बनाता है जैसे कि समाधान आवेदक द्वारा एक 'सामग्री प्रतिकूल घटना' भी स्थापित की जा सकती है।

जब उस पर धारा 74 (3) के तहत मुकदमा चलाया जा रहा हो। हमारे सामने यह तर्क दिया गया था कि फॉर्म एच, जो एक अनुपालन प्रमाण पत्र है जो [2021] 14 एस. सी. आर. होना है।

आर. पी. द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया

समाधान योजना में उल्लेख किया गया है कि आर. पी. इस बारे में विवरण दर्ज कर सकता है कि क्या समाधान योजना खंड 12 के तहत किसी भी शर्त के अधीन है। इस प्रकार, तर्क यह है कि यह समाधान आवेदक को समाधान योजना में कुछ आकस्मिकताओं को निर्धारित करने की अनुमति देता है जिसके तहत वह योजना को वापस ले सकता है, उदाहरण के लिए यदि कोई 'सामग्री प्रतिकूल घटना' की घटना होती है। एक प्रपत्र क़ानून के अधीन है। फॉर्म एच में विचार की गई शर्तें वे हो सकती हैं जो आई. बी. सी. की जड़ पर प्रहार नहीं करती हैं। इनमें वाणिज्यिक स्थितियाँ और व्यवसाय शामिल हो सकते हैं।

सी. ओ. सी. के साथ व्यवस्था। हालांकि, निकासी या पुनः भुगतान के लिए शर्तें

समाधान योजना की बातचीत 'व्यवहार्यता' और 'कार्यान्वयन क्षमता' की कसौटी को पार नहीं कर सकती क्योंकि वे समाधान प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

अनिश्चित और अप्रत्याशित। के. शशिधर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने समाधान योजना का मूल्यांकन करने के लिए धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर चर्चा करते हुए कहा है कि समाधान योजना "एक समग्र विश्वसनीय योजना होनी चाहिए, जो आम तौर पर संहिता में निर्दिष्ट समय सीमा को प्राप्त करने में सक्षम होनी चाहिए, जो कॉर्पोरेट देनदार के सफल पुनरुद्धार का आश्वासन देती है और अंतहीन अटकलों को खारिज करती है"। आई. बी. सी. की धारा 30 (2) (डी) और सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 38 में यह भी प्रावधान है कि समाधान योजना लागू करने योग्य होनी चाहिए। सफल समाधान आवेदक द्वारा निकासी या यहां तक कि संशोधन की अनुमति देने वाली विशिष्ट वैधानिक भाषा के अभाव में, समाधान योजना की शर्तों के आधार पर ऐसे विकल्प के अस्तित्व का संकेत देना मुश्किल होगा, भले ही वे फॉर्म एच में खंड 12 का हिस्सा न हों, जैसा कि इस वर्तमान अपील में विवादित तीनों समाधान योजनाओं के मामले में है।

155. दिवाला और दिवालियापन कानून समिति ने मार्च 2018 में जारी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि कई सशर्त समाधान योजनाएं वैधानिक मंजूरी पर अनिश्चितता के कारण न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जा रहा था, जैसे कि प्रतियोगिता द्वारा

भारत आयोग, और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन

इसे "एकल खिड़की अनुमोदन" के रूप में माना जा रहा था। यह आई. बी. सी. के इरादे का उल्लंघन था। रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" 16.1 सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 37 (1) में कहा गया है कि एक समाधान योजना आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रदान करेगी।

114 पैरा 60 ऊपर नोट 35 115 ऊपर नोट 100 ईबीआईएक्स सिंगापुर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों से।

हालांकि, वह समय सीमा जिसके भीतर इस तरह की मंजूरी की आवश्यकता होती है

प्राप्त करने के लिए, एक बार एक समाधान योजना द्वारा अनुमोदित किया गया है

एन. सी. एल. टी., संहिता या सी. आई. आर. पी. विनियमों में प्रदान नहीं किया गया है।

समिति ने विचार-विमर्श किया कि अंतिम प्राप्त करने की जिम्मेदारी के रूप में अनुमोदन सफल समाधान आवेदक के अनुसार होगा।

समाधान योजना स्वयं, संहिता को निर्दिष्ट करना चाहिए कि समयरेखा

प्रासंगिक कानून में निर्दिष्ट के रूप में होगा, और यदि के लिए समयरेखा

संबंधित कानून के तहत अनुमोदन एक वर्ष से कम है

समाधान योजना का अनुमोदन, फिर अधिकतम एक वर्ष होगा

सुसंगत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रावधान किया जाए, और धारा 31

इसे प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधन किया जाएगा।

16.2 इसके अलावा, समिति ने नोट किया कि कोई प्रावधान नहीं है

पर एक संकेत प्राप्त करने की आवश्यकता पर संहिता में संबंधित नियामकों या प्राधिकरणों का रुख, यदि

समाधान योजना से पहले समाधान योजना पर आवश्यक

एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित। इसे लाया गया था

समिति का ध्यान कि इसके परिणामस्वरूप कई

एन. सी. एल. टी. द्वारा सशर्त समाधान योजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। और कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदन के रूप में माना जा रहा था

'एकल खिड़की अनुमोदन'। यह उद्देश्य नहीं है संहिता, समिति ने एक की शुरूआत पर विचार-विमर्श किया

से प्रारंभिक अवलोकन प्राप्त करने के लिए तंत्र एक के संबंध में संबंधित नियामकों और अधिकारियों

समाधान योजना सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित और प्रस्तुत की गई

एन. सी. एल. टी. की मंजूरी के लिए, लेकिन एन. सी. एल. टी. की मंजूरी से पहले।

(जोर दिया गया)

दिवाला और दिवालियापन विधि समिति ने अपनी दिनांकित रिपोर्ट में

फरवरी 2020 1 16 ने कहा कि प्राप्त करने की वर्तमान प्रथा समाधान योजना की मंजूरी के बाद सरकारी मंजूरी मिली है

समाधान योजना के कार्यान्वयन के बारे में अनिश्चितता पैदा की। समिति ने सुझाव दिया कि इस अनिश्चितता को कम किया जा सकता है यदि आई. बी. सी. में संशोधन किया जाता है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एक बार सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद, इसे सरकारी और नियामक प्राधिकरणों के साथ साझा किया जाएगा, अनुमोदन के लिए जो कॉर्पोरेट ऋणदाता के व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक हैं। यदि पैंतालीस दिनों के भीतर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने मंजूरी दे दी है।

यदि आपत्तियाँ उठाई जाती हैं या सशर्त अनुमोदन दिए जाते हैं, तो समाधान आवेदक को निर्णय प्राधिकरण के समक्ष समाधान योजना रखने से पहले आपत्तियों को दूर करने या शर्तों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद इस योजना को अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा। समिति ने आगे सुझाव दिया कि पैंतालीस दिनों की इस समय सीमा को गणना से बाहर रखा जाना चाहिए आई. बी. सी. की धारा 12 के तहत समयसीमा। प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

संहिता को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि एक बार सी. ओ. सी. द्वारा एक समाधान योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद, इसे सभी संबंधितों को भेजा जाना चाहिए। सरकार और नियामक प्राधिकरण जिनके अनुमोदन हैं

व्यवसाय के निरंतर संचालन के लिए मूल

निगमित देनदार, उनकी मंजूरी या आपत्तियों के लिए। यदि वे पैंतालीस दिनों के भीतर अपनी आपत्तियाँ नहीं उठाते हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं मानी जाएगी। यह योजना तब होगी

अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखा गया। यदि सरकार और नियामक एजेंसियां कोई मुद्दा उठाती हैं

आपत्तियाँ या सशर्त अनुमोदन प्रदान करना, संकल्प आवेदक आपत्तियों को दूर करने या पूरा करने का प्रयास कर सकता है

योजना रखने से पहले अनुमोदन के लिए शर्तें

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का अनुमोदन, जहां यह धारा 12 के तहत प्रदान की गई समय सीमा के भीतर किया जा सकता है।

हालांकि, जहां यह संभव नहीं है, योजना को अभी भी अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष रखा जा सकता है, और

सफल समाधान आवेदक को एक वर्ष की अवधि के भीतर आपत्तियों को दूर करना चाहिए या अनुमोदन की शर्तों का पालन करना चाहिए। समाधान योजना की स्वीकृति।

14.9 . यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह समय-रेखा के साथ संरेखित हो

संहिता में प्रदत्त संकल्प, समिति

सिफारिश की कि चालीस-पाँच दिनों की अवधि दी जाए

सरकारी और नियामक एजेंसियों को बाहर रखा जाना चाहिए।

की धारा 12 के तहत समय सीमा की गणना से

कोड। यद्यपि समिति के कुछ सदस्यों का विचार था कि इस समय-रेखा को आदर्श रूप से साथ-साथ चलना चाहिए। सी . आई. आर. पी. अवधि में, समिति ने महसूस किया कि यह बहिष्कार उचित होगा क्योंकि यह सरकारी ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

काफी हद तक अनुमोदन, जिससे अधिक से अधिक मूल्य बढ़ेगा

संकल्प, इस पैंतालीस दिनों की अवधि में खोए गए मूल्य की भरपाई, यदि कोई हो

जिसमें निगमित देनदार को एक चालू संस्था के रूप में चलाया जाएगा।

(जोर दिया गया)

विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए समय-सीमा को कड़ा करने का उद्देश्य

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अनुमोदन से पहले मूल अनुमोदन के प्रावधान के माध्यम से यह संकेत मिलता है कि आई. बी. सी. के तहत वैधानिक ढांचे ने लगातार ऐसी स्थितियों से बचने का प्रयास किया है जो दिवाला समाधान प्रक्रिया में अप्रत्याशितता पैदा कर सकती हैं और प्रक्रिया को यथासंभव रैखिक बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा, दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

ऊपर चर्चा की गई फरवरी 2020 1 1 7 इंगित करती है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष रखी गई समाधान योजना एक निश्चित अंतिमता तक पहुंच जाए, यहां तक कि सरकारी अनुमोदनों के संदर्भ में भी। एक शर्त जो सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद आगे की बातचीत, संशोधन या वापसी की अनुमति देती है, केवल आई. बी. सी. के तहत परिकल्पित समयबद्ध प्रक्रिया को पटरी से उतार देगी।

156. विनियमन 40 ए में सी. आई. आर. पी. के लिए एक मॉडल-समय सीमा की परिकल्पना की गई है।

इस समयरेखा से किसी भी विचलन को विशेष रूप से समझाया जाना चाहिए

प्रपत्र एच. विनियम 40 बी के खंड 10 में आर. पी. सी. आई. आर. पी. के विभिन्न चरणों में आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने के लिए आर. पी. पर एक समय सीमा लगाता है, जिसमें किसी भी स्तर पर देरी के कारण विस्तार की मांग करने वाले प्रपत्र भी शामिल हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर इन फॉर्मों को भरने में विफलता के परिणामस्वरूप आईबीबीआई द्वारा आरपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, जैसा कि फैसले की धारा I में चर्चा की गई है, सी. आई. आर. पी. के तहत विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए विभिन्न अनिवार्य समयसीमाएं लागू की गई हैं। यदि विधायिका सफल समाधान आवेदकों द्वारा निकासी या बाद की बातचीत की अनुमति देने का इरादा रखती है, तो उसने इस तरह के विकल्प के प्रयोग के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की होगी। न्यायिक व्याख्या द्वारा सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना प्रस्तुत करने के बाद निकासी या संशोधन की शक्ति को मान्यता देने से वैधानिक समयसीमा में खलल पड़ेगा और सी. आई. आर. पी. में देरी होगी, जिससे संभावित परिसमापन की स्थिति में कॉर्पोरेट ऋणदाता की परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी आएगी। इसलिए, यह निर्णय लेने के लिए कि क्या निर्णय आवेदक के कहने पर संशोधन या वापसी के विकल्प की अनुमति न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के बाद दी जानी चाहिए, अधिनियम के कार्यकरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर विधायिका के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

जिन शर्तों और सुरक्षा उपायों में इसकी अनुमति दी जा सकती है और इसके प्रयोग के लिए अपनाई जाने वाली वैधानिक प्रक्रिया।

157. कानून की स्पष्ट शर्तों के आधार पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास वापसी या संशोधन की अनुमति देने का अधिकार नहीं है।

बीमार औद्योगिक कंपनियों के लिए एक मसौदा योजना में संशोधन करने की शक्ति के साथ पुनर्निर्माण, आई. बी. सी. की धारा 31 (2) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण केवल धारा 30 (2) में निर्धारित आधारों के आधार पर योजना की वैधता की जांच कर सकता है और या तो योजना को मंजूरी दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सी. ओ. सी. को बातचीत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। एक सफल समाधान आवेदक के साथ आगे। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृति के बाद धारा 33 के तहत अनिवार्य परिसमापन का निर्देश दिया जाता है। धारा 30 (2) समाधान योजना को अलग करने की परिकल्पना नहीं करती है क्योंकि समाधान आवेदक निष्पादित करने के लिए तैयार नहीं है।

यह अपनी स्वयं की समाधान योजना की शर्तों पर आधारित है। 158. इसके अलावा, ऐसी कोई शक्ति धारा 60 (5) (सी) के संदर्भ में अपने अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास निहित नहीं की जा सकती है। गुजरात ऊर्जा (ऊपर) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, "एन. सी. एल. टी. का अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र [धारा के तहत]

60 (5) (ग)] हालांकि चौड़ा है, फिर भी आईबीसी के पाठ द्वारा परिभाषित किया गया है।

आई. बी. सी. 118 के व्यापक लक्षयों के अनुरूप है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को उसे प्रस्तुत की गई समाधान योजनाओं को वापस लेने की अनुमति देने का प्रभाव, उसे एक ऐसी शक्ति प्रदान करना होगा जिसकी आई. बी. सी. द्वारा परिकल्पना नहीं की गई है और क़ानून के उद्देश्यों को विफल करना होगा, जो कॉर्पोरेट ऋणदाताओं का समय पर और पूर्वानुमेय दिवालिया समाधान चाहता है। 159. 2019 में धारा 12 में संशोधन के बाद जो सी. आई. आर. पी. के निष्कर्ष के लिए 330 दिनों की बाहरी सीमा को अनिवार्य करता है (जिसका उल्लंघन किया जा सकता है)।

एस्सार स्टील (उपरोक्त) में असाधारण परिस्थितियों में ही, यह आई. बी. सी. के उद्देश्य के विपरीत होगा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को धारा 60 (5) (सी) के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाए ताकि इन समयसीमा को संभावित रूप से बढ़ाया जा सके ताकि सी. ओ. सी. या तो एक नया आर. एफ. आर. पी. जारी कर सके।

118 पैरा 163-164, उपर्युक्त नोट 38 EBIX सिंगापुर PVT।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

समाधान योजना को एक सफल समाधान आवेदक द्वारा वापस लिया जाता है या समाधान आवेदक के साथ आगे की बातचीत का निर्देश दिया जाता है जो योजना में संशोधन की मांग कर रहा है, जिसकी विफलता के परिणामस्वरूप भी वापस लिया जा सकता है। लगभग 180 वर्षों तक सी. आई. आर. पी. के चरणों से गुजरने के बाद एक सफल समाधान आवेदक द्वारा निकासी का संभावित परिणाम

(बशर्ते कि सभी वैधानिक समय-सीमाओं का सख्ती से पालन किया गया हो) परिसंपत्तियों के मूल्य के आगे बढ़ने के बाद अनिवार्य रूप से विलम्बित परिसमापन होगा। अवमूल्यन किया। मुकदमेबाजी या अन्यथा के कारण हस्तक्षेप में देरी की स्थिति में, देरी और भी अधिक गंभीर होगी। यदि कोई सी. ओ. सी., निर्णायक प्राधिकरण द्वारा सफल लोगों के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

आर्थिक नीति के लिए लाभकारी, जिसे उसने आगे बढ़ाने की कोशिश की है आई. बी. सी. को लागू करते हुए, इसमें घड़ी को वापस सेट करने या एक निश्चित अवधि के बाद निकासी होने पर तत्काल परिसमापन का निर्देश देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई होगी। उदाहरण के लिए, विनियमन 36 बी (5) के तहत आर. एफ. आर. पी. या मूल्यांकन मैट्रिक्स में किसी भी संशोधन को आर. एफ. आर. पी. का एक नया मुद्दा माना जाता है और समाधान योजना प्रस्तुत करने की समय सीमा नए सिरे से शुरू होती है। संसद ने अपीलार्थियों द्वारा तर्कित संभाव्यता के लिए प्रावधान करने के लिए कानून नहीं बनाया है।

160. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आगे के संशोधनों की अनुमति देने के लिए धारा 60 (5) के तहत अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देना या

सफल समाधान आवेदक के कहने पर निकासी, एस्सार स्टील (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुरूप होगी, जिसमें कहा गया था कि "धारा 60 (5) (सी) का उपयोग संहिता की धारा 30 (2) के बाहर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण में कुछ विवेकाधीन या इक्विटी क्षेत्राधिकार के निवेश द्वारा आई. बी. सी. की धारा 31 (1) को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा निर्णय की जा रही समाधान योजना की बात आती है।

के तथ्यात्मक विश्लेषण

161. हमने इस फैसले की धारा एच में कहा है कि समाधान योजनाएं अपने आप में पारंपरिक अनुबंध की प्रकृति में नहीं हैं और सी. ओ. सी. द्वारा उनके निर्माण और स्वीकृति की प्रक्रिया है -

दिवाला ढांचे द्वारा व्यापक रूप से विनियमित। खंड जे में, हमने आगे कहा है कि आई. बी. सी. ढांचा, समाधान योजनाओं की निकासी या संशोधनों को सक्षम नहीं करता है, एक बार जब वे हो चुके होते हैं।

119 पैरा 68-69, उपर्युक्त टिप्पणी 34 [2021] 14 एस. सी. आर.

आर. पी. द्वारा उनकी मंजूरी के बाद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया

सीओसी। किसी भी स्थिति में, और ऊपर तैयार की गई कानूनी स्थिति को प्रभावित किए बिना, हम पक्षों की प्रस्तुतियों से भी निपटेंगे कि उनकी संबंधित समाधान योजनाओं की संविदात्मक शर्तों ने शर्तों को वापस लेने या फिर से बातचीत करने में सक्षम बनाया। हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या हमसे पहले व्यक्तिगत समाधान आवेदकों ने विशेष रूप से बातचीत की थी

संशोधन या निकासी के अधिकार के लिए संबंधित सी. ओ. सी. के साथ और वर्तमान मामले में संविदात्मक रूप से इसके हकदार हैं।

के. 1 ईबिक्स अपील

162. एबिक्स की अपील से संबंधित तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर अपना विश्लेषण शुरू करने से पहले, हमें प्रारंभिक मुद्दे से निपटना चाहिए।

एबिक्स अपील के दौरान उत्तरदाता-क्या तीसरा

एबिक्स द्वारा वापस लेने के आवेदन को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था; जबकि इसका अपील के अंतिम परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम इसका संक्षेप में विश्लेषण करेंगे।

के. 1.1 रेस जुडिकाटा

163. हमारी जांच शुरू करने के लिए, पहले रेस जुडिकाटा के सिद्धांत की रूपरेखा पर विचार करना महत्वपूर्ण है। भारतीय कानून में, इस सिद्धांत को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में मान्यता दी गई है। धारा 11, जहाँ तक प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

" 11. न्याय करें। - कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी वाद या मुद्दे का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया मामला उन्हीं पक्षों के बीच पूर्व वाद में, या उन पक्षों के बीच, जिनके तहत वे या उनमें से कोई भी एक ही शीर्षक के तहत दावा करता है, ऐसे बाद के वाद या उस वाद का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय में, जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया है, और उस न्यायालय द्वारा सुना गया है और अंत में निर्णय लिया गया है।

[...]

स्पष्टीकरण IV। - ऐसा कोई भी मामला जिसे ऐसे पूर्व मुकदमे में बचाव या हमले का आधार बनाया जा सकता था और जिसे बनाया जाना चाहिए था, प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दा माना जाएगा।

ऐसे सूट में। स्पष्टीकरण 5- वाद में दावा की गई कोई भी राहत, जो डिक्री द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है, इसके उद्देश्यों के लिए होगी।

यह समझा जाए कि धारा अस्वीकार कर दी गई है।

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

[.....] ”

164. सत्यधन घोषाल बनाम। देवराजिन देबी 1 20, तीन न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने न्यायमूर्ति के. सी. दास गुप्ता के माध्यम से बोलते हुए न्याय व्यवस्था के सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में समझाया:

" 7. रेस जुडिकाटा का सिद्धांत एक देने की आवश्यकता पर आधारित है

न्यायिक निर्णयों की अंतिमता। यह क्या कहता है कि एक बार एक रेस है

न्यायपालिका, यह फिर से निर्णय नहीं लिया जाएगा। मुख्य रूप से यह लागू होता है

पिछले मुकदमे और भविष्य के मुकदमे के बीच। जब कोई बात -

चाहे तथ्य के सवाल पर हो या कानून के सवाल पर

एक वाद या कार्यवाही में दो पक्षों के बीच निर्णय लिया गया और

निर्णय अंतिम होता है, या तो क्योंकि उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई थी।

अदालत या क्योंकि अपील खारिज कर दी गई थी, या कोई अपील नहीं है,

किसी भी पक्ष को भविष्य के मुकदमे या उनके बीच की कार्यवाही में अनुमति नहीं दी जाएगी।

वही पक्ष मामले को फिर से प्रचार करने के लिए। रेस का यह सिद्धांत

न्यायपालिका संहिता की धारा 11 में मुकदमों के संबंध में सन्निहित है।

सिविल प्रक्रिया की; लेकिन जहां धारा 11 लागू नहीं होती है, वहां भी

अदालतों द्वारा इस उद्देश्य के लिए न्यायपालिका का सिद्धांत लागू किया गया है।

मुकदमेबाजी में अंतिमता प्राप्त करना। इसका परिणाम यह है कि मूल

न्यायालय के साथ-साथ किसी भी उच्च न्यायालय को भविष्य के किसी भी मुकदमे में शामिल होना चाहिए।

इस आधार पर आगे बढ़ें कि पिछला निर्णय सही था।

उपरोक्त उद्धरण से, यह स्पष्ट है कि जबकि रेज़ जुडिकाटा हो सकता है

धारा 11 में संहिताबद्ध किया गया है, जो अन्य न्यायिक कार्यवाहियों जैसे कि वर्तमान मामले में इसके आवेदन को प्रतिबंधित नहीं करता है।

165. आगे बढ़ने से पहले, तुलना करना महत्वपूर्ण है

पहली, दूसरी और तीसरी निकासी में एबिक्स द्वारा मांगी गई राहत आवेदन। एक आसान तुलना के लिए उन्हें नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

पहली निकासी

दूसरी निकासी

तीसरी निकासी

आवेदन

आवेदन

आवेदन

आई. उस एल. डी. को निर्देशित करें। आई. संकल्प i को अनुमति दें। समाधान की अनुमति दें

समाधान पेशेवर आपूर्ति

वापस लेने के लिए आवेदक

वापस लेने के लिए आवेदक

समाधान योजना दिनांकित

विशेष की एक प्रति

समाधान योजना दिनांकित

जांच लेखा परीक्षा

19.02.2018 (साथ में

19.02.2018 (साथ

में

आवेदक

परिशिष्ट/वित्तीय प्रस्ताव

परिशिष्ट/वित्तीय

प्रस्ताव

समाधान

तुरंत;

दिनांक 21.02.2019) प्रस्तुत किया गया

दिनांक 21.02.2019)

प्रस्तुत किया गया

इसके द्वारा, और इसके

द्वारा अनुमोदित

इसके द्वारा, और इसके द्वारा अनुमोदित

ii. उस एल. डी. को निर्देशित करें।

ऋणदाताओं की समिति;

ऋणदाताओं की समिति;

समाधान पेशेवर आपूर्ति

प्रमाणपत्रों की एक प्रति

ii. एल. डी. को निर्देशित करें। संकल्प II. एल. डी. को

निर्देशित करें। समाधान

धारा 43,45, एस. ओ. और 66

पेशेवर और/या एडुकॉम्प। पेशेवर और/या एडुकॉम्प

दिवाला और दिवालियापन

सॉल्यूशंस लिमिटेड और सॉल्यूशंस लिमिटेड

संकल्प के लिए संहिता, 2016

समिति

समिति

पेशेवर तुरंत;

120 (1960) 3 एससीआर 590 [2021] 14 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

iii. धनवापसी के लिए लेनदारों की मंजूरी रोकें

ऋणदाताओं को वापस करने के लिए

द्वारा स्वीकृत समाधान योजना

रुपये की अर्नेस्ट मनी जमा।

रुपये की अर्नेस्ट मनी जमा।

के लेनदारों की समिति

2,00,00,000 / - द्वारा प्रस्तुत

2,00,00,000 / - द्वारा प्रस्तुत

निगमित देनदार, जैसा कि दाखिल किया गया है

संबंध में समाधान आवेदक

संबंध में समाधान आवेदक

इस माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष

समाधान योजना;

समाधान योजना;

11.04.2018 , विस्तृत विवरण लंबित है

iii. मंजूरी रोकें

iii. मंजूरी रोकें

उसी पर विचार करना

समाधान आवेदक;

द्वारा स्वीकृत समाधान योजना

द्वारा स्वीकृत समाधान योजना

के लेनदारों की समिति

के लेनदारों की समिति

iv. संकल्प दें

निगमित देनदार, जैसा कि दाखिल किया गया है

निगमित देनदार, जैसा कि दाखिल किया गया है

पुनः आवेदन करने के लिए आवेदक को पर्याप्त समय

इस माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष

इस माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष

इसके प्रस्ताव

07.03.2018 और रिकॉर्ड किया गया

07.03.2018 और वीडियो रिकॉर्ड किया गया

मूल्यांकन करें

दिनांकित आदेश 1.1.04।2018 ,

दिनांकित आदेश 11.04.2018,

संकल्प में निहित

विस्तृत विचार लंबित है

योजना बनाएँ, और उपयुक्त रूप से भी

विस्तृत विचार लंबित है

संशोधित/संशोधित करें और/या वापस लें

उसी के संकल्प द्वारा

उसी के संकल्प द्वारा

इसकी समाधान योजना;

आवेदक;

आवेदक;

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि द्वितीय में प्रार्थनाएँ

और तीसरे निकासी आवेदन समान थे। इसके अलावा, दोनों की प्रार्थना (iii) लगभग समान शब्दों में प्रथम वापसी आवेदन की प्रार्थना (iii) से मेल खाती है, जबकि प्रार्थना (ii) प्रथम वापसी आवेदन में बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। साथ ही, पहले निकासी आवेदन में प्रार्थना (i) और (ii) को दूसरे में दोहराया नहीं गया है और

तीसरा निकासी आवेदन। हालाँकि, जो मुद्दा है वह है पहले निकासी आवेदन की प्रार्थना (iv) और दूसरे और तीसरे निकासी आवेदनों की प्रार्थना (i)। पूर्व के माध्यम से, एबिक्स ने चाहा

अपनी समाधान योजना का पुनर्मूल्यांकन करने और इसे उपयुक्त रूप से "संशोधित/संशोधित और/या वापस लेने" की अनुमति, जबकि बाद वाले के माध्यम से, एबिक्स ने अपनी समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति मांगी। अब हमें विश्लेषण करना चाहिए कि क्या यह रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को आकर्षित करेगा।

166. शिवदान सिंह बनाम में इस न्यायालय के एक निर्णय में। दरयाओ

कुंवर 1 2 1 121, इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न शर्तों के बारे में विस्तार से बताया जिन्हें न्यायपालिका के सिद्धांत से पहले पूरा किया जाना चाहिए। किसी दिए गए मामले में आवेदन कर सकते हैं। न्यायमूर्ति के. एन. वांचू ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा:

न्याय की दृष्टि से निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात् - ((i) मामले में प्रत्यक्ष रूप से और महत्वपूर्ण रूप से मुद्दा

बाद का मुकदमा या मुद्दा वही मामला होना चाहिए जो पूर्व मुकदमे में प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दा था;

दलों के बीच या उन दलों के बीच जिनके तहत वे या उनमें से कोई भी दावा;

121 (1966) 3 एससीआर 300 ईबीआईएक्स सिंगापुर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

पूर्व सूट;
((iv) जिस न्यायालय ने पहले के मुकदमे का फैसला किया, वह न्यायालय होना चाहिए।

बाद के मुक़दमे या मुक़दमे का परीक्षण करने के लिए सक्षम जिसमें ऐसा बाद में मुद्दा उठाया जाता है; और

बाद के मुकदमे की सुनवाई हुई होगी और अंत में निर्णय लिया गया होगा पहले मुकदमे में अदालत द्वारा।

(जोर दिया गया)

167. वर्तमान मामले में, शर्तें (i) विवाद में नहीं हैं क्योंकि

पार्टियाँ एक ही थीं। जहां तक (ii) के संबंध में, प्रथम निकासी आवेदन में, प्रार्थना ईबिक्स को अपने प्रस्तावों का पुनर्मूल्यांकन करने और अपनी समाधान योजना को संशोधित/संशोधित करने और वापस लेने में सक्षम बनाने के लिए थी। दूसरी और तीसरी वापसी में समाधान योजना को वापस लेने की प्रार्थना की गई थी

आवेदन। शर्तें (iii) और (iv) भी मुद्दे में नहीं हैं। जिसका आकलन किया जाना बाकी है वह शर्त (v) का अनुपालन है, अर्थात, क्या पहली वापसी में एबिक्स की प्रार्थना वास्तव में "सुनी गई और अंत में तय की गई" थी। पहले निकासी आवेदन को खारिज करते हुए, एन. सी. एल. टी. ने कहा था:

" यह एक एबिक्स सिंगापुर पी. टी. डी. द्वारा दायर एक आवेदन है। सीमित

इससे पहले प्रस्तुत समाधान योजना के पुनर्मूल्यांकन की मांग करना।

समाधान पेशेवर।

आवेदन में मांगी गई प्रार्थना पर विचार करने का कोई आधार नहीं है

बनाया गया।

इस तरह आवेदन खारिज कर दिया जाता है "। एन. सी. एल. टी. ने एक सारांश में पहला निकासी आवेदन खारिज कर दिया

तरीके से। इसके अलावा, आदेश में समाधान योजना के "संशोधन/संशोधन और/या वापस लेने" की प्रार्थना का उल्लेख नहीं है, बल्कि केवल इसके पुनर्मूल्यांकन का उल्लेख है।

168. "सुना और अंत में निर्णय लिया" वाक्यांश का अर्थ था

कृष्ण लाल बनाम में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय द्वारा विचार किया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर की गई होगी, "सुनी गई और अंत में निर्णय लिया गया"। न्यायमूर्ति बी. एल. हंसारिया ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 12. जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया दूसरा आधार है

- वही बार ऑफ रेस जुडिकाटा है-यह स्पष्ट है

ऊपर क्या उल्लेख किया गया है, कि इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था

एक के अलावा किसी भी परिकल्पना पर समझाया गया है कि याचिकाकर्ता के बयान में कुछ गड़बड़ है।

जिन टिप्पणियों पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया है यह अभिनिर्धारित करना कि मुकदमे को न्यायपालिका द्वारा वर्जित किया गया था, बिल्कुल भी नहीं बनाता है

रेस जुडिकाटा के सिद्धांत की प्रयोज्यता का मामला। द.

इस संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष वास्तव में चौंका देने वाला है

हमारे लिए, क्योंकि, न्यायपालिका के लिए शामिल मुद्दे को संचालित करने के लिए

"सुना गया होगा और अंत में निर्णय लिया गया होगा"। वहाँ कोई नहीं था।

याचिकाकर्ता की शिकायत की योग्यता के आधार पर निर्णय

उपरोक्त रिट याचिका में और इसलिए, एक विचार लेने के लिए

कि पहले की कार्यवाही में निर्णय रेस के रूप में संचालित होता था

जुडिकाटा पूरी तरह से गलत था, इसके होने की बात नहीं करना

अनुपयुक्त "।

(जोर दिया गया)

169. दरियाव v. U.P.123 की स्थिति, इसकी एक संविधान पीठ

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीमित अवधि में रिट याचिकाओं को खारिज करने के आदेश न्यायपालिका का गठन नहीं करेंगे। यह नोट किया गया था कि हालांकि एक संक्षिप्त बर्खास्तगी को गुण-दोष के आधार पर बर्खास्तगी माना जा सकता है, लेकिन यह निर्धारित करना मुश्किल होगा कि बोलने के आदेश के बिना न्यायालय का क्या महत्व है। अदालत की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति पी. बी. गजेंद्रगडकर ने कहा:

" 26 ..... यदि याचिका को एक भाषण पारित किए बिना सीमित रूप से खारिज कर दिया जाता है

आदेश तब इस तरह की बर्खास्तगी को एक प्रतिबंध बनाने के रूप में नहीं माना जा सकता है

न्याय करें। यह सच है कि, प्रथम दृष्टया, बर्खास्तगी भी सीमित है। उस ओर से एक बोलने का आदेश पारित किए बिना दृढ़ता से हो सकता है

याचिका में बिल्कुल भी; लेकिन एक बोलने वाले आदेश के अभाव में यह यह तय करना आसान नहीं होगा कि किन कारकों का दिमाग में वजन है

न्यायालय और जो यह अभिनिर्धारित करना कठिन और असुरक्षित बनाता है कि

123 (1962) 1 एससीआर 574 ईबीआईएक्स सिंगापुर पीवीटी।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

संक्षिप्त बर्खास्तगी गुण-दोष के आधार पर बर्खास्तगी है और इस प्रकार अनुच्छेद के तहत दायर इसी तरह की याचिका के खिलाफ न्यायपालिका का एक बार

32 ..... "

170. इस न्यायालय की दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में

एराच बोमन खावर बनाम। तुकाराम श्रीधर भट 1 24 ने माना है कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत केवल तभी लागू हो सकता है जब गुण-दोष के आधार पर इस मुद्दे का सचेत निर्णय लिया गया हो। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा:

" 39. उपरोक्त अधिकारियों से यह स्पष्ट है कि

रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को आकर्षित करते हुए यह स्पष्ट होना चाहिए कि

न्यायपालिका की सहायता तब तक नहीं ली जा सकती जब तक कि कोई गुणों पर राय की अभिव्यक्ति। यह अच्छी तरह से बसा हुआ है

कानून कि न्यायनिर्णायक सिद्धांत दोनों के बीच लागू होता है

एक ही मुकदमे के चरण लेकिन प्रश्न या मुद्दा शामिल है

उसी मुकदमे के शुरुआती चरण में निर्णय लिया गया होगा।

(जोर दिया गया)

171. रेस जुडिकाटा केवल इसलिए लागू नहीं हो सकता क्योंकि मुद्दा है

इससे पहले अदालत के सामने आते हैं। यह सिद्धांत वहां लागू होगा जहां अदालत द्वारा एक सचेत निर्णय के माध्यम से मुद्दे को गुण-दोष के आधार पर "सुना और अंत में तय" किया गया है। वर्तमान मामले में, एनएलसीटी का आदेश

प्रथम निकासी आवेदन को खारिज करने से यह स्पष्ट होता है कि उसने केवल प्रार्थना (iv) के उस हिस्से पर विचार किया था जो समाधान योजना के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित था, संभवतः इसलिए कि एबिक्स ने समाधान योजना का पुनर्मूल्यांकन करने की उम्मीद की थी।

प्रार्थनाओं का परिणाम (i) और (ii) और उन प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया गया था

क्योंकि ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

172. विवादित फैसले में एन. सी. एल. ए. टी. ने इस पर भरोसा किया है

धारा 11 के स्पष्टीकरण (V) में कहा गया है कि चूंकि पहली निकासी आवेदन की प्रार्थना (iv) में राहत के रूप में भी वापसी का अनुरोध किया गया था, इसलिए यह भी माना जाता कि इसे अस्वीकार कर दिया गया था। मुल्ला की द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कहा गया है कि स्पष्टीकरण V केवल इस पर लागू हो सकता है दो शर्तों को पूरा करना: ((i) दावा की गई राहत पर्याप्त होनी चाहिए, न कि केवल सहायक; और (ii) दावा की गई राहत पर्याप्त होनी चाहिए।

एक ऐसा है जिसे देने के लिए न्यायालय बाध्य है, न कि ऐसा जिसे देने के लिए न्यायालय विवेकाधीन है।

173. जसवंत सिंह बनाम। निर्वासित संपत्ति का संरक्षक 1 26

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक निर्णय केवल तभी लागू होगा जब कार्रवाई का कारण समान होगा और पक्षकार के पास उस राहत के लिए आवेदन करने का पहले का अवसर भी था जिसकी वह अब मांग कर रहा है। न्यायमूर्ति ई. एस. वेंकटरमैया ने कहा:

" 14 ..... यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि इस सवाल का फैसला करने के लिए कि क्या

एक बाद की कार्यवाही न्यायपालिका द्वारा वर्जित है यह आवश्यक है

निर्णय। कार्यवाही के लिए कार्रवाई के कारण का कोई संबंध नहीं है रक्षा के लिए जो कुछ भी स्थापित किया जा सकता है, और न ही यह निर्भर करता है

वादी या द्वारा प्रार्थना की गई राहत के चरित्र पर

आवेदक। यह पूरी तरह से वाद में निर्धारित आधारों को संदर्भित करता है या

आवेदन मामले के रूप में कार्रवाई के कारण के रूप में या में हो सकता है

मीडिया के लिए अन्य शब्द जिन पर वादी या आवेदक अदालत से उसके पक्ष में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहता है। क्रम में

ताकि रेस जुडिकाटा का बचाव सफल हो सके यह आवश्यक है यह दिखाने के लिए कि न केवल कार्रवाई का कारण समान था, बल्कि

यह भी कि वादी को राहत पाने का अवसर मिला था

जिसे वह अब पिछली कार्यवाही में मांग रहा है। द.

परीक्षण यह है कि क्या बाद के मुकदमे या कार्यवाही में दावा है

वास्तव में कार्रवाई के उसी कारण पर आधारित था जो था पूर्व वाद या कार्यवाहियों का आधार।

(जोर दिया गया)

174. प्रथम में संकल्प योजना को वापस लेने की प्रार्थना

वापस लेने का आवेदन पर्याप्त नहीं था और वह जिसे न्यायालय देने के लिए बाध्य था, क्योंकि यह पुनर्मूल्यांकन पर निर्भर था, जो अपने आप में प्रार्थना (i) और (ii) में मांगी गई जानकारी प्राप्त करने पर निर्भर था। चूंकि बाद की दो आकस्मिकताएँ कभी उत्पन्न नहीं हुईं, इसलिए एन. सी. एल. टी. ने स्वतंत्र रूप से वापसी की प्रार्थना पर अपना दिमाग नहीं लगाया। जब इसने दूसरा निकासी आवेदन दायर किया, तो इसे तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया।

125 सर दिनशॉ फरदुनजी मुल्ला, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (18 वां संस्करण, लेक्सिसनेक्सिस) 126 (1985) 3 एस. सी. सी. 648 ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

जमीन पर और इसके गुणों पर नहीं। जब एक संशोधित तीसरा निकासी आवेदन दायर किया गया था, तो एन. सी. एल. टी. ने इसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया और इसकी अनुमति दी। इसलिए, चूंकि एन. सी. एल. टी. ने पहली निकासी आवेदन को खारिज करते हुए अपनी योग्यता के आधार पर अपनी समाधान योजना को वापस लेने के लिए एबिक्स की प्रार्थना पर निर्णय नहीं लिया, इसलिए वास्तविक अर्थों में एबिक्स को राहत पाने का अवसर उपलब्ध नहीं था। इसलिए, हम इस मुद्दे पर एन. सी. एल. ए. टी. के निष्कर्ष को उलट देते हैं और मानते हैं कि एबिक्स के तीसरे निकासी आवेदन को अदालत द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था।

के. 1.2 एबिक्स की संकल्प योजना का विश्लेषण

175. के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में बताना

समाधान योजना की शर्तों पर विवाद-एडुकॉम्प का सी. आई. आर. पी. 30 मई 2017 को शुरू हुआ। ई-सीओसी के साथ परामर्श के बाद, ई-आरपी ने 18 अक्टूबर 2017 को ईओआई आमंत्रित किए। आर. एफ. आर. पी. 5 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था, और 17 जनवरी 2018 और 20 जनवरी 2018 को संशोधित किया गया था। एबिक्स ने 27 जनवरी 2018 की अंतिम तिथि के बाद और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से विस्तार प्राप्त करने के बाद 29 जनवरी 2018 को अपनी समाधान योजना का मसौदा प्रस्तुत किया। एबिक्स ने समय के विस्तार का लाभ उठाया जो उसे अपनी समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए दिया गया था। समय के विस्तार के अभाव में, इसे मैदान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। कई दौर की बातचीत के बाद, 9 फरवरी 2018 को, एबिक्स को सफल समाधान आवेदक घोषित किया गया और ई-सीओसी द्वारा एल. ओ. आई. जारी किया गया। 17 फरवरी 2018 को, एबिक्स की संकल्प योजना को ई-सीओसी के 74.16 प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसे बाद में 23 फरवरी 2018 को सीएसईबी के वोट को देर से जोड़े जाने से 75.35 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। जबकि यह सच है कि सी. एस. ई. बी. के वोट

बाद में समाधान योजना के पक्ष में प्राप्त हुए, एबिक्स सहित सभी पक्ष इस धारणा पर आगे बढ़े कि समाधान योजना

ई-सी. ओ. सी. के मतदान हिस्से के पचहत्तर प्रतिशत के अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया है जैसा कि तब आवश्यक था (अब एक संशोधन के अनुसार आवश्यक प्रतिशत को घटाकर छियासठ प्रतिशत कर दिया गया है)। इस प्रकार, अपने विलंबित मतदान की मंजूरी के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर सी. एस. ई. बी. आवेदन केवल एक औपचारिकता थी और उस स्तर पर उस आवेदन के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया गया था। वास्तव में, समाधान योजना की मंजूरी के लिए अनुमोदन आवेदन दायर किया गया था

एन. सी. एल. टी. के समक्ष इस आधार पर कि योजना को सी. ओ. सी. के अपेक्षित बहुमत द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। अनुमोदन आवेदन के खिलाफ इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई कि पचहत्तर प्रतिशत मतों की सीमा पूरी नहीं की गई थी। समाधान योजना दिनांक 19 फरवरी [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2018 और कुल 400 करोड़ रुपये की बोली राशि के लिए 21 फरवरी 2018 का परिशिष्ट ई-आरपी द्वारा 7 मार्च 2018 को अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया था।

177. एबिक्स ने इस न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया है कि वह इन पर भरोसा करके अपनी समाधान योजना को वापस लेने का हकदार है: (i) आर. एफ. आर. पी. की शर्तें, जो इंगित करती हैं कि समाधान योजना समाधान आवेदक पर तभी बाध्यकारी है जब धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन; (ii) समाधान योजना की शर्तें जो इंगित करती हैं कि योजना छह महीने के लिए वैध थी; और (iii) धोखाधड़ी और वाणिज्यिक आधार के क्षरण के कारण निराशा को प्रेरित करने के लिए अनुबंध कानून के सिद्धांत।

178. खंड 1.8। 3 आर. एफ. आर. पी. की, जो नीचे प्रस्तुत की गई है, कम से कम छह महीने की वैधता वाली समाधान योजनाओं को आमंत्रित करती है:

संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत करने की तिथि। यदि सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किसी भी समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है,

तब समाधान पेशेवर और सी. ओ. सी. कार्य करेंगे

द्वारा जारी किए गए निर्देशों/निर्देशों के अनुसार

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण "।

एबिक्स आग्रह करता है कि आर. एफ. आर. पी. के उपरोक्त खंड के अनुपालन में, इसकी समाधान योजना के खंड 7 में निर्दिष्ट किया गया है कि यह एक अवधि के लिए मान्य होगा।

जमा करने की तारीख से छह महीने की अवधिः

" 7. समाधान योजना की अवधि

समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तावित यह समाधान योजना इस योजना को प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए मान्य है।

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

एबिक्स आग्रह करता है कि प्रस्ताव की ये मेल खाने वाली शर्तें (आर. एफ. आर. पी.) और स्वीकृति (समाधान योजना) ई-सी. ओ. सी. पर बाध्यकारी हैं और समाधान योजना धारा 31 के तहत समय पर अनुमोदन लेने में विफलता पर एबिक्स के कहने पर अमान्य और रद्द करने योग्य है।

179. एबिक्स की इस प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आर. एफ. आर. पी. या समाधान योजना की शर्तें ई-सी. ओ. सी. के साथ बातचीत की अवधि के लिए समाधान योजना की वैधता से संबंधित हैं न कि निर्णय लेने वाले की मंजूरी के लिए समाधान योजना प्रस्तुत किए जाने के बाद की अवधि के लिए। प्राधिकरण। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष जो समय लिया जा सकता है वह एक अकल्पनीय है जिसका कोई भी पक्ष अनुमान नहीं लगा सकता है। वास्तव में, इस पर खंड 1.3 द्वारा जोर दिया गया है। 7 आर. एफ. पी. एफ. जिसमें समाधान योजना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की एक अनुसूची शामिल है। जहाँ तक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अनुमोदन का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि कोई समय-सीमा नहीं हैः

" 1.3. 7 समाधान योजना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की अनुसूची

[.....]

11. सफल समाधान योजना के संबंध में एन. सी. एल. टी. की मंजूरी

समाधान आवेदक-एनसीएलटी के अनुसार "।

पार्टियां अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायिक प्राधिकरण पर एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर उसकी योजना को स्वीकार या अस्वीकार करने की शर्त नहीं लगा सकती हैं, जिसमें विफल रहने पर

सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएगी। इस मामले में, एबिक्स की समाधान योजना का मसौदा 29 जनवरी 2018 को प्रस्तुत किया गया था और ई-सीओसी के साथ कई दौर की

बातचीत की अवधि के लिए वैध रहा, जब तक कि 7 मार्च 2018 को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत नहीं किया गया, जो योजना में परिकल्पित छह महीने की अवधि के भीतर था।

180. भले ही यह माना जाना था, तर्क के लिए, कि

प्रस्तुत समाधान योजना में अवधि एक योग्य प्रस्ताव की प्रकृति में थी जो इसके प्रस्तुत होने के छह महीने बाद समाप्त हो जाएगी, जो धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की अभेद्यता में विफल हो जाएगी जो

इसे सभी पक्षों, आर. एफ. आर. पी. की आसपास की शर्तों और एल. ओ. आई. और अनुपालन सहित बाद की कानूनी सामग्री के लिए बाध्यकारी बनाना।

सी. आई. आर. पी. विनियमों के तहत प्रमाण पत्र (प्रपत्र एच) यह स्पष्ट करता है कि एक बार निर्णय प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने के बाद समाधान योजना के कार्यान्वयन से पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी, सिवाय अस्वीकृति की स्थिति के। खंड 1.9। 3 आर. एफ. आर. पी. के लिए एबिक्स को अपने ई. एम. डी. को समाधान योजना मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर पी. बी. जी. के साथ बदलने की आवश्यकता थी, यदि इसे 'सफल समाधान आवेदक' के रूप में घोषित किया जाना था।

समाधान आवेदक समाधान योजना को लागू करने में विफल रहता है। इसके अलावा, खंड 1.8। 4 आर. एफ. आर. पी. में कहा गया है कि "एक संकल्प उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना अपरिवर्तनीय होगी"। आर. एफ. आर. पी. के खंड 1.1 (1) में यह भी प्रावधान है कि एक सफल समाधान आवेदक को अनुमोदित समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति नहीं है:

" इस आर. एफ. आर. पी. को खरीदकर और डेटा रूम तक पहुंच प्राप्त करके और सूचना ज्ञापन, की शर्तों के अनुसार

यह आर. एफ. आर. पी., समाधान उत्तरदाता को बनाया गया माना जाता है निम्नलिखित स्वीकृति और अभ्यावेदन:

(1) घोषणा पर संकल्प उत्तरदाता सफल समाधान उत्तरदाता जिम्मेदार रहेगा।

संकल्प के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की तारीख से योजना,

और समाधान योजना को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी

और समाधान पेशेवर, पीडब्ल्यूसी या सीओसी नहीं मानते हैं

इस संबंध में जिम्मेदारी या दायित्व। 99 "

(जोर दिया गया)

एबिक्स का निवेदन कि खंड 1.10 (1) केवल इस पर लागू होता है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी प्रशंसनीय नहीं है क्योंकि समाधान योजना सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी हो जाती है।

धारा 31 के तहत अनुमोदन। ई-आर. पी. का तर्क बहुत महत्वपूर्ण है जब यह तर्क दिया जाता है कि खंड 1.10 (1) का यह अनुमान लगाने के लिए अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एबिक्स को 'सफल' घोषित करेगा।

समाधान आवेदक 'एक बार फिर, जो तब पहली बार निकासी को रोकने का दायित्व लागू करेगा। ई-आरपी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नकुल दीवान ने हमारे समक्ष यह भी प्रस्तुत किया है कि समाधान योजना की वैधता छह महीने होने का उल्लेख फॉर्म एच में एक विशिष्ट शर्त के रूप में नहीं किया गया था जिसे ई-आरपी द्वारा निर्णय योजना के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया था, जो दर्शाता है कि छह महीने की वैधता केवल ई-सीओसी द्वारा स्वीकृति के लिए थी।

181. एबिक्स ने यह तर्क देने की भी कोशिश की है कि उसकी स्थिति बदल गई है।

स्पष्ट रूप से एडुकॉम्प के वित्तीय आचरण के संबंध में सामने आए नए आरोपों के कारण। हालाँकि, इस संबंध में, यह प्रासंगिक ईबीआईएक्स सिंगापुर पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

खंड 1.3 पर ध्यान दें। 2 आर. एफ. आर. पी. जो संभावित समाधान आवेदकों को अपना उचित परिश्रम करने का निर्देश देता है। जहाँ तक प्रासंगिक है, वह इस प्रकार है:

समाधान पेशेवर और पीडब्ल्यूसी द्वारा समन्वित ताकि व्यवसाय और संचालन का उचित परिश्रम किया जा सके कंपनी "

इसी तरह, खंड 1.13। 6 संभावित समाधान आवेदकों को स्वतंत्र जांच करने की भी आवश्यकता होती है:

" 1.13. 6 इस आर. एफ. आर. पी. में समाधान आवेदक द्वारा आवश्यक सभी जानकारी शामिल नहीं है। समाधान आवेदक को स्वतंत्र जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस आर. एफ. आर. पी. में जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और उचित से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

स्रोत, कंपनी का मूल्यांकन करने से पहले।

एबिक्स एडुकॉम्प के अपने उचित परिश्रम के संचालन के लिए जिम्मेदार था और अपनी अनुमोदित समाधान योजना को संशोधित/संशोधित करने के कारण के रूप में इसका उपयोग नहीं कर सकता था। किसी भी स्थिति में, आई. बी. सी. की धारा 32 ए सी. आर. आई. पी. शुरू होने से पहले किए गए अपराधों के लिए निगमित ऋणदाता को प्रतिरक्षा प्रदान करती है और निर्णयकर्ता द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने की तारीख से ऐसे अपराधों के लिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। धारा 31 के तहत प्राधिकरण, यदि समाधान योजना के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट ऋणदाता के प्रबंधन या नियंत्रण में कुछ शर्तों के अधीन परिवर्तन होता है।

शर्तें। धारा 32 ए इस प्रकार है:

धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, यदि - समाधान योजना के परिणामस्वरूप प्रबंधन या नियंत्रण में परिवर्तन होता है।

निगमित ऋणी का किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नहीं था

(क) एक प्रवर्तक या निगम के प्रबंधन या नियंत्रण में

ऋणी या ऐसे व्यक्ति का संबंधित पक्ष; या [2021] 14 एस. सी. आर.

(ख) एक व्यक्ति जिसके संबंध में संबंधित जांच प्राधिकरण के पास अपने कब्जे में सामग्री के आधार पर कारण है -

उनका मानना है कि उन्होंने आयोग के लिए उकसाया या साजिश रची थी

अपराध, और एक रिपोर्ट या शिकायत प्रस्तुत या दायर की है

संबंधित सांविधिक प्राधिकारी या न्यायालय:

[.....]

(2) निगम की संपत्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पूर्व में किए गए अपराध के संबंध में देनदार निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत

निगमित देनदार, जहाँ ऐसी संपत्ति एक के अंतर्गत आती है

धारा 31, जिसके परिणामस्वरूप निगम के नियंत्रण में परिवर्तन होता है किसी व्यक्ति को देनदार, या प्रावधानों के तहत परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री

इस संहिता के भाग II के अध्याय III के किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जो -

(i) एक प्रवर्तक या निगम के प्रबंधन या नियंत्रण में ऋणी या ऐसे व्यक्ति का कोई संबंधित पक्ष; या

((ii) एक व्यक्ति जिसके संबंध में संबंधित जांच प्राधिकरण

अपने कब्जे में सामग्री के आधार पर, विश्वास करने का कारण है

कि उसने अपराध करने के लिए उकसाया या साजिश रची थी,

और इस धारा में दी गई प्रतिरक्षा के बावजूद, निगमित ऋणी और कोई भी व्यक्ति, जिसे सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है

ऐसी कानून के तहत जो ऐसे निगमित देनदार पर लागू हो सकता है या

व्यक्ति, किसी भी प्राधिकरण को सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

प्रारम्भ से पहले किए गए अपराध की जाँच करना

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया।

99

इस प्रकार, किसी भी मामले में भले ही यह पाया जाए कि कोई कदाचार हुआ था

सी. आई. आर. पी. के प्रारंभ से पहले एडुकॉम्प के मामलों में, एबिक्स उसी के संबंध में किसी भी अभियोजन या सजा से मुक्त होगा। यह निवेदन कि एबिक्स को एक प्रतिकूल स्थिति में रखा गया है

सी. बी. आई. और एस. एफ. आई. ओ. द्वारा एडुकॉम्प के मामलों की जांच शुरू करने के कारण इस तरह की जांच एक लाल हेरिंग के अलावा और कुछ नहीं है। एबिक्स पर कोई असर नहीं है।

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

182. अंत में, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एबिक्स की अपनी समाधान योजनाओं का कोई भी खंड उन्हें संशोधित करने/वापस लेने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

समाधान योजना को वापस लेने की स्थिति में कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इसके छह महीने के भीतर धारा 31 के तहत इसे मंजूरी नहीं देता है। प्रस्तुत करना।

184. इससे पहले कि हम मूल तर्कों पर अपना विश्लेषण समाप्त करें

एबिक्स द्वारा उठाए गए, हम संक्षेप में इसके तर्कों पर विचार करेंगे कि आरपी धारा 29 के तहत जानकारी प्रदान करने के अपने दायित्व में विफल रहा था। आईबीसी।

के. 1.3 आर. पी. के कर्तव्य

185. एबिक्स की ओर से पेश होते हुए श्री के. वी. विश्वनाथन ने इस अदालत के समक्ष तर्क दिया कि ई-आर. पी. आई. बी. सी. की धारा 29 के तहत अपने कर्तव्यों में विफल रहा जब वह चल रही जांच के बारे में एबिक्स को सूचित करने में विफल रहा।

एडुकॉम्प के खिलाफ। जबकि यह तर्क एबिक्स द्वारा अपनी समाधान योजना को वापस लेने को सही ठहराने के लिए दिया गया था, जिसे हम पहले ही खारिज कर चुके हैं, हम

फिर भी इसका आकलन करेंगे। ई-आरपी की ओर से श्री नकुल दीवान पेश हुए और तर्क दिया कि धारा 29 के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए आरपी पर दायित्व को "सर्वोत्तम प्रयास के आधार" पर समझा जाना चाहिए।

186. आई. बी. सी. की धारा 29 आर. पी. को प्रदान करने का कर्तव्य देती है।

समाधान आवेदक को एक आई. एम., जिसमें ऐसी जानकारी हो जो समाधान आवेदक के लिए अपनी समाधान योजना का मसौदा तैयार करने के लिए प्रासंगिक हो सकती है। इसमें कहा गया है:

" 29. सूचना ज्ञापन तैयार करना। —— (1) समाधान पेशेवर इस प्रकार एक सूचना ज्ञापन तैयार करेगा।

समाधान योजना तैयार करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसी प्रासंगिक जानकारी वाला प्रपत्र और तरीका।

(क) गोपनीयता और आंतरिक व्यापार से संबंधित कुछ समय के लिए लागू कानून के प्रावधानों का पालन करना; ((ख) निगमित देनदार की किसी भी बौद्धिक संपदा की रक्षा करने के लिए जिसकी उसकी पहुंच हो सकती है; और

(ग) जब तक इस उप-धारा के खंड (ए) और (बी) का पालन नहीं किया जाता है, तब तक तीसरे पक्ष के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा नहीं करना।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रासंगिक

"सूचना" का अर्थ है समाधान आवेदक द्वारा निगमित देनदार के लिए समाधान योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी, जिसमें निगमित देनदार की वित्तीय स्थिति, निगमित देनदार द्वारा या उसके खिलाफ विवादों से संबंधित सभी जानकारी शामिल होगी। और निगमित देनदार से संबंधित कोई अन्य मामला जो निर्दिष्ट किया जाए।

187. बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट आर. पी. के कर्तव्यों को स्पष्ट करती है:

" 1. आर. पी. को समाधान प्रदाताओं की इस श्रेणी के लिए इकाई के बारे में सबसे अद्यतन जानकारी उतनी ही सटीक रूप से प्रदान करनी चाहिए जितनी उचित रूप से संभव हो। ऐसा करने के लिए, आर. पी. को देनदारियों के दावों के साथ-साथ इकाई द्वारा प्रकट की गई परिसंपत्तियों को सत्यापित करने में सक्षम होना चाहिए। आर. पी. के पास लेखांकन और परामर्श सेवाओं सहित इस कार्य को पूरा करने के लिए जो भी बाहरी संसाधनों की आवश्यकता हो, उन्हें नियुक्त करने की शक्ति है।

2. इकाई पर एकत्र की गई जानकारी का उपयोग एक सूचना ज्ञापन को संकलित करने के लिए किया जाता है, जिस पर देनदार और लेनदार समिति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसके आधार पर दिवालियापन को हल करने के लिए समाधान की पेशकश की जा सकती है। बाजार के लिए इकाई को एक चालू चिंता के रूप में रखने के लिए समाधान प्रदान करने के लिए, सूचना ज्ञापन उपलब्ध कराया जाना चाहिए

आई. आर. पी. में उनकी नियुक्ति से उचित अवधि के भीतर संभावित वित्तपोषक। यदि जानकारी EBIX सिंगापुर PVT नहीं है।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

व्यापक रूप से, आर. पी. को जानकारी देनी चाहिए पूर्णता की एक डिग्री के साथ ज्ञापन

ऐसी जानकारी जिसे वह प्रमाणित करने के लिए तैयार है।

उदाहरण के लिए, सूचना ज्ञापन के हिस्से के रूप में, आरपी

कवरेज में अपेक्षित कमी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए

ज्ञापन। यहाँ, परिसंपत्ति और देनदारियों में वे शामिल हैं जो आर. पी. इकाई के खातों से पता लगा सकता है और सत्यापित कर सकता है,

सुनिश्चित करें कि जो कोई भी रुचि रखता है उसके लिए यह आसानी से उपलब्ध है आई. आर. पी. के लिए एक समाधान की बोली लगाएं। उसे बाजार को सूचित करना होगा (क) कि

तंत्र जिसके माध्यम से इच्छुक तीसरे पक्ष तक पहुंच सकते हैं सूचना ज्ञापन, (ग) उस समय सीमा के बारे में जिसके भीतर

मूल्यांकन के लिए कौन से समाधान प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कोड करता है जिस तरीके या तंत्र में यह किया गया है, उसका विवरण निर्दिष्ट नहीं करता है।

किया जाना चाहिए, बल्कि इस बात पर जोर देता है कि इसे एक में किया जाना चाहिए

समयबद्ध तरीके से और यह कि यह सभी संभावित इच्छुक लोगों के लिए सुलभ है

पार्टियाँ "।

(जोर दिया गया)

188. इसी तरह, UNCITRAL गाइड नोट करता है:

" 5. दिवाला प्रतिनिधि के कर्तव्य और कार्य

[.....]

(ङ) देनदार, उसकी परिसंपत्तियों, देनदारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना।

और पिछले लेनदेन (विशेष रूप से जो इस अवधि के दौरान हो रहे हैं) संदिग्ध अवधि), जिसमें देनदार और किसी तीसरे की जांच शामिल है।

ऋणी के साथ लेन-देन करने वाला व्यक्ति।

189. आई. बी. सी. के तहत, आर. पी. पर संग्रह करने का कर्तव्य है

कॉरपोरेट देनदार के बारे में जानकारी जो सटीक रूप से संभव हो

. जब ऐसी जानकारी एक आई. एम. के माध्यम से भेजी जाती है

लूशन आवेदक, आर. पी. को यह स्पष्ट करने के लिए सावधान रहना चाहिए कि कब

मिलन व्यापक नहीं है और कौन से कारक परिवर्तन का कारण बन सकते हैं।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

190. वर्तमान मामले में, एबिक्स ने आरोप लगाया है कि ई-आरपी ने एड्डकॉम्प के संचालन की वित्तीय जांच के बारे में उसे सूचित नहीं किया था।

समयोचित फैशन। इस दावे का आकलन करने के लिए, कुछ तिथियों को रेखांकित करना महत्वपूर्ण है:

(i) 5 दिसंबर 2017-ई-आर. पी. ने एबिक्स और अन्य संभावित समाधान आवेदकों के संबंध में वर्चुअल डेटा रूम एक्सेस प्रदान किया

एड्डकॉम्प, और अंतिम आर. एफ. आर. पी. जारी किया गया;

(ii) 7 मार्च 2018-ई-आर. पी. ने एबिक्स की समाधान योजना के संबंध में एन. सी. एल. टी. के समक्ष अनुमोदन आवेदन दायर किया।

ई-सीओसी;

(iii) 3 अप्रैल 2018 और 26 अप्रैल 2018-एड्डकॉम्प के वित्तीय कुप्रबंधन के संबंध में द वायर में दो लेख प्रकाशित हुए हैं;

(iv) 4 मई 2018-आई. एफ. सी. आवेदन एन. सी. एल. टी. के समक्ष आया, जिसे एड्डकॉम्प के एक वित्तीय लेनदार द्वारा मामलों/लेनदेन की जांच के लिए दायर किया गया था, जिसमें ई-आर. पी. को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था और आई. एफ. सी. को एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक नोटिस देने का निर्देश दिया गया था।

एबिक्स;

(v) 12 जून 2019-एड्डकॉम्प ने एस. एफ. आई. ओ. और सी. बी. आई. द्वारा चल रही जांच के संबंध में बी. एस. ई. और एन. एस. ई. को नियामक प्रकटीकरण किया; और

(vi) 5 जुलाई 2019-एबिक्स ने पहला निकासी आवेदन दायर किया।

191. एबिक्स इस बात पर विवाद नहीं कर सकता कि ई-आरपी ने अपनी समाधान योजना तैयार करने के लिए धारा 29 के तहत आवश्यक प्रासंगिक जानकारी प्रदान की थी। एड्डकॉम्प के संचालन में वित्तीय जांच के संबंध में मुद्दे तब उठे जब दो लेख द वायर द्वारा प्रकाशित किए गए थे, दोनों ही अनुमोदन आवेदन दायर किए जाने के बाद थे।

ई-आरपी। इसके अलावा, एबिक्स एन. सी. एल. टी. के समक्ष सभी कार्यवाही से अवगत था क्योंकि विभिन्न आवेदनों को अक्सर अनुमोदन आवेदन के साथ सूचीबद्ध किया जाता था, जिसमें यह उपस्थित

होता रहा। अंत में, एबिक्स ने यह साबित करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया है कि ई-आरपी एसएफआईओ और सीबीआई के बारे में जानता था

एड्डकॉम्प द्वारा एक नियामक प्रकटीकरण से पहले की गई जांच।

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि ई-आरपी एबिक्स को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा था।

के. 2 कुंदन देखभाल अपील

192. एस्टनफील्ड का सी. आई. आर. पी. 27 नवंबर 2018 को शुरू हुआ। 1 मई 2019 को, जी. यू. वी. एन. एल. ने अनुच्छेद 9.3 के तहत एक डिफ़ॉल्ट नोटिस जारी किया। 1 (ई)

इबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

पी. पी. ए. की समाप्ति के लिए सी. आई. आर. पी. की शुरुआत को चूक की घटना के रूप में लेना। डिफ़ॉल्ट नोटिस की वैधता पर एन. सी. एल. टी. द्वारा 29 अगस्त 2019 के एक फैसले में निर्णय लिया गया था। एन. सी. एल. टी. ने डिफ़ॉल्ट नोटिस को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि पी. पी. ए. की समाप्ति एस्टनफील्ड की "चालू चिंता" की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। 15 अक्टूबर 2019 को, एनसीएलएटी ने जीयूवीएनएल द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया। 29 अक्टूबर 2019 को, कुंदन केयर ने ए-सीओसी द्वारा विचार किए जाने के लिए एक समाधान योजना प्रस्तुत की, जिसके बाद 12 नवंबर 2019 को एक अंतिम संस्करण प्रस्तुत किया गया। 14 नवंबर 2019 को समाधान योजना कुंदन केयर द्वारा प्रस्तुत ए-सीओसी द्वारा 99.28 प्रतिशत के वोट के साथ अनुमोदित किया गया था। 15 नवंबर 2019 को, ए-आर. पी. द्वारा कुंदन केयर को एक पुरस्कार पत्र जारी किया गया था, और समाधान योजना आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत अनुमोदन के लिए एन. सी. एल. टी. को प्रस्तुत की गई थी।

193. 27 नवंबर 2019 को जी. यू. वी. एन. एल. ने 15 अक्टूबर 2019 (इस अदालत) के एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश के खिलाफ अपील में इस अदालत का रुख किया

अंततः अपील को खारिज कर दिया गया)। अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने अपनी समाधान योजना को वापस लेने और अपने पी. बी. जी. को वापस करने के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन दायर किया। इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित होने को देखते हुए, एन. सी. एल. टी. ने इस पर विचार स्थगित कर दिया

एन. सी. एल. ए. टी. के इस फैसले के खिलाफ कुंदन केयर की अपील इस अदालत के समक्ष लंबित थी, गुजरात ऊर्जा (ऊपर) का फैसला इस अदालत ने 8 मार्च 2021 को किया था। 194. कुंदन केयर ने शुरू में यह तर्क देने के लिए अपनी समाधान योजना के खंड 5.1 पर भरोसा करने की मांग की थी कि

उसने एस्टनफील्ड को प्रभावित करने वाले 'भौतिक प्रतिकूल परिवर्तन' की स्थिति में अपनी प्रस्तुत समाधान योजना को संशोधित करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखा था। खंड 5.1 इस प्रकार है:

" 5.1 तैयारी का आधार
समाधान योजना की तैयारी समाधान आवेदक को प्रदान किए गए सूचना ज्ञापन पर आधारित है

समाधान पेशेवर। यदि इस समाधान योजना को प्रस्तुत करने से पहले या बाद में किसी भी समय, जिस जानकारी के आधार पर यह समाधान योजना तैयार की गई है, उसे बदलना या नया बनाना चाहिए। जानकारी उपलब्ध हो जाती है ,
या यदि कोई प्रतिकूल सामग्री है [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिवर्तन अर्थात क्या कोई तथ्य, पदार्थ, घटना हुई होगी, परिस्थिति, स्थिति या परिवर्तन जो भौतिक रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, या यथोचित रूप से भौतिक रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है: व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, व्यवसाय, संचालन, परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ, शर्तें (चाहे वित्तीय, व्यापार या अन्यथा),

निगमित ऋणदाता की संभावनाएँ या संचालन परिणाम,

समाधान आवेदक को ऐसी अतिरिक्त जानकारी के मूल्यांकन पर समाधान योजना पर पुनर्विचार करने, संशोधित करने और/या वापस लेने का अधिकार होगा और/या समाधान योजना को नए सिरे से प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

इसका एकमात्र विवेकाधिकार "

हालांकि, ए-आर. पी. ने अदालत को बताया है कि कुंदन केयर को दिए गए एल. ओ. आई. में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि प्रस्तुत समाधान योजना अपरिवर्तनीय है और निर्णय प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए फॉर्म एच में कोई शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया था। कुंदन केयर की समाधान योजना का खंड 9 इस स्थिति की पुष्टि करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है:

" 9 शर्त पूर्ववर्ती

इसके लिए कोई शर्त नहीं है
इस समाधान योजना की मंजूरी "

इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि खंड 1.6। 2 ए-आर. पी. द्वारा जारी आर. एफ. आर. पी. में विशेष रूप से संकेत दिया गया है कि ए-सी. ओ. सी. एक समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है यदि वह "वॉक अवे शर्तों" की प्रकृति में किसी भी पूर्ववर्ती शर्त से सहमत नहीं है। खंड 1.6। 2 कहते हैं:

" 1.61 सी. ओ. सी. के पास समाधान योजना को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि कोई भी पूर्व शर्त (जैसा कि प्रारूप वी. ए. में परिभाषित किया गया है -

समाधान योजना), सी. ओ. सी. को स्वीकार्य नहीं हैं। समाधान योजना में पूर्व शर्तों, यदि कोई हों, का अर्थ होगा 'हटने की शर्तें' और योजना में एक विशिष्ट शीर्षक और एक पैराग्राफ के स्थान के साथ उक्त योजना में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा, और ऐसी सभी शर्तों को रखा जाएगा। उक्त अनुच्छेद में समेकित तरीके से "।

यह इंगित करता है कि एक भौतिक प्रतिकूल घटना की स्थिति का उपयोग केवल तब तक किया जा सकता है जब तक कि ए-सीओसी समाधान योजना पर विचार नहीं कर रहा था,

और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने के बाद नहीं।

195. वर्तमान अपील की सुनवाई के दौरान, कुंदन केयर द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों का संकलन दायर किया गया है। उस पर

5 जुलाई 2021 में, कुंदन केयर ने एक्जिम एबिक्स सिंगापुर पी. वी. टी. को एक संदेश भेजा था।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

बैंक और पी. एफ. सी. एल. एस्टनफील्ड के समाधान के लिए कुंदन केयर के समाधान राशि/वित्तीय प्रस्ताव में संशोधन/पुनः बातचीत की मांग कर रहे हैं। उपरोक्त संचार के जवाब में, एक्जिम बैंक ने

12 जुलाई 2021 को एक पत्र को संबोधित करते हुए कहा गया कि "ऋणदाताओं" (एक्जिम बैंक और पीएफसीएल) द्वारा 9 जुलाई 2021 को कुंदन केयर द्वारा उठाए गए मुद्दों से निपटने के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के एक बैठक आयोजित की गई थी। 5 जुलाई 2021 का पत्र। कुंदन केयर के अनुरोध के जवाब में कहा गया है कि:

" 4 ..... ऋणदाता प्रथम दृष्टया सी. ओ. सी. में समाधान योजना राशि में संशोधन की मांग करने वाले वित्तीय प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत थे

आई. बी. सी. द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद आर. पी. द्वारा आयोजित।

उपरोक्त संचार के आदान-प्रदान के अनुसार, एक संयुक्त अनुरोध

श्री रामजी श्रीनिवासन, कुंदन केयर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और श्री वी गिरि, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा बनाया गया है।

ए-सी. ओ. सी. की ओर से निम्नलिखित शर्तों में उपस्थित होना:

" सी. ओ. सी. के सदस्य ऋणदाताओं द्वारा 12 जुलाई 2021 को जारी पत्र को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को अनुमति दी जा सकती है - आर. ए. और सी. ओ. सी. को मंजूरी के लिए एन. सी. एल. टी. (आर. पी. के माध्यम से) के समक्ष संशोधित योजना (12 जुलाई 2021 के पत्र के संदर्भ में) दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ सिविल अपील 3560/2020 वापस लें। सी. ओ. सी. एक सप्ताह के भीतर संशोधित योजना पर बैठक करेगी और निर्णय लेगी और एन. सी. एल. टी. संशोधित योजना की मंजूरी के लिए आर. पी. से आई. ए. प्राप्त करने पर दो सप्ताह के भीतर मामले का निपटारा करेगी। ' "

196. इस अदालत को सूचित किया गया था कि एक्जिम बैंक और पीएफसीएल

एस्टनफेल्ड के 98 प्रतिशत वित्तीय लेनदारों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे ध्यान में रखते हुए उपरोक्त समझौता जिस पर पहुंचा गया है, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग एक बार की राहत के लिए करना उचित समझते हैं और निर्देश देते हैं कि:

((i)

ए-सी. ओ. सी. बैठक करेगी और इस पर निर्णय लेगी -

5 जुलाई 2021 को कुंदन केयर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और 12 जुलाई 2021 को एक्जिम बैंक और पीएफसीएल द्वारा दी गई प्रतिक्रिया;

यदि एक संशोधित समाधान योजना पर सहमति हो जाती है

((ख)

ए-सी. ओ. सी. द्वारा, इसे एक सप्ताह के भीतर एन. सी. एल. टी. के अनुमोदन के लिए ए-आर. पी. के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। यदि एक संशोधित समाधान योजना पर सहमति नहीं होती है, तो [2021] 14 एस. सी. आर.

मूल समाधान योजना, जैसा कि एन. सी. एल. टी. के समक्ष प्रस्तुत की गई

15 नवंबर 2019, प्रबल होगा; और

(111) एन. सी. एल. टी. संशोधित समाधान योजना के साथ आवेदन का शीघ्रता से निपटान करेगा, और अधिमानतः आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर।

संशोधित समाधान योजना के अनुमोदन के लिए ए-आरपी से।

197. हम स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त निर्देश उस निवेदन को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं जिसका उल्लेख किया गया है, और समाधान आवेदक के कहने पर समाधान योजनाओं के संशोधन या वापसी के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर इस न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा।

के. 3 सेरोको अपील

198. आर्य फिलामेंट्स का सी. आई. आर. पी., एक एम. एस. एम. ई., 17 अगस्त 2018 को स्थापित किया गया था। सेरोको ने 13 मार्च 2019 को 6.79 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि के लिए समाधान योजना का मसौदा प्रस्तुत किया। बैठकों के बाद

आर्य-सी. ओ. सी. और समाधान योजना में संशोधन के साथ, सेरोको की योजना को 10 मई 2019 को आर्य-सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। 15 मई 2019 को आर्य-आर. पी. ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष अनुमोदन के लिए समाधान योजना दायर की। फॉर्म एच आर्य-आरपी द्वारा 5 जून 2020 को दाखिल किया गया था।

199. सेरोको ने आर्य-आरपी और आर्य-सीओसी को एक पत्र लिखा

200. सेरोको ने अपनी समाधान योजना की शर्तों पर भरोसा किया है जिसमें भूमि और भवन की बिक्री द्वारा आर्य-सी. ओ. सी. को भुगतान करने की परिकल्पना की गई है, और पुराने/अनुपयोगी/अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी से यह आग्रह किया गया है कि आर्थिक मंदी के कारण अनुबंध की निराशा ने इन परिसंपत्तियों के मूल्य को प्रभावित किया होगा। प्रस्तावित संशोधित समाधान में आर्य-सी. ओ. सी. के लिए एक और बाल कटवाने की परिकल्पना की गई है, जहां एक विस्तारित समय सीमा में डेढ़ करोड़ रुपये कम का भुगतान किया जाएगा। आर्य-आरपी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना या फॉर्म एच में ऐसी कोई शर्तें नहीं हैं जो सेरोको को इस तरह का लाभ प्रदान कर सकें। इसके विपरीत, संकल्प ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर पी. वी. टी. का खंड 19 (vii)।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

योजना में यह प्रावधान है कि आर्य-सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना की प्रारंभिक मंजूरी सेरोको पर बाध्यकारी है:

" 19. अन्य:

हम समझते हैं कि संकल्प पियानो की प्रारंभिक मंजूरी लेनदारों की समिति का विशेषाधिकार है और अंतिम

इसका अनुमोदन माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण यानी एन. सी. एल. टी. के पास है और हम यह वचन देते हैं कि लेनदारों की समिति और एन. सी. एल. टी. का निर्णय अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

इसलिए समाधान योजना की शर्तों पर भी राहत देने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि इस फैसले की धारा एच में कहा गया है, अनुबंध अधिनियम के तहत उपलब्ध कानूनी उपचार पक्षों के लिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि प्रस्तुत समाधान योजना एक अनुबंध नहीं है जो अन्यथा हताशा, बल प्रयोग या ऐसे अन्य उदाहरणों के कारण अमान्य हो सकता है। इसलिए, पक्ष केवल उन राहतों की मांग कर सकते हैं जिनकी विशेष रूप से आई. बी. सी. में परिकल्पना की गई है।

एल निष्कर्ष

201. यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि कोविड-19 महामारी की असाधारण परिस्थिति का कॉर्पोरेट ऋणदाताओं के व्यवसायों और सफल समाधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा होगा ऐसे आवेदक जिनकी योजनाओं को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा असंख्य कारणों से समय पर मंजूरी नहीं दी गई हो। लेकिन कानून के विधायी इरादे को अदालत द्वारा ऐसे परिणाम देने के लिए ओवरराइड नहीं किया जा सकता है जिनके गंभीर आर्थिक निहितार्थ हो सकते हैं जो आई. बी. सी. की व्यवहार्यता को प्रभावित करेंगे।

202. आई. बी. सी. के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग प्रक्रियात्मक उपचार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है जिनके पास है

दिवाला प्रक्रिया पर ठोस परिणाम। यह ढांचा, जैसा कि यह खड़ा है, केवल आई. बी. सी. की धारा 12 ए और सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 30 ए में विस्तृत प्रक्रिया का पालन करके और उन प्रावधानों में मान्यता प्राप्त स्थितियों में सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया से निकासी को सक्षम बनाता है। सफल समाधान आवेदक के कहने पर समाधान योजना की निकासी या संशोधन को सक्षम करना, एक बार जब इसे प्रक्रियात्मक अनुपालन के बाद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है। आवश्यकताएँ और समय सीमा, बातचीत का एक और स्तर बनाएगी जो क़ानून द्वारा पूरी तरह से अनियमित होगी। 330 दिनों [2021] से 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक सहित आईबीसी की धारा 12 (3) के तहत सीआईआरपी की बाहरी सीमा

निगमित ऋणदाता की श्रेणीबद्ध समाधान राशि और/या मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के साथ विलंबित परिसमापन जो कंपनी के मुख्य उद्देश्य को विफल कर देता है। आईबीसी।

203. यदि विधायिका को अपने विवेक में, अवधारणा को मान्यता देनी थी

निर्णय प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने के बाद समाधान योजना में निकासी या संशोधनों के लिए, इसे विशेष रूप से आई. बी. सी. और/या विनियमों के तहत एक व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए। इस टीथर को संकीर्ण रूप से परिभाषित आधारों पर निर्देशों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिन पर इस तरह के कार्यों की अनुमति है और प्रक्रियात्मक निर्देश, जिसमें समय सीमा शामिल हो सकती है।

जिसमें उन्हें प्रस्तावित किया जा सकता है, मतदान की आवश्यकताएँ और सीमा

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन (जैसा भी मामला हो)। उन्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि किस स्तर पर निगमित ऋणदाता को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा परिसमापन में भेजा जा सकता है या अन्यथा, संशोधन और/या निकासी के लिए असफल बातचीत की स्थिति में। ये विधायी नीति के मामले हैं। 204. वर्तमान ढांचे में, भले ही इक्विटी की एक अस्वीकार्य समझ अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से आयात की जाती है या समाधान योजना की शर्तों की व्याख्या इस तरह से की जाती है जो अपीलार्थियों की वांछित कार्रवाई को सक्षम बनाती है, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रक्रिया के बाद के चरण में सी. ओ. सी.-अनुमोदित समाधान योजना को वापस लेने के परिणामस्वरूप न्यायनिर्णायक प्राधिकरण कॉर्पोरेट ऋणदाता के अनिवार्य परिसमापन का निर्देश देगा। विशेष रूप से, इस दिशा में

आई. बी. सी. की धारा 33 (1) (बी) में अन्यथा प्रावधान किया गया है जब एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 के तहत एक समाधान योजना को अस्वीकार कर देता है। में।

इस संदर्भ में, हमारा मानना है कि भारत में मौजूदा दिवालिया ढांचा सफल ईबीआईएक्स सिंगापुर पी. वी. टी. के इशारे पर सीओसी-अनुमोदित समाधान योजनाओं के आगे के संशोधनों या निकासी को प्रभावित करने के लिए कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करता है।

लिमिटेड। वी. क्रेडिटर्स ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की समिति। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

समाधान आवेदक, एक बार योजना न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद। एक समाधान आवेदक, सूचनात्मक उपयोगिताओं के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋणदाता की वित्तीय जानकारी प्राप्त करने और आई. एम. का अध्ययन करने के बाद, यह माना जाता है कि उसने कॉर्पोरेट ऋणदाता के व्यवसाय में जोखिमों का विश्लेषण किया है और एक विचारशील प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आई. बी. सी. और सी. आई. आर. पी. विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में सी. ओ. सी. और सफल समाधान आवेदक के बीच एक प्रस्तुत समाधान योजना बाध्यकारी और अपरिवर्तनीय है। कुंदन केयर के मामले में, चूंकि समाधान आवेदक और सी. ओ. सी. दोनों ने पी. पी. ए. पर अनिश्चितता के कारण समाधान योजना में संशोधन का

अनुरोध किया है, जिसे गुजरात ऊर्जा (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले से मंजूरी मिल गई है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एक बार की राहत धारा के. 2 में निर्धारित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

205. हमारे लिए यह स्वीकार करना भी गंभीर होगा कि जबकि इस न्यायालय ने कानून में स्थिति घोषित की है कि वह वापसी को सक्षम नहीं करता है या

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के बाद एक सफल समाधान आवेदक में संशोधन, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने में लंबी देरी के बाद के कार्यान्वयन को प्रभावित करता है योजना। ये देरी, यदि व्यवस्थित और बार-बार होती है, तो बातचीत के दौरान पक्षों द्वारा किए गए वाणिज्यिक मूल्यांकन पर निर्विवाद प्रभाव पड़ेगा। 'दिवाला और दिवालियापन संहिता के कार्यान्वयन-नुकसान और समाधान' 1 27 पर वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति (2020-2021) की बत्तीसवीं रिपोर्ट ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदनों के लंबित होने के संबंध में एक निराशाजनक स्थिति का प्रतिनिधित्व किया। इसने 128 1 28 को नोट किया: .

15. आई. बी. सी. के तहत एन. सी. एल. टी. में उम्र के हिसाब से लंबित मामले

31 मई, 2021 इस प्रकार है:

91-120 दिन 121-'180 दिन

180+ दिन।

0-90 दिन।

कुल

आईबीसी सेक

सेक वाई

155

147

306

2,177

2,785

4,202

1091

279

अनुभाग 9

401

5,973

608

धारा 10

85

17

455

एसआई

485

अन्य

60

121

193

111

9,851

625

7,027

कुल

830

1,569

71.33 %

6.34 %

15.92 %

6.Z9%

प्रतिशत

127 वित्त पर स्थायी समिति, सत्रहवीं लोकसभा, निगमित कार्य मंत्रालय, 'दिवाला और दिवालियापन संहिता का कार्यान्वयन-नुकसान और समाधानः बत्तीसवीं रिपोर्ट '(अगस्त 2021) <यहां उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईबीबी। गव. में/अपलोड/नया/fc8fd95f0816acc5b6ab9e64c0a892ac। पी. डी. एफ.> 20 अगस्त 2021 128 आई. बी. आई. डी. पर पहुँचा गया।

, पृष्ठ 6

[2021] 14 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपनी टिप्पणियों में, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि समाधान प्रक्रिया में देरी के साथ सत्तर-एक प्रतिशत से अधिक मामले लंबित हैं। 180 दिनों से अधिक समय सी. आई. आर. पी. के लिए मूल उद्देश्य और समयरेखा के विचलन में है जिसकी परिकल्पना आई. बी. सी. 1 29 द्वारा की गई थी। देरी के लिए जिम्मेदार थेः (i) सी. आई. आर. पी. को स्वीकार करने में काफी समय लेने वाली एन. सी. एल. टी.; (ii) योजना प्रस्तुत करने की समय सीमा बीतने पर मूल बोलीदाता के सार्वजनिक होने के बाद समाधान आवेदकों द्वारा देर से और अवांछित बोलियां;

और एन. सी. एल. ए. टी. को दिवाला पर इस तरह की देरी के प्रभाव के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। समाधान प्रक्रिया और इस बात से अवगत रहें कि स्थगन न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता में बाधा डालता है। एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. को सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर आई. बी. सी. के तहत निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन करने और लंबित समाधान योजनाओं को तुरंत पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। आई. बी. सी. से पहले प्रभावी दिवालिया व्यवस्था की विफलता के प्रमुख कारणों में से एक न्यायिक देरी थी। हम वर्तमान दिवालिया व्यवस्था को ऐसा नहीं होने दे सकते।

एक ही भाग्य का सामना करें। 206. उपरोक्त के आलोक में, एबिक्स (2020 की सिविल अपील 3224) और सेरोको (2021 की सिविल अपील 295) द्वारा की गई अपीलें मान्य हैं।

बर्खास्त कर दिया। कुंदन केयर (2020 की सिविल अपील 3560) द्वारा की गई अपील के पक्षकार इस निर्णय के अनुच्छेद 196 (धारा के. 2) में निर्दिष्ट एकमुश्त राहत के रूप में अपनी अनुच्छेद 142 शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

207. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपीलों का

निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान 129 आइबीआइडी। , पृष्ठ 20-21 130 आई. बी. आई. डी. , पृष्ठ 23-25